Tuesday, 05 June, 1962

लोक–सभा

वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/75

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-96
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३२५१

सभा का कार्य ३२५१–५२

अनुदानों की मांगें . ३२५२—३३३२

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२५१—७९

शिक्षा मंत्रालय . . ३२८०—३३३२

दैनिक संक्षेपिका ३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३ . . . . ३३३५—३३५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से ११११३ . . . . . ३३५८—६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५ . . . . ३३६८—३४०२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३४०२—०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ३४०५—०७

(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश . ३४०५–०६

(२) डकोटा विमान का गिरना ३४०६–०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३४०७—०९

तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . . ३४०९

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य . ३४०९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३४०९—५४

शिक्षा मंत्रालय . . . . ३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . . ३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . . ३४९०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९
स्थगन प्रस्ताव—
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . . ३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . ३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४
अनुदानों की मांगें . . . . ३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८
विधि मंत्रालय . . . . . . ३५४९—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११६५ . . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट ३७९५–९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ३७९६—३८१३
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३८१३—४३
दैनिक संक्षेपिका . . . . ३८४४—४६

अंक ३६——शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——
तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१——७७
प्रश्नों के लिखित उत्तर——
तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४ ,१२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६
निधन संबंधी उल्लेख ३८९६
३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९
फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९
सभा का कार्य ३८९९
राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९००
अनुदानों की मांगें—
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—— ३९२५
पहला प्रतिवेदन ३९२५
मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प——वापस लिया गया . ३९२५—३७
अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५
दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७——सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—— .
तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४०३६—४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४१७४—७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५—७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, ५ जून, १९६२

१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साम्प्रदायिक निकायों और संस्थाओं पर रोक

+

†*१२७१. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री मे० के० कुमारन : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक निकायों और संस्थाओं पर रोक लगाने के सम्बन्ध में सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ; और

(ख) क्या सरकार ऐसी संस्थाओं को मान्यता और वित्तीय सहायता दे रही है ;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जैसाकि गृह-कार्य मंत्री ने ३० नवम्बर, १९६१ को सभा में बताया, सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया है ।

(ख) चुनाव आयोग द्वारा जिन कुछ दलों को मान्यता दी जाती है, उन्हें छोड़कर सरकार ने साम्प्रदायिक निकायों अथवा संस्थाओं को कोई मान्यता अथवा आर्थिक सहायता नहीं दी है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राष्ट्रीय एकता समिति की हाल में जो बैठक हुई है उसमें इस मामले का निर्देश एक समिति को किया गया है किन्तु क्या सरकार ने मामले का निर्देश समिति को करने से पहले इस सम्बन्ध में कुछ विचार किया है और यदि हां, तो उसकी क्या राय रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

1197 Ai) LSD—1

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** हमने इस मामले पर विचार किया और वास्तव में कुछ समय पूर्व आयोजित मुख्य मंत्री सम्मेलन में इस मामले पर पूरी चर्चा की गई थी। इस सम्बन्ध में कई कानूनी और संवैधानिक कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया गया। सम्मेलन की राय में चूंकि संविधान में संस्था आदि के गठन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है अतः यदि कोई कानूनी कार्यवाही की गई तो सरकार के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। किन्तु, हमारी मुख्य समस्या यह है कि हम साम्प्रदायिक संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। हमारी राय में कुछ संगठन साम्प्रदायिक हैं किन्तु संगठन इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिये राष्ट्रीय एकता समिति की पिछली बैठक में इस पहलू पर विचार किया गया और इस सम्बन्ध में और अध्ययन करना आवश्यक समझा गया। इस कारण एक समिति गठित की गई।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री का ध्यान पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा दो दिन पूर्व दिये गये इस वक्तव्य की ओर गया है कि वे अपने राज्य के साम्प्रदायिक निकायों और संगठनों को दी जा रही आर्थिक सहायता बन्द करने के लिये सक्रिय कदम उठा रहे हैं। क्या इस प्रकार की कार्यवाही केवल पंजाब में हो रही है या देश भर में ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैं समझ नहीं सका कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने क्या कहा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** पंजाब के मुख्य मंत्री ने परसों यह कहा कि वे साम्प्रदायिक निकायों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं और वे ऐसे निकायों को दी जा रही आर्थिक सहायता बन्द कर देना चाहते हैं। उनका यह वक्तव्य कल के अखबारों में प्रकाशित हुआ है। संभवतः वे साम्प्रदायिक और धार्मिक स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं के बारे में ऐसी कार्यवाही करने का इरादा रखते हों। मेरा ख्याल था कि उनका गृह-कार्य मंत्री से निकट सम्पर्क है और मैं इतना ही जानना चाहता था कि क्या वही इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं या कि मुख्य मंत्री सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई थी और देश भर में इस तरह की कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** पहली बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री और हमारे बीच कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ और दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य का साम्प्रदायिक संगठनों से क्या आशय है यह मेरी समझ में नहीं आया। कहीं-कहीं जाति विशेष के लिये संस्थायें होती हैं। पंजाब के मुख्य मंत्री का उद्देश्य क्या हो सकता है यह मैं नहीं जानता किन्तु राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : साम्प्रदायिक दलों और संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने और उन की मान्यता वापस लेने का प्रश्न वर्षों से इस देश में चल रहा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार आज यह बतलाने की स्थिति में है कि साम्प्रदायिक दलों और संगठनों में वह विशेष रूप से किन किन को सम्मिलित करती है और साम्प्रदायिकता की परिभाषा उस ने क्या निश्चित की है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरा ख्याल है कि यह जो कमेटी बैठी है नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिल की वह खास तौर पर इन विषयों पर विचार करेगी कि क्या परिभाषा हो और किन

†मूल अंग्रेजी में

को उस परिभाषा के अनुसार साम्प्रदायिक संस्था माना जाये। माननीय सदस्य जानते हैं कि यह प्रश्न इतना सरल नहीं है कि हम इसको चट पट हल कर दें और इस लिये इस पर विचार करके ही फैसला किया जा सकता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विशवविद्यालय जैसी कई प्रसिद्ध संस्थाओं के नाम सांम्प्रदायिक हैं। इन महान् संस्थाओं के नाम में से साम्प्रदायिकता हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का इरादा रखती है ?

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि साम्प्रदायिक और धार्मिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं को जो धन मिलता है उसका कुछ अंश विशिष्ट समुदायों और वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिये काम में लाया जाता है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा ख्याल है कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। यदि माननीय सदस्य शिक्षा संस्थाओं का निर्देश कर रहे हैं तो उनमें सभी छात्रों को प्रवेश मिल सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है जाति या समुदाय के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाता।

†**श्री बदरुद्दुजा** : साम्प्रदायिक संगठनों की व्याख्या क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर विचार किया जाना है।

†**श्री बदरुद्दुजा** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी संगठन—धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक— इसमें आ जायेंगे या उसमें केवल विशिष्ट स्वरूप के राजनीतिक संगठन रहेंगे ? क्या उसमें ऐसे राजनीतिक संगठन शामिल किये जायेंगे जो साम्प्रदायिक कार्य करते हैं और क्या वे संगठन भी शामिल किये जायेंगे जो विशिष्ट जातियों ने धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर गठित किये हों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर विचार किया जाना है।

श्री बड़े : जब नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल में हिन्दू महासभा का प्रतिनिधि बुलाया गया था और उसी तरह से मुस्लिम लीग और आर० एस० एस० का भी विशेष प्रतिनिधि क्यों नहीं बुलाया गया था, और अकाली दल का प्रतिनिधि क्यों नहीं बुलाया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ब्योरे में जा रहे हैं ?

†**श्री बड़े** : हिन्दू महा-सभा का केवल एक सदस्य बुलाया गया. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य विस्तार में जा रहे हैं कि किसी संगठन के इतने सदस्य क्यों बुलाये गये। यह एक अलग मामला है। माननीय सदस्य माननीय मंत्री को लिख सकते हैं कि वे अन्य सदस्यों को भी बुलायें।

†**श्री मु० इस्माइल** : साम्प्रदायिक संगठनों के प्रश्न के अध्ययन के लिये जो समिति बनाई गई है क्या उसमें जनसंघ और हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह जानकारी दी जा चुकी है कि वे बुलाये गये थे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, हां। उन्हें एकता समिति की बैठकों के लिये बुलाया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

और उनमें से एक राष्ट्रीय एकता परिषद् का सदस्य है। उसे समिति में रखा गया है। यदि अन्य संगठनों की ओर से मुझे उम्मीद है कि यदि मैं कहूं कि मुस्लिम लीग जैसे साम्प्रदायिक संगठनों के प्रतिनिधि भी समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करें तो माननीय सदस्य नाराज न होंगे।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी भी कई पत्र, यहां तक कि केन्द्रीय क्षेत्रों के भी कई पत्र, इस प्रकार की साम्प्रदायिक भावनाओं को उभार रहे हैं और उन को अभी भी सरकारी विज्ञापन मिलते हैं और वे न केन्द्र से बन्द किये जा रहे हैं और न राज्यों से बन्द किये जा रहे हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह काफी हद तक ठीक है, और इस में सन्देह नहीं कि मुझे भी लगता है कि इस बात पर विचार होना चाहिये कि जो अखबार साम्प्रदायिकता या कम्यूनलिज्म फैलाते हैं उनको सरकार की तरफ से किसी रूप में मदद मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : चुनाव के दौरान में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन न मिले इस उद्देश्य से निर्वाचन सम्बन्धी विधि में किये गये परिवर्तनों से कोई लाभ नहीं हुआ। इस बात को देखते हुये सरकार साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के अलावा, जो कि वह करना नहीं चाहती, साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अब समय आ गया है कि हम इस मामले पर विचार करें। चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और हमने यह देख लिया है कि किस प्रकार की शक्तियां चुनाव के दौरान उभरीं। हम सबको मिलकर विचार करना चाहिये कि भविष्य में क्या उपाय किये जायें ताकि इस प्रकार की गतिविधियां न हों।

कुछ माननीय सदस्य उठे।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस प्रश्न पर १० मिनट व्यतीत कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि और समय देने से कोई नयी जानकारी सामने न आयेगी। अगला प्रश्न। श्री श्रीनारायय दास।

†**श्री श्रीनारायण दास**। १२७३।

†**श्री नाथ पाई** : प्रश्न संख्या १२७२ का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा बाद में किसी अन्य तिथि को दिया जायेगा।

कर वसूली और राष्ट्रीय आय

†*१२७३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर वसूली और राष्ट्रीय आय के बीच प्रतिशत अनुपात के सम्बन्ध में सरकार का नवीनतम अनुमान क्या है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी किसी गैर-सरकारी संस्था के बारे में जानकारी है जिसने इसका अनुमान लगाया हो ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी अनुमान की तुलना में सरकार का अनुमान कम है या अधिक ?

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) राष्ट्रीय आय के बारे में नवीनतम अनुपात १९६०–६१ का है । अनुमान के आधार पर केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों की कुल कर वसूली उस वर्ष की राष्ट्रीय आय की ९.५ प्रतिशत है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या राष्ट्रीय आय और कर वसूली के पहले के कोई अनुमान उपलब्ध हैं ; यदि हां, तो वे इस प्रतिशत की तुलना में किस प्रकार बैठते हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : १९५९–६० में यह प्रशित १० था, उससे पहिले वह ९.७ था । इस लिये प्रतिशत लगभग वही रहा है । १९५९–६० में प्रतिशत १० था इसलिये नहीं कि उस वर्ष कराधान कम था किन्तु राष्ट्रीय आय १२,९४० करोड़ रुपये से बढ़कर १४;२४० करोड़ रुपये हुई । करों की राशि १२८५ करोड़ रुपये से बढ़ कर १३५६ करोड़ रुपये हुई है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस बात को देखने के लिये कि क्या हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ कराधान भी बढ़ता है, इस विषय का पूर्ण अध्ययन करने का विचार है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस बात को ध्यान में रखा जाता है । कराधान राष्ट्रीय आय के साथ-साथ बढ़ता है । उदाहरण के लिये तीसरी योजना के आरंभ में......

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इतनी ही जानकारी चाहते हैं । कराधान बढ़ रहा है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : हमारे कराधान का प्रतिशत अन्य देशों के कराधान के प्रतिशत की तुलना में किस प्रकार बैठता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस दृष्टि से देखा जये तो भारत उन देशों में से एक है जिनमें कराधान सब से कम है । उदाहरण के लिये पाकिस्तान और फिलिपीन में यह प्रतिशत लगभग ८ है जब कि बर्मा में वह लगभग १३ है ।

रूरकेला इस्पात परियोजना

†*१२७४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर ध्यान देने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है या की जा रही है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में विस्तार कार्य के दौरान असंबद्ध कार्य आदि जैसी पुरानी गलतियां फिर से न दोहरायी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो जो कार्यवाहियां की जानी हैं उन की मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). दस लाख टन की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना में प्राप्त अनुभव का विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वय में पूरा लाभ उठाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्लः** : क्या सोलवीन समिति ने या श्री वानचू ने, जो पश्चिम जर्मनी से लौट आये हैं, विस्तार-काल में कुछ कदम उठाने की सिफारिश की है; यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं और क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : सोलवीन समिति का सम्बन्ध वर्तमान संयंत्र के पूरी क्षमता के उत्पादन से था ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : श्री वानचू ने इस्पात के इस संयंत्र के विस्तार के बारे में क्या सिफारिशें की हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इस प्रश्न पर रूरकेला संयंत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुये विचार किया गया है और हम वे गलतियां नहीं करना चाहते जो दस लाख टन की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना के समय हुई हैं । उस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है और श्री वानचू की सिफारिशों के अलावा हमने कुछ निर्णय किये हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या श्री वानचू ने पश्चिम जर्मनी से लौटने के बाद कोई सिफारिशें की हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उन्होंने रूरकेला के विस्तार कार्यक्रम के बारें में सिफारिशें नहीं कीं ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि सोलवीन समिति के परामर्श के आधार पर रूरकेला में हुई गलतियों को सुधारने के लिये १० करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह प्रश्न विस्तार कार्यक्रम के बारे में है ।

श्री ब्र० बि० महरोत्रा : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रूरकेला प्लांट के एक्सपेंशन के बारे में जरमनी की सरकार की तरफ से कोई अड़चन आ गयी है क्या ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मुझे तो कोई अड़चन नहीं दिखाई देती किन्तु मैंने अखबारों में इस तरह के कुछ समाचार अवश्य देखे हैं ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या इस प्रकार की कठिनाइयां अन्य संयंत्रों में भी उत्पन्न हुई हैं; यदि नहीं, तो वे यहां क्यों उठाई गयी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का इस्पात के अन्य संयंत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि मिस्टर सोलवीन ने अपने प्रतिवेदन में दोषपूर्ण रखरखाव, प्रविधिक कर्मचारियों का अभाव और एक संयंत्र से ध्यान हटाकर दूसरे संयंत्र की ओर ध्यान देना आदि गलतियों का उल्लेख किया है और यदि हां, तो सरकार ने इन गलितयों के कारणों को जान लेने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा कि बताया जा चुका है, यह प्रश्न रूरकेला संयंत्र के विस्तार से सम्बन्धित है । सोलवीन समिति का प्रतिवेदन वर्तमान संयंत्र और उसके दोष के बारे में हैं। मुझे विश्वास है कि सदन को सोलवीन समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : उनका एक दूसरे से निकट सम्बन्ध है। श्री सोलवीन के प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप पश्चिम जर्मनी रूरकेला इस्पांत संयंत्र के विस्तार में बाधा उत्पन्न कर रहा है ? श्री वानचू ने भी यह कहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सोलवीन समिति की सिफारिशों रूरकेला स्थिति संयंत्र के पूरी क्षमता से उत्पादन के बारे में है। चूंकि यह संयंत्र पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहा है इसलिये अखबारों में समाचार प्रकाशित हुये हैं कि पश्चिम जर्मनीं संयंत्र के पूरी क्षमता से उत्पादन करने लग जाने तक प्रतीक्षा करना चाहता है। किन्तु इन समाचारों का वर्तमान विस्तार कायक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री वारियर** : क्या सोलवीन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मशीनरी की रचना में ही कई दोष थे और इन दोषों के लिये पश्चिम जर्मनी को जिम्मेवार न ठहराया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न विस्तार कार्यक्रम से सम्बन्धित है। श्री कुमारन ।

†**श्री मे० क० कुमारन** · मुझे अपेक्षित जानकारी मिल गई है ।

†**श्री वारियर** : मैं इतना ही बता रहा था कि विस्तार कार्यक्रम में ये गलतियां न हों ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या ये गलतियां अधिकांशतः प्रबन्धकों से हुईं और क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि उसे अकारण ही दोष दिया गया ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: प्रश्न का सम्बन्ध है असमन्वित कार्य की पुरानी गलतियों से । कहने का मतलब है कि सन्यन्त्र की स्थापना में कई फर्मों ने काम किया और यह पाया गया कि इस सारे कार्य में पर्याप्त समन्वय न था । विस्तार-कार्य में भी हम इन गलतियों को न होने देने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन् औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है। पूछा गया है कि :

> "क्या इस बात की ओर ध्यान देने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में विस्तार कार्य के दौरान असम्बद्ध कार्य आदि जैसी पुरानी गलतियां फिर से न दोहरायी जाये ।"

इसका अर्थ है कि इस सन्यन्त्र के विस्तार कार्यक्रम का सम्बन्ध वर्तमान सन्यन्त्र से है जहां कुछ गलतियां हुई हैं। इसलिये जब मन्त्री महोदय यह कह कर कि इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल विस्तार कार्यक्रम से है, सोलवीन समिति की सिफारिशों अथवा उसके सुझावों का उल्लेख टाल देते हैं तो इसमें औचित्य का प्रश्न उत्पन्न होता है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : प्रश्न यह था कि क्या हम उन गलतियों से अवगत हैं जो दस लाख टन की क्षमता के सन्यन्त्र के निर्माण में हुई हैं। मैंने कहा कि "हां, हम उन गलतियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।" सोलविन समिति का प्रतिवेदन रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र के दोष तथा उन्हें दूर करने के बारे में है। मैं कह चुका हूं कि हम इन गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। इसलिये यदि आप सोलवीन समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करना चाहते हैं तो वह सभा पटल पर रख दिया जायेगा। मेरा इरादा उसे उचित समय पर सभा के समक्ष रखने का है ताकि सभा समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ**: श्रीमन्, क्या हम आपके जरिये मन्त्री महोदय से सोलवीन समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के लिये कह सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो उन पर निर्भर करता है। मेरा ख्याल है कि मुझे उनसे प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने के लिये कहना नहीं पड़ेगा।

अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी की पुस्तकें

***१२७७. श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों को विभिन्न विषयों की हिन्दी की पुस्तक देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होगा ;

(ग) इन पुस्तकों से कितने व्यक्तियों को लाभ होने की आशा है ; और

(घ) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी पुस्तकों के लिये कितना उत्साह दिखाई पड़ता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस उद्देश्य के लिए १९६२–६३ के बजट में २ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ). पुस्तकें अहिन्दी भाषी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में स्कूल/कालेज और सार्वजनिक पुस्तकालयों को दी जाएंगी। ऐसा विचार है कि उपयुक्त रूप से चुनी गई हिन्दी पुस्तकों को मुफ्त भेंट स्वरूप देने से इन क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न करने में पर्याप्त रूप से सहायता मिलेगी और इस प्रकार देश में हिन्दी के प्रचार के कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि सरकार ने दो लाख रुपया इसके लिए सन् १९६२–६३ में निश्चित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दो लाख रुपए में इतने अहिन्दी भाषी प्रान्तों और संघीय क्षेत्र का काम चलने वाला है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह जो योजना है यह विशेष काम के लिये है, सारे अहिन्दी के क्षेत्र के लिये नहीं है। ये पुस्तकें स्कूलों और कालेजों के पुस्तकालयों और पब्लिक पुस्तकालयों के लिये खरीदी जायेंगी और यह जो धनराशि है इसमें से किताबें खरीद कर जो अहिन्दी भाषी प्रान्त हैं उनको भेजी जाएंगी ।

श्री विभूति मिश्र : आठ अहिन्दी भाषी सूबे हैं और तीन चार संघीय क्षेत्र हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह दो लाख रुपए की राशि इतने सूबों और संघीय क्षेत्रों के स्कूलों और कालिजों के पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें खरीदने के लिये पर्याप्त होंगी ?

डा० का०ला० श्रीमाली : अभी यह योजना आरम्भ हुई है और जैसे-जैसे काम का विस्तार होगा और जैसे-जैसे यह स्कीम ज्यादा उपयोगी पायी जाएगी, यह धन राशि भी बढ़ायी जाएगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय लिपि में छपी हिन्दी पुस्तकें देने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, नहीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : पुस्तकालयों अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को पुस्तकें किस आधार पर दी जाती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : चुनाव का आधार यह है कि विषय वस्तु सरल, रोचक और शिक्षाप्रद होनी चाहिये; पुस्तक आकर्षक होनी चाहिये ताकि पाठक उसे चाव से पढ़ें और पुस्तकें यथाशक्य सस्ती हों। चुनाव के लिये गठित समिति पुस्तकों का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखती है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं यह जानना चाहता था कि पुस्तकालयों जैसी संस्थाओं को पुस्तकें किस आधार पर दी जाती हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : : चुनाव का आधार यही है ।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मन्त्री इस बात को जानते हैं कि अभी यह योजना सिर्फ एक वर्ष के लिये कार्यरूप में परिणित की गई है और क्या मन्त्री जी को यह बात मालूम है कि जहां जहां यह पुस्तकें भेजी गईं वहां वहां बहुत उत्साह के साथ इन पुस्तकों को पढ़ा गया, ऐसी हालत में जैसा श्री विभूति मिश्र ने कहा है, क्या माननीय मन्त्री यह बात विचारेंगे कि २ लाख रुपया जो इस पर व्यय किया जाने वाला है यह बहुत कम है और चूंकि इस वर्ष यह प्रस्ताव फिर कार्यरूप में परिणित किया जायेगा इसलिये क्या इस रकम को बढ़ाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब तो दे दिया कि जैसे जैसे यह काम चलेगा, उसको बढ़ायेंगे आपने सुना नहीं । श्री शर्मा. . . .डा० गोविन्द दास ।

श्री गोबिन्द दास : मेरा मतलब यह था कि यह दो लाख रुपया ऐसी हालत में जिस हालत में यह पुस्तकें इतने उत्साह से ली गई हैं, यह रकम बहुत कम है और क्या इस रकम को बढ़ाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां यह योजना जैसे जैसे उपयोगी पाई जायेगी इस राशि को बढ़ाया जायेगा । मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई है कि यह योजना इस योग्य पायी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा साहब को जब मैं बुलाता हूं तो वह खड़े नहीं होते बाद में जब मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुला लेता हूं तो वह खड़े होते हैं, मैं क्या करूं ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि इस स्कीम के अन्दर किताबें दी जायेंगी या स्कूल, कालिजों को धनराशि दी जायेगी कि उससे वह किताब खरीद लिया करें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं किताबें दी जाती हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह जो किताबें दी जायेंगी तो इसके लिये क्या कोई एजेंसी है जिसके कि मार्फत यह किताबें दी जायेंगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : पुस्तकों का सैलक्शन करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जाती है । पिछली बार की कमेटी में यह लोग थे । दो, तीन आफिसर्स मिनिस्टरी के होते हैं । श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, डा० आर० के० वर्मा, हैड आफ दी हिन्दी डिपार्टमेंट लखनऊ यूनी-

†मूल अंग्रेजी में

वरसिटी, श्री डी० डी० गुप्ता, हेड आफ दी हिन्दी डिपार्टमेंट लखनऊ युनिवरसिटी, श्री ए० चन्द्रहासन, महाराजाज कालिज, अर्नाकुलम और वी० एम० शर्मा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हिन्दी कालिज, रायगढ़, इसके मेम्बर थे। इस तरीके से प्रतिवर्ष किताबों को चुनने के लिये कमेटी बनाई जाती है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : सूची में जिन किताबों के नाम है क्या वे संसद् पुस्तकालय को दी जायेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ऐसा करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी किन्तु इनमें से अधिकांश किताबें बच्चों के लिये हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि इन पुस्तकों के अतिरिक्त क्या कोई धार्मिक पुस्तक भी उन्हें दी जायगी ताकि उनको चारित्रिक शिक्षा भी दी जा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : धार्मिक पुस्तकें उसमें से निकाली नहीं जायेंगी । कमेटी जो भी पुस्तक उपयुक्त समझेगी उनको चुनेगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : इस कमेटी में कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो धार्मिक........

अध्यक्ष महोदय : स्वामीजी को सवाल करने से पहले मेरी इजाजत तो ले लेनी चाहिए कि वह सवाल कर सकते हैं या नहीं । आप अब सवाल कर लें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने कमेटी बनाई है वह केवल डाक्टरों की ही बनाई है या इसमें कोई ऐसे धार्मिक सज्जन भी हैं जो कि चारित्रिक सुधार के लिए धार्मिक पुस्तकें चुनें ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सभी व्यक्ति धार्मिक हैं ।

दिल्ली में नये पोलीटेक्नीक

+

†*१२७८. { **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दो नये पोलीटैक्नीक खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं में अनुमानतः कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ; और

(ग) इन पोलीटैक्नीक में कौन से पाठ्यक्रम शुरू करने का इरादा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) **पूसा पोलीटेक्नीक**—वर्ष में ३०० छात्रों को प्रवेश ।
महिला पोलीटेक्नीक—वर्ष में १५० छात्राओं को प्रवेश ।

(ग) **पूसा पोलीटेकनिक**—सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ।
महिला पोलीटेक्नीक—

१. निम्नलिखित विषयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

(१) इलेक्ट्रानिक्स

(२) पुस्तकालय विज्ञान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) आन्तरिक सजावट।

(४) चिकित्सा प्रयोगशाला टैक्नालाजी

(५) सचिवालय की कार्यविधि।

२. निम्नलिखित विषयों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :—

वास्तुविद्या, प्रारूप कर्म और सहायक।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या दिल्ली में खोले जा रहे पोलीटैक्नीकों में अन्य प्रदेशों के छात्रों के लिये स्थान रक्षित रखे जायेंगे ?

श्री हुमायून् कबिर : दिल्ली के पोलीटैक्नीक में प्रवेश पाने के लिये किसी भी प्रदेश का छात्र आवेदन कर सकता है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या अन्य प्रदेशों के लिये स्थान रक्षित रखे जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : दिल्ली स्थित संस्थाओं में किसी प्रदेश-विशेष के लिये स्थान रक्षित नहीं होंगे किन्तु सभी क्षेत्रों के जो छात्र यहां रहते हैं और प्रवेश पाने की योग्यता रखते हैं उन्हें प्रवेश दिया जाता है।

†**श्री वारियर** : इन संस्थाओं के लिये कितनी राशि का आवंटन किया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह बताना तो कठिन है क्योंकि खर्च कम-ज्यादह हो सकता है। किन्तु हम इन आंकड़ों के आधार पर आवंटन करते हैं। अनुमान है कि पूसा पोलीटैक्नीक का खर्च लगभग ४३ लाख रुपये होगा और महिला पोलीटैक्नीक पर अनुमानतः ३३.८४ लाख रुपये।

†**श्री बड़े** : दिल्ली जहां कि पहले से ही कई इंजीनियरिंग कालिजेज हैं वहां यह पोलीटैक्नीक अर्थात टैक्निकल कालिजेज न खोले जाकर उन जिलों में खोले जायं जहां कि इनकी आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है ?

श्री हुमायून् कबिर : टैकनिकल स्कूल्स बहुत जगह खोले जा रहे हैं। जहां भी इनकी जरूरत समझी जाती है वहीं पर यह खोले जाते हैं।

श्री प्रिय गुप्त : क्या इन संस्थाओं में सायंकालीन कक्षायें लगेंगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस पोलीटैक्नीक में तो नहीं किन्तु सायंकालीन कक्षाओं तथा पार्ट-टाइम पाठ्यक्रमों के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा रहा है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या मन्त्री महोदय ने कहा है कि जो छात्र यहां रहते हैं और प्रवेश पाने की योग्यता रखते हैं, उन्हें प्रवेश दिया जाता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह तो जाहिर है कि दिल्ली में जो पोलीटैक्नीक हैं वे मुख्यतः दिल्ली के निवासियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

†**डा० क० ला० राव** : क्या इन पोलीटैक्नीक की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि बाद में वे इंजीनियरिंग की डिग्री के पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कुन्हन्।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**श्री हुमायून् कबिर** : श्रीमन्, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी राय में वह प्रश्न कार्यवाही के लिये सुझाव था।

†**श्री कुन्हन** : इन ४५० स्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान रक्षित रखे जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसमें सामान्य सूत्र लागू होगा। महिलाओं के लिये विशेष रूप से स्थान रक्षित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

†**श्री महेश्वर नायक** : जबकि नये पोलीटैक्नीक की मांग है तो दिल्ली पोलीटैक्नीक क्यों बन्द किया गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मुझे तो माननीय सदस्य से ज्ञात हुआ कि दिल्ली पोलीटैक्नीक बन्द हो गया है।

निवेली में इस्पात संयंत्र :

\+

†*१२७६. { **श्री उमानाथ** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार सैलम के अलावा निवेली में ही एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखती है ताकि निवेली से सैलम जिले के प्रस्तावित लोहा और इस्पात संयंत्र को लिग्नाइट ले जाने वाले माल डिब्बे लौटते समय सैलम से लौह अयस्क निवेली इस्पात संयंत्र को पहुंचा सकें ;

(ख) क्या निवेली में एक और इस्पात सन्यन्त्र की स्थापना के बारे में मद्रास सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) निवेली लिग्नाइट के आधार पर दक्षिण में एक कच्चा लोहा सन्यन्त्र स्थापित करने का प्रश्न, जो बाद में इस्पात सन्यन्त्र के रूपमें विकसित किया जा सकता है, सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक प्रविधिक समिति के विचाराधीन है। समिति सन्यन्त्र तथा इसकी विविध इकाइयों की स्थापना के लिये अत्यन्त उपयुक्त स्थानों की भी सिफारिश करेगी। जब प्रविधिक समिति की सिफारिश प्राप्त हो जायेंगी तब निर्णय किया जाएगा।

श्री उमा नाथ : यदि इस्पात सन्यन्त्र की दो इकाइयां स्थापित की जाती हैं, एक निवेली में और एक सेलम में, पूंजी प्रभार पर अधिक उत्पादन होगा तथा वैगनों का अधिकतम उपयोग होगा। इन दो केन्द्रों पर दो इकाइयां स्थापित करने के विरोध मे सरकार के पास क्या कारण थे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सरकार का इस प्रस्थापना के विरुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रविधिक समिति इस पहलू पर भी विचार करेगी और सिफारिश करेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री उमा नाथ : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में मद्रास सरकार के इस्पात सलाहकार के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि निवेली में सन्यन्त्र लाने के बारे में अस्थायी तौर पर फैसला किया गया है, यदि ऐसी बात है, तो सेलम की बजाए जहां प्रारम्भ में विचार था, निवेली मे सन्यन्त्र लगाने के क्या लाभ हैं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह या तो लिग्नाइट को उस स्थान पर ले जाने का प्रश्न है जहां लोहा अयस्क उपलब्ध है या लोहा अयस्क को उस स्थान पर ले जाने का प्रश्न है जहां लिग्नाइट उपलब्ध है। लिग्नाइट के बजाए लोहा अयस्क ले जाना सरल समझा जाता है।

†श्री प० कुन्हन : क्या परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन और वित्तीय सहायता तैयार करने के मामले में किसी विदेशी सहयोग का प्रस्ताव है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। पूर्व जर्मनी वाले हमें इस परियोजना में सहायता कर रहे हैं।

†श्री नम्बियार : क्या सरकार ने दो फैक्टरियां, एक सेलम में और दूसरी निवेली में स्थापित करने का सुझाव ठीक ढंग से प्रविधिक समिति के सामने रखा है क्या प्रविधिक समिति के मन में इस प्रस्थापना का विचार है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह आयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा समिति के सामने रखा गया है।

दिल्ली में उद्योग

†*१२८०. श्री शिवचरण गुप्त : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये सरकार किन स्थानों का विकास कर रही है ;

(ख) कितने प्लाटों का विकास किया गया है और क्या वे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से कारखानों/उद्योगों को हटाने के लिये उपलब्ध किये जायेंगे ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कौन से कारखाने/उद्योग हटाने का इरादा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क)

(१)	झिलमिल ताहिरपुर	९० एकड़
(२)	लारेंस रोड रिंग रोड घिरा हुआ क्षेत्र और रोहतक तक रेलवे लाइन	१९५.१० एकड़
(३)	रेलवे लाइन के पश्चिम में रिवाड़ी तक स्थित गांवों नरैना तिहाड़ और नांगल राय का क्षेत्र . .	३१०.३५ एकड़
(४)	ओखला क्षेत्र . . .	५७५ एकड़
(५)	नरायना गांव के समीप . .	१२९.४५ एकड़
(६)	वजीरपुर गांव के समीप . . .	१८४.०० एकड़

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

†श्री शिवचरण गुप्त : उन उद्योगपतियों को, जिनके उद्योग यहां बदलने का विचार है, क्या सुविधाएं देने का विचार है ?

†श्री दातार : ४००० एकड़ में से, जिनका यथार्थ में विकास किया जाना है, जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह पहली किश्त है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शिवचरण गुप्त : मैं फैक्टरियों के बदलने के सम्बन्ध में जानना चाहता कि उन को क्या सुविधाएं दिये जाने का विचार है ताकि वे फैक्टरियां बदल सकें ।

†श्री दातार : उन लोगों को जिनकी भूमियां ली जा रही हैं; जब वे औद्योगिक कार्य कर रहे हैं, उन को वे कुछ रियायत पर दी जाएंगी ।

†श्री शिवचरण गुप्त : वे सुविधायें क्या हैं ?

†श्री दातार : रियायत पर उन लोगों को जिनकी भूमियां ली जा रही है अन्य उद्योगपतियों को वे नीलामी की दर पर दी जाएंगी ।

आंध्र प्रदेश के अकाल पीड़ित जिले को सहायता

†*१२८२. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर के अकाल पीड़ित जिले में लोगों को सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय और अन्य सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†श्री ईश्वर रेड्डीः : राज्य सरकार की प्रार्थना के बावजूद, क्या केन्द्रीय सरकार उन की रक्षा करने के लिये इस मामले में कुछ कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†श्री ब० रा० भगत : यद्यपि राज्य सरकार ने कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता नहीं मांगी है, मैं यह बता दूं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने १९६०-६१ में योजना के आवंटन के अतिरिक्त सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये १.४ करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त आवंटन किया है। उन्हों ने गेहूं का संभरण ४००० टन से बढ़ा कर ६००० टन और चावल २५,००० टन से बढ़ा कर ५०,००० टन कर दिया है ।

†श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सरकार के विचाराधीन कोई स्थायी दुर्भिक्ष सहायता के प्रस्ताव हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : हम सहायता तब देते हैं जब राज्य सरकार सहायता मांगती है । सहायता देने के लिये कुछ निश्चित नियम हैं । प्रथमतः सहायता मांगने के लिये प्रार्थना करना राज्य सरकार का काम है । हम नियमों के अधीन सहायता देते हैं । हमारे बड़े निश्चित नियम हैं ।

†श्री नम्बियार : क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि रायलसीम क्षेत्र में दुर्भिक्ष की स्थिति है और क्या इस की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी गई है ?

†श्री ब० रा० भगत : जैसा मने कहा, आंध्र प्रदेश सरकार ने हमें नहीं लिखा और न ही कोई सहायता मांगी है । हमें इस के बारे में कैसे पता लगे ? मा० सदस्य ऐसा कह सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : मा० सदस्य को राज्य सरकार से पूछना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा** : इस दुर्भिक्ष के क्या मुख्य कारण हैं; क्या यह सूखे के कारण है या किसी अन्य कारण से ? वहां फसलें क्यों नहीं होतीं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे दुर्भिक्ष के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

नई दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क माध्याह्न भोजन

†*१२८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई-दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों में शिक्षा पाने वाले ३०,००० बच्चों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन देने के लिये क्या कुछ प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) यूनीसेफ से प्राप्त होने वाले दूध को वितरण करने का विचार है। लगभग ७०,००० बच्चों को दूध दिया जायेगा । दुग्धचूर्ण की आवश्यकता का अनुमान लगभग १० लाख पौण्ड है और योजना की वार्षिक आवर्त्तक लागत का अनुमान ३ लाख रुपये है । अब योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस को चालू शिक्षा वर्ष से लागू करने का विचार है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हमें यूनीसेफ से जो दुग्ध चूर्ण मिलता है वह अनुमानतः कितने मूल्य का होगा ?

†**श्रीमती रामचन्द्रन** : वह हमें १० लाख पौण्ड दुग्ध चूर्ण देते हैं । सही लागत नहीं दी जाती ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकार को दिल्ली के स्कूलों में इन बच्चों को इस दुग्ध चूर्ण के वितरण के लिये ३ लाख रुपये की क्यों जरूरत है ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन** : पुनर्निमित दूध विविध स्कूलों में लगभग ७०,००० बच्चों को बांटा जाना है । हमें बहुत से कर्मचारी अर्थात् पर्यवेक्षक अपरडिवीजन क्लर्क और अन्य लोग नौकर रखने पड़ते हैं । हमारे पास भण्डार की सुविधाओं की भी कमी है । फिर उन लोगों को भी कुछ थोड़ा मानदेय देना पड़ता है जो दूध चूर्ण से दूध बनाते हैं और इसे बांटते हैं । चीनी, ईंधन और अन्य चीजों की भी व्यवस्था इस ३ लाख रुपये की राशि के बीच आती है ।

†**श्री बासुदेवन नायर** : विवरण से मैं देखता हूं कि ७०,००० बच्चों को इस योजना से लाभ होगा । कुल कितने विद्यार्थी इस योजना के अन्दर आयेंगे और यदि कुछ कमी होगी, सरकार उसे कैसे पूरा करने का विचार करती है ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन** : कमी लगभग ७०,००० की है । अन्य बच्चे आ गये हैं । अतः यह योजना दिल्ली के स्कूलों के सब बच्चों के लिये होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प० कुन्हन : क्या इस काम के लिये अन्य राज्यों को भी कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : जी हां । अन्य राज्यों में ऐसी योजनायें बनाई गई हैं ।

दिल्ली में नई शिक्षा संहिता

+

†*१२८५ { श्री महेश्वर नायक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रबन्धकों तथा अध्यापकों के पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिये नई शिक्षा संहिता शीघ्र ही लागू की जाने के लिये तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो नई संहिता की क्या विशेषताएं हैं ; और

(ग) ये नये उपबन्ध पुराने उपबन्धों से किस प्रकार भिन्न हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली : (क) और (ख) दिल्ली के लिये एक शिक्षा संहिता बनाई जा रही है जिस में अन्य बातों के साथ-साथ विभागीय गठन, स्कूलों के निरीक्षण मान्यता के नियमों, सहायक-अनुदान नियम, सहायित स्कूलों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें और दंड तथा अपील नियम, फीसें और निधियां, छात्रवृत्तियां देने के नियम, प्रवेश, स्थानान्तरण, श्रेणी में पदोन्नतियां, डाक्टरी निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में स्कूलों द्वारा अपनाये जाने के नियम, पर अध्ययन होंगे ।

(ग) चूंकि संहिता अभी तैयार हो रहा है, इस स्तर पर तुलना का सवाल पैदा नहीं होता ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या नई संहिता में इस समय व्यवस्थापकों द्वारा की जाने वाली बुरी बातों को रोकने के लिये कुछ उपबन्ध होंगे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : संहिता में कुछ नियम होंगे और यदि स्कूल में व्यवस्थापकों और अध्यापकों दोनों के द्वारा उन नियमों का उचित रूप से पालन किया जायेगा, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार को पता है कि कुछ गैर-सरकारी स्कूलों में, व्यवस्थापक अध्यापकों के साथ प्रति मान एक निश्चित वेतन तै कर लेते हैं, किन्तु जब वेतन दिये जाते हैं तो अध्यापकों को उस निश्चित राशि से कम वेतन लेने के लिये प्रेरित किया जाता है ?

†डा का० ला० श्रीमाली : कभी कभी ऐसा भी होता है । इस से सामान्य निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है । मैं पहले बता चुका हूं कि यदि कोई मा० सदस्य मुझे इस की सूचना देगा तो इस प्रकार की गड़बड़ी करने वाले प्रबंधकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाई की जायेगी ।

†श्री प्रिय गुप्त : तब अध्यापक की नौकरी छूट जायेगी ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिये एक भिन्न संहिता होगी और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिये भिन्न या दोनों श्रेणियों के अध्यापकों के लिये एक ही संहिता होगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकारी अध्यापक सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता से विनियमित होते हैं । यह संहिता गैर सरकारी स्कूलों के लिये है ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस संहिता का कोई कानूनी स्तर हो गया या क्या यह केवल परामर्शदात्री होगी और यदि परामर्शदात्री होगी तो इसे किस प्रकार लागू किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नियम शिक्षा विभाग द्वारा लागू किये जायेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मा० मंत्री का ध्यान दिल्ली के शिक्षा विभाग के निदेशक के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो उन्हों ने दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल के समय दिया था कि यहां प्रबन्धक सब प्रकार की अनियमितताएं और गड़बड़ें करते हैं और हालात को सुधारने के लिये उन के द्वारा किये गये सभी प्रयत्न अभी तक निष्फल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार अध्यापकों और प्रबन्धकों के बीच उत्तम सम्बन्ध बनाने के लिये या अध्यापकों से यह अपेक्षा रखने के लिये कि वे अपने इस प्रकार के खराब प्रबन्धकों के साथ सहयोग देते रहें, क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह बहुत बड़ा मामला है । सरकार ने अध्यापकों के हितों की रक्षा के लिये बहुत सी कार्रवाई की हैं । जब यह नई संहिता बन जायेगी और लागू हो जायेगी, मैं समझता हूं कि यह अध्यापकों के हितों की रक्षा करने की दूसरी कार्रवाई होगी । मैं पहले कह चुका हुं कि यदि मा० सदस्य को किसी विशिष्ट स्कल के बारे में कोई शिकायत है तो वह मुझे बता सकते हैं । यह सही है कि कभी कभी ऐसी बातें होती हैं । यह भी सही है कि शिक्षा निदेशक ने सब प्रबन्धकों के मुख्यों को एक परिपत्र भेजा है । किन्तु कठिनाई यह है कि मैं सामान्य प्रश्न का सामान्य उत्तर ही दे सकता हूं । यदि माननीय सदस्य विशिष्ट शिकायत करें तो मैं इन बुराइयों में पड़ने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन सभा को दे सकता हूं ।

†**श्री ब्रह्म प्रकाश** : संहिता बनाने का यह काम कब उठाया गया था और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा । यह कुछ समय से तैयार की जा रही है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी**: क्या एक अखिल भारतीय शिक्षा संहिता बनाने का विचार है जो दिल्ली तथा अन्य राज्यों के लिये लागू हो ? क्या इस प्रकार की आदर्श संहिता के लिये राज्य सरकारों को सहमत कराने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कार्रवाई का सुझाव है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, शिक्षा राज्य विषय है और हम सब राज्य सरकारों के लिये समान लागू होने वाली कोई संहिता या विधि नहीं बना सकते । तथापि हम इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या हम इस प्रकार की आदर्श विधि बना सकते हैं जो सब राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की जा सके ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं से, जब वे सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं, एक करार किये जाने की अपेक्षा की जाती है और

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि कुछ संस्थाओं ने वह करार उचित रूप से नहीं किया है, इसलिये ऐसी बातें हो रही हैं, तो क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि ये संस्थाएं ऐसे करार करें और उनका पालन करें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कार्रवाई का सुझाव है।

†**श्री शा० ना० चतुर्वेदी** : क्या सरकार शोधित संहिता में कोई ऐसा उपबंध करने का विचार करती है कि अध्यापक अवधि के बीच स्कूल न छोड़े ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह भी कार्रवाई के लिये सुझाव है।

†**श्री जसवन्त मेहता** : संहिता के लागू होने से पूर्व संक्रमण काल में, सरकार ने अध्यापकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पुरानी संहिता और उसके नियम विद्यमान हैं। यह केवल पुरानी संहिता में संशोधन करने का प्रश्न है।

†**श्री भक्त दर्शन** : अन्तिम निर्णय करने से पहले क्या अध्यापकों की संस्थाओं से भी परामर्श किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री बार बार कहते हैं कि यदि उनको कुछ मामलों के बारे में शिकायत की जाये, तो वह कड़े उपाय करेंगे। मैं उन का ध्यान स्टेट्समैन में अध्यापकों की हड़ताल के दौरान प्रकाशित हुए वक्तव्य की ओर आकर्षित करके उन से निवेदन करूंगा कि वह यहां हमारे ऊपर निर्भर रहने के स्थान पर अपने शिक्षा निदेशक से परामर्श करें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन को माननीय सदस्यों पर अधिक भरोसा है।

हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन

†*१२८६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में समूचे राष्ट्र में ग्रहण किये जाने के मार्ग में आने वाली मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां दूर करने की दृष्टि से हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में स्कूलों में हिन्दी को छोड़कर एक अन्य भाषा का विशेषकर तामिल, तेलुगू, कन्नड़ या मलयालम का अध्ययन अनिवार्य बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है या कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो मामला किस अवस्था में है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से बनाये गये नियम सूत्र में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के अतिरिक्त एक और आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन की व्यवस्था है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने बताया है कि वे त्रि-भाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिये कार्रवाई कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं विशेष रूप से द्राविड़ मूल वाली चार भाषाओं, तामिल, तेलुगू, मलायालम और कन्नड़ का उल्लेख करके पूछा था कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि हिन्दी भाषा क्षेत्रों में उन में से एक भाषा अनिवार्य तौर पर पढ़ाई जाये। उस का उत्तर नहीं दिया गया। फिर भी मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा कि अब तक किस राज्य में हिन्दी के राजभाषा के रूप में अपनाये जाने के न्यूनाधिक रूप में विरोध का खण्डन किया गया है, और क्या वह विरोध हिन्दी भाषा का इस रूप में है या राज भाषा के तौर पर उसके अपनाये जाने के बारे में संविधान में दी गई तिथि के कारण है ?

†**श्री दातार** : यद्यपि यहां इसका दूसरी भारतीय भाषा के रूप में उल्लेख किया गया था, किन्तु विचार यह था कि अधिमानतः यह दक्षिण भारत की भाषा होनी चाहिये। यह प्रश्न चारों हिन्दी भाषी क्षेत्रों के साथ उठाया गया था। उन्होंने आवश्यक परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया है और मेरे पास जो सूचना है उस के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक स्तर पर चारों में से एक भाषा को लागू करना स्वीकार कर लिया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्या कुछ राज्यों में हिन्दी के विरोध का खण्डन हिन्दी भाषा के प्रति इस रूप में था या इस के राज भाषा के लिये अपनाये जाने के सम्बन्ध में संविधान में निश्चित की गई तिथि के कारण था ? अनुच्छेद के पहले भाग में कहा गया है कि हिन्दी देश की राजभाषा होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह सही है कि इस मामले के बारे में कुछ आवेश रहा है, अर्थात् हिन्दी को शीघ्र लागू करने के बारे में। माननीय सदस्य को विदित है कि कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने प्रायः अनिश्चित काल के लिये अंग्रेजी को सहायक भाषा के तौर पर रखने के बारे मे वक्तव्य दिया था। मैं ने अभी बताया है कि हम यथाशीघ्र एक विधेयक लाने का विचार करते हैं।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : मैं यह जानना चाहूंगा कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में जो दूसरी भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी उस के सम्बन्ध में जितनी भाषायें हैं उन में से किसी एक भाषा की अनिवार्यता तो नहीं होगी और क्या उन को छूट होगी कि वे जो भाषा चाहें पढ़ा सकें ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी हां, भाषाओं की छूट है। हमारे यहां जो भी वर्तमान या माडर्न भाषायें हैं उन में से कोई भी वह पढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात की सिफारिश की गई थी, खास तौर से हिन्दी भाषी प्रान्तों से कि वे अपने यहां यदि दक्षिणी भाषाओं में से कोई पढ़ायें तो ज्यादा अच्छा होगा, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी ने या जहां कि हिन्दी बोली जाती है और पढ़ी जाती है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वे उन में से ही एक भाषा पढ़ायेंगे। मैं आप को यह भी सूचना दे दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और वहां के मुख्य मंत्री ने इस के लिये स्कालरशिपप्स देने की बात भी कही है। जो विद्यार्थी दक्षिण में जा कर और वहां रह कर पढ़ना चाहें उन्हें स्कालरशिप्स भी दिये जायेंगे।

†**श्री उमानाथ** : क्या यह सच है कि उत्तर भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने स्वेच्छिक अध्यापन योजना के अन्तर्गत दक्षिण भारत की भाषाओं को पढ़ाना आरम्भ कर दिया है, यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार चल रही है और उस में कितने विद्यार्थी आ जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे ब्योरा मालूम नहीं है, किन्तु वह अभी आरम्भ हुई है। कुछ दिन हुए, अलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे मिले थे और उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक योजना चालू की है और वहां भी वह अनुभव करते थे कि वह किसी छात्रवृत्ति की व्यवस्था करेंगे, यदि उन को धन मिल सका, उन बालकों के लिये जो दक्षिण भारत की भाषा सीखना चाहते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों में दक्षिण की किसी एक भाषा का अध्ययन किया जाय, इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में जब यह विचार आया था उस समय लगभग यह निश्चय हुआ था कि दक्षिण भारत की जो भाषायें उत्तर में सिखलाई जायेंगी उन के लिये लिपि का विकल्प ऐसा कर दिया जायेगा जिस से उन को दक्षिण की भाषा को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो, इस प्रकार का कोई निश्चय किया जा रहा है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, सुविधा के लिये ऐसा विचार था, खास तौर पर इस लिये कि देव नागरी लिपि के द्वारा दूसरी भाषाओं का ज्ञान हो सके। माननीय सदस्य को याद होगा कि इस सम्मेलन ने तय किया था कि दोनों ही लिपियों में, यानी देवनागरी और दूसरी भाषा की लिपि में पुस्तकें, विशेष कर प्राइमरी पुस्तकें, निकाली जायें। केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने पहले ही इस ओर कदम उठाया है और उन्होंने कुछ पुस्तकें तैयार की हैं।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या हमारी भाषा के चुनाव के बारे में, राज्यों, विशेषकर, द्विभाषा भाषी राज्यों, जैसे पंजाब की सुविधा को ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं निजी तौर पर समझता हूं कि इसे ध्यान में रखा जाना चाहिये और मैं मानता हूं कि पंजाब में हिन्दी भाषी लोगों को गुरुमुखी सीखने और गुरुमुखी भाषी लोगों को हिन्दी या देवनागरी सीखनी चाहिये।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मा० मंत्री ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख किया है कि अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा जायेगा। इस सहायक भाषा की क्या परिभाषा है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य विधेयक के पुरःस्थापित होने की प्रतीक्षा करें।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी के पास यह प्रस्ताव भी आया है कि हिन्दी भाषा भाषियों की जो अच्छी पुस्तकें हैं, वे दूसरी जो लिपियां हैं, उन में भी आयें, जिस से हिन्दी सीखने में लोगों को काफी सुविधा हो जाये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, यह बहुत उचित सलाह है, और मेरी तो यह राय है, और यही राय मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग की भी है कि जितनी रीजनल भाषाओं की पुस्तकें हिन्दी में अनुवादित कर के प्रकाशित की जायें उतना ही अच्छा होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय मा० मंत्री ने कुछ समय पूर्व सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन का उल्लेख किया है, कि सरकार ने हिन्दी को राज-भाषा के रूप में अपनाने के लिये १९६५ की सीमा संबंधी संविधान के अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) को कार्यान्वित न करने का फैसला किया है और अनुच्छेद ३४३ के खंड ३ के अधीन उपयुक्त विधान पेश करने का भी फैसला किया है ? क्या यही इरादा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह स्पष्ट है । मैंने जो कुछ कहा है उस से यह बात साफ हो जाती है कि हमें संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ती है । जब हम विधान बनायेंगे तो स्पष्टतः उस का यह अर्थ होगा कि हम संविधान में निर्धारित तिथि से हिन्दी को अनिवार्यतः लागू नहीं कर सकते । निस्संदेह, हिन्दी रहेगी और इस को पढ़ाया जायेगा और सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को इसे सीखना होगा । किन्तु कोई अनिवार्यता न होगी और कर्मचारियों के लिये कोई विशेष कठिनाई खड़ी नहीं की जायेगी ।

घड़ी उद्योग

†*१२८७. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में आरम्भ किये गये घड़ी उद्योग में कुल कितना धन लगा है ;

(ख) वे क्या कारण तथा परिस्थितियां हैं जिन से बाध्य हो कर सरकार ने घड़ी निर्माण सरकारी क्षेत्र के अधीन चालू किया; और

. (ग) भारत में सरकारी क्षेत्र में बनी घड़ियों के विक्रय पर कितना लाभ होता है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) अब तक १५० लाख रुपये विनियोजित किये गये हैं । लगभग ५० लाख रुपये और लगाये जायेंगे ।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र; उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने और तेजी से आयात पर निर्भर रहने को कम करने के लिये यह समझा गया कि अच्छी किस्म की घड़ी बनाने में बंगलौर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में उपलब्ध योग्यता और वातावरण का इस्तेमाल किया जाये ।

(ग) इस कार्यक्रम में प्रथम प्रावस्था में आयातित पुर्जों को जोड़ कर घड़ी बनाना है । लाभ के बारे में तभी बताया जा सकता है जब कि पुर्जों का निर्माण हो जाये और किस्म स्थिर हो जाये ।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या निकट भविष्य में भारत में घड़ी बनाने के लिये किसी गैर-सरकारी निर्माता को लाइसेंस दिया जायेगा ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : घड़ियां बानाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं ।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघली : क्या सरकार को पता है कि यह विनियोजन को अन्तःकीलित करने का मामला है, एक सरकारी उपक्रम दूसरे सरकारी उपक्रम में धन लगा रहा है ? पहिले सरकार ने इस के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किये थे । अब सरकारी क्षेत्र में विनियोजन के अन्तः-कीलन के बारे में सरकार की क्या स्थिति है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एक यूनिट के रूप में आरम्भ किया गया है और अब तक इस में १५० लाख रुपये लगाये गये हैं। और मैं नहीं समझता कि नीति के तौर पर हम इस को—एक यूनिट दूसरे यूनिट में धन लगाये—दूर करेंगे । यह सम्बन्धित यूनिटों पर निर्भर है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी मे

†**श्री प्र० के० देव:** इन घड़ियोंके लिये कितने कितने प्रतिशत पुर्जो, का आयात किया जाता है और हम कब तक इन के निर्माण में आत्म निर्भर हो जायेंगे ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** अभी हम सभी पुर्जों का आयात कर रहे हैं । जनवरी, १९६३ तक हम ५४ प्रतिशत पुर्जे बना सकेंगे और वर्ष १९६६ तक ८४ प्रतिशत तक ।

ट्रांसफार्मरों और धुरी तेल (एक्सिल आयल) तथा चिकनाइयों (लुब्रिकेंट्स) का आयात

†*१२८८. **श्री हेम बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ट्रांसफार्मरों और धूरी तेल (एक्सिल आयल) के संभरण के लिये रूमानिया से एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो यह करार क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार चिकनाइयों (लुब्रीकेंट्स) के संभरण के लिये अन्य अन्तर्राष्ट्रीय पार्टियों से वार्ता कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो संबंतित देशों के क्या नाम हैं और क्या वार्ता हो रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजर नवीस)** : (क) और (ख) २२–१२–१९६० के भारत रूमानिया व्यापार-करार के अन्तर्गत जिसका १३–२–१९६२ को नवीकरण हुआ था, इंडियन आयल कम्पनी (जो पूर्णत: सरकारी उपक्रम है) ने ट्रांसफार्मर तेल और धुरी तेल के आयात के लिये रूमानिया गणतन्त्र की ओर से मेसर्ज पैट्रोलियम ट्रेड एन्टरप्राइज के साथ १२-४-६२ को एक करार किया । भुगतान रुपये में किया जायेगा और माल की डिलीवरी नौतल-पर्यन्त-नि:शुल्क कोंसटांजा होगी ।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कम्पनी भारत में चिकनाइयों के आयात के लिये पूर्वी और पश्चिमी यूरोपीय और अमरीका में पक्षों से बातचीत कर रही है परन्तु अभी तक कोई सौदा तय नहीं किया गया है । वार्ता का स्वरूप विभिन्न मामलों में भिन्न होता है और वह भिन्न भिन्न प्रावस्था में है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या अपने देश में अपने तेल शोधक कारखानों में अपने तेल ट्रांसफार्मर और धुरी तेल बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री हजरनवीस :** वह प्रस्ताव विचाराधीन है । और जब हमें अपेक्षित मशीनें मिल जायेंगी, तो उन का अपने तेल शोधक कारखानों में उत्पादन किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार इस देश में लुब्रीकैंट संयंत्र के लिये ई० एन० आई० के साथ एक करार कर रही है और क्या क्या लुब्रीकेंट संयंत्र की स्थापना के लिये 'ऐस्सो' का प्रस्ताव है ।

श्री हजरनवीस : इन प्रस्तावों पर सरकार ने विचार नहीं किया है । इन पर इण्डियन आयल कम्पनी ने, जिन के पास कुछ प्रस्ताव हैं, विचार किया है । ई० एन० आई० के प्रस्ताव पर भी वह विचार कर रही है ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मंत्री महोदय का कहना है कि यदि संयंत्र उपलब्ध हों तो भारत में धुरी और ट्रांसफार्मर तेल बनाया जा सकता है । इस तेल को आयात करने की लागत और इस तेल को बनाने के लिये संयंत्र प्राप्त कर निर्माण की लागत में क्या अन्तर है ?

†**श्री हजरनवीस :** मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी

†**श्री विद्या चरण शुक्ल:** क्या इस सौदे से सम्बन्धित कोई गैर-सरकारी पक्ष भी हैं अथवा यह सौदा सरकार का सरकार से हो रहा है ?

†**श्री हजरनवीस :** यह सरकार से सरकार का सौदा नहीं है। यह इण्यिडन आयल कम्पनी द्वारा किया जा रहा है और जिन्हों ने प्रस्ताव किये हैं वे भी या निगम हैं या कम्पनियां हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** उप मंत्री महोदय ने बताया कि इण्डियन आयल कम्पनी ई० एन० आई० के सहयोग से एक लुब्रिकेंन्ट संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ई० एन० आई० के साथ करार में एक यह भी शर्त नहीं है कि लुब्रिकेंट संयंत्र की स्थापना के लिये उन्हों ने जो ऋण रखा है, उस का अंशतः इस्तेमाल किया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जी, हां। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक योजना उन के सहयोग से चिकनाई तेल के निर्माण की है।

लद्दाख के लामाओं के लिये विश्राम गृह[1]

†*१२८९. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख से आने वाले लामाओं के लिये दिल्ली में एक विश्राम गृह का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आया है और वहां कितने व्यक्ति रह सकते हैं ;

(ग) प्रतिवर्ष कितने लामा दिल्ली आते हैं ;

(घ) क्या अन्य धर्मों के आगुन्तक पुरोहितों के लिये भी इसी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (ङ). दिल्ली में लद्दाख और अन्य स्थानों से आने वाले यात्रियों के लिये ५.८१ लाख रुपये की लागत से एक विश्राम-गृह बनाया गया है जिस में ८४ व्यक्ति रह सकते हैं, और जिस में एक पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष और सांस्कृतिक कार्यवाहियों के लिये एक हाल है। विश्राम गृह केवल लद्दाखियों अथवा किसी विशेष धर्म के अनुयायी व्यक्तियों के लिये नहीं है।

वर्ष बार दिल्ली का दौरा करने वाले लामाओं की संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री प्र० के० देव :** मेरे प्रश्न के भाग (ङ) का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह १६ मई, १९६२ को पूरा हो गया था और समिति को सौंप दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** (घ) यह है कि क्या अन्य व्यक्तियों को भी वहीं सुविधायें दी जायेंगी।

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने उसका उत्तर दे दिया है। विश्राम गृह केवल लद्दाखियों के इस्तेमाल के लिये नहीं है।

†**श्री प्र० के० देव :** फिर इसको लामाओं के लिये 'होस्टल' क्यों कहा जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नाम से क्या अन्तर पड़ता है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[1]Rest Houses for Lamas from Ladakh.

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में चीनियों द्वारा बड़ी संख्या में लद्दाखी लामा पकड़े गये हैं और उन्हें राजनीतिक बन्दी शिविरों में तथा अन्यत्र भेज दिया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह लद्दाखी लामाओं के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात कारखानों के लिये कोयला

†*१२७५. **श्री अ० सि० सहगल :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले साल कोयले की सप्लाई कम होने और रेलवे द्वारा कोयला बहुत धीरे धीरे पहुंचाये जाने के कारण इस्पात कारखानों में उत्पादन पर बुरा असर पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो ८ अप्रैल, १९६२ को रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी की गयी प्रैस विजप्ति में यह किस प्रकार कहा गया था कि इस्पात कारखानों की कोयले सम्बन्धी सारी आवश्यकतायें पूरी कर दी गई थीं ;

(ग) क्या ऐसा रेलवे मंत्रालय तथा तत्कालीन इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के बीच किसी अनियमित समन्वय के कारण हुआ था ; और

(घ) अधिक समन्वय करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली के भारी सामान का संयंत्र

†*१२७६. **श्री यलमंदा रेड्डी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २४ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में बिजली के भारी सामान के संयंत्र की स्थापना में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : प्राथमिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है । परियोजना के लिये भूमि अर्जित कर ली गयी है संयंत्र वाले स्थान को समतल बनाने और उसे पक्का करने का काम और प्रशिक्षण स्कूल, सड़कें और रेलवे साइडिंग बनाने का काम प्रगति पर है । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये छ: भारतीय इंजीनियर चेकोस्लोवाकिया में काम कर रहे हैं ।

विस्फोटक पदार्थों के उत्पादन के लिये आयुध कारखाना

†*१२८१. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन का मंत्रालय विस्फोटक पदार्थों के उत्पादन-हेतु भंडारा के निकट एक नया आयुध कारखाना खोलने जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना सम्भवतः कब तक उत्पादन करने लग जायेगा ; और

(ग) इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता कितनी होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णन मेनन)** (क) और (ग) जी, हां । इस कारखाने में बनाये जाने वाले उत्पादों की क्षमता और सामान के बारे में बताना लोक-हित में नहीं है ।

(ख) वर्ष १९६४ के मध्य तक ।

उड़ीसा में लोह अयस्क परियोजना

†*१२८३. **श्री वेंकटासुब्बया** : क्या **खान तथा और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को राज्य के अब तक अविकसित पड़े क्षेत्र में २० लाख टन वार्षिक कोयला निकालने और निर्यात करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से यह अनुमति दी ;

(ग) अनुमति ठीक से किन शर्तों और स्थितियों में दी गई है ; और

(घ) क्या अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसी अनुमति देने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप से सुकिन्दा-दैतारी क्षेत्र मे लौह अयस्क का उत्पादन, निर्यात के लिये, ५ लाख से २० लाख टन बढ़ाने के लिये उड़ीसा सरकार की एक योजना को निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर कर लिया है :

(१) राज्य सरकार अपनी अधिकतम सीमा में योजना पर धन लगाये ;

(२) रेलवे इस क्षेत्र से फालतू सामान को (जो कुछ प्रदीप पत्तन से माल उठाया जा सकता है, उसके अतिरिक्त फालतू सामान) कलकत्ता अथवा विशाखापटनम को ले जा सकें ; और

(३) खान परियोजना को क्रियान्वित करने में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता ।

द्वितीय योजना-काल में सुकिन्द दैतारी क्षेत्र का एक भाग निर्यात के लिये खोला जा चुका है । यह क्षेत्र कलकत्ता और हल्दिया और प्रदीप में प्रस्तावित नये पत्तनों के समीप हैं ।

(घ) निर्यात के लिये लौह-अयस्क समेत खनिज संसाधनों के विदोहन के लिये मैसूर की राज्य सरकार ने एक संगठन स्थापित किया है । किसी अन्य राज्य से निर्यात के लिये खनिज विकास परियोजना आरम्भ करने की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

भूतपूर्व सैनिकों को 'बी' मोटर गाड़ियों की बिक्री

†*१२९०. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को फालतू 'बी' मोटर गाड़ियां बेचने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) ये मोटर गाड़ियां किन शर्तों पर उपलब्ध की जायेंगी ; और

(ग) क्या सरकार उनको जिला सैनिक नाविक तथा वैमानिक बोर्ड के द्वारा किराया-खरीद आधार पर बेचने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां । भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक जीवन मे उनके पुनर्वास के लिये सीधे फालतू 'बी' मोटर गाड़ियों की बिक्री के आदेश हैं ।

(ख) मोटरगाड़ियां देने के लिये भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन-पत्रों पर आई० एस० एस० एण्ड ए० बोर्ड और पुनर्वास महानिदेशक की सिफारिशों पर विचार किया जाता है । एक भूतपूर्व सैनिक को एक से अधिक मोटरगाड़ी नहीं मिल सकती । मोटरगाड़ी उनको दिये जाने की तारीख से पूर्व की गयी नीलामी के समय प्राप्त मूल्य से १५ प्रतिशत अधिक मूल्य पर दी जाती है । इसका कारण यह है कि भूतपूर्व सैनिकों को देने के लिये अच्छी मोटर गाड़ियां रखी जाती हैं और सीधे बेची जाती हैं । इससे भूतपूर्व सैनिकों को दलाली का बोझ नहीं उठाना पड़ता ।

(ग) जी, नहीं ।

'एस्सो स्टेंडर्ड ईस्टर्न आयल कम्पनी' के साथ करार

†*१२९१. { **श्री रामेश्वर टांटिया**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो स्टेंडर्ड ईस्टर्न आयल कम्पनी ने तेल शोधक कारखाना संबंधी करार समाप्त करने तथा उसके स्थान पर सामान्य औद्योगिक लाइसेंस की पेशकश की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 'एस्सो' कम्पनी भारत में निगमित होने वाली प्रस्तावित कम्पनी के अंशों के भारतीय लोक स्वामित्व के प्रश्न पर विचार करने को तैयार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). जी, हां । इस कम्पनी के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव है ।

कच्चा लोहा तैयार करने का संयंत्र

†*१२९२. **श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में एक 'लो-शौफ्ट' भट्टी वाला कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने की प्रस्थापना मंजूर कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा ; और

(ग) इस संयंत्र के लिये प्रस्तावित स्थान कौनसा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) जिला चांदा महाराष्ट्र ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

†*१२६३. **श्री हेम राज :** क्या विधि मन्त्री २३ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में प्रस्तावित (पंजाब ४८९, ए० आई० आर०) पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे संशोधन करने के बारे में सरकार द्वारा इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब किया जायेगा ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार पंजाब राज्य द्वारा, उस राज्य के बारे में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में संशोधनों के सुझाव के लिये, नियुक्त की गयी समिति के प्रतिवेदन पर पंजाब सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है । पंजाब सरकार के विचार प्राप्त हो जाने के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

मनीपुर में विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियां

†*१२६४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल तथा मई, १९६२ के महीनों में मनीपुर में विद्रोही नागाओं तथा सुरक्षा सेनाओं के बीच किन स्थानों पर तथा कितनी मुठभेड़ हुई ;

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुए और दोनों ओर कितने हथियारों की हानि हुई ;

(ग) मनीपुर के पर्वतीय क्षेत्र में इस समय अनुमानतः कितने नागा विद्रोही सक्रिय हैं ; और

(घ) नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों को दबाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८१] ।

(ग) लगभग ५०० ।

(घ) उखरूल, तामेंगलांग और माओ मारम सब-डिवीजनों को सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, १९५८ की धारा ३ के अन्तर्गत अशान्तिपूर्ण क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । मनीपुर में पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० भी लागू कर दिया गया है ताकि प्रशासन नागा विद्रोहियों की गतिविधि के विरुद्ध कार्यकारी उपाय कर सकें । सुरक्षा बल अधिक व्यापक रूप से गश्त लगा रहे हैं ।

गंगा बेसिन में तेल

†१२६५. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गंगा बेसिन में तेल की खोज के लिये आरम्भिक सर्वेक्षण किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षणों के परिणामों से क्या आशा बनी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार ने फौरन छिद्रण-कार्य आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) जी हां।

(ख) सम्भावनाओं के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ग) इस क्षेत्र में २६-८-१९६० को सूचनात्मक छिद्रण किया गया। तीन छिद्र किये जा चुके हैं और उझानी के समीप एक गहरा कुआं छिद्रित किया जा रहा है। शाहजहांपुर जिले में गाढ़ा के समीप एक अन्य गहरा कूप छिद्रित किया जायेगा।

'एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग' क्षेत्र में पेट्रोलियम संसाधन

†*१२९६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग' (इकाफे) ने 'इकाफे' क्षेत्र में पैट्रोलियम संसाधनों के विकास के लिये प्रस्तावित गोष्ठी के सिलसिले में एशिया तथा सुदूर पूर्व जिसमे भारत भी शामिल है के पैट्रोलियम संसाधनों का सर्वेक्षण हाल में ही पूरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितना निक्षेप होने का अनुमान है ; और

(ग) आसाम में पैट्रोलियम निक्षेपों के बारे में अनुमान क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]**

जाली नोट

†*१२९७. { **श्री वारियर** :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने आन्ध्र प्रदेश से आने वाले भारतीय मुद्रा के सौ रुपये के जाली नोटों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख) इस पत्री वर्ष में दिल्ली की पुलिस द्वारा १०० रुपये वाले ५ जाली नोट पकड़े गये। पुलिस मामलों की जांच कर रही है और अभी तक इनके संसाधनों के बारे में कुछ निर्धारित नहीं किया जा सका है।

अहमदाबाद में कोयले की कमी

†*१२९८. { **श्री बालकृष्ण वासनिक** :
श्री याज्ञिक :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्माता संस्था, अहमदाबाद ने घोषणा की है कि कोयले की कमी के कारण वह अपने कारखानों को १ जून, १९६२ से बन्द कर देगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त कोयले का सम्भरण करके इनको बन्द होने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) इंजीनियरिंग निर्माता संस्था अहमदाबाद ने १ जून, १९६२ को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का प्रस्ताव पास किया है। कोई हड़ताल होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) अहमदाबाद को हार्ड कोक के सम्भरण में सुधार के लिये एक रेक प्रतिमास की दर से, अर्थात् कुल लगभग ३००० टन अहमदाबाद को भिलाई इस्पात कारखाने से नट कोक के ५० वैगनों के ३ ब्लाक रेक भेजने का प्रस्ताव है। यह सम्भरण राज्य के वर्तमान अभ्यंश के अतिरिक्त किया जायेगा।

प्रतिरक्षा राइफल फैक्टरी में काफी मशीनों का निर्माण

†*१२९९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा विभाग की एक राइफल फैक्टरी में 'एसप्रेसो' काफी मशीनों का निर्माण किया था जो अलाभकर सिद्ध हुई हैं ; और

(ख) राइफल फैक्टरी में ऐसी मशीनें बनाने का क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं। परियोजना लाभदायक है और प्रतिरक्षा सेवाओं के हित में है।

(ख) (१) फालतू क्षमता और पुनः उपयोग किये जा सकने वाले सामान के इस्तैमाल के लिये।

(२) अस्थिरता के कारण उपलब्ध श्रमिकों के इस्तैमाल के लिये।

(३) सारे विशेषज्ञ श्रमिकों को कारखाने मे ही रखने और उनसे काम लेते रहने के लिये।

विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा

†*१३००. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा देने के लिए हाल में ही कुछ नई शर्तें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो शर्तें क्या हैं और इस समय उनमें सुधार करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी ; और

(ग) क्या यह सच है कि इनके कारण विश्वविद्यालय के बहुत से विद्यार्थी जिनको विदेशी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश मिल चुका है वहां जा नहीं पा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने फैसला किया है कि :

(१) गैर-तकनीकी विषयों के बारे में, कुछ विषयों के लिये कोई विदेशी मुद्रा न दी जाये। कुछ अन्य विषयों के लिये विदेशी मुद्रा केवल जब दी जाये यदि विद्यार्थी को किसी संस्था में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, प्रवेश मिल गया हो; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) तकनीकी विषयों के बारे में, डिपलोमा पाठ्यक्रम और अप्रेंटिसशिप के लिये उनके लिये जो स्नातक नहीं हैं अथवा जिन्हें विदेशों में अधिछात्रवृत्ति नहीं मिली है, न्यूनतम शिक्षा अर्हता लागू की जाये।

विदेशी मुद्रा की स्थिति और बिगड़ने से ये प्रतिबन्ध आवश्यक हो गये हैं।

(ग) उन विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये, जिन्हें उन पाठ्यक्रमों में, जो पहली नीति के अनुसार पात्र थे, प्रवेश मिल गया है, यह निर्णय किया गया है कि यदि वे न्यूनतम शिक्षा अर्हता पूरी करें तो उनको विदेशी मुद्रा दे दी जावे।

गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

†*१३०१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभकर गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) इनके पूर्णतः राष्ट्रीयकरण में सरकार कितना समय लेगी ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जलहाँली में मशीनी औजारों के डिजायनरों के लिये प्रशिक्षण संस्था

†*१३०२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वकटासुब्बया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर के निकट जलहाली में मशीनी औजार डिजायनरों के प्रशिक्षण, मशीनी औजारों सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रोटोटाइप (प्रथम रूप) के उत्पादन के लिये एक प्रशिक्षण संस्था स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो संस्था के लिये भवन निर्माण कब पूरा होगा ;

(ग) प्रशिक्षणार्थियों के पहले दल का प्रवेश कब होगा ; और

(घ) क्या चेकोस्लोवाकिया के सभी विशेषज्ञ आ गए हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की गई है और परियोजना प्रतिवेदन प्रतीक्षित है। प्रतिवेदन मिलने और उस पर निर्णय किये जाने के बाद ही निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का ब्योरा पता लग सकेगा।

मद्रास में स्कूल तथा कालिज शिक्षा

†*१३०३. **श्री उमानाथ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपने निश्चित विचार बताये हैं कि वह दस वर्ष के माध्यमिक पाठ्यक्रम और उसके बाद दो वर्ष के डिग्री-पूर्व पाठ्यक्रम तथा तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के पक्ष में है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार को बारह वर्ष का पाठ्यक्रम तथा इसके बाद तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने में कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कठिनाइयां क्या हैं और उन कठिनाइयों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार की सहायता करने के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]**

'एस्कोर्टस' मोटर-साइकिल तथा स्कूटर फैक्टरी, नई दिल्ली

†*१३०४. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड ने १० लाख डालर से अधिक मूल्य की मशीनें तथा प्रविधिक सहायता नई दिल्ली के निकट एस्कार्ट्स मोटर-साइकिल तथा स्कूटर फैक्टरी को देने का ठेका किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस धन का पुनः भुगतान कैसे होगा ; और

(ग) फैक्टरी की उत्पादन क्षमता क्या है और इससे पूर्ण उत्पादन कब तक होने लगेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) से (ग). मेसर्ज एस्कोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली को मोटर साइकिल और स्कूटर बनाने के लिये फरीदाबाद में एक नया कारखाना लगाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस दिया गया है। मंजूर की गई क्षमता ६००० नग प्रति वर्ष है। इस वर्ष के अन्त में उसमें उत्पादन हो जाने की आशा है। पूरा उत्पादन करने में उन्हें २ से ३ वर्ष लगेंगे।

यह सार्थ पोलैंड के मेसर्ज सेकोप से सहयोग करेगा। उनको मोटर साइकिल योजना क्रियान्वित करने के लिये ५२ लाख रुपये की मशीनें आयात करने की अनुमति दे दी गई है। इन्होंने

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी सार्थ के साथ योजना की प्रथम प्रावस्था के लिये अपेक्षित १०,६०,००० रुपये के मूल्य की मशीनों के संभरण का संविदा किया है। बाकी रकम के लिये शीघ्र ही संविदा किये जाने की आशा है।

संविदा में मशीन की लागत के भारतीय रुपये में भुगतान की व्यवस्था है।

सूरत जिले के ओल्पाद में प्राकृतिक गैस का मिलना

†*१३०५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खान तथा ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत जिले के ओल्पाद नामक स्थान में उस क्षेत्र में खोदे गये एक तेल के कुएं में प्राकृतिक गैस मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो खोज का स्वरूप क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). ओल्पाद प्रदेश में दो नलकूपों में एक गहरे तेल-कूप में गैस होने का संकेत मिला है। इन संकेतों से प्राकृतिक गैस के थोड़ी मात्रा में होने का अनुमान है।

भारत में ब्रिटिश ऋण

†*१३०६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन में २३ मई १९६२ को दो समझौते हुए हैं जिनके अनुसार ब्रिटेन भारत को ३२० लाख पौंड का उधार देगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). जी, हां। ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ (१) दुर्गापुर इस्पात परियोजना के विकास के लिये २२० लाख पौंड (२९.३३ करोड़ रुपये) और (२) बड़ी मात्रा में विकास के सामान के आयात के लिये १०० लाख पौंड (१३.३३ करोड़ रुपये) के दो ऋणों के लिये करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। दोनों ऋण २५ वर्षों में दिये जायेंगे, मूलधन की पहली वापसी ७ वर्ष बाद आरम्भ होगी। ब्याज ब्रिटेन की समेकित निधि में से इतनी ही अवधि के लिये ऋण पर ब्रिटिश ट्रेजरी द्वारा लागू दर पर प्रशासी प्रभार के लिये 1/4 प्रति शत अधिक के हिसाब से दिया जायेगा।

लड़कियों के लिये पोलिटेक्नीक तथा जूनियर टेक्निकल स्कूल

†*१३०७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिला शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्थापित पाठचारिका समिति ने लड़कियों के लिये पोलिटेक्निक तथा जूनियर टेक्निकल स्कूलों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं की स्थापना के लिये सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ऐसी कितनी संस्थायें स्थापित की जायेंगी ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना सभी राज्य सरकारों को भेजी गई है और पोलीटेक्नीक की स्थापना में केन्द्रीय सहायता दी जावेगी ।

(ग) तेईस ।

चौथा तेल शोधक कारखाना

†*१३०८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री वारियर :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र का चौथा तेल शोधन कारखाना दक्षिण भारत में स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बीकानेर के मिलीटरी इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों की मजूरी की बकाया

†*२५११. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर (राजस्थान) के मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारियों को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बकाया मजूरी का भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब निर्णय किये जाने की संभावना है ;

(ग) यह लाभ कितने श्रमिकों को मिलेगा ; और

(घ) आयोग की सिफारिशों के अनुसार कितने श्रमिकों को भुगतान किया गया है ?

†**प्रति रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (घ) सम्बंधित ५६ व्यक्तियों में से ३६ को भुगतान कर दिया गया है । बाकी २० कर्मचारियों के बारे में लेखा परीक्षा अथवा प्रशासनिक प्राधिकारियों से अभी परामर्श पूरा नहीं हुआ है । इन मामलों में वेतन शीघ्र निर्धारित करने और बकाया का भुगतान करने के लिये आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलौर में उर्वरक कारखाना

२५१२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की राज्य सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में मंगलौर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्र को एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). मंगलौर में गैर सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये मैसूर की राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । परन्तु राज्य सरकार ने एक गैर-सरकारी पक्ष को एक लाइसेंस देने की सिफारिश की है । इस पक्ष द्वारा पेश की गई योजना सिद्धान्त रूप से मंजूर करली गई है और परियोजना पर धन लगाने के बारे में ब्यौरा तैयार होने पर औपचारिक रूप से लाइसेंस दिया जायगा ।

राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का कालाबाजार में व्यापार

†२५१३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का कालाबाजार में व्यापार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के लिये प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज

†२५१४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में बहुप्रयोजनीय हाई स्कूलों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने की दिशा में कालेज क्षेत्र आदि के लिए भूमि का अर्जन जैसे प्रारम्भिक कार्य किये जा चुके थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में यह योजना समाप्त कर दी गयी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). केरल सरकार द्वारा सुझाये गये स्थलों की छानबीन अन्य राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये स्थलों की छान बीन के साथ साथ, की गई थी । केरल का स्थल उसी क्षेत्र में उपलब्ध एक अधिक अच्छे स्थल के मुकाबले में अस्वीकार कर दिया गया था । इसके अलावा, केरल के स्थल के सम्बन्ध में, भारत सरकार ने भूमि अर्जन जैसी और कोई कार्यवाही नहीं की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में अधिक ऊंचे टेण्डर मंजूर करना

†२५१५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, मनीपुर, क्षेत्रीय परिषद् को १९५८-५९ और १९५९-६० में अधिक ऊंचे या सब से ऊंचे टेन्डर मंजूर करने के कारण एक लाख रुपये से ज्यादा नुकसान हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप अधिक ऊंचे या सब से ऊंचे टेन्डर मंज़ूर करने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ;

(ग) क्या घाटे को रकम वसूल कर ली गई है ; और

(घ) यदि भाग (ख) और (ग) का उत्तर नहीं हो तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). मनीपुर प्रशासन से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में भिखारी

†२५१६. { **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री बेरवा : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बम्बई अधिनियम लागू किये जाने के बावजूद दिल्ली और नई दिल्ली में अब भी काफी अधिक संख्या में भिखारी पाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये जा रहे हैं ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी नहीं । सिर्फ कुछ थोड़े से भिखारी अब भी राजधानी में भीख मांगते हुए पाये जाते हैं ।

(ख) कुछ लोग भिक्षावृत्ति विरोधी दल की नज़रों से बच जाते हैं और कुछ नये लोग दिल्ली के बाहर से आ जाते हैं ।

(ग) इन भिखारियों को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली भिखारी-गृह

†२५१७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अभी हाल में चालू किये गये दिल्ली भिखारी-गृह (बेगर्स होम) के कुल कितने निवासी हैं ;

(ख) उन में कितने लोग अपंग हैं और कितने ऐसे हैं जो किसी प्रकार का काम कर सकते हैं ; और

(ग) वहां कितनी महिला भिखारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) ६९७ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अपंग २३८
समर्थ ४५९

(ग) ११० ।

नागाओं द्वारा रिहा किये गये भारतीय वायुसेना के पदाधिकारियों को क्षतिपूर्ति

†२५१८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागाओं द्वारा अभी हाल में रिहा किये गये भारतीय वायुसेना के चार पदाधिकारियों को कोई क्षतिपूर्ति दी जायगी या दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन में से प्रत्येक को कितनी रकम दी जा चुकी है या दी जाने वालो है ;

(ग) क्या इन पदाधिकारियों ने नागाओं की कोई गुप्त कार्यवाही का भेद बताया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) सभा में इस सम्बन्ध में कोई जानकारी बताना लोकहित में उचित नहीं है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ के अधीन विवाह विच्छेद

†२५१९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ के अधीन विवाह विच्छेद आदि के लिये अधिक सरल शर्तें रखने के लिये कोई नया विधान बनाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आत्महत्या के मामले

†२५२०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ और १९६०-६१ में प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र में आत्महत्या के कुल कितने मामले हुए ; और

(ख) उस के कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** :

(क) संघ राज्य क्षेत्र	१९६१–६२	१९६०–६१
	में आत्महत्या के मामलों की संख्या	
(१) दिल्ली	९४	९७
(२) मनीपुर	३	६
(३) त्रिपुरा	८७	९३
(४) लक्षद्वीप और अमीनद्वीप द्वीपसमूह	कोई नहीं	कोई नहीं
(५) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह .	१४	७

†मूल अंग्रेजी में

(६) हिमाचल प्रदेश . .	१९६१ / १९	१९६० / १९

(ख) (१) संकटग्रस्त पारिवारिक जीवन
(२) लंबी बीमारी
(३) प्रेम में असफलता
(४) रोजगार प्राप्त करने में असफलता
(५) परीक्षा में असफलता
(६) गरीबी
(७) व्यापार में हानि
(८) अवैध बच्चे का जन्म
(९) कानून से बचना
(१०) मानसिक अस्वस्थता
(११) सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़ा
(१२) अज्ञात कारण

दिल्ली में भिखारी

२५२१. श्री बेरवा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में इस समय भिखारियों की संख्या क्या है ;

(ख) दिल्ली में भिक्षा वृत्ति निवारण अधिनियम लागू होने के बाद से अब तक कितने भिखारियों को पकड़ा जा चुका है ; और

(ग) इन पकड़े गये भिखारियों को कहां रखा जा रहा है और इन के जीवन-निर्वाह के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली द्वारा १९५९ में किये गये एक आकस्मिक सर्वेक्षण (स्नेप सर्वे) के अनुसार दिल्ली में भिखारियों की कुल संख्या लगभग ६७०० थी ।

(ख) २६-५-६२ तक २७६२ भिखारी पकड़े गये ।

(ग) भिखारियों को दिल्ली पुअर हाऊस, किंग्सवे कैम्प तथा भिखारी सदन, तिहाड़ में रखा जा रहा है । इन संस्थाओं में रहने वालों को भोजन और कपड़े आदि मुफ्त दिये जाते हैं । समाज में उन की अन्ततः पुनः स्थापना के हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रबन्ध भी किये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को लोहे और इस्पात का कोटा

†**२५२२. श्री अचल सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरम्भ में उत्तर प्रदेश के लोहा व्यापारियों को रजिस्टर्ड स्टाक रखने वालों और निर्माताओं, दोनों के लिये कोटा दिया गया था ;

(ख) एक या दो उपर्युक्त कोटे के संबंध में लाइसेंस कुछ व्यापारियों से क्यों वापिस ले लिये गये जबकि कुछ लोगों के पास दोनों लाइसेंस रहने दिये गये ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). लोहे और इस्पात का राज्यों का कोटा राज्य सरकार बांटती है क्योंकि वही मुख्य रूप से संबंधित होती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जानकारी दी है कि आरम्भ में कुछ फर्में रजिस्टर्ड स्टाकहोल्डर और निर्माता (फैब्रिकेटर्स) के तौर पर काम कर रही थीं । सामान्यतया, जो फर्में पिछले कई वर्षों से अपना दोनों कोटा ले रहे हैं, उन का कोटा बिना किसी योग्य और उपयुक्त कारणों के रद्द नहीं किया जाता । कुछ मामलों में कुछ उचित कारणों से उन फर्मों के एक या दोनों ही कोटे रद्द कर दिये गये हैं । राज्य सरकार की वर्तमान नीति यह है कि नये मामलों में एक ही फर्म को दोनों कोटा लेने की अनुमति न दी जाये ।

उड़ीसा के प्रारंभिक स्कूलों के अध्यापक

†२५२३. **श्री उलाका** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से मार्च, १९६२ की अवधि में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को कुल कितना अनुदान मंजूर किया था ;

(ख) क्या इन अनुदानों का पूरा पूरा उपयोग किया गया था ; और

(ग) १९६२-६३ के लिये कितनी रकम मंजूर की गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, किसी राज्य सरकार की विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय अनुदान सभी योजनाओं के लिए इकट्ठी रकम के रूप में मंजूर किये जाते हैं और अलग अलग योजना अथवा खर्च की अलग अलग मद के लिए नहीं । इसलिए, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय अनुदान मंजूर करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर में बतायी गयी स्थिति को देखते हुए, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उड़ीसा में सांस्कृतिक केन्द्र

†२५२४. **श्री उलाका** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य में सांस्कृतिक केन्द्रों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कोई योजनाएं केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जिलवार ये केन्द्र कहां कहां स्थापित किये जायेंगे;

(ग) प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी रकम नियत की गयी है; और

(घ) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सरकार ने ऐसे केन्द्रों के निर्माण कार्य के लिए उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी कितनी रकम मंजूर की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) इस मंत्रालय की योजना के अधीन, १९६१-६२ में ग्रामीण क्षेत्रों में खुले रंगमंच बनाने की योजनायें उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई थीं।

(ख) ये रंगमंच निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

(१) जिला फुलबनी में टीकाबाली ग्राम पंचायत
(२) जिला मयूरभंज में जाम्बोनी ग्राम पंचायत
(३) जिला कोरापुट में नवरंगपुर ग्राम पंचायत
(४) जिला कटक में सुकलेश्वर ग्राम पंचायत
(५) जिला गंजम में बुगुडा ग्राम पंचायत

(ग) प्रत्येक रंगमंच के लिए १,१५० रुपये जो भारी वर्षा वाले इलाकों म १,५०० रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) और (ङ). जी हां। १९५९-६० और १९६०-६१ में पांच-पांच रंगमंच के लिए, प्रत्येक रंगमंच पर १,५०० रुपये।

उत्कल विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन क्रम

२५२५. श्री उलाका : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उत्कल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को १९५८ से मार्च, १९६२ की अवधि में अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितनी कितनी रकम दी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां, उत्कल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार कालेजों को ऐसी सहायता मिली है।

(ख)	१९५८-५९ . . .	कुछ नहीं
	१९५९-६० . . .	कुछ नहीं
	१९६०-६१ . . .	१,२२,८२५ रुपये ७८ नये पैसे
	१९६१-६२ . . .	११,५१७ रुपये २९ नये पैसे

उड़िया नाटक

†**२५२६. श्री उलाका : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ में उड़िया नाटक के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी ने कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिए विभिन्न संस्थाओं को कितनी रकम मंजूर की गयी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). जी हां। १९६१–६२ में अकादमी ने उड़िया नाटक के विकास के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान मंजूर किये :—

१.	उड़िया संगीत परिषद्, पुरी . . .	१,००० रुपये
२.	नेशनल म्यूजिक असोसिएशन, कटक . .	५,००० रुपये (नृत्य-नाटक तैयार करने के लिए)

उड़ीसा में खेलकूद

†२५२७. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में खेलकूद के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी रकम का अनुदान दिया था;

(ख) विभिन्न योजनाओं पर प्रत्येक वर्ष में खर्च की गयी रकम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) १९६२–६३ के लिए कितनी रकम का अनुदान मंजूर किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: : (क) ९८,५०० रुपये।

(ख) अभी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) कोई नहीं ।

उड़िया भाषा का विकास

†२५२८. **श्री उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५९ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में, उड़िया भाषा के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष मे कितना अनुदान दिया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** :(क) जी हां।

(ख)

वर्ष	रकम रुपये
१९५९–६०	३६,०००
१९६०–६१	१२,०६७
कुल	४८,०६७

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में विज्ञान मंदिर

†२५२९. **श्री उलाका** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में कितने विज्ञान मंदिर स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में कोई विज्ञान मंदिर स्थापित किया गया था; और

(ग) इस योजना से उड़ीसा के कितने गांवों को लाभ पहुंचा है या संभवतः लाभ पहुंचेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** (क) राज्य सरकार की योजना के अनुसार दस।

(ख) तीन।

(ग) इस योजना से कितने गांवों को लाभ पहुंचा है इस बारे मे जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी। इस योजना से भविष्य में कितने गांवों को संभवतः लाभ पहुंचेगा यह नये विज्ञान मंदिरों की स्थापना के बाद ही मालूम किया जा सकता है।

उड़ीसा के लिए कोयला

†२५३०. **श्री उलाका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से कोयले के सम्बन्ध में उड़ीसा की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) उन मांगों के मुकाबले में केन्द्रीय सरकार ने कितना कितना कोटा दिया; और

(ग) हर साल वास्तव में कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवी)** : (क) से (ग). समय समय पर राज्य सरकारों की मांगों के बारे मे जो कोयला नियंत्रक द्वारा स्वीकृत नहीं की गयीं, आंकड़े नहीं रखे जाते। १९५७ से उड़ीसा के लिए कोयला और कोक के निर्धारित कोटे और भेजी गयी मात्रा के आंकड़े इस प्रकार है :—

(माल डिब्बों में आंकड़े)

वर्ष	कोटा	प्रेषित
१९५७	८०८२	४३४७
१९५८	८३०४	५६३४
१९५९	९३६३	६०६०
१९६०	१०१६२	४१५०
१९६१	१०७९१	४८००

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम के विनियोजन के लिए रक्षित धनराशि

†२५३१. **डा० मा० श्री अणे०** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इमारतों और संपत्ति' तथा 'बन्धक ऋणों में विनियोजन के लिये रक्षित धनराशि (रिजर्व) की व्यवस्था करने के मामले में जीवन बीमा निगम द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन, ऐसे कोई उपबन्ध हैं जिनमें ऐसे किसी ऋण को अशोध्य तथा संदेहास्पद के रूप में वर्गीकृत करने के लिये शर्तों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया हो ; और

(ख) यदि हां, तो वह शर्तें क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख) इमारतों और संपत्ति में विनियोजन के लिये और बन्धक ऋणों के लिये और उन्हें अशोध्य तथा संदेहास्पद के रूप में वर्गीकृत करने के लिये रक्षित की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, भारत के जीवन बीमा निगम ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाये है। फिर भी निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं :—

इमारतों के जीवनकाल की समाप्ति पर इमारतों की लागत की पूर्ति के लिये, निगम प्रत्येक वर्ष के अन्त में कुछ रक्षित रकमें अलग रखता है। प्रत्येक इमारत के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष इस रक्षित राशि (रिजर्व) में हस्तांतरित की गयी रकम, कुछ वर्षों के बाद, उस इमारत की मूल लागत के बराबर हो जायेगी। दूसरे शब्दों में, किसी इमारत के जीवनकाल के अन्त में, वह रक्षित रकम उस इमारत की मूल लागत के बराबर हो जायेगी।

जहां तक बन्धक ऋणों के लिये रक्षित राशि का संबंध है, हर साल के आखिर में, प्रत्येक बन्धक ऋण की छानबीन यह मालूम करने के लिये की जाती है कि प्रत्येक बन्धक के अधीन ऋण का शेष पूरा पूरा वसूल किया जा सकता है या नहीं। यदि पिछले वर्षों में रखी गयी कुछ रक्षित रकम उन ऋणो की जो संदेहास्पद समझे जाते हैं। कुल रकम से ज्यादा होती है, तो उस वर्ष के लिये कोई अतिरिक्त रक्षित नहीं रखा जाता। यदि संदेहास्पद ऋणों की कुल रकम पहले रखे गये रक्षित की रकम से अधिक हो तो इस अधिक रकम के बराबर अतिरिक्त रक्षित की व्यवस्था लेखे में करदी जाती है।

भारत को आस्ट्रिया का ऋण

†२५३२. { **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री सुबोध हंसदा** : **श्री म० ला० द्विवेदी** : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में आस्ट्रिया द्वारा भारत को दिया जाने वाला ऋण 'एड इंडिया क्लब' के जरिये या परस्पर आयेगा ;

(ख) उसकी रकम कितनी होगी ;

(ग) क्या वह किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये प्रस्तुत किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) से (घ) : भारत को ऋण देने के विषय पर आस्ट्रिया के पदाधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है और अनुमान है कि एड इंडियन-क्लब के तत्वाधान में एक ऋण दिया जायगा। ऋण की रकम और जिस प्रयोजन के लिये उसका उपयोग किया जायगा उसके बारे में दोनों पक्षों के बीच परस्पर बातचीत होगी।

मेहतरों के काम की दशा के संबंध में जांच समिति की रिपोर्ट

†२५३३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धय्या :
श्री बाल्मीकी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहतरों के काम की दशा के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि सिरपर लादकर मलमूत्र ले जाने की प्रथा समाप्त कर दी जाये, सभी राज्य सरकारों, रेलवे और दूसरी संस्थाओं ने कार्यान्वित करने के लिये मंजूर करली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश में प्रत्येक जगह यह सिफारिश कार्यान्वित की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) और (ख) : मेहतरों के काम की दशा के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा विचार किये जाने और कार्यान्वित किये जाने के लिये उनके पास भेज दी गयी है। समिति की अधिकतर सिफारिशें स्थानीय निकायों द्वारा उनकी राज्य सरकारों की देख-रेख में कार्मान्वित की जानी हैं। लगभग २२३ सिफारिशें हैं और उन सभी पर एक साथ कार्यवाही नहीं की जा सकती। स्थानीय निकायों को कई दौर वाले कार्यक्रम तेयार करने होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक अवधि में उन सिफारिशों को कार्यान्वित करना होगा। जब कि कई राज्यों में अनेक स्थानीय निकायों ने विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है, तब अनुमान है कि अन्य स्थानों में भी धीरे धीरे उन्हें कार्यान्वित किया जायगा ।

समिति के अनुसार पहिये दार गाड़ियां (व्हील बैरोज़) चालू करने की योजना के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की मंजूरी अधिक सरल कर दी गयी है। प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र हैं, वहां भी इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। एक मंत्रणा समिति जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर मलकानी हैं, इन प्रयत्नों को और आगे बढ़ाने के लिये नियुक्त की गयी है।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक

२५३४. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार से अनुदान लेने वाले स्कूलों में अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने अध्यापक तथा अध्यापिकायें स्थायी हैं और कितनी अस्थायी ; और

(ग) अस्थायी अध्यापक तथा अध्यापकाओं को स्थायी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उन्हें कब स्थायी कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) ३,८३१ ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय लोक-सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों के लिये स्थायी आदेश हैं कि जैसे ही कोई अध्यापक अपना परीक्षण-काल पूरा कर ले, उसे स्थायी कर देना चाहिये, शर्त यह है कि स्थायी पद खाली हो । उन्हें फिर आदेश दिये जा रहे हैं कि वे उन सभी अस्थायी अध्यापकों को जो स्थायी होने के पात्र हैं, स्थायी कर दें ।

नगर निगमों के अधीन प्राथमिक शिक्षा

†२५३५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नगर निगमों के अधीन प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के बारे में आरम्भ किये गये अध्ययन का परिणाम उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष और सिफारिशों की गयी हैं ;

(ग) क्या उन पर विचार किया गया है और कोई निश्चय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के निश्चय किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्री माली):** (क) अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बिजली के करघों पर तयार किये रेशमी कपड़े पर उत्पादन शुल्क

†२५३६. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से उत्पादन शुल्क दूना कर दिया गया है तब से बिजली के करघों पर तैयार किये गये शुद्ध रेशमी कपड़े पर पिछले वित्तीय वर्ष में कितना उत्पादन-शुल्क इकट्ठा किया गया ; और

(ख) वह रकम पिछले वित्तीय वर्ष में, जब कि उत्पादन शुल्क ५० प्रतिशत कम था, इकट्ठी की गयी रकम स ज्यादा है या कम ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) रेशमी कपड़े पर उत्पादन शुल्क दूना नहीं किया गया था। १–३–१९६१ स बिक्री कर की जगह अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया था। १९६१–६२ में मूलभूत तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की प्रप्तियां इस प्रकार हैं :—

मूलभूत . . .	४,५०,००० रुपये
अतिरिक्त . .	३,६८,००० रुपये
कुल	८,१८,००० रुपये

(ख) १९६०–६१ में कुल प्राप्तियां इस प्रकार हैं :—

मूलभूत .	५,६५,००० रुपये
अतिरिक्त . .	३८,००० रुपये
(केवल मार्च, १९६१ के लिये)	
कुल	६,०३,००० रुपये

त्रिपुरा में तेल और कोयले के निक्षेप

†२५३७. **श्री दशरथ देव** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल और कोयले के निक्षेपों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इन खनिज निक्षेपों की हाल की खोज के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां। १९५२ और १९५४–५५ में भारत के भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा किये कये सर्वेक्षणों से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुये :—

लिग्नाइटः : उत्तरी त्रिपुरा में धरम नगर और कैरमासपहाड़ सब-डिवीजनों में कई जगहों से लिग्नाइट के निक्षेपों की जानकारी मिली है। उज्जैन-भांगनांग के पूर्व में प्रत्यक्रय चारा में लगभग १.२ किलोमीटर तक २ फीट (० ६ मीटर) मोटी लिग्नाइट की परत का पता लगा है। पेछारथैल और कुमारघाट से करीब १० किलोमीटर उत्तरपूर्व में हीराचारा, घरतुईचारा, नतालिगचारा टी० ई० भुनई चारा के पास दोलाचारा, देबाचारा, संबाचारा से भी कई जगह खनिज मिलने की जानकारी मालूम हुई है।

तेल : उनकोटी, कोबांग्शी, कामुन्ता, लंगतराय अधरमुरा और बारामुरा के पास समृद्ध ऐंटीक्लिनिकल स्ट्रक्चर्स स्थित हैं।

निम्नलिखित स्थानों पर गैस मिलने की जानकारी भी मिली है :—

(१) अम्पी बाजार के उत्तर पश्चिप में होस्सीचारा और निरवी चारा।

† मूल अंग्रेजी में

(२) अथरमुरा ऐन्टी क्लिनिकल स्ट्रक्चर पर :

(१) अमरपुर के पूर्व में मैलाखचारा की शाखायें।

(२) दम्बुरा के पास लबन चारायें।

(३) बारापुरा-देवमपुरा ऐन्टी क्लिनिकल स्ट्रक्चर पर

(१) नुईबोरहूंग क्षेत्र में।

(२) मनुबाजार के पास बेनुगाचारा की शाखा में मयूरभंज पर।

(ख) अभी हाल में और किसी खोज का समाचार नहीं मिला है।

(ग) तीसरी योजना की अवधि में त्रिपुरा के कुछ भागों में व्यवस्थित ढंग से नक्शे बनाने का काम आरम्भ करने का भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण का विचार है। यह काम इस वर्ष आरम्भ होगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का १९६२–६३ में त्रिपुरा के कुछ भागों में सतह के भू-गर्भीय नक्शे बनाने का भी विचार है।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को स्थानापन्न भत्ता

†२५३८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, और १९६१–६२ में भारत सर्वेक्षण विभाग में, प्रत्येक निदेशालय में, वर्ग, १,२,३ और ४ के कुल कितने कमचारी अस्थायी तौर पर अधिक ऊंचे पदों या श्रेणियों में काम कर रहे थे;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में अलग अलग प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को कुल कितना स्थानापन्न भत्ता दिया गया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में अलग अलग प्रत्येक वर्ग के कुल कितने कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]**

भारत सर्वेक्षण विभाग

†२५३९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक भारत के सर्वेक्षण विभाग ने अलग अलग भारत के विभिन्न राज्यों में कुल कितने वर्गमील सर्वेक्षण किया;

(ख) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक भारत के सर्वेक्षण विभाग के टोपोग्राफिकल सेकशन्स में कुल कितने कर्मचारी भरती किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) और (ख) आवश्यक जानकारी इकट्ठी करने में जो समय और मेहनत लगेगी वह उस के परिणामों के अनुरूप नहीं होगी ।

मनीपुर प्रशासन

†२५४०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन को किसी योजना अथवा दर पर वित्तीय अनुमोदन और स्वीकृति के लिये और कर्मचारियों आदि की वेतन पर्चियों के लिये शिलांग स्थित महालेखापाल के कार्यालय पर पूरी तौर से निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां हो तो क्या मनीपुर प्रशासन को और उस के कर्मचारियों को इस कारण होने वाली बहुत अधिक असुविधा और अड़चनों के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार यह असुविधा और कठिनाई दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) योजनाओं के लिये वित्तीय अनुमोदन और स्वीं-कृति भारत सरकार और मनीपुर प्रशासन द्वारा दी जाती है, न कि महालेखापाल के कार्यालय द्वारा। वेतन पर्चियां, संपूर्ण देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, राजपत्र घोषित (गजेटेड) पदाधिकारियों के मामले में महालेखापाल को जारी करनी होती है ।

(ख) योजनाओं के लिये भारत सरकार और मनीपुर प्रशासन द्वारा जारी की गयी मंजूरी के आधार पर भुगतान का अधिकार और राजपत्र घोषित पदाधिकारियों को वेतन पर्चियां सामान्यत: महालेखापाल द्वारा जारी की जाती हैं जसा कि सभी अन्य राज्यों में होता है और अधिकतर मामलों में वे प्रशासन को ठीक समय पर मिल जाती हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि मनीपुर प्रशासन को या उस के कर्मचारियों को बहुत अधिक कठिनाई और असुविधा होती है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आंध्र में अभ्रक खनन उद्योग

†२५४१. **श्री यल्लमंदा रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अब तक खनन उद्योग में अत्याधिक आशंकापूर्ण सट्टेबाजी दूर करने और खोजबीन की वैज्ञानिक प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से खोजबीन का काम चलाने के लिये मिल मालिकों को भारी छिद्रक मशीनें किराये पर सप्लाई करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और वह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: : (क) जी नहीं। अबरक निक्षेपों के अनिश्चित रूप तथा पेगमाटाइट में अबरक के असमान वितरण के कारण, अबरक के मामले में जैसा कि खनिज अयस्क निक्षेपों के मामले में है, अन्वेषणात्मक छिद्रण उतना अधिक लाभदायक नहीं होगा। फिर भी समय समय पर अबरक की खानों के निरीक्षण और विशेष क्षेत्रीय अध्ययन से भारतीय खान कार्यालय ने कुछ विशेषताओं का पता लगाया है जिस से अबरक वाले क्षेत्रों को मालूम करना संभव हो सकेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मनीपुर प्रशासन में पदों का आरक्षण

†२५४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६२ तक अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मनीपुर प्रशासन में विभिन्न श्रेणियों के पदों में कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) क्या सब श्रेणियों के पदों में आरक्षित स्थानों की पूर्ति की गई है,

(ग) क्या आदिम जाति लोगों ने अपनी आदिम जाति जनसंख्या के अनुपात में ४० प्रतिशत पदों के आरक्षण के लिये जोरदार मांग की है; और

(घ) यदि हा, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) पहली और दूसरी श्रेणियों के पदों के लिये केवल अनुरक्षित आदिम जातियों के लिये ५ प्रतिशत स्थानों का आरक्षण है। तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये २० प्रतिशत का संयुक्त आरक्षण है।

(ख) आरक्षित अभ्यंश केवल चौथी श्रेणी के पदों का भरा गया है। १ जनवरी, १९६२ को सेवाओं में अनुसूचित आदिम जातियों का वास्तविक प्रतिशत मनीपुर प्रशासन में इस प्रकार था :

	प्रतिशत
पहली श्रेणी	७.९
दूसरी श्रेणी	१३.१
तीसरी श्रेणी	१४.७
चौथी श्रेणी	२६.४

(ग) तथा (घ). प्रशासन को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, किन्तु आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में, इस समय इन के लिये आरक्षित स्थानों के लिये भी पूरी तरह उपयोग नहीं करते।

राजस्थान में नियुक्त केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कर्मचारी

२५४३. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की ओर से बीकानेर डिवीजन में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं ; और

(ख) प्रति वर्ष उन के वेतन के अतिरिक्त और कितना भत्ता व मंहगाई भत्ता और यात्रा भत्ता उन्हें दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : ३०-४-६२ को राजस्थान में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार थी :

(क) अधिकारी	६
कर्मचारी	१०५
योग	१११

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८५]

फल परिरक्षण के लिये अनुसंधान केन्द्र

†२५४४. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न राज्यों में फल परिरक्षण के लिये अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का विचार करती है,

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी होगी; और

(ग) ये केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान ४ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७८ के भाग (क) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ग) दो मुख्य केन्द्र और दो उप केन्द्र चल रहे हैं। आशा है कि शेष १९६३ के अन्त तक स्थापित हो जायेंगे ।

इम्फाल क्षेत्र, मनीपुर में सरकारी कार्यालय

†२५४५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में इम्फाल क्षेत्र में कौन से सरकारी कार्यालय और संस्थायें ले जायी जायेंगी और स्थापित की जायेंगी,

(ख) उन के लिये भवन बनाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले कोई विशेष उपाय किया गया था क्योंकि समूचा क्षेत्र वर्ष भर गीला और दलदल वाला बना रहता है; और

(घ) यदि हां, तो वे विशेष उपाय क्या किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) निम्न सरकारी कार्यालय/संस्थायें लैम्फल पाट, इम्फाल में नई इमारतों में ले जायी जायेंगी —

(१) असैनिक अस्पताल

(२) परिचारिका होस्टल

(३) मत्स्य पालन केन्द्र और दफ्तर

(४) इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस कार्यालय

(५) जिला न्यायालय

(६) सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर

(७) सहकारी प्रशिक्षण संस्था तथा होस्टल

(८) आग बुझाने का केन्द्र

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मत्स्य ग्रहण केन्द्र और इंस्पैक्टर जनरल के दफ्तर की इमारतें पूरी हो चुकी हैं। सब-रजिस्ट्रार, सहकारी प्रशिक्षण संस्था एवं होस्टल तथा आग बुझाने के केन्द्र की इमारतें बनाई जा रही हैं, और छत तक पहुंच चुकी हैं। मुख्य अस्पताल की इमारत के भाग तथा परिचारिकों के होस्टल तथा जिला न्यायालय के लिये ठेके दिये जा चुके हैं। और पहले का काम प्रगति पर है।

(ग) और (घ). कुछ क्षेत्र जिन में इमारतें बनाई जा रहीं हैं गीला है और वर्षा ऋतु में दलदल वाला है। बरसाती पानी की नालियों संबंधी कार्य पूर्ण हो जाने पर जिस की सब इमारतों से पहले पूरा होने की उपेक्षा की जाती है, सीलन पैदा करने वाली स्थिति समाप्त हो जायेगी।

पाकिस्तान से चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

†२५४६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खालरा के सीमान्त क्षेत्र में स्थित एक गांव में २१ अप्रैल, १९६२ को पुलिस ने निषिद्ध सोना पकड़ा जो पाकिस्तान से चोरी छिपे लाया जा रहा था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह सच है कि २१ अप्रैल, १९६२ को ७९९८ ग्राम और ९९,००० रुपये के मूल्य का सोना श्री मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री बाल सिंह, गांव वान, थाना खालरा, जिला अमृतसर से पकड़ा गया। यह पकड़ भागटन वाला गेट, अमृतसर में हुई न कि खालरा के सीमान्त क्षेत्र में। यह संदेह था कि सोना चोरी छिपे पाकिस्तान से लाया गया था।

मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, बंगलौर

†२५४७. **श्री उमा नाथ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि ट्रेनिंग बटालियन, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, बंगलौर से संबद्ध सैनिक शिक्षा दल के सूबेदार टी० एन० टाटाधारी १ नवम्बर, १९६१ को सैनिक बैरकों (चीनी लाइन्स बंगलौर) के अन्दर ड्यूटी पर होते हुए मरा पाया गया,

(ख) क्या यह सही है कि उस बटालियन के आफिसर कमांडिंग ने वह मामला असैनिक प्राधिकारियों को सौंप दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, नहीं। सूबेदार टी० एन० टाटाधारी अपने निवास स्थान क्वाटर नंबर ३ (जे०सी०ओ०) चीनी लाइन्स बंगलौर में २ नवम्बर, १९६२ को प्रातःकाल मरा हुआ पाया गया था।

(ख) और (ग). पहले इस मामले की जांच के लिये यह असैनिक पुलिस को दिया गया किन्तु अब बाद में यह आरोप लगाया गया कि उसे उसी इकाई के एक हवलदार ने मारा था, तो वह सैनिक पदाधिकारियों द्वारा कोर्ट मार्शल द्वारा जांच के लिये असैनिक पुलिस से वापिस ले लिया गया।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये छात्र सदन

†२५४८. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा दो छात्र सदन बनाने का प्रस्ताव अन्तिम रूप से तय हो चुका है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ;

(ग) इन दो सदनों की अनुमानित लागत क्या हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कितने प्रतिशत व्यय देगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जब समुचित प्रस्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त हो जायेगी ।

(ग) सात लाख रुपये ।

(घ) आयोग की सहायता, इन में से प्रत्येक गृह की ३.५ लाख रुपये की अनुमानित लागत में से २.५ लाख रुपये की अधिकतम सीमा के आधार पर होगी ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

२५४९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कार्यालयों में कितने अफसर तथा कर्मचारी हिन्दी जानते हैं और कितने नहीं जानते;

(ख) इन में से जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते उन को हिन्दी सिखाने की क्या व्यवस्था की गई है और उस के अनुसार इस समय कितने व्यक्ति हिन्दी सीख रहे हैं; और

(ग) इन में से जो व्यक्ति हिन्दी जानते हैं उन को हिन्दी में कार्य करने के क्या अवसर प्रदान किये गये हैं तथा अन्य और क्या अवसर किस प्रकार प्रदान किये जाने वाले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या १४७९० है तथा हिन्दी न जानने वालों की संख्या ९५२ है ।

(ख) इस मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन जो सुविधायें हैं वे हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों के लिये भी दी गई हैं । आजकल शिमला में इस प्रशासन के ३७ कर्मचारी हिन्दी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(ग) भारत सरकार के काम काज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये मार्च, १९६१ में जो योजना जारी की गयी थी, उसे आवश्यक अदल बदल के साथ हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अपना लिया है ।

घोड़ों/खच्चरों का आयात

†**२५५०. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी सशस्त्र सेवाओं के उपयोग के लिये घोड़े और खच्चर विदेशों से मंगाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन साल में कितने ऐसे पशु मंगवाये गये;

(ग) इन में से कितने पशु प्रजनन कार्य के लिये और कितने सामान्य उपयोग के लिये थे;

(घ) इस देश में इन को पालने वालों को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इन का विदेश से आयात कब तक बन्द होने की अपेक्षा की जाती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पिछले तीन सलों में मंगवाये गये पशुओं की संख्या बताना लोक हित की दृष्टि से ठीक नहीं ? तथापि इन में १६८ पशु प्रजनन कार्य के लिये थे ।

(घ) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय एवं विविध राज्य सरकारों द्वारा घोड़ों और खच्चरों के प्रजनन को सामान्यतया बढ़ावा देने के लिये को गई विविध कार्यवाहियों के अतिरिक्त प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इन के पालकों को प्रोत्साहन देने के विभिन्न निमित्त उपाय किये हैं :—

(१) गैर-सरकारी पालकों की घोड़ियों के प्रजनन के लिये सेना के बढ़िया घोड़ों का निःशुल्क सेवा ।

(२) पालकों, के पशुओं की देख भाल के निःशुल्क प्रविधिक सलाह ।

(३) प्रतियोगी मूल्यों पर खुले बाजार में गैर सरकारी पशु पालकों से घोड़ियों के बच्चों की खरीद; और

(४) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन तथा पशु पालकों को पारितोषिक देना ।

(ङ) इस स्तर पर यह कहना संभव नहीं है कि आयात कब समाप्त किया जा सकेगा, किन्तु सरकार की नीति यही है कि देश में इन का पालन बढ़ाया जाये और इस उद्देश्य के लिये हाल के वर्षों में बहुत से उपाय किये गये हैं ।

घग्गर घाटी में खुदाई

†२५५१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में घग्गर घाटी के क्षेत्रों में हाल में हुई खुदाइयों से वहां ऐतिहासिक प्राचोनता के बहुत से स्थानों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरा "भारतीय पुरातत्व—एक समीक्षा" १९६०–६१ (पृष्ठ ३१–३२) में दिया गया है ।

भारत में अधिक समय ठहरने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†२५५२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष नियमित वीसा लेकर जो ३ पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये थे, वे अपने ठहरने की अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए हैं और कहीं छुप गये हैं, जैसा कि २५ अप्रैल, १९६२ के (कलकत्ता के प्रातःकालीन संस्करण) अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन का पता लगाने और उन को गिरफ्तार करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

अनुसूचित जातियों के हिन्दुओं का ईसाई धर्म में धर्म-परिवर्तन

†२५२३. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची क्षेत्र में बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के हिन्दुओं ने ईसाई-धर्म में धर्म-परिवर्तन किया है; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान ईसाई मिशनिरियों द्वारा जारी किये गये घोषणा-पत्र की ओर आकृष्ट किया गया है जिस में वे अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों को 'मदर मेरी' के संरक्षण में रखना चाहते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को ऐसे किसी घोषणा-पत्र का पता नहीं चला है।

उत्तर-भारत के विश्व विद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं का पढ़ाया जाना

†२५५४. **श्री उमा नाथ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के पढ़ाये जाने की योजना उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं, जहां ये भाषायें लागू की गयी हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालय में भाषाओं के क्या नाम हैं;

(ग) उत्तर भारतीय विद्यार्थियों की, जिन को दक्षिण भारतीय भाषायें पढ़ाई जा रही हैं, क्या संख्या है, भाषाओं के क्या नाम हैं, और जिन विश्वविद्यालयों में वे पढ़ाई जा रही हैं, उनके क्या नाम हैं;

(घ) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया गया है; और

(ङ) प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रत्येक दक्षिण भारतीय भाषा के लिये कितने अध्यापक हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां। कुछ उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों में।

(ख) (१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : तेलुगु और मलयालम।

(२) इलाहबाद विश्वविद्यालय : तमिल और तेलुगु।

(३) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय : तमिल और तेलुगु।

(४) दिल्ली विश्वविद्यालय : तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम।

(ग) यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) (१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : ३३,००० रुपये (आवर्ती और अनावर्ती)।

†मूल अंग्रेजी में

(२) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय : १२,००० रुपये (आवर्ती) :

(३) इलाहाबाद विश्वविद्यालय : शून्य

(४) दिल्ली विश्वविद्यालय : ९३,६५० रुपय (आवर्ती और अनावर्ती)

(ङ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय : तेलुगु : १ प्राध्यापक (लेक्चरार)
मलयालम : १ प्राध्यापक (लेक्चरार) :

इलाहाबाद विश्वविद्यालय : तमिल : १ सहायक प्रोफैसर
तेलुगु : १ सहायक प्रोफैसर

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय : तमिल : १ प्राध्यापक (लेक्चरार)
तेलुगु : १ प्राध्यापक (लेक्चरार) :

दिल्ली विश्वविद्यालय : तमिल : १ प्राध्यापक (लेक्चरार)
तेलुगु : १ प्राध्यापक (लेक्चरार)
कन्नड : १ प्राध्यापक (लेक्चरार)
मलयालम : १ प्राध्यापक (लेक्चरार)
फिलोलोजी : १ रीडर
दक्षिण भारतीय इतिहास और संस्कृति : १ रीडर
पुस्तकालय सहायक : २

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

†२५५५. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे उर्वरक कारखानें के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है; और

(ग) इसमें उत्पादन कम होने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]**

(ख) जी, हां ।

(ग) अप्रैल, १९६४ में ।

प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापक

†२५५६. **श्री पु० रं० चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक कार्य के लिये महिलायें अधिक उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये अधिक संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) पर्याप्त प्रशिक्षण के लिये महिलाओं को क्या सुविधायें दी गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राथमिक स्कूलों में नियोजित अध्यापकों की कुल संख्या में महिलाओं का कितना अनुपात होगा; और

(ङ) लक्ष्य पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]

त्रिपुरा को इमारती सामान

†२५५७. { **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल मे त्रिपुरा को जस्ता चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों, इस्पात, लोहा और सीमेन्ट का कुल कितना अभ्यंश आवंटित किया गया ;

(ख) उस अभ्यंश में से त्रिपुरा को कितनी मात्रा का सम्भरण दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि इस सामान की कमी के कारण त्रिपुरा में निर्माण-कार्य मन्द पड़ा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसको सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :

		टन
(क)	जस्ता चढ़ी नालीदार लोहे की चादरें . .	४,७९५.०५
	लोहा और इस्पात	६,६०१.०५
	सीमेन्ट	४७,४०५.००
(ख)	जस्ता चढ़ी नालीदार लोहे की चादरें . . .	३,६४५,९९
	लोहा और इस्पात	४,२६५.१५
	सीमेण्ट	२९,६११.००

(ग) इस सामान की कमी के कारण इस समय कोई काम नहीं रुक रहा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में डाकू

†२५५८. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में दैन-चारा क्षेत्र में डाकुओं का एक दल सक्रिय है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में अब तक डकैती के कितने मामले हुए हैं ; और

(ग) डाकुओं की गतिविधि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी नहीं। त्रिपुरा में कंचनपुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत एक दैनचारा नामक गांव है। वर्ष १९६१ के आरम्भ से ३० अप्रैल, १९६२ तक इस पुलिस स्टेश एक डकैती की रिपोर्ट मिली है।

(ग) पुलिस द्वारा गश्त लगाई जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली म यातायात समस्या

†२५५९. { **श्री बिशन चंद्र सेठ :**
श्री गौरी शंकर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय दिल्ली में बढ़ती हुई और गम्भीर यातायात समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक व्यापक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर एक विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो समिति कब बनाई जायेगी ;

(ग) इसके सदस्य कौन हैं और इसके क्या क्या अधिकार हैं ; और

(घ) यह यातायात समस्या को कैसे सुलझायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सरकार दिल्ली में यातायात समस्या की जांच करने के लिये शीघ्र ही एक समिति नियुक्त कर रही है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

(घ) समिति की सिफारिशें प्राप्त होने और उनकी जांच होने के बाद उपयुक्त उपाय किये जायेंगे ।

कोक भट्ठी संयंत्र

†२५६०. **श्री उमानाथ** : क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने एक कोक-भट्टी सन्यन्त्र की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) भेजे गये प्रस्तावों का क्या व्यौरा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पुराने सामान पर सीमा-शुल्क

†२५६१. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मूल रूप से निर्मित पुराने सामान पर, जब उन्हें वापस भारत में लाया जाता है, सीमा शुल्क लगता है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन की दर क्या है ; और

(ग) किन वस्तुओं पर शुल्क लगता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा २५ के अधीन, यदि भारत में निर्मित सामान को किसी विदेशी पत्तन से किसी सीमा-शुल्क पत्तन में लाया जाये तो उस पर उन्हीं शर्तों के अनुसार सीमा-शुल्क लगेगा जिन पर बाहर विदेशों में निर्मित सामान पर पहली बार आयात पर सीमा-शुल्क लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि यह आयात ऐसे सामान के निर्यात के बाद तीन वर्षों के भीतर आयात किया जाये और सीमा शुल्क कलेक्टर को यह सन्तोष हो जाये कि यह सामान उस ही व्यक्ति के पास रहा है जिसको यह निर्यात किया गया था तो यदि धारा ४३ख के अधीन सामान पर कोई प्रत्याहृत[1] की अनुमति नहीं है तो सामान बिना शुल्क के स्वीकार किया जा सकता है और यदि प्रत्याहृत की व्यवस्था है तो प्रत्याहृत की राशि के बराबर शुल्क देकर सामान स्वीकार किया जा सकता है ।

(ख) और (ग). जहां पर समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा २५ का उपबन्ध लागू नहीं होता, तो इस सामान पर अन्य विदेशी वस्तुओं पर शुल्क की दर से शुल्क लगेगा । विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क की दर के बारे में 'इण्डियन कस्टम्स टैरिफ' जो मूल्य वाली पुस्तक है और दिल्ली में भारत सरकार की मुद्रण शाखा के मुद्रण प्रबन्धक से मिल सकती है, में बताया गया है ।

नये विश्वविद्यालय

†२५६२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में किन स्थानों पर नये विश्वविद्यालय खोले जायेंगे; और

(ख) उस ही अवधि में नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(क) और (ख). यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष १९६२–६३ में कितने विश्वविद्यालय और किन स्थानों पर खोले जायेंगे । अपने क्षेत्राधिकारों में नये विद्यालय खोलने के लिये निर्णय करना संबन्धित राज्य सरकारों का काम है और नये विश्वविद्यालयों के लिये तीय पंचवर्षीय योजना के राज्य-क्षेत्र में ४०५.९० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	राज्य सरकार का नाम	नये विश्वविद्यालय	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)
१.	आन्ध्र प्रदेश	१	१०.००
२.	गुजरात	२	२०.००
३.	मध्य प्रदेश	१	२०.००
४.	पंजाब	१	१०.००
५.	राजस्थान	१	१०.००
६.	उत्तर प्रदेश	३	११०.००
७.	पश्चिम बंगाल	३	२२५.९०*
	कुल		४०५.९०

*इसमें पुराने और नये विश्वविद्यालयों का विकास-कार्य भी शामिल है ।

†मूल अंग्रेजी में

[1] Drawback.

मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

†२५६३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री ४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक उर्वरक सन्यन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव अस्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस कारखाने को स्थापित करने के लिये किसी अन्य पक्ष ने सरकार से कहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). इस पक्ष ने दिया गया लाइसेंस वापस कर दिया है और सरकार मध्य प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ।

अन्दमान में गोली चलाया जाना

†२५६४. **श्री नम्बियार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान मे १० अप्रैल, १९६२ को गोली चलाये जाने के फलस्वरूप मृतकों की कुल संख्या ८ तक पहुंच गयी है और गम्भीर रूप से घायलों की संख्या ३६ है ;

(ख) मृतकों और घायलों में से तमिलनाद के कितने व्यक्ति हैं ;

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को और घायलों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ; और

(घ) क्या धारा १४४ के अधीन प्रतिबन्ध आदेश अभी भी जारी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं । लोक-कर्म विभाग के कर्मचारी मारे गये और २० घायल हुए ।

(ख) सभी तीनों मृतक और घायल २० व्यक्तियों में से १६ तमिलनाद के हैं ।

(ग) जी, अभी नहीं ।

(घ) जी नहीं । ये आदेश ९ मई, १९६२ तक लागू रहे ।

नेफा में अग्रिम भाषाई सर्वेक्षण

†२५६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में हाल में ही अभिकरण के विभिन्न भागों में किये गये अग्रिम भाषाई सर्वेक्षकों के आधार पर वर्तमान सभी भाषाओं और प्रान्तीय भाषाओं का सामान्य वर्गीकरण पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) यह कार्य प्रगति पर है।

(ख) अभी परिणाम नहीं निकला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन

†२५६६. क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन छात्रों को, जिन्होंने राज्यों की आधुनिक भारतीय भाषाओं में से किसी का अध्ययन किया हो, विश्वविद्यालय कक्षाओं में भी उसी भाषा का अध्ययन करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में भी वही प्रक्रिया अपनायी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिजों में कितने विद्यार्थी भारतीय आधुनिक भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं ; और

(घ) क्या दी गयी सुविधायें अध्ययन के लिये पर्याप्त हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास म कोयला कारखाना

†२५६७. **श्री मलाइछामीः** क्या खान और इंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार से मद्रास में जला हुआ कोयला कारखाना स्थापित करने के लिये सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलित राशि कितनी है और क्या सहायता मांगी गयी है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सशस्त्र बल सदरमुकाम (आर्म्ड फोर्सिज हैडक्वार्टर्स) में अतिरिक्त समय का भत्ता

†२५६८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली में सम्बन्धित कर्मचारियों को नियमित रूप से अतिरिक्त समय का भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जून, १९६१ से सशस्त्र बल सदरमुकाम में काम करने वाले सम्बन्धित कर्मचारियों को अभी तक अतिरिक्त समय का भत्ता नहीं दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) सम्बन्धित कर्मचारियों को अतिरिक्त समय के भत्ते की बकाया का भुगतान कब किया जायेगा ; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये, कि अतिरिक्त समय का भत्ता नियमित रूप से, दिया जाये, क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) कुछ व्यक्तियों को भुगतान किया गया है और अन्य मामले लेखा-परीक्षा अधिकारियों के पास लम्बित पड़े हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सशस्त्र बल सदरमुकाम में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में अतिरिक्त समय के लिये भत्ते के भुगतान में विलम्ब इसलिये है कि प्रतिरक्षा असैनिकों के वेतन तथा भत्तों के लेखे की पूर्व-परीक्षा होती है जिसके परिणामस्वरूप इसमें विलम्ब होता है ।

(घ) अतिरिक्त समय के भत्ते के रूप में बकाया का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को शीघ्र ही किये जाने की आशा है ।

(ङ) अतिरिक्त समय के भत्ते के नियमित रूप से भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों के परामर्श से उपयुक्त प्रक्रिया बनाई जा रही है ।

भारत में अधिक समय तक ठहरने वाले चीनी राष्ट्रजन

†२५६९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिना वैध कागजात के अधिक समय तक ठहरने के लिये चालू वर्ष की पहली तिमाही में कितने चीनी राष्ट्रजन पकड़े गये ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में यातायात सिग्नल

†२५७०. **श्री दी० च०. शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस के कुछ पदाधिकारियों द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चलता है कि दिल्ली में अधिक संख्या में यातायात पुलिस और सड़क सिगनलों की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो यातायात समस्या के समाधान के लिये इनकी व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). यद्यपि हाल में कोई विशष सवक्षण नहीं किया गया है, दिल्ली पुलिस यातायात संचालन में सुधार के बारे में निरन्तर ध्यान दे रही है । सरकार दिल्ली की यातायात समस्या का परीक्षण करने और अपनी सिफारिशें करने के लिये शीघ्र ही एक समिति नियुक्त कर रही है ।

केन्द्रीय सरकार को मोटर गाड़ियां

†२५७१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों और विभागों के पास कितनी मोटरगाड़ियां हैं ;

(ख) इन में से कितनी २०,००० रुपये से अधिक की लागत की हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है ; और

(ग) इन कारों की कुल कीमत कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जकार्ता म चतुर्थ एशियाई खेल

†२५७२. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री यो० ना० सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जकार्ता में होने वाले चतुर्थ एशियाई खेलों के भारतीय दल का चयन कर लिया गया है ; और

(ख) भारत किन-किन एशियाई खेलों में भाग लेगा ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस मामले में अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह समझा जाता है कि भारतीय आलम्पिक संस्था एशियाई खेलों में भाग लेने के लिये केवल उन्हीं प्रतियोगियों का चयन करेगी जो कम से कम वर्ष १९५८ में टोक्यो में हुए पिछले एशियाई खेलों में द्वितीय स्थान पर आये हों।

लद्दाख में पुरातत्व संबंधी सर्वेक्षण

†२५७३. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री यो० ना० सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में पुरातत्व सम्बन्धी स्थलों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर):(क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लन्दन टैगोर केन्द्र

†२५७४. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री यो० ना० सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक कार्यों के लिये लन्दन में एक टैगोर केन्द्र बनाने का प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) और (ख). इस मन्त्रालय को लन्दन में ऐसे किसी केन्द्र की स्थापना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरियेन्टल एण्ड अफ्रिकन स्टडीज ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (इण्डियन कौंसिल ऑफ कलचरल रिलेशन्स), नयी दिल्ली, के सहयोग से टैगोर शताब्दी भाषण-माला स्थापित की है जो भारतीय अध्ययन, खासकर टैगोर के सम्बन्ध में, एक केन्द्र के तौर पर होगी। टैगोर शताब्दी भाषण माला का पहला क्रम जून, १९६१ में आरम्भ हुआ था ।

---

† मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय खेलकूद संस्था

†२५७५. **श्री प्र० के० देव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल कूद संस्था (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स) के शिक्षकों में कोई विदेशी शिक्षक भी नियुक्त हैं ;

(ख) वे कौन हैं और क्या सिखाते हैं ; और

(ग) उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां।

(ख) १. श्री एच० ई० राइट (इंग्लैण्ड) . फुटबॉल

२. श्री चान कोन लिआंग (मलाया) . बैडमिण्टन

३. श्री जोश कलब्रैथ (अमेरिका) . व्यायाम आदि

४. डा० ओटो पोलट्जर (पश्चिम जर्मनी) . . व्यायाम आदि

(ग) १. श्री एच० ई० राइट (२० मई, १९६१ से दो साल का ठेका)

२. श्री चान कोन लिआंग (२१ अक्तूबर, १९६१ से तीन साल का ठेका)

(१) प्रत्येक महीने के आखिर में १०० स्टर्लिंग पौंड का मासिक वेतन वर्तमान विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में दिया जायेगा।

(२) उपर्युक्त शाला द्वारा उचित स्तर का निःशुल्क निवास और भोजन।

(३) शिक्षक तथा उसकी पत्नी के लिये क्रमशः एसेक्स पे ाग (ग्रेट ब्रिटेन), (मलाया) से नयी दिल्ली और वापसी का यात्री दर्जे का वापसी विमान किराया।

(४) निवास स्थान से निकटम हवाई अड्डे तक एकतरफा रेल किराया।

(५) नई दिल्ली से पटियाला तक एक तरफा पहले दर्जे का रेल किराया।

(६) निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें (दवाइयों को छोड़कर)।

३. श्री जोश कलब्रथ (९-९-१९६१ से २ वर्ष का ठेका)

(१) प्रत्येक महीने के आखिर में ४० स्टर्लिंग पौंड का मासिक वेतन वर्तमान विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में दिया जायेगा।

(२) उपर्युक्त शाला द्वारा उचित स्तर का निःशुल्क निवास और भोजन।

(३) शिक्षक तथा उसकी पत्नी को नोरिस्टन (अमेरिका) से नयी दिल्ली और वापसी का यात्री दर्जे का वापसी विमान किराया।

(४) निवास स्थान से निकटतम हवाई अड्डे तक एकतरफा रेल किराया।

(५) नई दिल्ली से पटियाला तक एकतरफा पहले दर्जे का रेल किराया।

(६) निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें (दवाइयों को छोड़कर)।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. डा० श्रोटो पेलट्जर (ये अगस्त, १९५८ से भतपूर्व राजकुमारी खेलकूद प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत रहे और उस योजना का इस शाला के साथ विलय हो जाने के बाद नैशनल इंस्टिट्यूट ग्राफ स्पोर्ट्स के साथ अब भी हैं)।

(१) भारत से जर्मनी तक 'एकोनामी क्लास' का एकतरफा विमान किराया।

(२) भारत में निःशुसक यात्रा।

(३) भारत में निःशुल्क भोजन और निवास।

(४) भारतीय मुद्रा में देय, ३१-३-१९६२ तक ४० पौंड वेतन और १-४-१९६२ से ५० पौंड वेतन।

इनकी सेवाओं का उपयोग युद्धस्थल और अधिकतर सेना एककों में किया जाता है।

तम्बुओं में दिल्ली के स्कूल

†२५७६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तम्बुओं में कक्षायें लगाने पर रोक कहां तक सफल रही ;

(ख) क्या प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देने की कोई योजना सामने है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मद के अधीन सालाना कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है और इसलिये उस की सफलता का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। फिर भी दिल्ली नगर निगम ने ५६० तम्बुओं की जगह प्रीफैब्रिकेटेड ढांचे खड़े करने के लिये कार्यवाही की है और वह जुलाई, १९६२ के अन्त तक और ६७० ढांचे खड़े करने की एक योजना पर विचार कर रहा है।

(ख) जी हां। कक्षा १ में, कुछ छात्रों की संख्या के ३० प्रतिशत को और कक्षा २ और कक्षा ३ में प्रत्येक कक्षा में १० प्रतिशत को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देने का दिल्ली नगर निगम का विचार है

(ग) ५०,००० रुपये।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की कार्य-कारिणी समिति

२५७७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन अधिनियम के अन्तर्गत जिस कार्य-कारिणी समिति की स्थापना सरकार द्वारा की जानी थी, उसकी स्थापना इस बीच कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति में कौन-कौन महानुभाव रखे गये हैं ;

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रथम अंतरंग सभा का गठन कर दिया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू विवाह आदि की पद्धतियों का अध्ययन करने के लिये संस्था

†२५७८. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुओं में विवाह, परिवार तथा उत्तराधिकार संबंधी पद्धतियों के बारे में घरेलू विधान की कार्यान्विति तथा परिणामों का अध्ययन करने के लिए एक संस्था स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बिल्कुल ठीक ठीक विचारणीय विषय क्या होंगे और उसके सदस्य किस आधार पर चुने जायेंगे ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संथाओं (असोसिएशनों) की मान्यता

†२५७९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद भी बम्बई, शिमला और केरल के महालेखापालों ने संथाओं (असोसिएशनों) को मान्यता नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी गयी है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां । सिवाय इसके कि पंजाब के महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों के एक या दो असोसियेशनों को मान्यता दी जा चुकी है ।

(ख) अभी तक असोसिएशनों को इस कारण मान्यता नहीं दी गई है कि केन्द्रीय असैनिक सेवाएं (सेवा संथाओं की मान्यता) नियम, १९५९ में निर्धारित शर्तें उन्होंने अभी तक पूरी नहीं की हैं ।

(ग) तीन ।

(घ) उन-उन कार्यालयों के कर्मचारियों को यह सूचित कर दिया गया है कि संथाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जबकि उन्हें बताये गये दोष दूर कर दिये जायेंगे।

असम उच्च न्यायालय

†२५८०. **श्री रा० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम उच्च न्यायालय तीसरा न्यायाधीश नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और अन्तिम निश्चय करने में इतनी देर किन कारणों से हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) इस उच्च पद के लिये उपयुक्त व्यक्ति मिलने की कठिनाई के कारण, इस पद पर अब तक नियुक्ति नहीं की जा सकी । सरकार इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के लिये पेंशन के लाभ

†२५८१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को पेन्शन के कोई लाभ नहीं मिलते ;

(ख) यदि हां तो उन के पुनर्वास के लिये सरकार ने किस प्रकार की सहायता की व्यवस्था की है ; और

(ग) आजाद हिन्द फौज के कितने कर्मचारियों को सरकार से सहायता मिली है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) उत्तर नहीं है । भारतीय सेना के उन कर्मचारियों को, जो आजाद हिन्द फौज में भरती हुए थे और जिन्हें बाद में सेना से रिहा कर दिया गया था, सामान्य नियमों के अधीन उन की कुल सेवा के लिये जिसमें आजाद हिन्द फौज में सेवा की अवधि भी शामिल है, पेन्शन के लाभ दिये गये थे ।

(ख) पेन्शन लाभों के अतिरिक्त, उन्हें अन्य भूतपूर्व सैनिकों की तरह माना गया है और सरकारी नौकरी में पुर्ननियुक्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त हैं :—

(१) ऐसे पदों पर भरती के लिये जिस में सेना प्रशिक्षण की योग्यता आवश्यक हो जैसे सीमावर्ती पुलिस, सशस्त्र पुलिस, होम गार्ड, सुरक्षिगण (वाच एण्ड वार्ड) आदि और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक पदों पर भरती के लिये भी वरीयता ।

(२) सशस्त्र सेना में की गयी सेवा की अवधि और आवश्यक होने पर तीन साल की अतिरिक्त अवधि तक भरती के लिये आयुसीमा में रियायत ।

(३) जब नियुक्त करने वाले विभाग रिक्त स्थानों की अधिसूचना देते हैं तब रोजगार दफ्तरों द्वारा नाम दर्ज किये जाने और पेश किये जाने के मामले में, छंटनी किये गये सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली प्राथमिकता ।

(ग) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के १०,७८० कर्मचारियों को पेन्शन दी गयी थी । कुछ व्यक्तियों को अदायगी नहीं की जा सकी क्योंकि उन का पता नहीं लगा । अप्रैल, १९६२ तक, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के ११८३ कर्मचारियों को सेना में फिर भरती कर लिया गया था और ३० जून, १९६१ तक प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में ९८ कर्मचारियों को असैनिक कर्मचारी के रूप में काम दिया गया था ।

बीजापुर जिले में मैंगनीज और कच्चा लोहा

†२५८२. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के बीजापुर जिले में बागलकोट के पास कामानागी पहाड़ियों में मैंगनीज और कच्चा लोहा निकालने के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में वार्षिक औसत उत्पादन कितना है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). जानकारी मैसूर सरकार से इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

१९६० में राज्य बैंक में हड़ताल

†२५८३. **श्री बड़े :**
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री लहरी सिंह :
श्री कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य बैंक के कितने कर्मचारियों ने मार्च, १९६० की हड़ताल में हिस्सा लिया ;

(ख) उन में से कितनों को मुअत्तल कर दिया गया है ; और

(ग) उन में से कितनों पर अभियोग चलाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) क्लर्क, कैश तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की श्रेणियों के लगभग १८०० कर्मचारियों ने मार्च, १९६० की हड़ताल में हिस्सा लिया।

(ख) और (ग). हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी भी कर्मचारी को न तो मुअत्तल किया गया और न उस पर कोई अभियोग चलाया गया।

स्टेट बैंक आफ इंडिया नियन

†२५८४. **श्री बड़े :**
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री लहरी सिंह :
श्री कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राज्य बैंक मे मार्च, १९६० की हड़ताल से पहले कर्मचारी संघ को दी गई सुविधायें, जैसे विशेष बचत बैंक दर और संघ का चन्दा कर्मचारियों के वेतन से काट लेने की सुविधायें वापस ले ली गई हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत के राज्य बैंक के कर्मचारी-संघों की उन निधियों पर जो कुछ शाखाओं में बचत बैंक खातों में रखी गई थीं, ब्याज की दर व्यापारिक बातों और सिद्धान्तों के आधार पर सितम्बर, १९६१ में पुनः निर्धारित की गई थीं ताकि सभी शाखाओं में एक सी प्रथा अपनाने में सहूलियत हो। संघों को कर्मचारियों के वेतन से अपना चन्दा काट लेने की जो सुविधा दी गई थी वह बैंक ने अपने कानूनी सलाहकारों की इस राय पर कि मजूरी की अदायगी अधिनियम, १९३६ के उपबन्धों के अधीन ऐसी कटौतियां वैध नहीं हैं, जून, १९६० से बन्द कर दी। ये निश्चय करने में राज्य बैंक मार्च, १९६० में कर्मचारियों की हड़ताल से प्रभावित नहीं हुआ था।

अग्नि नियंत्रण रडार

†२५८५. **श्री बसुमतारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अग्नि नियंत्रण रडारों का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) किसी विदेशी फर्म ने करार किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) वह उपकरण तैयार हो रहा है।

(ख) स्विट्ज़रलैण्ड के मेसर्स कान्ट्रेव्स ।

प्रतिरक्षा उत्पादन सम्मेलन, १९६१

†२५८६. **श्री बसुमतारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन सम्मेलन, १९६१ ने कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं ;

(ख) उन में से कितनी सिफारिशें मंजूर की गई हैं ; और

(ग) उन में से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). प्रतिरक्षा उत्पादन सम्मेलन १९६१ की मुख्य मुख्य सिफारिशों पर चर्चा करना लोकहित में नहीं है। सम्मेलन निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करने के लिये आयोजित किया गया था :—

(१) अब तक आयात की जाने वाली चीजों और उपकरण की आवश्यकताओं के संबंध में यथासंभव आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में शीघ्रता करने के मार्गोपाय ।

(२) असैनिक क्षेत्र के लिए अब तक आयात किये जा रहे उपकरण तैयार करने के लिये जहां कहीं भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो, उस का उपयोग करना ।

(३) प्रतिरक्षा उद्योगों में तैयार किये गये उपकरणों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाने और यथासंभव विदेशी मुद्रा का खर्च कम करने के मार्गोपाय ।

सम्मेलन की सिफारिशें सरकार को पेश की जा चुकी हैं और सरकार उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

विदेशी सहयोग के लिये करार

†२५८७. **श्री बसुमतारी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय ने वर्ष १९६१-६२ में सहयोग के कितने करार किये हैं ;

(ख) किन किन विदेशी फर्मों का सहयोग प्राप्त होगा ; और

(ग) उन में से कितने करार कार्यान्वित किये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इलेक्ट्रानिक उपकरण, विस्फोटक पदार्थ, गोला-बारूद, जीप और टैन्कों को प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन में तैयार करने के लिये १९६१-६२ में कुछ सहयोग-करार किये गये थे ।

(ख) यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

(ग) सभी करार कार्यान्वित किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में कच्चे लोहे के निक्षेप

†२५८८. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री बृ० बि० मेहरोत्रा :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में बड़े पैमाने पर कच्चे लोहे के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में और खोज की गई है ; और

(ग) इस खोज के फलस्वरूप सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के बी० ए० प्रथम वर्ष के छात्र

†२५८९. **श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगभूत कालेजों के बी० ए० प्रथम वर्ष के अनेक छात्र परीक्षा में असफलता के कारण नहीं बल्कि उपस्थिति की कमी के कारण रोक लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९६१-६२ में इस प्रकार कितने छात्र रोक लिये गये हैं ;

(ग) यदि छात्र उपस्थिति की कमी के कारण अगली कक्षा में भेजे जाने के अधिकारी नहीं थे, तो उन्हें परीक्षा में ही बैठने की अनुमति क्यों दी गई ;

(घ) विशेष कर एकीकृत त्रिवर्षीय बी० ए० शिक्षाक्रम को देखते हुए जबकि दूसरे वर्ष में उपस्थिति की कमी पूरी की जा सकती है तब पहले वर्ष में अन्यथा योग्य छात्रों को रोकने में क्या औचित्य है ; और

(ङ) क्या और किसी विश्वविद्यालय में इसी तरह का कोई नियम है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ल० श्रीमाली)** : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय वह सभापटल पर रख दी जायगी ।

हार्डिन्ज पुस्तकालय, दिल्ली

†२५९०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हार्डिन्ज पुस्तकालय के कर्मचारियों को नियमित रूप से हर महीने वेतन नहीं मिलता ;

(ख) यदि हां तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन की कठिनाई दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) प्रबन्धकों के पास पर्याप्त धन नहीं था ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिल्ली नगर निगम ने, जो पुस्तकालय की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त धन देने के लिए उत्तरदायी है, पुस्तकालय को दिया जाने वाला त्रैमासिक अनुदान ७,५०० रुपये से बढ़ा कर १०,००० रुपया कर दिया है ।

कवि ठाकुर के फलक[1]

†२५६१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अर्धप्रतिमाओं, पुतलों और फलकों की बहुत अधिक मांग है ;

(ख) किन किन देशों ने उन की सप्लाई की मांग की है ; और

(ग) किन किन जरियों से सरकार उन की सप्लाई की व्यवस्था कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) ब्राजील, मारिशस और पूर्व पाकिस्तान में हमारे दूतावासों से प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(ग) ठाकुर शताब्दि प्रदर्शनियों में उपयोग के लिये विदेशों में भारतीय दूतावासों को सप्लाई के लिये जो चीजें मंजूर की गई हैं उन में कवि ठाकुर की अर्धप्रतिमाएं, पुतले और फलक शामिल नहीं हैं और वे सप्लाई नहीं की गयी हैं । फिर भी बड़े बड़े चित्र भेजे गये हैं ।

हिमालय पर्वतारोही दल

†२५६२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सैनिक दल पर्वतारोहन के लिये हिमालय पर जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन चोटियों पर ;

(ग) दल में कौन-कौन से व्यक्ति हैं ;

(घ) वे जो पर्वतारोहन का सामान ले जा रहे हैं क्या वह स्वदेशी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस में से कौन सा विदेशी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) एक सैनिक दल इस मास रीवो फर्ग्यूल (२२,००० फुट) के लिये प्रस्थान करेगा । एक अन्य दल मना (२३८६० फुट) और नीलगिरी (२१,२४० फुट) के लिये जा चुका है । यह दल मई, १९६२ में रवाना हुआ था :

(ग) मना, नीलगिरी

१. कैप्टन जगित सिंह
२. कैप्टन एस० एन० दुबे
३. कैप्टन कुलजीत सिंह
४. कैप्टन एन० शर्मा ए० एम० सी०
५. कैप्टन हरभजन सिंह
६. कैप्टन एस० सी० सभरवाल

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Plaques.

७. एस पी आर सोहन लाल
८. एस पी आर अमर देव

रीवा फर्ग्यूल

१. कैप्टन पी० एस० बख्शी
२. कैप्टेन जे० एन० वधवा
३. लैफ्टीनेंट एच० वी० बहुगुना
४. कैप्टन के० पी० शर्मा
५. एक डाक्टर

(घ) और (ङ) दल जो सामान ले कर गया आक्सीजन गैस मास्क और जकैट के कच्चे माल के अतिरिक्त सब स्वदेशी है ।

इंस्टीच्यूट आफ इंडियन फाऊंडरीमैन

†२५९३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६२ के दूसरे सप्ताह में बम्बई में इंस्टीच्यूट आफ इंडियन फाऊंडरीमैन की वार्षिक सामान्य बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में मुख्य रूप से क्या सुझाव दिये गये ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय दिया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) इंस्टीच्यूट आफ इंडियन फाडउंरीमैन की वार्षिक सामान्य बैठक २८ और २९ अप्रैल, १९६२ को कलकत्ता में हुई थी ।

(ख) और (ग). बैठक के कार्यवाही सारांश की एक प्रति मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये उस पर विचार किया जायेगा ।

कोक भट्ठी संयंत्र

†२५९४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में बम्बई के निकट एक कोक ओवन प्लांट लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या बम्बई राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को योजना स्वीकार करने के लिये कहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत बम्बई के निकट एक कोक ओवन प्लांट लगाने के लिये जिस पर लगभग ६०० लाख रुपये लागत आयेगी एक प्राइवेट फर्म से लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकार ने लाइसेंस देने की सिफारिश की है ।

(घ) प्रार्थना पत्र विचाराधीन है ।

अतिरिक्त समय का भत्ता

†२५९५. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को देय अतिरिक्त समय का भत्ता उसके वेतन के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ वर्गों को जैसे के मंत्रियों के व्यक्तिगत कर्मचारी इस नियम से मुक्त हैं;

(ग) यदि उपर के भागों (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भाग (ख) में उल्लिखित छूट उन कर्मचारियों को भी दी जायेगी जो संसद् की बैठकों सम्बन्धी अथवा संसद् के समक्ष कार्यवाही से सम्बन्धित कार्य करते हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां, उन कर्मचारियों को छोड़ कर जिन्हें संविधि नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त समय का भत्ता दिया जाता है ।

(ख) सामान्यतः उच्चतम सीमा मंत्रियों के व्यक्तिगत कर्मचारियों पर ही लागू होती है परन्तु प्रभारी अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र देने पर कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य लोक हित के लिये अत्यन्त आवश्यक था उसे उसके वेतन के आधे के बराबर भत्ता प्राप्त हो सकता है ।

(ग) इसका यह कारण है कि मंत्री और पदाधिकारी प्रायः देर तक काम करते हैं और उन के साथ सम्बद्ध कर्मचारियों को प्रायः तब तक काम करने के सिवाये और कोई चारा नहीं होता ।

(घ) जी नहीं, ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

कोयला का सड़क के रास्ते यातायात

†२५९६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क के रास्ते कोयले के यातायात को राज्य सहायता देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). राज्य सहायता देने की कोई निश्चित प्रस्थापना इस समय नहीं है । परन्तु कोयले के यातायात के लिये सड़कों का प्रयोग करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और इसके आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

बालकों के लिये पुस्तकें

†२५९७. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बच्चों की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितनी पुस्तकें तेलुगू भाषा में हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १५६ ।

(ख) १३ ।

वयस्क महिलाओं के लिये दोपहर के स्कूल

†**२५९८. श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं की शिक्षा की प्रतिशतता बढ़ाने के हेतु वयस्क महिलाओं के लिये दोपहर के स्कूल खोलने के लिये राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अब तक कितना खर्च किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सैनिक

†**२५९९. श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६१ तक, राज्यवार, भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या थी;

(ख) उन में से कितनों को लाभ प्रद रोजगार मिला हुआ है; और

(ग) क्या उन लोगों को रोजगार देने की कोई प्रस्थापना है जिन के पास किसी किस्म का काम नहीं है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है फिर भी एक विवरण जिस में (१) ३१-१२-६१ को प्रत्येक राज्य के कामदिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जो रोजगार की तलाश में हैं और (२) वर्ष १९६१ में प्रत्येक राज्य में जिन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिला उन की संख्या दी हुई है बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९**] ।

(ग) इस समय कोई प्रस्थापनायें विचाराधीन नहीं हैं । भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और पुनः संस्थापन और उन को रोजगार दिलाने की सामान्य योजनाओं पर विचार किया जा रहा है । योजनाओं को अभी अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया गया है । जिससे कि अपेक्षित जानकारी दी जा सके । भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित सुविधायें तथा रियायतें दी गई हैं जिन से कि वे रोजगार प्राप्त कर सकें :

(१) पुलिस उत्पादन शुल्क विभाग, प्रतिरक्षा तथा प्रतिपालन और अन्य ऐसे विभागों में जिन के लिये सैनिक प्रशिक्षण और अनुभव एक अर्हता मानी जाती है में नियुक्तियां करते समय भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(२) सरकारी सेवा में भर्ती करते समय भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सरकार के छंटनी किये गये कर्मचारी मान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) उन पदों को छोड़ कर जिन की नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाती है अन्य पदों पर नियुक्ति के लिये व आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट जितने वर्ष सम्बन्धित व्यक्ति ने सशस्त्र बल में काम किया हो छूट दे दी जाती है और यदि आवश्यक हो तो तीन वर्ष तक का ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है ।

(४) काम दिलाऊ दफ्तरों को प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा अधिसूचित रिक्त स्थानों को भरने के लिये अन्य प्रार्थियों की उपेक्षा भूतपूर्व सैनिकों (प्रतिरक्षा सेवाओं के अन्य असैनिक कर्मचारियों को भी) प्राथमिकता दी जाती है।

(५) इस बात को न देखते हुए कि रिहायश का स्थान कहां है भूतपूर्व सैनिक किसी भी कामदिलाऊ दफ्तर में अपने नाम दर्ज करा सकते हैं ।

(६) भूतपूर्व सैनिकों के सेवा से मुक्त होने के ६ मास पूर्व वे काम दिलाऊ दफ्तर में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं ।

(७) आर्मी स्पैशल सर्टीफिकेट को मैट्रिक के प्रमाण पत्र के बराबर मान लिया गया है । प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सेना शिक्षा प्रसारण पत्र आठवीं, छटी और चतुर्थ स्टैंडर्ड के समान अधिकतर राज्यों द्वारा मान लिये गये हैं ।

अधिवक्ता अधिनियम, १९६१

†२६००. **श्री हेम राज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के लागू होने से पूर्व राज्यवार विभिन्न वर्गों के कितने अधिवक्ता और वकीलों के नाम दर्ज किये जा चुके थे; और

(ख) दिसम्बर, १९६१ तक कितने वकीलों ने अपने नाम बतौर अधिवक्ता दर्ज कराये हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र)** : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है और वह उच्च न्यायालयों, राज्य विधिजीवी परिषदों आदि से एकत्र करनी पड़ेगी । प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम

†२६०१. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता अथवा प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के संघ से देश के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने का सुझाव मिला है; और

(ख) देश के (राज्यवार) प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १७६/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक बूट ऐंकलों का ठेका

†२६०२. { **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री ग्र० प्र० सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना को बूट ऐंकल सप्लाई करने का ठेका बाटा शू कम्पनी से छीन कर किसी अन्य फर्म को दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी नहीं। प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये बाटा शू कम्पनी ने कभी बूट ऐंकल सप्लाई नहीं किये। अतः फर्म बदलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद्

†२६०३. { **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री ग्र० प्र० सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैनिक अनुसंधान कार्य के लिये एक प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास परिषद् स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह एक स्वायत्तशासी संस्था होगी ;

(ग) परिषद् में सरकार कितने कर्मचारी रखना चाहती है ;

(घ) वर्तमान प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में से कितने कर्मचारी लिये जायेंगे और कितने नये भर्ती किये जायेंगे ; और

(ङ) उक्त परिषद् में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या होंगी ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां।

(ख) वह इसी हद तक स्वायत्तशासी होगी कि परिषद् को कर्मचारीवृन्द सम्बन्धी मामलों और उन पर नियन्त्रण के पूर्ण अधिकार होंगे।

(ग) कर्मचारी अभी वर्तमान विभागों में से लिये जायेंगे।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत अमरीकी करार

†२६०४. { **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्रीमती ममूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ भारत अमरीकी करार किये गये हैं जिन में भारत को ३३.९ करोड़ रुपये के कुल अनुदान की व्यवस्था की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) इन अनुदानों का संबंध किस कार्यक्रम विशेष से है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग) पी० एल० ४८० करारों में जो कि अमरीकी सरकार के साथ किये गये, अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई कि इस निधि में से कुछ निश्चित राशियां आर्थिक विकास क लिये भारत सरकार को अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जायेंगी। यह अनुदान और ऋण उन परियोजनाओं के चुने जाने के बाद में प्राप्त किये जायेंगे जिन के लिये उन का प्रयोग किया जाना है। कुछ समय पहले कुछ परियोजनाओं के पहले अनुदान के रूप में ६६.२५५ करोड़ रुपये को राशि के प्रयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस के अतिरिक्त निम्नलिखित और अनुदान परियोजना चुनी जा चुकी हैं और दिसम्बर १९६१ के बारे में करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं:

परियोजना का नाम	आवंटित राशि
मलेरिया का अन्त	१५.०० करोड़ रुपये
प्राथमिक शिक्षा	१२.०० करोड़ रुपये
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	३.०० करोड़ रुपये
मेडिकल प्रशिक्षक प्रशिक्षण अर्थात मेडिकल कालिजों का विस्तार . . .	२.९० करोड़ रुपये
चेचक का अन्त करना	१.०० करोड़ रुपये
जोड़ .	३३.९० करोड़ रुपये

खनिज पदार्थों पर रायल्टी

†**२६०५. श्री प्र० चं० बरूआ**: क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के खान मालिकों से कोई याचिकायें प्राप्त हुई हैं कि खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत रायल्टी की कुछ बकाया राशि में कुछ छूट दी जाये;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजारनवीस)**: (क) जी हां।

(ख) मुख्य शिकायत यह है कि ठेकेदारों से राज्य सरकार ने तुरन्त भुगतान करने के लिये कहा है।

(ग) खनिज रियायत नियमों, १९६० के नियम ५४ के अन्तर्गत प्रत्येक खान मालिक ने स्वामित्व पर पुनर्विचार करने के लये कहा है। राज्य सरकारों की राय जानने के पश्चात् और प्रत्येक व्यक्ति उस को व्याख्या करने का अवसर देने के पश्चात् इस विषय मे निर्धारित अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया अनुसरण करते हुए उनको निबटा दिया जायेगा परन्तु अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय सा लगेगा।

†मूल अंग्रेजी में

कोरबा में भूमिगत खानें

†२६०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रूसी फर्म ने कोरबा में दो भूमिगत खानों की योजनायें पेश की हैं ;

(ख) क्या योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ग) योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). रूसी फर्म मैसर्ज लाजप्रोमेक्सपोर्ट ने कोरबा में सुरकचार और बाकी के स्थानों पर भूमिगत खानों सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने इनका परीक्षण करके सरकार से उन्हें कार्यान्वित करने की सिफारिश की । सरकार ने दोनों परियोजनायें स्वीकार कर ली हैं ।

(ग) योजनाओं की मुख्य बातें ये हैं :

	सुरचार	बांकी
अनावर्तक व्यय . .	६,५८,१०,३०० रुपये	३,७०,८२,४०० रुपये
मार्च १९६६ तक वार्षिक विकास	११ लाख टन	६ लाख टन
कोयले की किस्म और उसका संभाव्य प्रयोग	हाईवोलेटाइल नानकोकिंग ग्रेड १, भाप बनाने के लिये उपयुक्त ।	
कार्य करने का तरीका	खानों में अधिकतर काम मशीनों द्वारा होगा । कोयला काटने और ढुलाई करने के लिये विद्युतचालित इंजन और खान कारें होंगी जो खान के भीतर स्क्रीन स्क्रीनिंग प्लांट तक कोयले की ढुलाई करेंगी ।	

दिल्ली पुलिस का अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ बर्ताव

†२६०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस से हिदायतें दी गई हैं कि पालम और सफदरजंग हवाई अड्डों पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के शीघ्र निबटान की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). पालम और सफदरजंग और भारत के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आप्रवासी कर्मचारियों से कहा गया है कि यात्रियों को शीघ्र निबटाया जाये । इस बारे में उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं ।

रामगढ़ में कोकिंग कोयला खान

†२६०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के टैक्नीकल कोआपरेशन मिशन की सहायता से रामगढ़ में कोकिंग का पता खान का विकास करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (जो पहले टक्नीकल सहायता मिशन कहलाता था) रामगढ़ की कोयला खानों और सम्बन्धित कोयला कागरी का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में आर्थिक व्यवस्था कर रहा है। अनुमान है कि इस योजना से १९६५–६६ तक १२ लाख टन कोयले का उत्पादन होगा। अभिकरण ने परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम पोयर्स मैनेजमेंट कारपोरेशन अमरीका की प्रसिद्ध फर्म, को सौंप दिया है। खाद में विकास के लिये बाद में डी० एल० एफ० सहायता प्राप्त करने का विचार है।

दिल्ली के सिनेमा के निकट चोरबाजारी

†२६१०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सिनेमा के निकट बहुत से गुंडे और चोरबाजार चोर बाजारी करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १ जनवरी, १९६२ से १५ मई, १९६२ तक ऐसी ६९ मामलों की रिपोर्ट मिली जब कि पूर्व वर्ष की इसी अवधि में ७६ रिपोर्ट मिली थीं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]**।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

†२६११. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार की कितनी छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी गईं।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ३६६८।

पंजाब में आदिम जातीय आवास योजना

†२६१२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में पंजाब में आदिम जातीय योजना के लिये कुल कितनी रकम दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब की लोहा और इस्पात की आवश्यकतायें

†२६१३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में पंजाब की लोहा और इस्पात की कुल आवश्यकता कितनी थी ; और

(ख) क्या वह राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा पूरी की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) (क) इस्पात—१२३,६७८ टन प्रतिबन्धित श्रेणियों यानी परतों और तार के लिये

कच्चा लोहा—१२७,४१७ टन ।

(ख) जी नहीं । राउरकेला में सिर्फ प्लेट, परतें और टिन प्लेट तैयार होती हैं और राज्य सरकार के लिये आवश्यक अन्य प्रकार का इस्पात नहीं ।

पंजाब के स्कूलों म मध्याह्न भोजन योजना

†२६१४. श्री दलजीत सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में पंजाब के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी रकम दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १९६१–६२ में पंजाब सरकार को स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिये कितनी रकम दी गई यह बताना संभव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सहायता योजनावार नहीं बल्कि समस्त शिक्षा कार्यक्रमों के लिये इकट्ठी दी जाती है ।

पंजाब में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

†२६१५. श्री दलजीत सिंह क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कितने सरकारी और गैर सरकारी कालेजों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम योजना अब तक लागू की गई है ; और

(ख) कितने कालेजों में अभी लागू होनी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) पंजाब में सरकारी और गैर सरकारी कुल ६४ कालेजों में तीन वर्ष की डिग्री पाठ्यक्रम योजना लागू की गई है ।

(ख) दो । वे १९६२ की भर्ती से इसे आरम्भ करेंगे ।

पंजाब में विज्ञान मन्दिर

†२६१७. श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पंजाब में कितने विज्ञान मन्दिर आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि उनका निश्चय हो गया है तो वे कहां खोले जायेंगे ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) राज्य सरकार द्वारा पंजाब में तीसरी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान मन्दिर खोलने का अभी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

†२६१७. { श्री दलजीत सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब उच्च न्यायालय में काफी संख्या में मामले विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें निबटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) पंजाब उच्च न्यायालय में १ जनवरी, १९६२ को १४१०६ मामले विचाराधीन थे। इन में ४५०३ मामले दो वर्ष से अधिक पुराने थे।

(ख) उच्च न्यायालय में इन्हें निबटाने के लिये कार्यवाही की गई है और की जा रही है। इस उद्देश्य के लिये अतिरिक्त जजों के छः पद बनाये गये हैं। वर्ष में काम के दिन भी बढ़ा कर २१० कर दिये गये हैं।

गुजरात के लिये पत्थर का कोयला (हार्ड कोक)

†२६१८. **श्री याज्ञिक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में गुजरात को कितना पत्थर का कोयला (हार्ड कोक) दिया गया ; और

(ख) गुजरात और अहमदाबाद नगर को अधिक कोयला देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) (क) गुजरात में इंजीनियरिंग कार्यों के लिये नवम्बर, १९६१ से अप्रैल, १९६२ तक इस प्रकार कोयला भेजा गया :—

महीना	संभरण (वैगन)
नवम्बर, ६१	२१६
दिसम्बर, ६१	१३६
जनवरी, ६२	११४
फरवरी, ६२	१२६
मार्च, ६२	१५८
अप्रैल, ६२	११७

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने से १ रेक प्रति मास के हिसाब से जो लगभग ३००० टन नट कोक होता ३ बलाक रेक ५० वैगनों के भेजे जायेंगे, यह राज्य के वर्तमान कोटे से कहीं अधिक होगा।

†मूल अंग्रेजी में

तेल पर रायल्टी

†२६१६. **श्री याज्ञिक :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में तेल की खोज करने अथवा तेल साफ करने में लगी हुई विदेशी कम्पनियों को रायल्टी और पेटेन्ट के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ; और

(ख) सरकार विदेशी मुद्रा का खर्च कम करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). सूचना शीघ्र प्राप्त नहीं है। वह एकत्र की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

शेष आय-कर

२६२२. **श्री सूरज लाल वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के आय-कर आयुक्त के क्षेत्र में कितना आय-कर अभी बाकी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे, जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज़ पर रख दिया जायेगा ।

नई भौतिकीय प्रयोगशालायें

†२६२३. **श्री वारियर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना-काल में नई भौतिकीय प्रयोगशालाओं के बारे में कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी योजना किस प्रकार की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ज्वालामुखी को जाने वाली सड़कें

†२६२४. **श्री हेम राज :** क्या **खान और तेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन ने ज्वालामुखी को जाने वाली सड़क तेल की खोज के कार्य के कारण गाड़ियों के लिये बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता को इससे काफी दिक्कत होती है ;

(ग) क्या आयोग में इस बारे में कोई आवेदन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) से (ग). उस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की कार्यवाही के कारण किसी खास ज़रूरत के बिना वह सड़क जनता के लिये खुली हुई नहीं थी। इस बारे में कुछ आवेदन आये हैं और उन पर आयोग ने काफी विचार किया है। जनता की सुविधा के लिये सड़क अब कुछ पाबन्दी के साथ खोल दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामूहिक बीमा योजना

†२६२५. **श्री नाथ पाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपक्रमों से सीधे सामूहिक बीमा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया अपनाई है ;

(ख) ऐसे मामलों में कमीशन किस को मिलता है ;

(ग) क्या सरकार के पास बम्बई की कुछ वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कम्पनियों से हाल ही में ऐसी शिकायतें आई हैं कि उन्हें कमीशन नहीं दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) इस समय निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रयत्नों से वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों से सामूहिक बीमा प्राप्त किया जाता है। कुछ मामलों में एजेन्टों के जरिये इन उपक्रमों से सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं और आगे बातचीत चलती है ।

(ख) एजेन्टों को उन्हीं मामलों में कमीशन दिया जाता है जिनमें उनकी सेवा से लाभ उठाया जाता है, दूसरे मामलों में नहीं ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जापान से व्यापारिक ऋण

†२६२६. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जापान सरकार ने भारत को १ से १½ करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने का निश्चय किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : नहीं श्रीमान । कन्सर्टियम की पिछली बैठक इसीलिये बुलाई गई थी उस के सदस्य भारत को विशेष सहायता देने के बारे में बतायें किन्तु बिना किसी अन्तिम निर्णय के बैठक स्थगित हो गई। आशा है कि शीघ्र ही होने वाली अगली बैठक में हमारी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये जापान तथा अन्य देश अतिरिक्त सहायता के बारे में बतायेंगे ।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी

†२६२७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों के प्रशासकीय तथा अन्य सेवाओं के कर्मचारियों के वातानुकूलित पहले दर्जे में यात्रा करने के क्या आधार हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस विषय में सरकारी नीति पर पुनर्विचार और/अथवा पुनरीक्षण का इरादा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : राज्य उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रत्येक उपक्रम के नियमों के अनुसार वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा की अनुमति दी जाती है। इसके लिये सरकार ने कोई आधार निश्चित नहीं किया है। जो नियम सरकारी नौकरों के बारे में हैं वे ही लगभग उन पर भी लागू होते हैं।

वातानुकूलित यात्रा का आधार वेतन है। आम तौर से जिन कर्मचारियों का वेतन २२५०.०० रुपये या उससे अधिक है उन्हें ऐसी यात्रा की अनमति है। जिनका वेतन प्रति मास १६००.०० जरुपये या उससे अधिक है उन्हें भी अनुमति दी जाती है किन्तु उनसे प्रति किलोमीटर १ नया पैसा वसूल किया जाता है। स्थानान्तरण पर ऐसी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

आदिम जातीय खंड कर्मचारी

†२६२८. { **श्री दे० जी० नायक :**
श्री छ० म० केदरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारों ने विकास खंडों में आदिमवासियों की नियुक्ति के बारे में विशेष बहुद्देशीय विकास खण्ड समिति की सिफारिशें लागू की हैं ; और

(ख) अब तक समस्त आदिम जातीय विकास खण्डों में श्रेणी ३ और श्रेणी ४ में कुल कितने आदिमजातीय कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासकों को लिखा है। विभिन्न सरकारों/प्रशासनों द्वारा इस विशेष सिफारिश को मानने या न मानने की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और ज्योंही प्राप्त होगी त्योंही आदिमजातीय विकास खण्डों में श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों की संख्या का विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

नेफा, नागालैंड और मनीपुर से इंजीनियरिंग विद्यार्थी

†२६२९. **श्री तोम्बी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग कालेजों और स्नातकोत्तर परीक्षकों में नेफा, नागालैंड और मनीपुर के छात्रों को काफी संख्या में भर्ती का कोई विशेष प्रबन्ध है ताकि वे देश के अन्य छात्रों के समकक्ष रहें ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). प्रति वर्ष इन क्षेत्रों के प्रशासनों से आवेदन आने पर विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों में डिग्री कोर्स के लिये स्थान विशेष रूप से रिजर्व किये जाते हैं। १६६१-६२ में इन क्षेत्रों के छात्रों के लिये १७ स्थान सुरक्षित किये गये।

स्नातकोत्तर छात्रों के लिये अब तक कोई आवेदन नहीं आया।

समाज कल्याण विभाग, दिल्ली

२६३०. श्री राम सेवक यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग, दिल्ली में समान अनिवार्य योग्यताओं वाले व समान कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता/परिवीक्षण अधिकारी श्रेणी २ तथा परिवीक्षण अधिकारी श्रेणी १ के वेतनों में भेद है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और क्यों ;

(ग) क्या उसी विभाग में सामाजिक कार्यकर्त्ता श्रेणी के पद पर असमान योग्यता वाले समाजसेवियों को समान वेतन मिलता है ;

(घ) यदि हां, तो क्यों ;

(ङ) क्या यह सच है कि रोजगार दफ्तर में पंजीकृत प्रशिक्षित व योग्य समाजसेवकों के रहते हुए अप्रशिक्षित व्यक्तियों को समाज कल्याण विभाग में रखा जाता है और फिर उनके प्रशिक्षण पर बहुत-सा सरकारी धन व्यय किया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो क्यों और कितना धन उन पर व्यय किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

†**२६३२. श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १६५६ के अधीन कोई भी मकान मालिक, चाहे उसे कितनी ही जरुरत हो, उस की अनुमति से आवास सहित व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक कार्य के लिये दिये गये स्थान को किरायेदार से वापस नहीं ले सकता ;

(ख) क्या इस से काफी दिक्कत हो रही है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह इस बारे में क्या करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : (क) दिल्ली किराया नियंत्रण एक्ट १६५८ में पास हुआ था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार यदि कोई स्थान रहने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

दिया जाता है और यदि यह बताया जाता है कि वह स्थान मकान मालिक की अनुमति से कभी कभी वाणिज्यिक, व्यवसायिक अथवा अन्य काम में लाया जाता है तो मकान मालिक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ की धारा १४(१) के परन्तुक के खण्ड (ङ) के अधान किरायेदार से उसका कब्जा नहीं ले सकता।

(ख) से (ग). कुछ व्यक्तियों ने आवेदन किये हैं और कहा है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उन्हें काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती।

साहित्य अकादमी बड़

†३६३३. **श्रीमती रेणुका कटकी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादेमी के अब तक कितने प्रकाशन निकल चुके हैं;

(ख) इन में से कितने अंग्रेजी में हैं और कितने प्रादेशिक भाषाओं में ;

(ग) किस प्रादेशिक भाषा में सब से अधिक प्रकाशन हैं ;

(घ) संस्था के असमिया भाषा में कौन से प्रकाशन हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) २०९।

(ख) ७ अंग्रेजी में, ३ संस्कृत और शेष १९९ अन्य भारतीय भाषाओं में हैं।

(ग) भारत की विभिन्न भाषाओं (संस्कृत और अंग्रेजो के अलावा) में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या इस प्रकार है :—

असमिया	५
बंगाली	१०
गुजराती	१३
हिन्दी	४०
कन्नड़	१४
कश्मीरी	५
मलयालम	१८
मराठी	११
उड़िया	४
पंजाबी	१४
सिंधी	५
तमिल	२४
तेलुगु	१५
उर्दू . . .	२१
कुल . . .	१९९

†मूल अंग्रेजी में

(घ) असमिया में अब तक ये पुस्तकें निकली हैं :—

१. बाणभट्टार आत्मकथा (हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिन्दी उपन्यास)

२. संचयन (असमिया काव्य का संकलन)

३. भगवान् बुद्ध (धर्मानन्द कोशाम्बी की मराठी पुस्तक)

४. भक्ति गीता-पद संचान (असम के प्राचीन वैष्णव, काव्य का संकलन)

५. अमर कवि (बच्चों के लिये लीला मजूमदार द्वारा रवीन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी)।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†२६३४. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अब तक कितने प्रकाशन निकले हैं ;

(ख) इनमें से कितने अंग्रेजी में और कितने प्रादेशिक भाषाओं में हैं ;

(ग) किस प्रादेशिक भाषा के प्रकाशन सब से अधिक हैं ; और

(घ) असमिया भाषा में इस के द्वारा कौन सी पुस्तकें निकाली जा रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) २८–५–१९६२ तक ५० (एक पुनः मुद्रण सहित)।

(ख) अंग्रेजी . . ८

प्रादेशिक भाषायें . . ४२

(ग) बंगाली, हिन्दी और मराठी में पांच पांच किताबें।

(घ) १. प्रकाशित पुस्तकें

(एक) 'इंडिया टुडे एण्ड टुमारो (श्री जवाहरलाल नेहरु) द्वारा आजाद स्मारक भाषण (श्री हेम बरूआ द्वारा अनूदित)

(दो) कल्कि (डा० एस० राधाकृष्णन् द्वारा लिखित—श्रीमती नीलिमा दत्त द्वारा अनूदित)

२. निम्नलिखित पुस्तकों के असमिया अनुवाद तैयार और प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

(१) 'ज्वालामुखी'

(२) 'आस्पेक्ट्स ऑफ सायंस'

(३) 'एज्यूकेशनल रिकंसट्रक्शन'

(४) 'ए टेल ऑफ टू सिटीज'

(५) 'लछित बरफुकन एंड हिज टाइम्स'

(६) 'अकबर'

(७) 'लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ'

(८) 'दि ग्रेन्ड रेबल'

(९) 'जूडी एंड लक्ष्मी'

†मूल अंग्रेजी में

(१०) 'वन वर्ल्ड एंड इंडिया'

(११) 'दि ट्रांसपोज्ड हेडज'

(१२) 'इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट'

(१३) 'नील दर्पण'

(१४) 'व्हेन दि वर्ल्ड वाज यंग'

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेवाओं के बारे में कथित उद्गार

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के सम्बन्ध में भारत स्थित अमरीकी राजदूत द्वारा कही गई कुछ बातों की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : भारत सरकार का अमरीकी राजदूत की राय को प्रभावित करने की कोई इच्छा नहीं है और न ही कोई उत्तरदायित्व है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, इन बातों को एक दर्शक का अनुमान ही समझा जा सकता है। मैं सदन को बता चुका हूं कि नये शस्त्रों को बनाने के विषय में सभी सेनाओं को कमजोर माना जा सकता है। यह समझना गलत होगा कि हमारी सेना कमजोर है या किसी संकट का सामना करने में असमर्थ है। मुझे पूरा विश्वास है कि अमरीकी राजदूत का उद्देश्य यह नहीं है। स्पष्ट है कि हमारे उपकरण उन देशों से घटिया किस्म के हैं जिनको अन्य देशों से सैनिक सहायता मिलती है।

प्रश्न का दूसरा भाग हमारी चीन और पाकिस्तान सम्बन्धी नीति के बारे में है। मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी प्रतिरक्षा नीति हमारी सीमाओं की सुरक्षा पर आधारित है और चाहे आक्रांता कहीं से भी आये हम अपनी रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे जहां तक तीसरे भाग का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री से अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के तुलनात्मक महत्व के सम्बन्ध में किसी से कुछ कहने की आशा नहीं की जा सकती। मुझे इस पर और कुछ नहीं कहना है।

†**श्री वारियर** : मैं जानना चाहता हूं कि अमरीकी राजदूत को हमारी सेनाओं के बारे मे जानकारी कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि ये गोपनीय मामले समझे जाते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : वे जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। हम ने कोई जानकारी नहीं दी ?

कनाट प्लेस में आग

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

---

†मूल अंग्रेजी में

कनॉटप्लेस मे भीषण आग दुर्घटना में फ़ायर ब्रिगेड को लापरवाही ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : पिछली रात को कनाट प्लेस में एक आग लग गई ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब , . . .

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी में ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मिनिस्टर साहब हिन्दी में बयान दे सकेंगे ?

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : वह बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं ।

श्री दातार : प्रश्न अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में पूछा है गया था ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पिछली रात को करीब ६ बज कर ५ मिनट पर कैनाट प्लेस , एक जगह आग लगी । आग बतलाया जाता है कि कुछ बिजली की खराबी की वजह से लगी । पहले पहले डा० रामनाथ कोई डैंटिस्ट्स हैं उनकी दुकान में आग लगी फिर वह चारों तरफ आसानी से फैल गयी और उस में जो दवाएं थीं और कुछ दूसरा सामान जो डैंटिस्ट का था, वह जल गया । आग उस के बाद आस पास के दूसरे मकानात में फैल गयो और आस पास के मकानात और खास तौर से हाउसिंग सोसाइटी जो बिलकुल बगल में थी उसका भी कुछ सामान और फाइलें आदि जल गयीं । उस के बाद वह आग और आगे बढ़ी और साहनी कम्पनी का जो गुदाम था वहां आग लग गयी । वहां पर दवाएं और कुछ कौस्मेटिक्स का सामान तरह तरह के रंग जो लगाये जाते हैं और जो कि वहां पर इक्ट्ठा थे उन को भी नुकसान पहुंचा । उस के बाद मिलाप अखबार का एक छोटा सा दफ्तर था, उस का कुछ रहने का हिस्सा था, थोड़ा उस के भी सामान वगैरह को नुक्सान पहुंचा । किसी आदमी को और किसी व्यक्ति को जानी नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन माली सम्पति को जो हानि पहुंची है वह लगभग ६० से ७० हजार तक अनुमान की जाती है ।

फायर ऐलार्म जैसे ही मिला उस के बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर ६ बजकर ६ मिनट पर पहुंच गया । उसको मौके पर पहुंचने में मुश्किल से ४, ५ मिनट का समय लगा । आग बुझ ने में लगभग २ घंटे का समय लगा । सुपरिनटैंडेंट पुलिस सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और डिप्टी सुपरिनटडेंट पुलिस ट्रैफिक वगैरह सब वहां फौरन मौके पर पहुंच गये थे और उन्होंने जांच पड़ताल को । वह इस को देखते रहे कि फायर ब्रिगेड ठीक तरीके पर काम करता है । ट्रैफिक वगैरह को दूसरी तरफ से उन्होंने रवाना करना शुरू किया ताकि आने जाने वालों को नुकसान न पहुंचे ।

श्री बागड़ी : मैं यह जानना चाहूंगा हूं कि कितनी फायर ब्रिगेड्स की मशीने वहां पर पहुंची थीं और क्या यह तथ्य नहीं है कि पानी को किल्लत की वजह से फौरी तौर पर आग पर काबू नहीं पाया गया जिस किसे नुकसान और बढ़ गया ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमारी रिपोर्ट तो यह नहीं है लेकिन अखबारों में कुछ इसका जिक्र आया है । मैं ने भी अखबारों मे यह खबर देखी कि पानी की कुछ कमी थी और उस को देख कर मैं ने यह सोचा था कि मैं इसका पता लगाऊंगा कि दरअसल ऐसी शिकायत थी या नहीं ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री शिवचरण गुप्त** (दिल्ली सदर): समाचारज पत्रों में कहा गया है कि पानी के रबड़ के पाइप बह रहे थे । सरकार इस बात की जांच के लिए क्या पग उठा रही है कि आग बुझाने की सेवा में जो त्रुटियां हैं वह दूर की गई है या नहीं ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : इस विषय में मैं दिल्ली प्रशासन से पूछताछ करूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०६६ ।

(ख) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०९१ ।

(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३३ । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १७०/६२] ।**

(२) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १७२/६२]** ।

(३) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४४ ।

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ को जी० एस० आर० संख्या १२४६ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १७२/६२ ।]**

(४) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७४ मे प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १७३/६२]।**

(५) सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि), नियम १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की

---

†मूल अंग्रेजी में

एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७५।

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७५/ ५२]

विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से मैं

(२) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६४२ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा विनियमन (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १७५/६२।]

सभा-पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक मामले में जो कि प्रश्नोत्तर काल में उत्पन्न हुआ था, आपका निर्णय चाहता हूं क्या आप किसी मंत्री को निदेश नहीं दे सकते कि एक प्रतिवेदन पटल पर रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई सामान्य निदेश नहीं दिया था कि पत्र पटल पर नहीं रखे जा सकते या मैं सरकार को उन के देखने के लिए नहीं कह सकता। जब मैं सारे तथ्य देख लूंगा तो अपना निर्णय दूंगा।

लोक सभा की बैठकों का रद्ध किया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार ने मुझे सूचित किया है और मैं ने मान लिया है कि सदन की बैठक २२ जून, १९६२ को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाये। इस लिये २५, २६, २७, २८ और २९ जून की बैठकें नहीं होंगी।

समिति के लिये निर्वाचन

भारत के वनास्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक २३ मई, १९५८ के संकल्प संख्या एफ० १४–४३/५८–एस–२ के पैराग्राफ २ (४) के अनुसरण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायुन कबिर]

में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष विदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्तियों की अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने की तारीख के तीन वर्ष की अवधि तक काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के दिनांक २३ मई, १९५८ के संकल्प संख्या एफ० १४-४३/५८-एस-२ के पैराग्राफ २(४) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प क अन्य उपबन्धों के अधीन भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप नियुक्तियों की अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक काम करने क लिए अपने में से दो सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर चर्चा आरंभ करेगा।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा पूर्व) : मुझे हर्ष है कि सरकार ने मेरी इस मांग को मान लिया है कि रेमा समों के झुगियों को ४ रुपये प्रति वर्ष के कर से मुक्त किया जाये। मैं गृह-कार्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं किन्तु म यह चाहता हूं कि १४ अप्रैल, १९६२ से पहले की अवधि का जो कर है, वह भी माफ किया जाये। शरणार्थियों को दिये गये कृषि ऋणों के हेतु भी जो राशियां इकट्ठी हो चुकी हैं, उन्हें भी माफ किया जाये, क्योंकि वे इन्हें वापस अदा नहीं कर सकते।

गत वर्ष जिन लगभग २००० अभागे आदिवासियों को पाकिस्तान के साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण भारत आने के लिये बाध्य होना पड़ा था, उन्हें पीछे धकेल दिया गया था और उन्हें आश्रय नहीं दिया गया था। मैं चाहता हूं कि अब जो लोग भारत आ रहे हैं, उन्हें न रोका जाये और उन्हें यहां फिर बसाया जाये।

श्री अशोक सेन ने गृह-कार्य मंत्रालय को अपने प्रतिवेदन में संघ राज्य क्षेत्रों के लिये विधान सभाओं की मांग बिलकुल ठुकरा दी है। यह उन के प्रति अन्याय है और वह श्री अशोक सेन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। यह बहुत खेद की बात है कि सरकार ने मनीपुर और त्रिपुरा की मांगें स्वीकार नहीं कीं। त्रिपुरा में श्री अशोक सेन ने कहा था कि वहां प्रादेशिक परिषद् काम कर रही है, जो कि प्रतिनिधि निकाय है। मेरी राय में प्रादेशिक

---

†मूल अंग्रेजी में

परिषद् को विधान सभा नहीं कहा जा सकता। सरकार को उन राज्य क्षेत्रों के लोगों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिये। सरकार को उन की वास्तविक आवश्यकताएं समझनी चाहिये और उन्हें विधान सभा देनी चाहिये। इस के बिना और किसी प्रशासनिक व्यवस्था से उन की संतुष्टि नहीं होगी।

त्रिपुरा की सब से बड़ी समस्या लगान की वृद्धि है। यह वृद्धि कृषि भूमि के मामले में इससे ४ गुना है और शहरी भूमि के मामले में १५ से २० गुना है। सरकार बताये कि इतनी वृद्धि करने का कारण क्या है। भूमि के मूल्यों में वृद्धि लगान बढ़ाने का कारण नहीं होना चाहिये।

त्रिपुरा के किसानों की आर्थिक अवस्था खराब है। भमि की उत्पादन शक्ति कम हो गई है और हमारे भाग में कृषि वस्तुओं के मूल्य भी कम हैं।

तीसरे लोगों की साधारण अवस्था भी अच्छी नहीं है। लोग गरीब हैं। इसी लिये त्रिपुरा में भू-राजस्व नहीं बढ़ाना चाहिये। सरकार को सिंचाई की सुविधाएं बढ़ानी चाहियें ताकि भूमि की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो।

त्रिपुरा में झूमिया लोगों के पुनर्वास में सरकार असफल रही है। इस के दो कारण हैं। एक तो योजना में यथार्थवाद का अभाव था और दूसरे वहां के पदाधिकारी भ्रष्टाचारी थे। मैं ने कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, परन्तु सरकार ने इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया। इस के फलस्वरूप झूमिया लोगों को जहां बसाया गया था उन स्थानों को वह छोड़ कर जा रहे हैं। इस योजना के कार्यान्वित करने के लिये एक आदिम जाति विकास बोर्ड बनाया जाना चाहिये।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वन लगाने के कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप झूमिया परिवारों को उजड़ना न पड़े। जिन क्षेत्रों पर झूमिया लोग रहते हैं उन्हें अन्धा-धुन्ध रक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहिये। जहां पर गांवों के गांव बस गये हैं उन क्षेत्रों को सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहिये। वहां के लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के लिये बहुत कठिनाई होगी। मरुभूमि को सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये अलग मंत्रालय होना चाहिये। ऐसा होने से यह काम ठीक प्रकार से हो सकता है।

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि १५ वर्षों के बाद हिन्दी राष्ट्र भाषा मानी जाएगी। आज जब इसकी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि हिन्दी थोपी नहीं जानी चाहिये। मैं इसका अर्थ नहीं समझ सकता। जब संविधान सभा ने एक बार यह निर्णय कर दिया कि १५ वर्षों के बाद हिन्दी जारी कर दी जाएगी तो कोई कारण नहीं है कि बीच में दूसरी दूसरी बात निकाली जाएं। फिर भी ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई बिल पेश किया जा रहा है कि १९६५ के बाद भी अंग्रेजी जारी रहे। ऐसा सरकार विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि सरकार जो एक बार निश्चय करे उस पर बराबर स्थिर रहना चाहिये। ऐसा न होने से सरकारी कानूनों पर कोई विश्वास नहीं होता। जब ऐसा निश्चय हो चुका है फिर उसके पीछे ऐसी बातें क्यों आवें।

[श्री ब० प्र० सिंह]

साथ ही साथ इंटीग्रेशन कमेटी में मुख्य मंत्रियों का यह फैसला हुआ कि भारत में जितनी भाषाएं हैं वे सब एक ही लिपि में लिखी जाएं। यदि ऐसा हो तो यह समस्या बहुत दूर तक हल हो सकती है।

अखिल भारतीय पबलिक सरविस कमीशन में हिन्दी एक मुख्य विषय होना चाहिये। ऐसा न हो कर एक आप्शनल विषय रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार वास्तव में हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहती है तो इन साधारण बातों की ओर ध्यान न दे कर जो निश्चय कर चुकी है उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिये। पबलिक सरविस कमीशन में हिन्दी एक ऐच्छिक विषय न हो कर एक मुख्य विषय होना चाहिये और सारी भारतीय भाषाओं की एक लिपि होनी चाहिये।

साथ ही साथ जो निश्चय हो चुका है उसके अनुसार १९६५ के बाद से भारत सरकार का कारोबार हिन्दी में होना चाहिये। लोग बहुत तरह की बातें फैलाते हैं और कठिनाइयां बतलाते हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जिन हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेजी सीख ली है वे अंग्रेजी को एक गौरव का पद देना चाहते हैं। मुझे अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है। अंग्रेजी अपनी जगह पर रहे, लेकिन राष्ट्रीय कारोबार में हिन्दी भाषा और प्रान्तों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग होना चाहिये।

साथ ही साथ मैं देखता हूं कि आज हैल्थ पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाता है और साथ ही साथ प्राहिबिशन भी चल रहा है। आज अगर वैज्ञानिक और डाक्टर लोग कहते हों कि शराब पीने से हैल्थ बनती है तो मैं समझता हूं कि इसको जारी रखना चाहिये। लेकिन यदि उनकी राय है कि शराब पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है तो भारत में जल्द से जल्द प्राहिबिशन होना चाहिये। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि पूज्य बापू ने कहा था कि यदि एक घंटे के लिये भी मुझे अधिकार मिले तो सब से पहला काम जो मैं करूं वह यह कि हिन्दुस्तान से नशाखोरी बन्द कर दूं। हम कहते हैं कि हम गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार काम करते हैं लेकिन आज १४ वर्ष शासन करते हो गए लेकिन अभी तक सारे भारत में शराब बन्दी लागू नहीं हो पायी है। इसका लागू होना बहुत जरूरी है।

आज हम हरिजनों के लिये भी काफी पैसा खर्च करते हैं और उनके लिये आंसू बहाते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि उनकी आय का पांचवां हिस्सा शराब पीने में चला जाता है, इसलिये भारत सरकार की नीति शराब बन्दी की होनी चाहिये और उसको प्रान्तीय सरकारों को आदेश देना चाहिये कि वे अपने राज्यों में फौरन शराब बन्दी लागू करें।

यह दुःख की बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि क्योंकि शासन का खर्च बढ़ रहा है इसलिये उसको चलाने के लिये प्राहिबिशन न करना चाहिये। बिहार में जब शुरू शुरू में शराब बन्द करने की बात हुई तो वहां एग्रीकल्चुरल टैक्स लगाया गया। लेकिन आज अवस्था यह है कि एग्री-कल्चुरल टैक्स भी चल रहा है और शराब खोरी भी चल रही है। तो ये बातें समझ में नहीं आतीं।

शासन का खर्च इतना बढ़ रहा है कि विकास के लिये कोई पैसा नहीं बचता। शासन का खर्च चलाने के लिए शराबखोरी जारी रखी जा रही है और जब उससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है तो उस पर सरकार पैसा खर्च करती है। तो मेरा निवेदन है कि आपको सारे देश के अन्दर शीघ्र से शीघ्र शराब खोरी और दूसरे नशों को बन्द करना चाहिये।

आज अवस्था यह हो रही है कि दिन ब दिन साधारण लोगों की आय नीचे गिरती जा रही है। खादी ग्रामोद्योग की रिपोर्ट में लिखा है कि यह ठीक है कि जो आज से १५ वर्ष पहले

हमारी राष्ट्रीय आय थी उसमें १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन वह बड़े बड़े लोगों के पास ही गई है, किसान और मजदूर की आय तो दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऐसी अवस्था में सरकार को चाहिये कि फ्री ट्रीटमेंट और फ्री एजुकेशन का बन्दोवस्त सरकार तमाम देश की जनता के लिये करे। खास तौर पर देहाती जनता को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त ही चिकित्सा सुलभ की जानी चाहिये।

पिछड़े वर्ग का आधार जाति माना गया है जिसकी कि वजह से आज काफी गड़बड़ चलती है। अब बहुत सी जातियां जिनका कि नाम पिछड़े वर्ग की जातियों में दर्ज है वह ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन पर जितना भी रुपया रक्खा है वह सब खर्च कर सकते हैं। इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिनको कि वाकई में सहायता की जरूरत है और जो कि गरीब हैं लेकिन चूंकि वह उस जाति विशेष में होते नहीं हैं इसलिए उनको वह आर्थिक सहायता मिल नहीं पाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को इस कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और जरूरतमंद और गरीब लोगों को हालांकि वह उन जाति विशेष में न भी हों तो भी उनको सहायता दे। सरकार को इस जातिवाद के दोष को दूर करना चाहिए।

आज न्याय हमारी जनता को काफी मंहगा पड़ रहा है। इसी के साथ भ्रष्टाचार का भी चारों ओर बोलवाला है। सरकार को इसके लिए एक कमेटी की स्थापना करनी चाहिए जो कि इसके निराकरण के लिए उचित परामर्श दे ताकि वह काम आगे बढ़ सके।

आज प्रान्तीयता का काफी जोर है। मैं तो चाहूंगा कि सारी स्टेट्स के स्थान पर शासन की इकाई डिस्ट्रिक्ट हो और यह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स की स्थापना करके और ला एंड आर्डर का अधिकार उनको देकर शासन कार्य चलाया जाय और इस तरह शासन के व्यय में हम काफी कमी कर सकेंगे और लोगों को भी काफी लाभ होगा और प्रान्तीयता की भावना भी कम होगी।

आज देश में सबसे उपेक्षित वर्ग किसान है। आज किसानों की आय सर्वत्र बढ़ रही है। इंग्लैंड में १४ परसैंट लोग खेती करते हैं, अमरीका में ६ परसैंट लोग खेती करते हैं और हमारे हिन्दुस्तान में ७० परसैंट लोग खेती करते हैं लेकिन हिन्दुस्तान के किसानों की आय उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि अन्य देशों के किसानों की बढ़ी है। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए और खेती पर लोगों की संख्या कम कर के उनको अन्य धंधों पर लगाया जाय जिससे कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ सके और हम ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुहम्मद ताहिर (किशनगंज): जनाब स्पीकर साहब, होम मिनिस्टरी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वह मेरे सामने है। सबसे पहले मैं चैप्टर ३ पोलिटिकल की तरफ आपका इशारा करूंगा। वह नेशनल इंटेग्रेशन के बारे में है। अब हमारी समझ में नहीं आता है कि आखिर यह नेशनल इंटेग्रेशन है क्या चीज? इसलिए कि जहां तक मैं समझता हूं नेशनल इंटेग्रेशन तो है ही। इंडिया एज ए होल, सब लोग एक ही नेशन हैं। अब हम सब एक नेशन तो हैं ही। अब फर्ज कीजिये कि कोई आदमी बाहर जाता है और उससे उसकी नेशनेलिटी पूछी जाती है तो वह कहता है कि मैं इंडियन नेशनल हूं। नेशनल इंटेग्रेशन के माने तो यह हैं कि बहुत सी नेशंस् हैं उनको जमा करके एक जगह ले आवें, मजबूती करें और यकजहती करें। लेकिन सवाल तो यह है कि नेशन तो एक ही है। उसमें यकजहती पैदा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वह तो एक नेशन है ही। हम तमाम हिन्दुस्तान के रहने वाले इंडियन नेशन हैं। इसलिए मेरे खयाल में सवाल यह है कि डिस्इंटेग्रेशन से लोगों को बचाना चाहिए। होम

[श्री मुहम्मद ताहिर]

मिनिस्टरी की जो रिपोर्ट है मैं समझता हूं उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बजाय इंटैग्रेशन के डिस्इंटेग्रेशन पैदा करती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐंटी नेशनल डिस्इंट्रग्रेशन मूवमैंट चलाना ज्यादा बेहतर होगा। नेशनल इंटेग्रेशन तो है ही उसमें कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है।

अब मैं आपकी तवज्जह उसके इंट्रोडक्शन की तरफ ले जाता हूं। इंट्रोडक्शन में वह फरमाते हैं :—

> "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े हुए वर्गों के प्रशासन का उत्तरदायित्व गृह–कार्य मंत्रालय पर है।"

इसमें उन्होंने शैडयूल्ड कास्ट्स, शडयूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेज का नाम लिया है लेकिन उन्होंने दूसरी माइनारिटीज के बारे में अपनी जिम्मेदारी का जिक्र नहीं किया है। आखिर इस मुल्क में माइनारिटीज भी तो रहती हैं। मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और बुद्धिस्ट्स भी हैं। उनकी रिसपौंसिबिल्टी लेने का इस इंट्रोडक्शन में कोई सवाल नहीं है। उन्होंने उसका कोई जिक्र तक नहीं किया। इससे तो साफ मालूम होता है कि हकूमत पर उन के मुताल्लिक कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बतलाइए कि उनके दिलों पर आप किस तरह कब्जा हासिल कर सकते हैं।

होम मिनिस्टरी के जरिये जो बहुत से एपायेंटमेंट्स होते हैं और यूनियन पबलिक सर्विस कमिशन की तरफ से जो सलेक्शंस होते हैं उनमें यह तो बताया जाता है कि इतने शैडयूल्ड कास्ट्स शैडूयल्ड ट्राईबज के लिये गये लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि इसमें कुछ मुसलमान भी हैं, सिक्ख भी हैं और फलां फलां माइनारिटीज के लोग भी हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब इसकी तहकीकात करें। अगर वाकई उनका पत्थर का दिल नहीं है, गोश्त का दिल बना हुआ है तो वह इसको महसूस करेंगे कि माइनारिटीज के साथ बेइंसाफी हो रही है।

आप नेशनल इंटग्रेशन कर रहे हैं और उसके लिए आपने तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया है। लेकिन क्या आपने उन चीफ मिनिस्टर्स से यह भी पूछा है कि भाई आप नेशनल इंटेग्रेशन तो करने यहां आये हो, लेकिन खुद आपकी स्टेट में माइनारिटीज के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उनको एपायन्टमेंट्स देने में, इंडस्ट्रीज में और बिजनेस में क्या हिस्सा आप दे रहे हैं? आपको मालूम हो जायगा कि वाकई क्या नक्शा बन रहा है? ऐसी हालत में जब तक आप इन चीजों का खयाल नहीं करेंगे तब तक यह इम्मोशनल इंटेग्रेशन कैसे पैदा हो सकता है? इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेहरबानी फरमा कर आपकी नजरे करम माइनारिटीज की तरफ भी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और यह खयाल करते हैं कि इम्मोशनल इंटेग्रेशन हो जायगा, यह गैर सफितरी मालूम होता है। जब तक आप इसको नहीं करेंगे इम्म.शनल इन्टगेशन नहीं हो सकता है।

इम्मोशनल इंट्रग्रेशन को आप जाने दीजिये। रीजनल् इंट्रग्रेशन का भी सवाल इसमें काफी है। होम मिनिस्टरी ने अपनी यह जिम्मेदारी ली है और बार्डर ऐरियाज का जो एक चैप्टर है उसमें इन बार्डर ऐरियाज को डेवलप करने की जिम्मेदारी ली है। बोर्डर ऐरियाज को डेवलप करना अपनी जिम्मेदारी मानी है। वह इलाके जो कि गैर मुल्कों से मिले हुए हैं उनकी तरक्की करनी है। मैं देखता हूं कि उतर प्रदेश के लिए आप २८ करोड़ रुपया खर्च

कर रहे हैं। पंजाब में १.३४, जम्मू काश्मीर में ३.२२ और हिमाचल प्रदेश में २.१४ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वैस्ट बंगाल, असम और बिहार ने क्या कसूर किया है? क्या यह बौर्डर ऐरियाज नहीं हैं? बिहार का हिस्सा क्या नेपाल से मिला हुआ नहीं है? अभी चंद दिन हुए यहां पर एक सवाल उठाया गया था कि जोगबनी में चाइनीज आये और उन्होंने उस जगह के नक्शे और फोटो वगरह लिये। नेपाल एक गैर मुल्क है और वहां बिहार का हिस्सा उससे मिला हुआ है। इसी तरह से वस्ट बंगाल पाकिस्तान से मिला हुआ है। असम भी पाकिस्तान से मिला हुआ है। उनका भी खयाल करना चाहिए। मैंने कई दफे कहा है कि यह जोगबनी के करीब ब्राट नगर नेपाल में जहां कि अभी चीनियों की तरफ से बहुत से कारखाने वगैरह खुल रहे हैं उन बौर्डर के इलाकों में भी जो बिहार से मिला हुआ है रोड्स वगैरह का इंतजाम करके उनको डेवलप करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उस इलाके का डेवेलपमेंट नहीं करती है, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं मालूम होता है। मुमकिन है किसी दिन गवर्नमेंट को परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए कि चीन और नेपाल की दोस्ती बहुत बढ़ती चली जा रही है।

मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में फारेनर्ज के बारे में एक चैप्टर दिया गया है। इस सिलसिले में एक बात कही गई है –जिससे मुझे बहुत तुअज्जब मालूम होता है––कि आसाम में पाकिस्तान से मुसलमानों का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। हाल ही में आनरेबल मेम्बर श्री रघुनाथ सिंह, ने बहुत जोरों से एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हजारहा मुसलमान पाकिस्तान से आसाम में चले आए हैं, जिससे आसाम में उनकी तादाद बढ़ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर गवर्नमेंट के बार्डर पोस्ट्स हैं, वे लोग क्या करते हैं। जो पाकिस्तानी मुसलमान आसाम में जाते हैं, क्या वे गिरोहबन्दी के साथ जाते हैं, हंगामा करके जाते हैं या एक एक करके जाते हैं? वे किसी भी हालत में जाते हैं, उनकी निगरानी करना जरूरी था। वहां के सिटिजेन्ज और पुलिस को यह देखना जरूरी था कि वे लोग क्यों और किस तरह आसाम में चले गए और क्यों उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई।

लेकिन मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वह मेहरबानी फ़रमा कर इस बात पर गौर करें कि पाकिस्तान से मुसलमानों के आसाम में आने की जो आवाज उठाई गई है उस की हक़ीक़त क्या है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह आवाज १९६१ के सैन्सस के वक्त से उठाई गई है। आप जानते हैं कि १९५१ के सैंसस के वक्त लोग परेशान-हाल थे और इस लिये वह अपने नाम वगैरह रिकार्ड कराने की तरफ़ मुतवजा नहीं थे लेकिन जब १९६१ में सैन्सस हुआ तो उस वक्त लोग हुशियार थे और उन में इत्मीनान था। इस लिये जो लोग १९५१ के सैन्सस में रिकार्ड नहीं किये गये थे जिन को छोड़ दिया गया था १९६१ में उन्होंने अपने नाम वगैरह रिकार्ड कराए जिस का नतीजा यह हुआ कि उनकी तादाद बढ़ गई। उस वक्त जब ठीक तरह से रिकार्डिंग शुरु हुई और उनकी तादाद बढ़ती नजर आई तो लोगों ने कहा कि इन्फ़िल्ट्रेशन हो गया है। यह बात गलत है क्योंकि १९५१ के सैन्सस में उन मुसलमानों के नाम दर्ज नहीं किये गये थे उसी लिये उस सैन्सस में उन की पूरी तादाद जाहिर नहीं हुई थी। सवाल यह है कि अगर जब उन लोगों का इन्फ़िल्ट्रेशन शुरु हुआ तो उसी वक्त उस को बन्द क्यों नहीं किया गया। उस को उसी वक्त रोकना चाहिये था। (**अन्तर्बाधा**) जैसा कि मैंने अभी कहा है। असलियत यह है कि वे लोग यहीं के रहने वाले हैं। १९५१ के संन्सस में उन का रिकार्डिंग नहीं हुआ। अब १९६१ में चूंकि उन के नाम वगैरह रिकार्ड हो रहे हैं इसलिये यह आवाज उठाई जा रही है। सवाल यह है कि अगर १९५१ से १९६१ तक इन्फ़िल्ट्रेशन हो रहा

[श्री मोहम्मद ताहिर]

था तो इस दरमियान में यह आवाज क्यों नहीं उठी। आखिर उन्होंने यह-बैंक तो इन्फिल्ट्रेट नहीं किया। १९६१ में जब सैन्सस के सिलसिले में उन का रिकार्डिंग शुरू हुआ तो यह आवाज उठी कि मुसलमान इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। आनरेबल मिनिस्टर साहब इस पर ग़ौर करें क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसी बातों को बढ़ाना अच्छा नहीं मालूम होता है। इस की सही तौर पर तहकीक होनी चाहिये थी।

अब मैं आप की ख़िदमत में माइनारिटीज़ के हकूक के बारे में कुछ गुज़ारिश करना चाहता हूं। नैशनल इन्टेग्रेशन कौंसिल ने लिंग्विस्टिक माइनारिटीज़ के बारे में ग़ौर किया और इस सिलसिले में स्टेटस को कुछ हिदायात भी दी गई। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट खुद अपने रिकार्ड को देखे। आज से कई साल पहले आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उर्दू के बारे में एक रेजोल्यूशन पास किया और उसी की रौशनी में होम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट निकाला। उसने तमाम स्टेट्स को हिदायत दी कि उर्दू की सही पोज़ीशन उस को देनी चाहिये और कम से कम यू० पी० और बिहार में जरूर इसका ख्याल रखना चाहिये। लेकिन मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इस गवर्नमेंट ने या स्टेट्स ने इस सिलसिले में क्या किया। कुछ भी नहीं। कोई बात कहने और फिर उसको न करने से क्या फ़ायदा है? अक्सर लोगों को यह ख़याल हो गया है कि यह गवर्नमेंट कहती कुछ है और करती कुछ है। यह अच्छी बात नहीं है। लोगों के ज़हन से यह बात निकाल देनी चाहिये और उन को बता देना चाहिये कि हम जो कुछ कह रहे हैं वह करते भी हैं। मैं समझता हूं कि बिहार और यू० पी० में उर्दू को उसकी सही पोज़ीशन देनी चाहिये सैंट्रल गवर्नमेंट का यह भी फ़र्ज़ है कि वह देखे कि स्टेट्स की हुकूमतें ऐसा कर रही हैं या नहीं। अगर वे नहीं कर रही हैं तो वह गलत है।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर। य० पी० में बैलट-पेपर उर्दू में छपे हैं। यू० पी० गवर्नमेंट ने आउट आफ दी वे जा कर उर्दू को मौका दिया है। चूंकि माननीय सदस्य ने ग़लत फ़रमाया है, इस लिये मैं ने यह गुज़ारिश की है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्वायंट आफ़ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य ने सिर्फ़ यह कहने के लिये प्वायंट आफ़ आर्डर का सहारा लिया है कि जो कुछ आनरेबल मेम्बर, श्री ताहिर, कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहिर : बैलट पेपर उर्दू में छपे होंगे, लेकिन उर्दू को सही पोज़ीशन न बिहार में और न यू० पी० में दी गई

अध्यक्ष महोदय : क्या सब तरफ से प्वायंट आफ़ आर्डर उठाये जा रहे हैं?

श्री मुहम्मद ताहिर : आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में कम्यूनल डिस्टर्बेन्सिज़ होते हैं। अभी कल की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मालदा के डिस्टर्बेन्सिज़ में सिर्फ़ बारह तेरह के करीब मुसलमान मारे गये और हिन्दू नहीं मारे गए। ठीक है, यह रिपोर्ट सही होगी। इस तरह की बातें होती रहती हैं। सवाल यह है कि उन को कैसे रोका जाय। उन को रोकने की एक सूरत यह हो सकती है कि जहां कहीं ऐसे डिस्टर्बेन्सिज़ होते हैं, इस हाउस और गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ है कि उन स्टेट्स को सेन्शुर करे कि ऐसी बात वहां क्यों होती है।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : बिल्कुल ठीक बात है। स्टेट्स को सेन्शुर करना चाहिये।

श्री मुहम्मद ताहिर : आज हालत यह है कि जब इस किस्म की बात इस हाउस में आती है, तो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यह स्टेट के ला एंड आर्डर का सवाल है, इस लिए यहां पर उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता है। स्पीकर साहब भी मजबूर होते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, यह ला एंड आर्डर का किस्सा है, यहां पर उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता है। इस वजह से उन कम्यूनल डिस्टर्बेन्सिज़ के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता, बेगुनाह मुसलमानों की तबाही होती है—जैसे जबलपुर और दूसरी जगहों में हुई—हालांकि आसाम के बारे में डिस्कशन हुआ। जहां झगड़ा आसामी और बंगाली में था।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन और इस हाउस ने एलान किया है कि हमारा मुल्क एक सैकुलर स्टेट है, और यहां हर एक कम्यूनिटि के लोगों के हकूक की हिफ़ाज़त होगी। इस लिए जब किसी कम्यूनिटि की हक-तलफ़ी होती है, तो उस स्टेट को सेन्शुर करने और उस बारे में डिस्कशन करने का हक इस हाउस को है, किसी दूसरे को नहीं। जब यह हमारे हाउस का एलान है कि हमारा मुल्क सैकुलर स्टेट है, तो फिर यह हमारा ही हक है, कि ऐसे मामलात में जहां सैकुलरज़िम पर धब्बा आता हो हम मुताल्लिका स्टेट को सैन्शुर करें और बतायें कि उसकी पालिसी ग़लत है। अगर हम ऐसा करें और गाहे-गाहे इस पार्लियामेंट और गवर्नमेंट से स्टेट्स को हिदायात जाया करें, तो मैं समझता हूं कि आहिस्ता-आहिस्ता इस किस्म की बातों में कमी हो सकती है।

आख़िर में मैं उम्मीद करूंगा कि आनरेबल मिनिस्टर साहब इस मसअले पर ग़ौर करेंगे। मैं ज़ोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि जब तक माइनारिटीज़ की हिफ़ाज़त नहीं की जायेगी और एडूकेशन, बिजिनेस और एम्पलायमेंट वग़ैरह में उनका ख्याल नहीं रखा जायेगा। सही मानों में इमोशनल इन्टेगरेशन की उम्मीद नहीं मालूम होती। वे ज्यादा थोड़े ही मांगती हैं ? जैसी माइनारिटी हो, उसके मुताबिक उसका ख्याल करना चाहिये — अगर माइनारिटीज़ के हुकूक की हिफ़ाज़त की जायेगी, तो इमोशनल इन्टेग्रेशन होगा, और वह हमारे लिये और मुल्क के लिये एक खुशी की बात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब उन बातों की तरफ़ ग़ौर फरमावेंगे।

†**श्रीमती अकम्मा देवी** (नीलगिरि) : खेद है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की अधिकांश योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया गया है। हमारे संविधान में केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के आर्थिक शिक्षा संबंधी और सामाजिक उत्थान का उत्तरदायित्व है। इसके लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों को विशेष कदम उठाने चाहियें।

मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियां अधिकतर नीलगिरी में हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूं कि उनको कृषि संबंधी सहायता दी जाये और उनके लिये अलग औषधालय खोला जाये। अनेक स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठनों ने आदिवासियों की सहातया की है, परन्तु उनकी स्थिति

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती अकम्मा देवी]

सुधारने के लिये पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है। आदिवासी लोग नीलगिरी जिले के वनक्षेत्र में रहते हैं। उनकी रहने की अवस्था बड़ी खराब है। वहां पर शिक्षा के लिये बहुत स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठनों की आवश्यकता है। उनको कृषि सहायता, आवास तथा अन्य सुविधायें दी जानी चाहियें।

कोटा लोग कृषिक हैं और कारीगर भी हैं। उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। उनके पेशे से उन्हें अधिक आय नहीं होती। सरकार को इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करनी चाहिये। इन लोगों में लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता है और कुछ विधवा हो जाती हैं और उनकी अवस्था बड़ी खराब हो जाती है। इस लिये वहां लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये।

आदिम जाति क्षेत्रों में साहूकार आदिवासियों से ब्याज काफी ऊंचे दर से लेते हैं। साहूकारों को वापिस रुपया और ब्याज लौटाने के लिये इन लोगों को अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ती हैं।

अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सरकार को दक्षिण में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये एक 'प्रीऐग्जामिनेशन सेंटर खोला जाना चाहिये और उन्हें अधिक छात्रवृत्तियां देनी चाहियें।

†**श्री बाल कृष्णन** (कोइलपट्टी) : असूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति मन्द रही है। इसका एक कारण पहली और दूसरी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए दिए गए धन की अपर्याप्तता है। इस कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अधिक रुचि नहीं ली तथा अन्य विभागों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों में उचित समन्वय नहीं रहा। दूसरे, इन जातियों के कल्याण के लिए दिये गए धन को पूरी तरह काम में नहीं लाया गया।

विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आई० एस० एस० और आई० पी० एस० के लिए लिखित परीक्षा में पास हो जाने पर भी आदिम जाति के लोगों को नहीं नियुक्त किया जाता, क्योंकि मौखिक परीक्षा में वे अच्छे नहीं रहते। सरकार को इस में उन्हें कुछ रियायत देनी चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को छात्रवृत्तियों की मंजूरी में होने वाली देर कम की जानी चाहिए और छात्रवृत्तियों के लिए अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए।

अनुसूचित तथा आदिम जातियों के आर्थिक विकास में अस्पृश्यता मुख्य बाधा है। उसे दूर करने के लिए कानून को कड़ी तरह से लागू करना चाहिए।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है कि वह देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि देश के अन्तर्गत रहने वाले सभी नागरिक राज-काज और दूसरे कार्यों में हिस्सा ले सकें। ऐसी परिस्थिति पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि इस देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता है, उस को दूर करने के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जायें। इस सम्बन्ध में शासन-प्रणाली में भी इस प्रकार के संशोधन किये जायें कि इस देश के सभी लोग सीधे और परोक्ष, दोनों रूप में, शासन में हिस्सा ले सकें।

अपने देश में सामाजिक विषमता एक बहुत बड़ी समस्या है। हज़ारों सालों की वर्ण-व्यवस्था ने कुछ मुट्ठी भर लोगों में परम्परागत योग्यता और स्वार्थ की भावना भर दी है और साथ ही इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपंग बना दिया है...........

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): सरल हिन्दी बोलिए।

श्री रामसेवक यादव .... ज़िम्मेदारी और अधिकार से वंचित कर दिया है। इस समस्या की ओर संविधान के निर्माताओं का ध्यान, अवश्य गया और यही कारण है कि इन दबे पिसे और पिछड़े लोगों के लिए, और ख़ास तौर से हरिजनों और आदिवासियों के लिए, संविधान में विधान सभाओं और लोक सभा के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए। यही नहीं, राज्य और केन्द्र की नौकरियों में भी उनके स्थान सुरक्षित किये गए। यह बात और है कि उन लोगों को अपने पूरे स्थान प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। मैं आपका ध्यान एस्टीमेट्स कमेटी की १९६०–६१ की रिपोर्ट की ओर खींचना चाहता हूं, जिसके सफ़हा १८, पैराग्राफ ४५ पर साफ़ दिया गया है कि केन्द्रीय नौकरियों में जो स्थान हरिजनों और आदिवासियों को मिलने चाहिए, उनका दो प्रतिशत भी पूरा नहीं हो रहा है, जबकि हमने उनके लिए संरक्षण दिया हुआ है। इससे कल्पना की जा सकती है कि अन्य पिछड़े लोगों की क्या दशा होगी, जिनके लिए संरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

इस स्थिति का कारण जाति-प्रथा है, जोकि हमारे देश और समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण रखना चाहता हूं, जिस से हम लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि हम किधर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब एक विशेष जाति का मुख्य मंत्री बनता है, तो मुख्य सचिव, आई० जी०, पुलिस, जेल के प्रमुख अधिकारी और अन्य बड़े बड़े अधिकारी सारे उसी बिरादरी के हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सारी योग्यता उसी बिरादरी के लोगों में आ गई।

श्री ब० सू० मूर्ति: यही सोशलिज्म है।

श्री रामसेवक यादव : इसी तरह अगर किसी दूसरी बिरादरी का मुख्य मंत्री बन जाता है, जैसाकि आज है, तो फिर उस के मंत्रि-मंडल के सदस्य, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पब्लिक सर्विस का चैयरमन, वहां का पुलिस का चीफ़, सब उसी की बिरादरी के हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सारी योग्यता उसी बिरादरी में टिक गई है। यह सब जाति-प्रथा का दोष है और जब तक जाति-प्रथा नहीं मिटती, तब तक ये सब दोष बने रहेंगे, क्योंकि पैदा होने से मरने तक हम सभी जाति-बिरादरी के ईर्द-गिर्द घूमते रहते हैं और इस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि जो लोग ज़िम्मेदारी की जगहों पर बैठते हैं, उन के दिमाग उसी तरह से काम करते हैं।

[श्री रामसेवक यादव]

जाति प्रथा को मिटाने के लिए मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की है, वह सारे देश के सामने है। मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वह चाहते हैं कि मुल्क में एकता कायम हो, तो वह ऐसी व्यवस्था कायम करें, जिसमें इस देश के सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और उसके लिए यह आवश्यक है कि इस देश के हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों के लिए, जो अल्प-संख्यक पिछड़े हुए हैं---जैसे शेख, सैयद के अलावा कुंजड़े, कवड़िया और जुलाहे आदि मुसलमानों में हैं या जो हरिजन मत-परिवर्तन करके ईसाई बने हैं---उनके लिए और महिलाओं के लिए---क्योंकि महिलायें सर्वत्र पिछड़ी हुई हैं---जीवन के चार निर्णायक क्षेत्रों में---सरकारी गजटी नौकरी, फौज़ी की अफ़सरी, राजनीति और व्यापार में---कुछ समय के लिए साठ प्रतिशत जगहें सुरक्षित रखी जायें, ताकि वे भी समाज के दूसरे लोगों के समकक्ष आ जायें।

इस विषय में यह तर्क दिया जा सकता है कि सब लोगों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान ने माना है कि जो लोग हज़ारों साल से जाति-प्रथा के नाम पर दबे हुए हैं और दबे हुए होने के कारण अपंग रह गए हैं, उनके आगे बढ़ने के विशेष अवसरों की व्यवस्था होनी चाहिए और इसी लिए हरिजनों और आदिवासियों के लिए व्यवस्था की गई है। इस स्थिति में कोई वजह नहीं कि दूसरे ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था न की जाये। यदि उनके लिए विशेष अवसरों की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो उन लोगों के मुकाबले में, जो कि हज़ारों सालों से जाति-प्रथा के कारण ज़िम्मेदारी और अधिकार की जगहों पर रहे हैं और जिस के कारण उन में योग्यता पैदा हो गई है, पिछड़े लोगों का आगे बढ़ना, तरक्की करना और ज़िम्मेदारी और अधिकार की जगहों पर जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इस का नतीजा यह होगा कि आगे वाले आगे रहेंगे और पीछे वाले पीछे रहेंगे, जैसा कि आज हम देख रहे हैं।

यह कहना कि जब पिछड़े हुए लोग दूसरे के समकक्ष हो जायेंगे और समान स्तर पर पहुंच जायेंगे, तब उन को जिम्मेदारी और अधिकार की जगह दी जायेगी, वैसा ही है कि पहले तैरना सीख लिया जाये और फिर पानी में पैर रखा जाये। संविधान का ध्यान अन्य पिछड़ी जातियों की ओर अवश्य गया है। संविधान के अनुच्छेद ३४० के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शिक्षा आदि की दृष्टि से पिछड़ी हुई अन्य पिछड़ी हुई जातियों की हालत जानने के लिए एक आयोग नियुक्त करें, जो कि इस विषय में जांच-पड़ताल करे कि उन लोगों के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं और उस पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इस अधिकार का उपयोग किया और उन्होंने २९ जनवरी, १९५३ का एक आयोग नियुक्त किया। १८ मार्च को राष्ट्रपति महोदय ने उसका उद्घाटन किया। उस समय हमारे प्रधान मंत्री जी और उस समय के गृह मंत्री काटजू जी भी बैठे थे। काटजू जी ने अपने भाषण में यह कहा कि केवल यही ज़रूरी नहीं है कि यह आयोग सारे देश में भ्रमण करे और उनकी स्थिति को जाने बल्कि यह भी बतलाये कि उनकी दिक्कतों व उन की परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उन के उपायों को भी सुझाये। आयोग ने सारे देश का भ्रमण किया और ३० मार्च, १९५५ के दिन, पहली पार्लियामेंट की अवधि के अन्दर उसने अपना प्रतिवेदन रक्खा और उस में और सिफारिशों के अतिरिक्त यह सुझाव दिया कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिये नौकरियों में खास तौर से क्लास १ में २५ प्रतिशत, क्लास २ में ३३ प्रतिशत और क्लास ३, ४ में ४० प्रतिशत संरक्षण किया जाये। मुझे बहुत दुःख है कि उन सिफारिशों को लागू करना तो दूर, इस सदन के पटल पर वह रिपोर्ट तक नहीं रक्खी गई जिस पर

लाखों रुपये खर्च हुए। काका कालेलकर जैसे व्यक्ति उस के चेअरमैन थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनके मामलों की छानबीन की और रिपोर्ट उसके बाद पेश की गई, लेकिन फिर भी उस को सदन के पटल पर नहीं रखा गया।

एक माननीय सदस्य : १३ लाख रु० खर्च हुए।

श्री रामसेवक यादव : जी हां, १३ लाख रुपये खर्च हुए। सदन के माननीय सदस्यों ने इस विषय की सन् १९५५ की पार्लियामेंट में, फिर सन् १९५७ की पार्लियामेंट में और तीसरी पार्लियामेंट में चर्चा की और आज भी उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री महोदय को इस देस देश के करोड़ों पिछड़े लोगों के प्रति इतना मोह है और ममता है कि उनके बारे में वे सोच भी नहीं सकते हैं। वे इस सदन में उस पर बहस भी नहीं करा सकते हैं, प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करना तो बहुत दूर की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये निवेदन करूंगा कि मैंने आप को एक पत्र भी लिखा था और आप न यह आश्वासन दिया था कि आप को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर माननीय सदस्य इस पर बहस करना चाहें। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से, जो कि लावी में और बाहर इस पर चर्चा करते हैं और चाहते हैं कि इस पर यहां बहस हो, और गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप सिफारिशों को लागू करेंगे या नहीं, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि प्रतिवेदन पर बहस हो ताकि कम से कम देश को आप की असली शक्ल तो मालूम हो जाय, उस को पता चल जाय कि आप के क्या इरादे हैं।

मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि समाजवाद और जनतन्त्र सत्ता के केन्द्रीकरण का नाम नहीं है, जनतन्त्र और समाजवाद सत्ता के विकेन्द्रीकरण से आयेगा। आज राज सत्ता की सारी शक्ति केन्द्र और प्रान्तों की सरकारों में इकट्ठी है। राज सत्ता के विकन्द्रीकरण का नाम लिया जाता है, परिषदों और पंचायतों के रूप में। अभी जो एकता सम्मेलन हुआ उस में भी पंचायतों का जिक्र आया, लेकिन यह असलियत नहीं है। पंचायतों के अलावा जिलों में परिषदें बनी हैं लेकिन उन्हें शासन की प्रमुख एकाई बनाने के लिये कोई प्रयास नहीं हो रहा है। बल्कि परिषदों को इस प्रकार अपंग कर दिया गया है जिस का ठिकाना नहीं है। उस का सीधा जनता के द्वारा चुनाव का रूप बदल कर सारे अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और जनता को सीधे अपने जिले के शासन को चलाने में कोई हिस्सा नहीं मिलता। आज कल जैसी पंचायतें हैं उस में उन को कोई अधिकार नहीं है। जिलों में वैसे तो पंचायतें और परिषदें बनी हुई हैं, कहने को शासन का विकेन्द्रीकरण हो गया है लेकिन असल में यह बात सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय इस ओर कदम बढ़ायें।

आप की जो वर्तमान शासन प्रणाली है, आज के जो आप के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर हैं, मैं गृह-मंत्री महोदय से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आजाद हिन्दुस्तान और जनतंत्र तथा समाजवाद के उपयुक्त उनका आचरण नहीं है। वे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पहले के अंग्रेजी काल के हैं। आज उनको अपने देश की असलीयत की जानकारी नहीं। बड़े शहरों में अच्छी जगहों पर पढ़ लिख कर जा कर जिम्मेदारी की जगह

[श्री रामसेवक यादव]

बैठ जाते हैं। दो तीन साल एक ज़िले में फिर दूसरे ज़िले में और बाद में तीसरे ज़िले उनको अपने ज़िले की जनता की बहबूदी और तरक्की से और उनकी दशा से कोई ताल्लुक नहीं है। वह सरकारी नौकर होते हैं इसलिये उनकी जगह कोई जिम्मेदार मशीनरी बनाई जातीं, जो कि परिषदें हो सकती हैं और पंचायतें हो सकती हैं। कलेक्टर आदि जो आज शासन की प्रमुख इकाई बने हुए हैं, जो राज्य और केन्द्रीय सरकारों के मातहत होते हैं, जब तक वह प्रणाली खत्म नहीं हो जाती तब तक इस देश में जनतंत्र की जड़ें जम नहीं सकतीं।

आज राष्ट्रीय एकता की बड़ी चर्चा चलती है। अभी दूसरा राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ। उस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में कौन बुलाए गये ? करनी और कथनी में जब भेद होता है तो उस से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है। सत्तारूढ़ दल को शिकायत है कि इस देश में साम्प्रदायिकता बढ़ती जा रही है। लेकिन यदि एक और सत्तारूढ़ दल अपना चुनाव जीतने के लिए मुसलिम कांफ्रेंस बुलाए तो उस की प्रतिक्रिया होगी और हिन्दू कांफ्रेंस भी होगी। क्या इस में कथनी के अनुसार करनी में भी एकता हुई ? इसी तरह से और भी दल जंनसंघ और महासभा जैसे, वहां पर तो एकता की बात करते हैं और सारे चुनाव का नक्शा और ढांचा तैयार करते हैं सम्प्रदायवाद पर।

श्री बड़े (खारगौन) : यह गलत बात है।

श्री रामसेवक यादव : इसी तरह से हमारे कम्यूनिस्ट मित्र हैं। जब खुद उन को चुनाव लड़ना हो तो जनसंघ और मुसलिम लीग से समझौता कर लेंगें और मंच पर एकता की बात करेंगे ऐसे ऐसे दलों को प्रधान मंत्री ने बुलाया है जिनको एकता में विश्वास नहीं है सिर्फ भाषण पर विश्वास है, और ऐसे लोगों को, खास तौर पर सोसलिस्ट पार्टी को, जिन को एकता में विश्वास है, नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि इस से उनका असली मकसद खत्म हो जाएगी।

अभी एकता सम्मेलन हुआ पहले भी एकता सम्मेलन हुआ था और दोनों सम्मेलनों में एक बात पर ही जोर दिया गया कि अंग्रेज़ी हिन्दुस्तान की राज काज की भाषा बनी रहे। और कोई मसला वहां पर नहीं था सिर्फ एक मसला सम्मेलन में और पहले सम्मेलन में भी यह निश्चय हुआ कि अंग्रेज़ी राज काज की भाषा बनी रहेगी। और तब तो यह तय कर लिया गया है कि अंग्रेज़ी यहां अनिश्चित काल तक बनी रहेगी हमारे संविधान के अन्दर कहा गया था कि सन् १९६५ तक अंग्रेज़ी खत्म होगी और राज भाषा की जगह हिन्दी लेगी लेकिन अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि सम् १९६५ के बाद भी जब हिन्दी या हिन्दुस्तानी राजभाषा बन जायेगी, राज काज की बोली बन जाएगी, तब भी अंग्रेजो सहभाषा के रूप में बनी रहगी। निश्चय हो गया कि अब अंग्रेज़ी इस देश से जाने वाली नहीं है उस के लिए कानून भी हमारे मंत्री महोदय रक्खेंगे और उस पर भी शायद मुहर लग जाएगी मुझे तो यह दुःख होता है कि वे दल भी जो राजभाषा हिन्दी का राज अलापते हैं वे भीं उस फैसले पर दस्तखत कर देते हैं बैठ कर। जल्दी ही कानून बनेगा और कानून बनने के बाद अंग्रेज़ी सहभाषा क रूप में रहेगी यानी वह हमेशा राज काज की बोली बनी रहेगी। इस तरह से हिन्दी या दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं क बढ़ने का कोई सवाल नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैं कहूंगा कि यह एकता नहीं है बल्कि इस देश में १,००० रुपये मासिक पाने वाले या इससे ज्यादा कमाने वाले और खर्च करने वाले अंग्रेज़ी अभिमुख कुछ मुट्ठी भर लोगों को हुकूमत या उनका वर्चस्य कायम करने की यह साजिश है अंग्रेज़ी के जरिए सरकार उनका

वर्चस्व बनाए रखना चाहती है । देश के करोड़ों पिछड़ी जाति के लोगों, हरिजनों और ऊंची जाति के उन लोगों के बीच जो कुर्ता और पायजामा वाले लोग है उनको सत्ता पर पहुंचने से रोकने के लिए अंग्रेजी की दीवाल बनाई जा रही है यह फैसला आपके एकता सम्मेलन में हो रहा है अंग्रेजी भारत में शोषण और सामन्तों की बोली है मगर वह यहां की जनता की बोली नहीं हो सकी जनतन्त्र के उपर्युक्त नहीं हो सकती, फिर भी यहां अंग्रेजी को कायम रखा जा रहा है । मुझे दुःख है कि जब हम गुलाम थे तो हम अंग्रेजी के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे यारिरिक तौर पर गुलाम थे मगर मानसिक तौर पर आजाद थे, और जब हम आजाद हैं तो हम अंग्रेजी के गुलाम, अंग्रेजी शासन के गुलाम हैं। आज दिल्ली में जो अंग्रेजी शासकों मूर्तियां कदमी कदम पर हैं वे बतलाती हैं हमारे यहां के नौजवानों को और हम तो आने वाली सन्तानों को कि तुम गुलाम थे, हम ने तुम्हें जीता था तुम पर हुकूमत की थी। मूर्तियों को हटाने और अंग्रेजी बोली को हटाने की बात नहीं होती । यह बात तो दूर रही, आज महात्मा गांधी की आत्मा इस देश के पूंजीपतियों के पास कैद है । बिड़ला भावन जहां पर राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के प्राण पखेरू उड़े, आज जनता की निधि नहीं है, आज वह राष्ट्र को निधि नहीं है, आज वह इस देश के बड़े पूंजीपति बिड़ला की सम्पत्ति है । उस पर बिड़ला का एकाधिपत्य है । आज हमारी सरकार उसे भी लेने में असमर्थ है । देश में विघटनकारी शक्तियां बढ़ रही हैं। धनी लोग पैसे के बल पर जनतन्त्र को असफल बना देना चाहते हैं; मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् और राज्य सभा के चुनाव हुए ! मैं बतलाऊं कि कानपुर में दो पूंजीपति जो किसी दल से सम्बन्धित नहीं, जिन का कोई भी आदमी उस विधान सभा में नहीं है, पैसे के बल पर कांग्रेस या दूसरे दलों के उम्मीदवारों के मुकाबले अधिक वोट ले गए । विधायकों के वोट खरीदे गए । कहां है देश की तरक्की ?

श्री शिव नारायण (बांसी) : अपोजीशन पार्टियों ने बेचा था।

श्री राम सेवक यादव : आप भी बिकने वालों में से थे ।

यही नहीं दल के दल खरीदे गए । तो जब ऐसी स्थिति होगी तो जनतंत्र कहां जाएगा । अब तक तो यह परम्परा थी ताकि पूंजी पति परोक्ष रूप से सरकार पर हावी रहते थे लेकिन अब उन्होंने तै कर लिया है कि पैसे के बल पर स्वंय सरकार बन जाएं। इससे जनतंत्र को जबरदस्त खतरा पैदा हो रहा है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या माननीय सदस्य का यह इनसिनुएशन है कि लोगों ने रुपया लेकर वोट दिया ? क्या माननीय सदस्य का यह मंशा है कि जो असेम्बली के मेम्बर थे उन्होंने रिश्वत लेकर वोट दिया ? मेरे ख्याल में इस हाउस में यह चीज कहना बहुत गलत है ।

श्री राम सेवक यादव : आज देश में जनसंघ को जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। इस जनतंत्र को धनतंत्र में परिवर्तित करने की कोशिश हो रही है । इसलिए यदि इस देश के आर्थिक ढांचे को न बदला गया तो बड़े भयंकर परिणाम होंगे।

गृह मंत्री ने पिछले सत्र में विघटनकारी शक्तियों को रोकने के लिए धारा १५३ में संशोधन करके एक धारा १५३ ए जोडी थी और उसका उद्देश्य ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था जो इस देश के साम्प्रदायिकता, कटुता, और भेदभाव की भावना को उत्पन्न करें। लेकिन केवल कानून बनाने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। कानून बनाने का मंशा तभी

[श्री रामसेवक यादव]

सिद्ध होगा जब उसके अनुसार कार्यवाही भी हो। लेकिन सरकार कानून बनाकर ही अपने दायित्व को पूरा हुआ समझ लेती है।

एक मिसाल मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह मेरठ की घटना है। चुनाव के मौके की घटना है। सोशिलिस्ट पार्टी की तरफ से वहां से पालियामेंट के लिए श्री महाराज सिंह भारतीय श्री शाहनवाज खां के विरुद्ध खड़े हुए थे। मेरठ के एक अखबार "मय राष्ट्र" निकलता है। उसमें छपा था-------

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : एक औचित्य प्रश्न के हेतु एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई है और मामला न्यायाधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला सबजूडिस है। इस पर आप नहीं बोल सकते।

श्री राम सेवक यादव : मैं इलैक्शन पिटीशन के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं तो धारा १५३ ए की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो श्री महाराज सिंह भारतीय के खिलाँफ प्रचार किया गया उस का जिक्र कर रहा था। तो उस अखबार में लिखा था कि महाराज सिंह भारतीय महमूद गजनवी हैं।

श्री कृ० चं० शर्मा : एक औचित्य प्रश्न के हेतु। यह मामला विवादास्पद है कि यह प्रैस में छपा था या नहीं। जब मामला निर्वाचन अधिकरण के सामने हो तो सारा मामला सामने आ जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला न्यायाधीश हो, तो वे उस का उल्लेख नहीं कर सकते

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : (जालोर) : श्रीमान जी, इस औचित्य प्रश्न पर पहिले निर्णय होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह औचिय प्रश्न ठीक है, परन्तु क्योंकि मामला अदालत में है अतः इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि यह मामला अदालत में गया है या नहीं। इसका पता नहीं है। लेकिन मैं इलेक्शन पिटीशन के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं तो आपके सामने सिर्फ उस अखबार का हवाला दे कर गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि "मय राष्ट्र" जैसे अखबार के खिलाफ जो द्वेष भाव पैदा करता है क्या कोई कार्रवाई की गई? उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट इत्यादि हुई या नहीं या कि अब तक गृह मंत्रालय इस पर सोता रहा?

†श्री दाजी (इंदौर) : चुनाव याचिका बिलकुल अलग चीज है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : न्यायाधिकरण भी तो एक प्रकार की अदालत होती है।

†श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें उन्होंने मुट्ठीभर जाटों को साथ ले कर यह समझ लिया कि इस देश में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की कोई कीमत नहीं, उनकी आवाज में कोई जान नहीं........

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करवा सकते हैं। हम इस बारे में राज्य सरकार को लिखेंगे।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एकता सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों की राय के अनुरूप इस संशोधन को प्रस्तुत करके कानून बनाया गया। इसलिये मैं इस मंत्रालय के सामने यह चीज रखना चाहता हूं कि उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री राम सेवक यादव : मेरा समय तो ज्यादा तर प्वाइंट आफ आर्डर ने ले लिया। मुझे तो बहुत कम मोका मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और गोआ आदि ऐसे प्रस्थान हैं जो केन्द्र द्वारा शासित होते हैं। वहां पर जिम्मेदार हुकूमत बनाने की जरूरत है। उनको ज्यादा अधिकार देने को जरूरत है इसलिये कि केन्द्र वहां की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूं कि मणिपुर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पहली पंच साला योजना में वहां पर ए,क योजना बनी कि पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन वह योजना ठप्प पड़ी रही। दूसरी पंच साला योजना में फिर उसके लिये व्यवस्था की गई लेकिन वह भी पूरी नहीं हुई। अब तीसरी पंच साला योजना में फिर व्यवस्था की गई है। देखना है कि कहां तक पूरी होती है :

इसी तरह से बिजली की जो अवस्था अंग्रेजी काल में थी वही अवस्था अभी भी है। जहां तक सड़कों का सवाल है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

तो गृह मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि केन्द्रीय शासित इलाकों में जिम्मेदार सरकार कायम करने की आवश्यकता है और उसकी ओर सरकार को कदम उठाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : गृह-कार्य मंत्रालय पर बहुत भारी और कठिन उत्तरदायित्व है। हमारा गृह कार्य मंत्री देश में शांति और सुरक्षा के लिये ही उत्तरदायी होता प्रत्युत देश के सभी आन्तरिक मामलों में उसका दखल होता है। वह देश की शक्ति और स्वास्थ्य का स्वामी होता है। उसे देश भर में हो रहे सभी उथल पुथलों की जानकारी रखनी होती है। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का कार्य भी उसके हाथ में है। अखिल भारतीय सेवायें, गुप्तचर विभाग और सतर्कता विभाग सभी उनके आधीन कार्य करते हैं। और आज की विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में उनका उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है जब कि २००० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष योजना को कार्यान्वित करने पर खर्च किया जाता है। इस सब का हमारे सामाजिक जीवन पर बेहद प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार से यह प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इसका महत्व इसलिये और बढ़ जाता है कि आज हमारे कुछ पड़ौसी हमें आंखें दिखा रहे हैं और उन्हें इसके प्रति जागरूक रहना होता है।

इन तमाम बातों के कारण सदन से हमेशा उन्हें सहयोग प्राप्त होता रहा है। अपने कर्त्तव्यो के पालन करने में उन्हें जिन अधिकारों की आवश्यकता अनुभव होती रही है सदन ने अधिकार देने में न कोई बाधा ही उपस्थित की और न ही कोई संकोच ही किया। परन्तु अब समय आ गया है कि सरकार यह बताये कि इन शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

किया जाता रहा है। राष्ट्रीय एकता हमारे राष्ट्र निर्माण के लिये परम आवश्यक चीज है, अतः हमें सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद् की सारी स्थिति बताई जानी चाहिये। वह एक प्रकार की उपरि संसद् के रूप में कार्य कर रही है। संसद् एक सर्वोच्च सत्ता प्राप्त निकाय है, इसलिये राष्ट्र को प्रभावित करने वाले निर्णय उसी के द्वारा किये जाने चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् के निर्णयों का संसद् द्वारा जांच किये बिना राज्यों को प्रेषित किया जाना उचित नहीं है। क्या इस दिशा में अपना कर्त्तव्य निभाने में संसद् असफल रही है?

मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि वह बताये कि असम से कुछ आप्रवासियों को निकालने के लिये १९५० में जो कानून बनाया गया था क्या उसे सक्रिय रूप में कार्यान्वित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई? इस बारे में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि असम में गैर सरकारी कानून प्रवेश की समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई जिसकी कुछ समय पूर्व तक उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसी तरह १९५९ में भी एक विधान पारित किया गया था। उसके अन्तर्गत सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९८ख के अन्तर्गत किसी भी समाचार पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। आशा है कि ऐसे अधिनियमों का अधिक अच्छी तरह उपयोग किया जायेगा। सरकार को इस बात पर प्रकाश डालना चाहिये कि इस प्रकार पारित अधिनियमों के अन्तर्गत किस प्रकार कार्यवाही होती रही है।

दिल्ली में भी इक्के दुक्के धमाके होते रहते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इन विस्फोटकों को रोकना सम्भव नहीं। परन्तु फिर भी इसका सुराख तो मिलना चाहिये। इन बातों का सन्तोषजनक उत्तर सदन को दिया जाना चाहिये। सरकार को यह भी बताना चाहिये कि सेवाओं में सेवा भावना उत्पन्न करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं। सेवाओं में भर्ती और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिये। यह दुःख की बात है कि हम समाजवाद की बातें तो करते हैं परन्तु हम सेवाओं में समाजवाद नहीं ला सके।

मैं मंत्री महोदय पर यह भी जोर डालना चाहता हूं कि हमें मंत्रालयों की कार्यक्षमता का भी सर्वेक्षण करना चाहिये। साथ ही मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि समस्त वरिष्ठ तथा अनुभवी पदाधिकारी सचिवालय में इकट्ठे हो रहे हैं। सभी प्रधाना कार्यालयों में जाना चाहते हैं। कोई भी पदाधिकारी क्षेत्रीय कार्य करने के लिये नहीं जाना चाहता। यह बहुत ही गलत प्रवृत्ति है जिसे रोकना होगा। सरकार को इस मामले की ओर विशेष ध्यान देना ही होगा। पहिले जिलों के दंडाधिकारियों के लिये १८ से २० वर्ष का अनुभव जरूरी था। फिर १० वर्ष हुआ, और अब वह कम होता हुआ ४ वर्ष का हो गया है।

यह बात तो अब सर्वमान्य हो गयी है कि भ्रष्टाचार का प्रभाव बड़ा व्यापक हो गया है। प्रतिवेदन से मालूम होता है कि गजेटेड अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या बढ़ गयी है। १९५६-५७ में इन शिकायतों की संख्या १९५६-५७ थी। १९६१ में यह बढ़ कर ३३०५ हो गयी है। सतर्कता के मामलों की दशा यह है कि १९५६-५७ में यह संख्या ६१६ थी परन्तु १९६१ में ५३६ हैं। यह असमानता क्यों है मैं कह नहीं सकता। हर ग्राम नाम चिट्ठी में १५ से २० प्रतिशत तक सच्चाई होती है। सतर्कता के मामलों का

†मूल अंग्रेजी में

निपटान भी चालू वर्ष में ५५ प्रतिशत से ३९ प्रतिशत रह गया है। इस संदर्भ में एक गम्भीर बात यह है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए वह मंत्रालयों की गुटबन्दी है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है।

मेरा यह भी निवेदन है कि क्षेत्रीय परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। मद्य निषेध अच्छी चीज है परन्तु स्थिति यह है कि न तो हम जनता को इसके लिए तैयार कर पाये है और न अपनी प्रशासकीय व्यवस्था को उसे लागू करने के ही योग्य बना सके है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राजस्व की तो हानि हो रही है और भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर मिल रहा है। सरकार को इस स्थिति की वास्तविकता की ओर ध्यान देना चाहिए।

†**श्री सेझियान** (पेरम्बलूर): मैं भाषा के सम्बन्ध में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। हमें हिन्दी से कोई विशेष द्वेष नहीं है परन्तु हिन्दी को भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में लाद देने के हम विरोधी है। और आज सारे दक्षिण भारत में इस बारे में असन्तोष फैला हुआ है। यदि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु उसे राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा कहने पर हमें निश्चित रूप में आपत्ति है। संविधान सभा में भी इसके बारे एक कांग्रेसी सदस्य श्री राकालिंगम चेट्टियार ने इस बारे में चेतावनी दे दी थी। और अब तो हिन्दी के विरोध में दक्षिण भारत के बहुत बड़े-बड़े लोग खड़े है। दक्षिण वह प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने दक्षिण में हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में बहुत कार्य किया है अब हिन्दी को राजभाषा बनाने के विरोध में सबसे आगे है। बड़े दैनिक साप्ताहिक और मासिक पत्र दक्षिण भारत में इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री तथा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के आश्वासनों के बावजूद सरकार के समस्त विभागों पर हिन्दी अभी भी थोपी जा रही है और उसे उन क्षेत्रों में भी थोपा जा रहा है जहां कि वह बिलकुल ही नहीं समझी जा रही। हमारे उत्तर भारत के मित्र हमें बताते है कि वे बहुत सी भाषायें सीख सकते है। वे आकर हमारी खुशायद करते हैं और कहते है कि आप तो बहुत लायक आदमी है, और बहुत सी भाषायें सीख सकते है। हिन्दी तो कोई बहुत कठिन नहीं है। आप इसे बहुत ही कम समय में सीख सकते है और इससे भी आगे निकल सकते है। और इस तरह वह हमें हिन्दी पढ़ने को कहते है

यह सही है कि दिल्ली में दक्षिण भारतीयों की संख्या काफी बड़ी है और वे हिन्दी सीख रहे हैं। लेकिन जैसा कि श्री शंकरराव देव ने संविधान सभा में कहा था, वे दिल्ली में भाषा या संस्कृति से खिच कर नहीं बल्कि रोजी कमाने के लिये ही आते हैं। इसीलिये हिन्दी को राजभाषा बनाकर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज): संविधान में तो उत्तर और दक्षिण भारत जैसी कोई चीज आई नहीं है।

†**श्री सेझियान**: संविधान में न सही पर भौगोलिक रूप से तो है। भूगोल और इतिहास की दृष्टि से तो उत्तर और दक्षिण भारत अलग-अलग हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री च० का० भट्टाचार्य : जब माननीय सदस्य संविधान का हवाला देते हैं तो उनको संविधान की पूरी बात सामने रखनी चाहिये ।

†**श्री सेझियान** : कांग्रेसी सदस्यों ने स्वयं उत्तर और दक्षिण भारत का हवाला दिया है। है। मैंने श्री शंकर राव देव की बात आपको अभी बतलाई है।

वैसे प्रधान मंत्री और भूतपूर्व राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि हिन्दी को थोपा नहीं जायेगा। इसके लिये एक विधेयक भी विचाराधीन है। फिर भी सभी सरकारी विभागों पर हिन्दी लादी जा रही है।

एक सुझाव यह भी है कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की कोई एक भाषा पढ़ाई जाये। दक्षिण भारतीयों को तो सरकारी काम के लिये अनिवार्य रूप से हिन्दी सीखनी पड़ेगी लेकिन उत्तर भारतियों के लिये दक्षिण भारत की भाषा सीखना वैकल्पिक होगा।

हिन्दी का विरोध दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। बंगाल, पंजाब और नेफा की जनता भी हिन्दी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध है।

बंगाल विधान सभा और विधान परिषद में चार वर्ष पहले हिन्दी को राजभाषा बनाने के प्रश्न पर पुर्नविचार करने की मांग की गई थी । कलकत्ता के अखिल भारतीय राष्ट्रीभाषा सम्मेलन में डा० नरेश चन्द्र सेन गुप्त ने कहा था कि भारत की आधी से अधिक जनता के लिये हिन्दी भी उतनी ही विदेशी भाषा है जितनी कि अंग्रेजी। बंगाल के एक प्रमुख प्रोफेसर ज्योतिष चन्द्र घोष ने बड़ी तिक्तता के साथ कहा था कि बंगाल ने शुरू से दिल्ली के आधिपत्य के आगे सिर झुकाने से इन्कार किया है यहां तक कि भगवान कृष्ण के भारत को एक करने के प्रयास को भी निष्फल बना दिया था। आगे उन्होंने कहा था कि इसी तरह हिन्दी भाषियों का हिन्दी को राजभाषा के रूप में बंगाल पर थोपने का प्रयास भी विफल रहेगा।

संविधान सभा में उत्तर प्रदेश के श्री घुलेकर ने राजभाषा सम्बन्धी नीति का समर्थन करते हुए कहा था कि हिन्दी ही राजभाषा राष्ट्रीय भाषा है। लोग चाहे पसंद करें या न करें। वे लोग किसी दूसरे राष्ट्र के होंगे लेकिन श्री धुलेकर के शब्दों में "मैं भारतीय राष्ट्र का हिन्दी राष्ट्र का हूं।"—इसका मतलब यह हुआ कि अन्य भाषायें राष्ट्रीय नहीं हैं—वे भारत राष्ट्र को 'हिन्दी राष्ट्र' बना देना चाहते हैं। हो सकता है कि एक दिन हिन्दी राष्ट्रभाषा बन जाये लेकिन तब उस राष्ट्र की सीमायें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक ही रह जायेंगी।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** माननीय सदस्यों ने गृह-कार्य मंत्रालय की विभिन्न कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस मंत्रालय के अधीन विषय इतने विविध हैं कि एक माननीय सदस्य ने तो इसे अवशिष्ट मंत्रालय ऐसा मंत्रालय जिसे वे सभी विषय सौंप दिये जाते हैं। जो अन्य मंत्रालयों के अधीन नहीं आते तक कह डाला है। पर श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने ज्यादा ठीक कहा है कि इस मंत्रालय के अधीन बहुत से विषय हैं। वे सभी विषय भली भांति परिभाषित हैं। इसलिये उनसे सम्बन्धित कृत्यों और कृत्यों के निर्वाह के बारे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन गृह–कार्य मंत्रालय ही करता है। छः संघ राज्य क्षेत्रों का प्रभार भी इसी मंत्रालय के पास हैं। राज्यों से सम्बन्धित सभी कार्य हम राज्यों के परामर्श से चलाते हैं। संघीय विधान के अनुरूप ही हम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रशासनों में सद्भावना और सहकार्य बनाये रखते हैं।

और गृह-कार्य मंत्रालय को साथ ही केन्द्रीय मंत्रालयों की सेवाओं के नियंत्रण, इत्यादि का कार्य भी करना पड़ता है।

सभा को मालूम है कि संसार भर में केन्द्रीय सरकार ही सब से अधिक कर्मचारियों को सेवा में रखती है। सरकार के लगभग २० लाख कर्मचारी हैं, जिन में से दस लाख गृह-कार्य मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही, गृह-कार्य मंत्रालय को एक सीमा तक अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्य भी संभालना पड़ता है। अभी इस समय देश में दो अखिल भारतीय सेवायें हैं। और भविष्य में तीन और बनने जा रही हैं और एकता सम्मेलन की बात मानी गई तो शिक्षा को भी अखिल भारतीय सेवा बना दिया जायेगा। यह भी हमें देखना पड़ता है।

सामाजिक और आर्थिक निर्योग्यताओं से संबंधित विशेषकर कुछ पिछड़े समुदायों के कल्याण का कार्य भी हमें देखना पड़ता है। और प्रशासन संबंधी कुछ और भी छोटे-मोटे कार्य हैं। मैं संक्षेप में सभी विषयों पर प्रकार डालने का प्रयास करूंगा।

मैं सब से पहले सेवाओं का प्रश्न लेता हूं। इस के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो आलोचनायें की हैं, वे अधिकांशतया गलत या अपूर्ण सूचनाओं के आधार पर की गई हैं। एक माननीय सदस्य ने आज सुबह कहा था कि भारतीय प्रशासकीय सेवा पहले की आई० सी० एस० की तरह की है। देश स्वतंत्र होने और नयी राजनीतिक विचारधारा अपनाने के बाद वैसी रुढ़िवादी और लीक-लीक चलने वाली सेवा ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी।

दूसरी चीज़ यह कि भारतीय प्रशासकीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना प्रथम गृहकार्य मंत्री के उपक्रम पर १९४८ में हुई थी। अब हम दोनों को उचित आधार पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों की संख्या लगभग १,८०० और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या १,००० है। हम इन अधिकारियों को देश की प्रगति से पूर्णतया परिचित बनाये रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने उनके लिये जितने थे और अन्य स्तरों पर प्रशिक्षण की विभिन्न योजनायें चालू की हैं। इसलिये पहले की सेवाओं से उनकी तुलना करना उचित नहीं होगा। इन अधिकारियों को पहले की कार्य क्षमता बनाये रखते हुए एक लोकतांत्रिक वातावरण में काम करना पड़ता है। हमने इसी लिये भारतीय प्रशासकीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारियों के लिये मसूरी में एक बुनियादी पाठ्यक्रम चालू किया है, जिस में इतिहास और अर्थ-शास्त्र ही नहीं, भारत की मिलीजुली संस्कृति के विषय पर भी व्याख्यान माला आयोजित की जाती है। प्रशासकों को गांधी दर्शन की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। इसलिये वे आई० सी० एस० अधिकारियों की भांति लीकलीक चलने वाले नहीं रह सकते।

स्वतंत्रता के बाद अब वातावरण बदल चुका है। अब ये अधिकारी जनता के सेवक हैं, उनके शासक नहीं। पुलिस को विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये बड़ी मुस्तैदी से काम करने के साथ-साथ, जनता के सेवक होने की दृष्टि से काम करना पड़ता है। इसी लिये हम अपने सभी प्रशासकों को कला और संस्कृति संबंधी विषयों में दीक्षित करने की चेष्ठा कर रहे हैं। सांस्कृतिक

[श्री दातार]

और प्रशासनिक विषयों के प्रशिक्षण के बाद, उनको मसूरी में और अपने जिले में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद ही उनकी नौकरी पक्की की जाती है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को हम सांस्कृतिक विषयों में प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही उन को सेना के साथ साथ प्रशिक्षित किया जाता है, जिस से कि वे अपने अत्यावश्यक कर्त्तव्य में चूक न सकें।

और, हमारे यहां राज्यों के सर्वोत्तम अधिकारी भी हैं जो पदोन्नति के लिये नियत संख्या के अर्न्तत यहां लाये जाते हैं। उनको भी इसी प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है और जिले के प्रशासन का भार सौंपा जाता है। या राज्यों के अन्य महत्वपूर्ण पदों का भार संभालने के लिये भेजा जाता है।

इस से स्पष्ट है कि सरकार इन अधिकारियों को आधुनिकतम प्रशिक्षण और सांस्कृतिक विषयों का प्रशिक्षण देने के प्रति पूर्णतः सतर्क है।

कल एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी, यह पसन्द नहीं किया कि अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाये। श्रीमती रेणुका राय ने इस संबंध में बिलकुल ही ठीक कहा है कि हमें समूचे भारत को एक इकाई समझना चाहिये और यदि देश को एक इकाई माना जाये, तो प्रत्येक अधिकारी को अपने आप को पूरे देश का राष्ट्रजन मानना चाहिये और भारत के विभिन्न प्रदेशों में सेवा करने के लिये तैयार रहना चाहिये। उसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभेद नहीं करना चाहिये। मैं ने स्वयं देखा है कि कई पंजाबी अधिकारी मद्रास और केरल में बड़े सफल रहे हैं। कई दक्षिण भारतीय अधिकारी इसी प्रकार बंगाल और अन्य राज्यों में बड़े सफल रहे हैं। वास्तव में राज्य पुनर्गठन आयोग की इच्छा भी यही थी कि विभिन्न राज्यों के अधिकारियों का अधिकाधिक आदान-प्रदान चलता रहे। हम उसी का पालन कर रहे हैं। भारतीय प्रशासकीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के ६१ प्रतिशत अधिकारी अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं। और, मैं यह भी बता दूं कि वे बड़ी सफलता के साथ अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं। वे अन्य प्रदेशों की स्थानीय भाषायें सीख रहे हैं और बड़ी निष्पक्षता से सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार हम देश की उच्चतम सेवाओं में राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं। जहां भी ये अधिकारी भेजे जाते हैं उन प्रदेशों को उनको अपने ही प्रदेश मानकर चलना चाहिये, और ऐसे तबादिलों पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये। इन सेवाओं के लिये आयोजित परीक्षाओं द्वारा हम देश के सर्वोत्तम व्यक्तियों को चुनते हैं और इस प्रकार समूची प्रशासकीय व्यवस्था का स्तर ऊंचा उठता जाता है। और राष्ट्रीय एकता के अतिरिक्त, कार्यक्षमता की दृष्टि से भी एक प्रदेश के अधिकारियों को दूसरे दूसरे प्रदेशों में भेजना हितकर है।

मैं यह भी बता दूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार राज्य-सभा एक संकल्प पारित करके नयी अखिल भारतीय सेवा चालू करने का आधार जुटा सकती है। राज्य-सभा ने दिसम्बर में ऐसी तीन अखिल भारतीय सेवायें बनाने के लिये संकल्प पारित किया था। एक इंजीनियरिंग, दूसरी वन और तीसरी चिकित्सा की। इन तीनों सेवाओं की आवश्यकता मुख्य मंत्रियों ने सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर ली थी। हमने उसकी ब्यौरेवार योजना तैयार की है। वह राष्ट्रीय एकता को बल देगी। इनके लिये कड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। उनमें सभी राज्यों के लोग शामिल हो सकेंगे। और, आप सभी स्वीकार करेंगे कि इन सेवाओं में भारत के सर्वोत्तम और सर्वाधिक क्षमता शील व्यक्ति लिये जाने चाहियें। और उनको उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। उनको देश के प्रत्येक भाग में जाने के लिये तैयार रहना चाहिये। इस लिये कि आखिर हमारा देश तो एक ही है।

केन्द्रीय सेवाओं को भी हम और ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसके लिये कई कदम उठाये हैं।

एक प्रस्ताव यह भी था कि एक भारतीय न्यायिक सेवा भी होनी चाहिये। पर कुछ मतभेद होने के कारण उस पर विचार स्थगित कर दिया गया है।

केन्द्रीय सेवाओं में भी हम अच्छे से अच्छे, सुयोग्यतम अधिकारी लाने का प्रयास कर रहे हैं।

संघलोक सेवा आयोग इसी दृष्टि से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है।

हम कोशिश कर रहे हैं कि केन्द्रीय सेवाओं में भी सुयोग्यतम और सबसे अधिक कार्यक्षम अधिकारी आयें और उनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय हो। उनको राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को सदा ही अपने सामने रखना चाहिये। उनको देश के किसी भी भाग में जाने में हिचक नहीं होनी चाहिये। इसी लिये इन अधिकारियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा चुना जाता है और किसी की भी पदोन्नति नहीं रोकी जाती। इस के लिये ही, हम उनके चुनाव में संघलोक सेवा आयोग के सभापति या एक सदस्य की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी**: मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने न्यायिक सेवाओं के बारे में अधिक कुछ नहीं बतलाया। उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव सम्बन्धित राज्यों में से ही किया जाता है? यदि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा को अखिल भारतीय बनाया जाये, तो न्याय ज्यादा अच्छा होगा।

†**श्री दातार**: उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संविधान में एक प्रक्रिया निश्चित की गई है। उसमें कहा गया है कि उनका चुनाव सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाधिपति को ही करना पड़ेगा। वह यदि चाहे तो सब से अच्छे वकीलों में से किसी को चुन लें, या फिर जिले या सेशन के न्यायाधीशों में से किसी को चुने।

मुख्य न्यायाधिपति फिर अपना प्रस्ताव राज्य के मुख्य मंत्री या राज्य सरकार को भेज देता है। उसके बाद ही वह प्रस्ताव हमारे पास आता है। हम ऐसे प्रस्तावों को भारत के मुख्य न्यायाधिपति के पास भेज देते हैं। नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। पिछले दस-बारह वर्ष में ऐसी लगभग डेढ़-सौ नियुक्तियां की गई हैं।

आठ दस मामले ही ऐसे हैं जिनमें उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य मंत्री के विचारों में मतभेद था लेकिन भविष्य में इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि दोनों के विचारों को पूरा पूरा महत्व मिले।

जहां तक इन नियुक्तियों की बात है, ये बहुत ही महत्व की नियुक्तियां हैं। यही कारण है कि इनकी नियुक्ति के लिये यह प्रक्रिया अपनाई गयी है और हम अक्षरशः उसका पालन कर रहे हैं। उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा राज्य सरकार को इस बात की छुट है कि वे कुछ सुझाव दें और भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे उन सुझावों को स्वीकार करें अथवा न करें। ऐसे मामलों में, जहां कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

राज्य के मुख्य मंत्री एक मत से किसी नियुक्ति के लिये समर्थन करते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधिपति उससे सहमत नहीं होते तो हम पहली बात मानते हैं अन्यथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति की ही बात मानी जाती है । चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च अधिकारी हैं, यही कारण है कि हमने यह प्रक्रिया अपनाई है ।

इस प्रश्न पर सभी पहलुओं से विचार किया गया है । जहां तक भ्रष्टाचार की बात है सदैव ही हमारा यह प्रयत्न रहा है कि पदाधिकारियों में और विशेषतः उच्च पदाधिकारियों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न रहे। भ्रष्टाचार निवारण के लिये ही १९४८ में पुलिस के एक विशेष संस्थान की स्थापना की गई थी जिसे अब स्थायी बना दिया गया है ।

दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति भी भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये बनाई गई थी। १९५१ के शुरू में उस समिति ने कुछ सुझाव दिये थे जिनका पूर्णरूप से पालन किया गया है ।

जब कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले की सूचना मिलती है वैसे ही विभागीय तौर पर अथवा अन्य रूप से इस बारे में कार्यवाही की जाती है । सरकार इस मामले में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। यहां तक कि सचिव तक पर मुकद्दमा चलाया गया है । आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नौकरी से भी अलग कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रशासकीय सतर्कता विभाग के उस प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करता हूं जो पिछले सप्ताह ही सभा पटल पर रखा गया है और इसमें भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के उपायों पर विचार किया गया है ।

१९५६ अथवा १९५७ में हमने कुछ ऐसे उपायों के बारे में विचार किया है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वातावरण तैयार करें। सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि सारे प्रशासन का काम एक निर्धारित तरीकों पर हो। इसलिये ही मंत्रिमंडल -सचिवालय में एक विशेष अनुभाग खोला गया है जो इस प्रकार की रीतियों के बारे में विचार करता है। ताकि शीघ्रता से इस बारे में कार्यवाही की जा सके ।

हम चाहते हैं कि इस ढंग से सतर्कता बरती जाये कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी न हो। इसके लिये एक विभाग खोला गया था। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वे सभी परिस्थितियां समाप्त हो जायें जो भ्रष्टाचार का कारण बनती हैं अथवा भ्रष्टाचार में सहायक हो सकती हैं ।

मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी की प्रतिष्ठा ऊंचे से ऊंचे ढंग में बनी रहे। प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की ख्याति भी आवश्यक है । इसीलिये सरकार विभागीय कार्यवाही तथा मुकद्दमों के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है । ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने पर सरकार ने विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है । ताकि वे विभागीय जांच कर सकें। विशेष पुलिस संस्थान के अलावा प्रशासकीय सतर्कता विभाग भी खोला गया है जो भ्रष्टाचार के सभी मामलों के बारे में समन्वय करता है ।

कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी पत्र आते हैं जिन पर किसी का नाम नहीं होता हम ऐसे पत्रों के बारे में भी जांच पड़ताल करते हैं। और कुछ मामलों में हमें भेद का पता भी चल जाता है । इस प्रकार सरकार हर तरह से यह प्रयत्न करती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये ।

गृह मंत्रालय के आधीन आजकल ६ संघीय राज्य क्षेत्र हैं। उनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मनीपुर, अन्दमान निकोबार टापू तथा अन्य टापू सम्मिलित हैं। बहुत सी बार इनके बारे में आलोचना की गई है । लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह आलोचना गलत बातों पर आधारित है।

यह प्रश्न उठाया गया है कि इनको अन्य राज्यों के समान स्तर क्यों न प्रदान किया जाये ।

जहां तक दिल्ली की बात है इसकी अपनी विशेषता है । यहां राजधानी है । संसद् है जो यहां के प्रशासन की देखभाल करती है । संसद् में दिल्ली को अच्छा प्रतिनिधित्व भी मिला है । संसद् में दिल्ली से ५ सदस्य हैं।

जहां तक हिमाचल प्रदेश तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों की बात है। वे काफी पिछड़े क्षेत्र थे। आर्थिक दृष्टि से भी वे काफी पिछड़े थे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि राज्य पुनर्गठन आयोग इस बारे में संशयशील था कि किस प्रकार इन क्षेत्रों का मामला निपटाया जाये। कुछ लोगों की राय थी कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला दिया जाये लेकिन आयोग की अध्यक्ष की राय थी कि इसे अलग राज्यक्षेत्र बनाया जाये। इसका कारण यह था कि यह बहुत लम्बे अर्से से पिछड़ा वर्ग है और किसी दूसरे राज्य में इसे मिलाने से पूर्व आर्थिक दृष्टि मे इसकी हालत ठीक कर देनी चाहिये। अतः १९५६ में इन सभी बातो के बारे में विचार किया गया। मनीपुर और त्रिपुरा के बारे में भी यही बात थी। अन्त में राज्य पुनर्गठन आयोग ने यही निर्णय लिया कि मनीपुर को एक अलग राज्य बनाया जाये और त्रिपुरा को आसाम में मिला दिया जाये। चूंकि ये क्षेत्र भी काफी पिछड़े थे अतः भारत सरकार ने उनके विकास का दायित्व लिया। यही कारण है कि इनको भारत सरकार ने अलग से ही राज्य क्षेत्र बनाये। अन्य संघीय क्षेत्रों के बारे में प्रश्न ही नहीं उठाये गये हैं अतः मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। इन संघीय क्षेत्रों पर पहली योजना में १५ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में ५१ करोड़ रुपये व्यय किये गये। तीसरी योजना के दौरान में हम इन सभी राज्य क्षेत्रों पर १५० करोड़ रुपये व्यय करेंगे। १९६१–६२ में दिल्ली पर हमने ३० करोड़ रुपये व्यय किये। १९६२–६३ में ३७ करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है जब कि दिल्ली से आय केवल १३ करोड़ रुपये की होगी। इन तीन संघीय क्षेत्रों से भी आय तो कम होगी लेकिन उन पर व्यय अधिक होगा। हिमाचल प्रदेश पर १९६१–६२ में हमने १९.४० करोड़ रुपये व्यय किये। इस चालू वर्ष में हम २१.७६ करोड़ रुपये व्यय करेंगे। हिमाचल प्रदेश से जितनी आय होती है लगभग उसका ५ गुना हम उस पर व्यय करते हैं। अतः माननीय सदस्यों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। १९६१–६२ में मनीपुर पर हमने ७.३९ करोड़ रुपये व्यय किये जब कि वहां से हमें कुल ५०.३४ लाख रुपये की आय हुई। इस प्रकार हम इन राज्यों पर धन-व्यय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये पूर्णरूप से विकसित हो जायें।

†**श्री दशरथ देब** (त्रिपुरा पूर्व) : हमारी शिकायत व्यय के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में थी कि जनता को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं ।

†**श्री दातार** : वर्ष १९६१–६२ में त्रिपुरा से ५२ लाख रुपये की आय हुई और उस पर १०.८३ करोड़ रुपया खर्च किया गया । चालू वर्ष के बजट अनुसार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

५५.८२ लाख रुपये की प्राप्ति और ११.५२ करोड़ रुपये व्यय होगा जो कि दस गुना से अधिक है। इन तीन राज्य क्षेत्रों को अलग राज्यों का रूप देने की मांग कई बार की जा चुकी है। ऐसा करते समय कई बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है। सब से पहले तो उन में इतनी क्षमता होनी चाहिये कि अलग राज्यों के रूप में वे काम कर सकें। भारत सरकार तो चाहती है कि देश का कोई भी भाग उपेक्षित अथवा अविकसित न रहे।

यह ठीक है कि कुछ एक सीमा क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। वर्ष के अधिकतर भाग में वहां पहुंचना संभव नहीं होता। इसी कारण भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि राज्य सरकारों की सहायता की जाये और राज्य सरकारों ने इन उपेक्षित और निर्गम्य क्षेत्रों के छोटे-छोटे जिले बना दिये। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में तीन, हिमाचल प्रदेश में एक, पंजाब में एक और जम्मू तथा काश्मीर में लद्दाख प्रदेश में एक जिला बनाया गया। भारत सरकार इन में संचार साधनों, शिक्षा और आर्थिक विकास करने के लिये उत्सुक है।

इन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता बहुत अधिक है और हम इन के लिये अधिक अनुदान दे रहे हैं।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : जो राशियां बताई गई हैं क्या उन में वह व्यय भी सम्मिलित है जो भारत-चीन सीमा पर चौकियां बनाने पर किया गया है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिये था क्योंकि ये राशियां विकास परियोजनाओं पर व्यय की जा रही हैं। अतः सारी स्थिति स्पष्ट थी। भारत सरकार इन क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के समान स्तर पर लाने के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। जहां तक इन्हें अलग राज्य बनाने का सम्बन्ध है हमें सभी तथ्यों को सामने रखते हुए इन पर विचार करना चाहिये। प्रादेशिक परिषदों को अधिक शक्तियां प्रदान करने का विचार किया जा रहा है और कुछ अन्य विषय भी उन्हें सौंपे जा सकते हैं। प्रादेशिक परिषदें मंत्रणा निकाय अथवा कार्यपालिका परिषद् स्थापित कर सकती हैं।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि सेवाओं में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति बहुत कम लिये जाते हैं। यह बात सही है परन्तु उन्हें यह भी तो देखना चाहिये कि हम ने क्या कुछ किया है। अनुसूचित जातियों को सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं का भी सामना करना पड़ता रहा है। इसी लिये हम ने उन्हें अधिकतम संख्या में छात्रवृतियां दीं और उनकी अन्य आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मैट्रिक पास छात्रों को छात्रवृतियों के रूप में १९४८ में ३० लाख रुपये दिये गये। जब कि गत वर्ष २५० लाख रुपये दिये गये। इस से पिछड़े वर्गों को बड़ी सहायता मिली है। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और हम ने उन के लिये रोज़गार की संभावनायें भी पैदा कीं।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की प्रतियोगिता के लिये तैयार करने के लिये भारत सरकार ने निश्चय किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसका प्रशिक्षण

---

†मूल अंग्रेजी में

आरम्भ किया जिससे पिछड़े वर्गों के छात्र लाभ उठा सकें। इस कार्य के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रथम वर्ष में ७६,००० रुपये का अनुदान दिया। छात्रावास का निर्माण करने के लिये हम ने २ लाख रुपया दिया। आई० ए० एस० में पहले अधिक से अधिक ५ उम्मीदवार लिये जाते थे जो १९६१ में अनुसूचित जातियों के २२ और अनुसूचित आदिम जातियों के चार उम्मीदवार चुने गये। दिन-प्रतिदिन उन की संख्या बढ़ रही है। अब आई० ए० एस० में अनुसूचित जातियों के ७० और अनुसूचित आदिम जातियों के २४ उम्मीदवार लिये जा रहे हैं। अब हम दक्षिण में भी एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहे हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के नियमों में परिवर्तन करने की बात कही गई है। कार्य-कुशलता बढ़ाने के बारे में भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद ३३५ के अनुसार हम यथा-संभव कार्यकुशलता बनाये हुए हैं।

चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत छोटे-छोटे काम करने वाले व्यक्ति तथा अन्य सभी लोग आते हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में मंदगति से वृद्धि हुई है। इस बारे में हमने कुछ नियम बनाये हैं। अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति को हम कुछ छूट देते हैं। उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

यह कहा गया है कि हम आयोग तो नियुक्त करते हैं किन्तु उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के बारे में जितने आयोग नियुक्त किये गये हैं उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है। हम ने उन सभी सिफारिशों पर अच्छी तरह विचार किया है और उनको या तो ज्यों की त्यों स्वीकार कर लिया है अथवा थोड़ा बहुत हेर फेर कर के स्वीकार कर लिया गया है।

अनुसूचित जातियों में भंगियों की दशा बहुत बुरी है। उनकी दशा साधारण मनुष्यों से भी बहुत गिरी हुई है। हम चाहते हैं कि उनकी स्थिति में सुधार किया जाये। उन के रहने की दशा में सुधार किया जाये। उन के लिये मकानों की दशा ठीक की जाये। हम भरसक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी स्थिति अधिक से अधिक ठीक हो जाये।

अकेले आदिम जातियों के सुधार के लिये ही हम ने १२५ करोड़ रुपये व्यय किये हैं। उनके क्षेत्र में सड़कें बनाई जा रही हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वे अपने आपको अन्य भारतीयों के समान समझें। इस के लिये यह आवश्यक है कि उनको कुछ विशेष रियायतें दी जायें। आदिम जाति तथा अनुसूचित जातियों के सुधार के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हम ने जो कुछ किया है हो सकता है कि वह बहुत अधिक सन्तोषजनक न हो लेकिन वर्तमान कठिनाइयों को सामने रखते हुए हम ने बहुत कुछ किया है। अस्पृश्यता और आर्थिक विभिन्नता को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि जनता हमारी सहायता करे। तभी देश में भावात्मक एकता होगी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भावात्मक एकता लाने के लिये ही कर रहे हैं। मद्यनिषेध आदि के बारे में भी हम काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं।

हमें पूरी आशा है कि भावात्मक एकता बनाने में हमें सभी का सहयोग समान रूप से मिलेगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। राष्ट्रीय एकता के संबंध में बहुत सी परिषदें और सभायें इस मुल्क में हो रही हैं। इस बारे में मैं राष्ट्रीय नेताओं से पुरजोर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस देश के लोग जातीय और कम्यूनल आधार पर तक्सीम हो चुके हैं और जो पक्षीय हिस्से बन गये हैं, जब तक हम उनको दूर नहीं कर सकेंगे, तब तक राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकेगी। मैं समझता हूं कि हम इन तमाम हिस्सों को खत्म कर के एकता की भावना को लाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं।

मैं इस सदन का ध्यान एवार्ड में लिखे जे० पी० के एक लेख की तरफ खींचना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार है :—

> "राजनैतिक सिद्धांत एवं राजनीति का व्यावहारिक प्रयोग यह बताते हैं कि उस राज्य में क्या हो रहा है। आज के युग में लोकतंत्र का अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि सरकार किसी दल की है और वह उसी दल के लिये सब कुछ करती है। डिमाक्रेसी के माने अब यह हो चुके हैं। जब तक हम उसको दूर नहीं करेंगे हर दृष्टि से, हम देश में राष्ट्रीय सरकार कायम नहीं कर सकेंगे। उस वक्त तक सिर्फ बातों में ही यह चीज हो सकेगी। असली राष्ट्रीय एकता कभी नहीं हो सकेगी। हम देखते हैं कि आज एक पार्टी हुकूमत को अपने हाथ में लेती है, वह मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये चाहे जितनी भी बातें करे, दूसरी पार्टी के लोग जो पार्टी हुकूमत में है उसको हटाने के लिये सोच विचार, सत्याग्रह और जो जो बातें हो सकती हैं, करती है। इसलिये जो प्रतिक्रियावादी फोर्सेज हैं, और जो एकता के भी विरोध में हैं, ये लोग एकता को नष्ट करना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अन्दर तो इस तरह से नहीं होना चाहिये। यहां पर एक राष्ट्रीय गवर्नमेंट की तरह काम करना चाहिये। यहां पर किसी दलबन्दी को नहीं माना जाना चाहिये बाहर भले ही वे अलग अलग तत्वों की तरह से काम कर सकते हैं।

हम दुनियां की गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, दुनियां में सहकार पैदा करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन क्या इस मुल्क के अन्दर इस तरह के काम करते हैं ? अगर आपस में कोई मतभेद होता है तो हम उसको पार्टी बाजी बन्द कर के तैय कर सकते हैं। राज्य करने का जो पुराना इतिहास है, उससे हम कुछ सीखें। आप देखिये कि राज धर्म क्या है। भारत का राज धर्म क्षत्री धर्म है। क्षत्री धर्म का बुनियादी तत्व वही है जो कि कहा जा सकता है कि गीता में है। जो दुष्ट है उसका विनाश करना चाहिये और जो शिष्ट होता है उसकी हमें मदद करनी चाहिये। अगर आप इस तत्व को देखें तो अपने लिये भी इसको अपना सकते हैं। अपनी पार्टी वाले भी अगर कोई गलती करते हैं तो उनको भी ठीक करने में हम लगें और उनको शिक्षित करें। लेकिन क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं ? कितनी रिपोर्टस् आती हैं कि सब जगह करप्शन चल रहा है। पी० ए० सी० की रिपोर्ट आती है कि चोरी होती है। अगर कोई १० रु० की भी चोरी करता है तो उसको छः महीने की सजा दी जाती है, लेकिन करोड़ों रुपयों का करप्शन होता है। आखिर उसकी रोक थाम क्यों नहीं की जा सकती है ? इसकी क्या वजह है। अपनी पार्टी के लोगों के अन्दर जब घूसखोरी का सवाल उठता है तो उनको बचाने की कोशिश की जाती है। मैं अपनी स्टेट के बारे में जानता हूं। गोरवाला साहब बड़े आई० सी० एस० आफिसर हैं जिनको मैसूर के ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिये भेजा गया था, उन्होंने बहुत से बेहतरीन सजेशन्स दिये हैं। मैसूर स्टेट के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एन्क्वायरी करने के लिये, अपोजीशन मेम्बरों की मांग पर, उनको वहां भेजा गया। वह वहां जाकर

देखते हैं और कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर जितना भी करप्शन होता है उसकी रोक थाम करने के लिये एक अफसर को भेजती है। जो कुछ वहां पर होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो वह कहता है उसके ऊपर कम से कम गवर्नमेंट कह सकती है, हिदायत दे सकती है कि क्या ऐक्शन लिया जाय। लेकिन अगर वह यह हिदायत न दे कि क्या ऐक्शन लिया जाय तो फिर उसके बारे में क्या किया जाय ?

इसके बाद मैं दूसरा प्वाइंट ले लेता हूं। आपने बहुत सी स्टेट्स के रूलर्स को प्रीवी पर्स देने का फैसला हमारे सामने पेश किया है। उसके बारे में मैं खास तौर पर उस स्टेट की तरफ आप का ध्यान खींचना चाहूंगा जिसको सांडूर स्टेट कहते हैं। इस स्टेट का क्षेत्रफल है १५,८६४ वर्ग मील और आबादी है १५ या १६ हजार की। उस स्टेट में ३० विलेजेज थे। उसकी आमदनी २ लाख रु० की थी। आप अपने व्हाइट पेपर की दृष्टि से देखें तो उसे २५ हजार से ज्यादा का प्रीवी पर्स नहीं दिया जा सकता। वैसे तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि प्रीवी पर्स को खत्म ही कर दिया जाय, लेकिन अगर किसी वजह से आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जैसा कि व्हाइट पेपर के अन्दर लिखा हुआ है और इस संसद् की स्वीकृति उसको है कि एक्स रूलर को क्या दिया जाना चाहिये, उसके हिसाब से देने की बात की जाय।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि मैसूर के जितने फारेस्ट्स हैं वह इन राजाओं को सिर्फ शिकार के लिये दिये गये थे। लेकिन ये लोग वहां पर जाकर खुद ही मालिक बन गये और सन्दलवुड का लाखों रुपया खा गये। वहां पर खुले तौर से ब्लैक मार्केट हो रहा है और दोनों हाथ से पैसा कमाया जा रहा है। इस को बन्द किया जाय और इसको साफ कर दिया जाय कि केन्द्रीय सरकार से यह जगह सिर्फ शिकार के लिये दी गई थी न कि सन्दलवुड ले जाने के लिये।

इसके बाद मैं माइनिंग आफ मैंगनीज के बारे में कहना चाहता हूं। यह भी वहां उस राजा के हाथ में है। उसकी भी आप अच्छी तरह से देख भाल करें और सेंटर से उसे किसी को न दिया जाये। जो माइनिंग ऐक्ट है, उसका ज्यादा से ज्यादा गलत फायदा लोग उठा रहे हैं, इसकी तरफ भी ख्याल किया जाय।

अब मैसूर स्टेट के बारे में कहना चाहता हूं। सेंट्रल आडिट रिपोर्ट (सिविल) कल ही हम को मिली है। उसके पहले बहुत सी मिनिस्ट्रीज की मांगों पर बहस हो चुकी है। अगर पहले उसे दे दिया जाता तो शायद ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन मैं केन्द्रीय मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स में जो एम्बैजेलमेंट बतलाये गये हैं उन पर आप नजर डालें। लास आफ कैश ऐंड जुवेलरी गवर्नमेंट के खजाने से हुआ है। उसमें जुवेलरी और सामान की कमी पाई जाती है। फिजिकल असेसमेंट के बाद उसमें बहुत कुछ नुक्सान मालूम हुआ है, उसकी आप देख भाल करें। इसी तरह से अदालत में दस बीस हजार का रखा सोना चोरी चला जाता है। खुद रायचूर और हवेली की अदालत से इस तरह की चोरी हो गयी और उसका पता नहीं चला, इसका मुझे बहुत अफसोस है।

दूसरी बात जो आपने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाये उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भारत वर्ष में राष्ट्रीय भाषा एक ही हो सकती है। हमारा काम हिन्दी में होना चाहिये, अंग्रेजी का कोई सवाल नहीं है जो कि हजारों मील से यहां आई थी। हमारे यहां उसमानिया यूनीवरसिटी में उर्दू को आसानी से हिन्दी में बदला जा सकता था लेकिन वहां से उर्दू को निकाल कर अंग्रेजी को लाया जा रहा है। आपको हिन्दी को बढ़ावा देना चाहिये। दक्षिण भारत में कुछ आदमियों को छोड़ कर जो अंग्रेजी बोलते हैं, कोई अंग्रेजी को नहीं चाहता। वहां आप हिन्दी को बढ़ावा दे सकते हैं और उसके लिये केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये।

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

हरिजनों के बारे में भी मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं। हरिजनों का सुधार चन्द लोगों को वजीफे देने से और उनको स्कूलों में भेजने से ही नहीं हो सकता। आपको उन्हें इकानमिक इमदाद देनी चाहिए, उनको जमीनें देनी चाहिएं। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि सरकार हमारे सामने आंकड़े रखे कि उसने कितने हरिजनों को जमीनें दीं, कितनी बावड़ियां खुदवा कर दीं, कितने मकान बनवा कर हरिजनों को दिये। तो आपको उनको इकानमिक इमदाद देनी चाहिये। कुछ व्हाइट कालर्ड हरिजन पैदा करने से ही उनकी समस्या हल नहीं होगी। जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं उनको मदद देने की आवश्यकता है।]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने के बाद जो कुछ बार्डर डिस्प्यूट्स रह गये हैं उनको निपटाना चाहिये। कल ही मोरे साहब ने कहा कि मैसूर में महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है। मैं उन मैसूरियन्स में से नहीं हूं जो इस सवाल को तंग नजरी से देखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट में भी कुछ कन्नड़ बोलने वाले जिले हैं। अगर वह बेलगांव की एन्क्वायरी कराना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि शोलापुर जिला कन्नड़ बोलने वालों का जिला है और उसके दक्षिण सारे ताल्लुके मैसूर राज्य में आने चाहियें। इसलिये आपको एक हाई पावर्ड कमेटी बिठानी चाहिये जैसी कि आपने बिलारी का झगड़ा निपटाने के लिये वांचू कमेटी बिठायी थी और ये जो झगड़े हैं इनको पीसमील न लेकर इन सब का फैसला कर दिया जाये तो अच्छा हो। मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र राज्य में मैसूर का मडकशिरा, आलूर, अडोनी, रायदुर्ग हैं और केरल में कासरगोड मैसूर राज्य का कन्नड़ इलाका है। इसी तरह से शोलापुर और मंगल बेड़ा और अक्कल कोट महाराष्ट्र में करनाटक के हिस्से हैं। हम यह नहीं चाहते कि किसी दूसरे राज्य का कोई हिस्सा हमारे राज्य में रहे लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी स्टेट का कोई हिस्सा दूसरे राज्य में रहे। अगर सरकार चाहती है कि इस चीज को नेशनल इंटीग्रेशन का नाम ले कर दबा दिया जाये तो ऐसा नहीं हो सकता। जो बार्डर का झगड़ा है उसको तै करता होगा। इस हाउस में जो महाराष्ट्र के एडवोकेट श्री लिमें हैं उन्होंने खुद पिटीशन दी है। उस पिटीशन पर बहुत से लोगों के दस्तखत भी हो चुके हैं, लेकिन इस पिटीशन से नहीं एक कमीशन आप बिठाकर इसका फैसला कीजिये, जो दक्षिण भारत के राज्यों में इस तरह के छोटे छोटे झगड़े हैं उन सब को एक जूडीशियल कमेटी स्थापित करके निपटाया जाये।

अन्त में मैं राष्ट्रीय एकता के बारे में कुछ कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। राष्ट्रीय एकता उस वक्त तक कभी मैटीयरलाइज नहीं हो सकती जब तक कि उन शब्दों पर अमल न किया जाए जोकि गांधी जी की जबान पर आखिरी समय में थे और वह क्या बात थी? वह बात लोगों को सैल्फ़ रूल देने की थी और उसी को ले कर आप पंचायत राज कायम करना चाहते हैं। और पंचायत का चुनाव नान पार्टी बेसिस पर करना चाहते हैं। लेकिन पंचायत से आगे पंचायत समिति और ताल्लुका परिषद् का चुनाव कांग्रेस और नानकांग्रेस के आधार पर होता है और हमने देखा है कि इनमें कांग्रेस के वोट ४५ पर सेंट थे तो दूसरों के ५५ परसेंट। तो इससे झगड़ा पैदा होता है। इसलिए इस झगड़े को दूर करने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय सरकार हो। राष्ट्रीय सरकार ही भावनात्मक एकता ला सकती है अन्यथा देश अवनति के गर्त में चला जायेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस तरह पहले हिन्दुस्तान ने फूट के कारण सफर किया उसी तरह आगे भी हो सकता है। आज हालत यह है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ़ है, एक लोग दूसरे लोगों के खिलाफ़ है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सदर श्री जैन मैसूर से चुन कर आ रहे हैं। बताया जाता है कि वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर प्रचार

हुआ। इसकी मुझे खुशी है कि इस तरह नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन अच्छा होता कि वहां से हारे हुए उम्मीदवार को खड़ा न करके कांग्रेस के किसी बड़े नेता जैसे टंडन जी, या डा० राजेन्द्र प्रसाद या नेहरू जी को खड़ा किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता । यह जो किया गया है यह सही मानों में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, यह तो अपने एक आदमी को स्थान देने का तरीका है। उसके सिवा और कुछ नहीं है।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : महिलाओं को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

†**श्री अ० शं० आल्वा** (मंगलौर) : मैं कुछ ऐसे सुझाव सभा के सामने रखना चाहता हूं, जिनको स्वीकार करके राष्ट्रीय एकता को बड़ा बल पहुंचाया जा सकता है।

विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सुझाया है कि यदि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों के एक-तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्यों से लिये जायें, तो ज्यादा अच्छा रहे। इसको कार्यान्वित किया जाना चाहिये। यह वर्तमान नियम बदलना चाहिये कि यदि न्यायाधीश अपना तबादिला किसी दूसरे राज्य में कराना चाहे तो उसे मुख्य न्यायाधिपति और राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी। इससे राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा पड़ती है।

यह सुझाव बड़ा उपयोगी है। इसलिये आप विभिन्न राज्यों के सीमा विवाद चल रहे हैं। गोवा में मैसूर और महाराष्ट्र से अधिकारी लाये गये थे। उस पर विवाद चल पड़ा कि वे अपने अपने राज्यों में गोवा के विलय के लिये प्रयत्नशील हैं। में जानता हूं कि ऐसे आरोप गलत हैं। गृह-कार्य मंत्रालय को इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मद्य निषेध को समान रूप से लागू किया जाना चाहिये। कुछ राज्यों के कुछ स्थानों पर तो मद्य निषेध को लागू किया गया है, पर कुछ स्थानों पर नहीं। इससे कई अवांछनीय भावनायें पैदा हो जाती हैं। यदि मद्य-निषेध को परम आवश्यक माना जाये, तो उसे पूरे देश पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिये। इस पहलू पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

देश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़े-बड़े आरोप लागाये जा रहे हैं। इसके संबंध में भी मेरा एक सुझाव है। जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। न्यायालय केवल साक्ष्य पर अपने निर्णय को आधारित करता है। कभी कभी निश्चित रूप से जानते हुए भी कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट है, वह साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जाता है। उसका जनता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे मामलों में विभागिय कार्यवाही होनी चाहिये।

सामान्य तौर पर गृह-कार्य मंत्रालय ने सराहनीय कार्य किया है। आशा है कि इन सुझावों को वह ध्यान में रखेगा।

श्री पालीवाल (हिंडोन) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : कई बातें हैं कि जिन पर कि हम प्रकाश डालना चाहते हैं। चिल्ड्रन्स एक्ट और वीमेन ऐक्ट अलग अलग हैं। इन पर मैं बोलना चाहती हूं लेकिन अभी तक मुझे समय नहीं दिया जा रहा है......

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या अपना आसन ग्रहण करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, संयोग की बात है कि जितना मैं ने कहने को सोचा था उस में से बहुत कुछ दूसरे माननीय सदस्य कह चुके हैं। विशेषतः राजस्थान से मेरे साथी श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने करीब करीब उन्हीं सब विषयों पर अपना विचार प्रकट किया है जिन पर कि मैं बोलने को सोच रहा था। इस बारे में मैं उन से बिल्कुल सहमत हूं कि गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है और देश के प्रशासन का कोई ऐसा अंग न होगा जिस में कि गृह मंत्रालय का किसी न किसी रूप में कुछ दखल न हो। आज की स्थिति में मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय का दायित्व बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत भारी हो गया है। यह मैं केवल भाषण के तौर पर नहीं कह रहा हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि देश के स्वतंत्र होने के बाद से आज तक अब से पहले किसी भी समय में देश के सम्मुख इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना कि आज है, बाहरी खतरे और अंदरूनी खतरे भी। अब बाहर का खतरा तो स्पष्ट है ही। उन को हम सब मानते हैं। हमारे दो पड़ोसी राष्ट्र हमारे देश के प्रति आक्रमणात्मक कार्यवाही कर रहे हैं और हम अभी तक उसका सफल प्रतिकार कर पाये हैं। मुझे यह आशा है और विश्वास भी है कि वह समय दूर नहीं जब हम वह प्रतिकार कर सकेंगे।

जहां तक बाहरी खतरों का सम्बन्ध है सुरक्षा विभाग उस सम्बन्ध में अपनी तैयारी हमारे ख्याल से कर रहा है और कर चुका है और समय आयेगा जब उसका फल हमारे सामने आयेगा। लेकिन देश के सामने एक अंदरूनी खतरा भी है जोकि बाहरी खतरों से कम गम्भीर नहीं है बल्कि उन से अधिक गम्भीर है। देश में राष्ट्रीयता की पुष्टि के जिन तत्वों पर सफल होने की आवश्यकता है, जिन प्रवृत्तियों के सफल होने की आवश्यकता है, दुर्भाग्य से उनके प्रतिकूल प्रवृत्तियां आज सबल होती जा रही हैं। एकता के स्थान पर विच्छिन्नताओं की प्रवृत्तियां आगे बढ़ रहीं हैं। देश के नैतिक धरातल को ऊंचा उठाने के स्थान पर हम देख यह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से नैतिक धरातल नीचे गिरता जा रहा है। यह एक बहुत गम्भीर बात है। कोई भी देश जिसके कि राष्ट्रीय जीवन में अन्दरूनी एकता की कमी होती जा रही हो जिसके कि सामाजिक जीवन में सार्वजनिक जीवन में अथवा प्रशासन में नैतिकता कमजोर होती जा रही हो वह देश बाहरी खतरों से मुकाबला करने के लिए उतना सक्षम नहीं हो सकता है जितना वह देश कर सकता है जिसकी कि नैतिकता और एकता दिनों दिन सबल होती जा रही हो।

देश में एकता की राष्ट्रीय भावना को सबल बनाने और सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन को नैतिक दृष्टि से ऊंचा उठाने का सब से अधिक दायित्व गृह मंत्रालय का है। इस लिए गृह मंत्रालय का दायित्व और उस का कार्य क्षेत्र बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण है। मैं यह मानता हूं कि देश में आज जो विच्छिन्नता की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उन को मजबूती से दबाना चाहिए और उन के साथ कोई लीनिएन्सी या नर्मी नहीं बरतनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि क्या इस देश को आगे संसार में अपने पैरों पर खड़े रहना है या नहीं। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि यह देश खड़ा रहेगा और उस की स्वतंत्रता को कोई धक्का नहीं लग सकता, लेकिन उस से बड़ा एक प्रश्न यह न कि यह देश संसार के सामने स्वतंत्र देश की हैसियत से तो विद्यमान रहेगा, लेकिन प्रजातंत्रात्मक देश की हैसियत से खड़ा रहेगा या नहीं। प्रश्न यह है कि जो खतरे हमारे सामने आ रहे हैं—चाहे वे बाहरी हों और चाहे अन्दरूनी—क्या हम प्रजातंत्रतात्मक सेट-अप या ढांचे में रहते हुए, प्रजातंत्र के अनुसार चलते हुए, उन का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। मैं मानता हूं कि हम कर सकते हैं यदि हम समय कि गति को पहचानें और समय से काम करना सीख लें।

मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के—कभी कभी शब्द नहीं मिलते—केवल फ़ार्म पर न जा कर हमें उस के वास्तविक तत्व की ओर जाना चाहिए और इस दृष्टि से यदि इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए, इन प्रवृत्तियों को रोकने और दबाने के लिए हमें अपने संविधान में कुछ परिवर्तन करने आवश्यक हों, तो वे अवश्य करने चाहिए।

यहां बात आती है स्टेट्स की आटानोमी की। अभी कल एक ओर श्रीमती रेणुका रे ने कुछ अखिल-भारतीय सर्विसिज के निर्माण का स्वागत किया, तो दूसरी ओर एक माननीय मित्र ने यह एतराज किया कि ऐसी सर्विसिज़ अधिक बढ़ाने से स्टेट्स की आटानोमी को आघात पहुंचेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि फेडरल आइडिया का बहुत लोगों को ख़याल है, लेकिन मेरे ख़याल से फ़ेडरल संविधान वास्तव में कोई संघ या फेडरेशन का संविधान नहीं है और उस तरह की आटानोमी, जिस को एब्सोल्यूट आटानोमी कह सकते हैं, आज भी नहीं है। क्या हम प्रति-दिन यह नहीं देखते कि इस सदन में प्रश्न किये जाते हैं उन विषयों पर, जो वास्तव में स्टेट्स के विषय हैं, और किसी भी दिन केन्द्रीय सरकार ने उन विषयों के बारे में उत्तर देने से, उन के बारे में सफाई देने से इन्कार नहीं किया, अपनी ज़िम्मेदारी से कभी इन्कार नहीं किया?

†**श्री क० चं० शर्मा** (सरधना): वह राज्यों का संघ है।

†**श्री पालीवाल**: जी हां, मैं उसी पर आ रहा हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हमारा देश फेडरेशन नहीं, बल्कि एक यूनियन है। जहां तक फेडरेशन का सम्बन्ध है, पहले कुछ स्वतंत्र राज्य होते हैं, जो अपनी सत्ता का कुछ अंश केन्द्रीय संघ को सौंप देते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान का संविधान बनने से पहले ऐसी कोई स्टेट्स नहीं थीं, बल्कि एक यूनिटरी फ़ार्म आफ़ गवर्नमेंट थी, जो कि एक विदेशी गवर्नमेंट थी, और उस से हम ने टेक ओवर किया और अपना नया संविधान बनाया।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण में न जाते हुए में केवल यह कहना चाहता हूं कि इस समय जो खतरे हमारे सामने हैं, उनका यदि पूरी तरह से मुकाबला करना है तो हम को मजबूती से, दृढ़ता से काम करना होगा और उस काम करने में यदि संविधान की कोई कठिनाइयां आती हों, तो उन कठिनाइयों को दूर करने में हम को हिचकना नहीं चाहिए और प्रशासन को अधिक शक्तिशाली, अधिक सक्षम, बनाने में चूकना नहीं चाहिए।

इस देश में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मनिपुर आदि जो कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं, यहां पर उन के लिए पूरे प्रान्तीय स्वशासन की, फुल रेस्पांसीबिल गवर्नमेंट की मांग की जाती है। यह सचमुच एक हंसी की बात मालूम होती है। शायद कुछ मित्रों को यह बात अच्छी न लगे, लेकिन मैं इस बारे में गृहमंत्री महोदय से पूर्णया सहमत हूं। छोटे छोटे हिस्सों की अलग अलग स्टेट्स बना कर, ऐसे छोटे छोटे प्रदेश बना कर, जिन से बड़े जिले दूसरे प्रदेश में मौजूद हैं, क्या हम ने इस देश को बाजीगर का खिलौना बनाना है? जिन स्टेट्स को बनाने की मांग की जाती है, वह लक्स्यूरी उन के बल-बूते पर चलने वाली नहीं है, यह वे लोग स्वयं भी जानते हैं। उस के लिए खर्चा आना चाहिए सेंटर से और सेंटर में वह रुपया आयगा देश के दूसरे भागों के करदाताओं से। ऐसी स्टेटस तो खिलौना मात्र होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पालीवाल]

मैं राजस्थान से आता हूं, जो कि उन्नीस राज्यों को मिला कर बनाया गया है । यदि उस दृष्टि से देखा जाये, जिस दृष्टि से कुछ लोग देखते हैं, तो आज भी राजस्थान में कम से कम चार भाग ऐसे हैं, जिन की भाषा करीब करीब अलग है, रहन-सहन और भौगोलिक विशिष्टता, जियोग्राफ़िकल फीचर्ज, भी अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी अगर कोई आवाज उठाए कि राजस्थान के अलग अलग हिस्से होने चाहियें, तो मैं पहला आदमी हूंगा, जो कि इस बात का विरोध करेगा । -

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

राजस्थान में कुछ मित्रों ने कई दफा राजस्थानी भाषा की बात कही है। मैं ने उस राजस्थानी भाषा का हमेशा ही विरोध किया है---इस दृष्टि से कि राजस्थानी भाषा कोई अलग भाषा नहीं है, बल्कि असल में वह हिन्दी की एक डायेलेक्ट है। इस दृष्टि से मैं हिन्दी का समर्थक हूं, लेकिन फिर भी---यह विषयान्तर होगा---मैं यह जरूर मानता हूं कि हिन्दी के भक्त हमारे साथियों ने हिन्दी के प्रश्न को जिस रूप में उठाया है, जिस रूप में उस को आगे बढ़ाया जा रहा है ऐसा लगता है कि उस से दूसरे प्रान्तों में एक प्रकार की अरुचि और थोड़ी कटुता सी बढ़ती जा रही है। भाषा आखिर क्या है ? भाषा अपने आप में कोई चीज नहीं है। भाषा मनुष्यों में एक दूसरे के विचारों को आदान-प्रदान करने का एक साधन मात्र है। **इट इज़ ए व्हीकल आफ थाट ओन्ली।** उस दृष्टि से भाषा के विषय में एक बड़ी भारी भक्ति, भाषा के क्षेत्र में एक शाविनिज्म की प्रवृति हम को राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में मदद नहीं करेगी। उल्टे उस से थोड़ी कठिनाई पैदा होगी ? उस से हम उस भाषा की सेवा भी नहीं करेंगे ।

मैंने अभी कल परसों कुछ आंकड़े जानने की कोशिश की, तो मालूम यह हुआ कि पहली लोक सभा में जितने सदस्यों ने हिन्दी और अंग्रेज़ी के अलावा दूसरी भाषाओं में शपथ ली, उससे कहीं अधिक संख्या में दूसरी लोक सभा में ली ।

हम चाहते तो यह हैं कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी आ जाये। आज या अब से पहले तक अंग्रेजी ऐसी भाषा रही है जिसके आधार पर इस देश के भिन्न भिन्न प्रान्तों में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो सकता था। हम चाहते यह हैं कि अंग्रेजी पूर्णतया खत्म करने से पहले हिन्दी वह स्थान ले ले, और हिन्दी जब तक वह स्थान नहीं लेती है तब तक अंग्रेजी को रखना अनिवार्य मालूम होता ही है। इसलिये अगर स्वाभाविक दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि अधिकतर लोगों ने पहली लोक सभा में या तो हिन्दी में शपथ ली या अंग्रेजी में। इसके अलावा जो दूसरी भाषायें हैं उनमें थोड़े से लोगों ने, ६, १० या १५ लोगों ने, शपथ ली थी । जब दूसरी लोक सभा आई तो उसमें पहली लोक सभा की अपेक्षा कहीं अधिक लोगों ने देश की दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में शपथ ली, और इस तीसरी लोक सभा में वह संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस का अर्थ मैं केवल एक ही समझता हूं कि हिन्दी के ऊपर जिस रूप से जोर दिया जा रहा है उस से दूसरे लोगों में एक प्रकार का रिऐक्शन पैदा हो रहा है, और हिन्दी भाषा-भाषी जिस प्रकार हिन्दी प्रेम का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उस रिऐक्शन के जवाब में दूसरे लोग अपनी भाषा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, यद्यपि वे अपने काम काज में प्राय: इंग्लिश का व्यवहार करते हैं। इस तरीके की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा यह ज्यादा सही होगा कि हम कुछ दिन इन्तजार करें। मेरी ऐप्रोच इस में यह होगी कि यदि हमें कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़े और जब तक हिन्दी स्वाभाविक रूप से लोगों की सहमती से वह स्थान ग्रहण कर ले तब तक उस पर इतना जोर देकर, दबाव डाल कर ऐसी भावनायें पैदा होने का अवसर हमें नहीं देना चाहिये जिन के कारण एक प्रकार की कटुता आती है। इस विषय पर इतना कहने के बाद मैं केवल एक बात और कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिये ।

श्री पालीवाल : अच्छी बात है ।

श्री गुलशन (भटिंडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय पर चर्चा चल रही है । मैं समझता हूं कि यह वह विभाग है जिस को देश की मां कहा जाय तो वह कुछ गलत नहीं होगा । मां का फर्ज है कि वह देखे कि हमारे गृह का जो परिवार है उसके सभी सदस्य सन्तुष्ट हों । उन को सन्तुष्ट रखने के लिये उस के सभी प्रबन्ध अच्छे हों, वह मुकम्मिल हों । उस को देखना चाहिये कि कोई अशान्ति तो नहीं फैली है । इस बात को देखना गृह-मंत्रालय का काम है । देश में शान्ति का बनाये रखना तो उसी मां का काम है जो कि अच्छी मां है । मैं समझता हूं कि देश की शान्ति के लिये देखना ही पड़ेगा कि देश रूपी इस घर में रहने वाले जो मेम्बर हैं वह छोटे हों या बड़े हों, सभी सन्तुष्ट हैं या नहीं । अगर सभी सन्तुष्ट हैं तो मां अच्छी है. सब से एक सा प्यार करती है और सभी मेम्बरों को मां के साथ प्यार होता है । मैंने देखा है कि बहुत कुछ कहा जा रहा है और जो चित्र या नक्शा हमारे सामने है उस को देख कर कभी कभी तो दिल ऐसा झूम उठता है कि गृह मंत्री जी को श्रवण की तरह से एक बहंगी में उठा लूं और कंधों पर उठा कर तीर्थ तीर्थ घूमता फिरूं और वह धुन अलापता फिरूं जो कभी कभी एक फिल्म में सुनी जाती थी । वह क्या थी ? "नगरी नगरी, द्वारे द्वारे" । हमारे गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वही उठा कर ले जाऊं । पहले दिल्ली की गलियों में, जो कि हिन्दुस्तान का दिल है, ले जाऊं । उस बस्ती में ले जाऊं जहां के लोगों के लिये इस रिपोर्ट में बहुत चर्चा होती है । जब वह हरिजन बहनें, वह देवियां मल मूत्र को उठा कर अपने सिर पर ले जाती हैं तो जितने विदेशी राजदूत देखते होंगे वे अपने मन में क्या कहते होंगे? यह एक नक्शा है, एक चित्र है । बहुत खूब है । लेकिन उस औरत के वेश में एक शोख़रा नाच रहा है ।

इसी तरह मैंने देखा है कि पिछले सालो में लॉ एंड आर्डर के मुताल्लिक बहुत कुछ हुआ है । मगर साथ ही मेरे सामने दिल्ली चांदनी चौक का १२ जून १९६० का नक्शा भी है । मैं कन्धों पर वह खून के छींटे देख रहा हूं । जबलपुर, अलीगढ़ का भी नक्शा हमारे सामने है । तो देखना यह है कि उन जगहों पर जो बेटे मारे गये उन को देख कर मां शान्त है या अशान्त है, लोगों की भावना जो है वह शान्ति की तरफ बढ़ रही है या अशांति की तरफ बढ़ रही है । कहा गया है कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया गया । लेकिन हमारे सामने नक्शा है बेरोजगारी का । जब हम देखते हैं कि हरिजनों की झोंपड़ियां, उन के वह टूटे फूटे घर, जो आज से सदियों पहले के हैं, उन का रहन सहन, बदला है या नहीं । मैं यह मान सकता हूं कि जो हमारी लोक सभा है या जो हमारी विधान सभायें हैं, उन में कहीं कहीं हमारे भाई बैठे दिखाई देते हैं, उन के पास साफ सुथरे कपड़े भी हैं । उन में से कुछ को देख कर अगर हम अन्दाज़ा लगा लें कि यह तो सभी देवता बन गये हैं, और उनकी जो हालत है वह सुधर गई है, तो एक अचम्भे की बात है । वह लोग जो झोंपड़ियों में रहते थे, चाहे हमारी करनाल रोड पर या रोहतक रोड पर, उन गांवों की हालत ऐसी है कि वे अभी तक नीले अम्बर के नीचे रात में सोते हैं, पेट के लिये उन के पास अन्न नहीं और तन पर कपड़ा नहीं । सुबह उठ कर कहीं जायें, कहीं मजदूरी करें उस की भी जगह नहीं ।

मैं पहली दफा इस उच्च लोक सभा में एक लंगड़ी सी हिन्दुस्तानी में बोल रहा हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, बहुत अच्छी भाषा है ।

श्री गुलशन : मैं पेप्सू विधान सभा में और पंजाब विधान सभा में दस सालों से रहा हूं और मुझे पंजाबी में ही बोलने का मुहावरा था। और वहां जो बोलते थे उनमें से एक मैं भी था। तो मैं ने कुछ मुताला किया । कहा गया है कि भाई हरिजनों के लिये नौकरियां बहुत हैं और उनके लिये सभी सोसाइटियां बना दी गयी हैं। तो मैं ने कुछ नक्शा देखा है और अभी अभी मैं कुछ आपके सामने बतलाना चाहता हूं। आजकल देश में सोसाइटियों का जोर है। हरिजनों को भी शौक हुआ कि उनकी भी सोसाइटियां बनें। सरकार ने बहुत कुछ किया। मैं ने पंजाब की असेम्बली म एक सवाल पूछा । उसका उत्तर मुझे मिला कि बहुत कुछ किया गया है। सात कोआपरेटिव ट्रांस्पोर्ट सोसाइटीज़ हरिजनों की बनीं हैं। यह सही है कि हरिजनों की सोसाइटियां तो बनी हैं लेकिन वे बिना रूट के फिर रही हैं। उनके लिये रूट कहीं नहीं है।

इसी तरह से नौकरियों का मामला है। हमें कहा जा रहा है कि भाई नौकरियों में तो हरिजनों को बहुत कुछ दे दिया है। कई दोस्त मुझे यह भी कह देते हैं कि भाई हमें हरिजनों का मुतबन्ना बना लें तो हमें भी खुशी होगी। मैं ने एक सवाल पंजाब असेम्बली में पूछा था। उस का उत्तर मुझे मिला । उसका जरा मुताला करें। सन् १९५५–५६ के आंकड़े एक मुहकमें के गृह-मंत्रालय की तरफ से दिये गये थे। डी० एस० पी० ५० रखे गये थे उनमें शिड्यूल्ड कास्ट का कोई नहीं है। इसके बाद सन् १९५७–५८ में ६८ डी० एस० पी० रखे गए और ऐसी चालाकी से उतर दिया गया कि उनमें से एक शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज़ का है। अब इसका निर्णय कौन करे कि वह शिड्यूल्ड कास्ट का है या बैकवर्ड क्लास का। इसी तरह से सन् १९५९–६० में है । ६७ डी० एस० पी० रखे गये उनमें से दो शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज़ के हैं। इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं कि जो इंस्पक्टर रखे गये उनमें १४२ में से कोई हरिजन नहीं, १५९ में कोई हरिजन नहीं, १७८ में केवल एक है, १७६ में एक है और १७९ में एक है। इसी तरह से सब-इंस्पैक्टर हैं। १९५५–५६ में ८७४ सब-इंस्पैक्टरों में आठ हरिजन हैं,—

अध्यक्ष महोदय : यह आप सारे पंजाब असेम्बली के ही बतलायेंगे ।

श्री गुलशन : पंजाब के नहीं, यहां के भी बता दूंगा। मैं ने यहां पर भी एक सवाल पूछा था कि टेलीफोन और डाक-तार विभाग में क्लर्कों में हरिजनों की तादाद क्या है। वह भी नक्शा मेरे सामने आया । मेरा सवाल है नम्बर १७२५ और १९८१ और यह २५ मई का है। इस का मुझे उत्तर मिला। सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस बम्बई में क्लर्क लिये गये १४७, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये गये ७, होने चाहियें थे ३०, तो इस तरह २३ कम लिये गये।

इसी तरह से सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस—

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह १४७ आप किस साल के फिगर दे रहे हैं।

श्री गुलशन : १९६२ के फिगर दे रहा हूं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : १९६२ में कितना रिकरूटमेंट हुआ और उसमें कितने हरिजन आए यह बतलाएं।

श्री गुलशन : मैं सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस, बम्बई की बात कह रहा था। वहां १४७ क्लर्क लिए गए। उनमें सात शिड्यूल्ड कास्ट के थे, तीस होने चाहियें थे, २३ कम लिये गए। सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस मद्रास में रिकरूटमेंट हुआ २९ का, उसमें दो हैं शिड्यूल्ड कास्ट, होने चाहियें ६, चार की कमी है। इसी तरह से सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस कलकत्ता में २१४ का

रिकरूटमेंट हुआ, दस शिड्यूल्ड कास्ट के लिये गय, ४५ होने चाहिये थे, ३५ की कमी है। सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस, आगरा में ३० का रिकरूटमेंट हुआ, और दो शिड्यूल्ड कास्ट हैं, ६ चाहियें, चार की कमी है। सेंट्रल टेलीग्राफस नई दिल्ली में जो कि आपके घर में है, यहां पर १५२ का रिकरूटमेंट हुआ। इनमें आठ शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, ३१ चाहिये थे, २३ की कमी है। टोटल ५७२ का है, उनमें सारे ३९ शिड्यूल्ड कास्ट के हैं जब कि चाहियें थे ११८।

जब हम रोजगार के मसले को देखते हैं तो एक और भी बात हमारे सामने आती है। कहा गया कि हरिजनों को जमीन भी देंगे और कुछ भी देंगे। अभी तक तो मैंने आपको पंजाब और सेंटर की बात बतलायी। अब मैं उत्तर प्रदेश में जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है ननीताल का जिला। वहां पर पंजाब के किसान भाई जा कर बैठे हैं जिन्होंने जंगल को खोद कर उस धरती को आबाद किया और वह लोग बदकिस्मती से वहां से उजाड़े जा रहे हैं। इन लोगों में सबसे ज्यादा गिनती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेटे जो हरिजन हैं उनकी है। तो कहा जा रहा है कि इन लोगों को बहुत कुछ दिया जा रहा है। मेरे पास उन लोगों की बड़ी फाइल पड़ी है। यह नहीं कि सरकार को उन्होंने कोई दरखास्त नहीं की। बहुत कुछ किया। इश्तिहार भी छापे हैं। मेरे पास उनके पत्र आए हैं, उन्होंने बताया है कि हम पंजाब के रहने वाले सन् १९४७ के समय यहां आ कर बसे थे। बदकिस्मती है कि हमारे केश और दाढ़ी है इसलिये हमको उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने दरख्वास्त की। कहा जाएगा कि वह लोग चैन से बैठे हैं उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं की या यहां कोई दरख्वास्त नहीं मिली। उन्होंने बताया कि हमारी फाइल कहां कहा गई है। वह है फाइल नम्बर १७९ तारीख १३ जनवरी, १९५९। फिर आगे चल कर उन्होंने लिखा है कि १५-२० फाइलें हैं जो उन्होंने वहां की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हैं। उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसी हालत में मैं किस तरह से मान सकता हूं कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ हो रहा है।

यह ठीक है कि सेंट्रल सरकार दर्द रखती है। गृह मंत्री या मंत्रालय उन लोगों की कुछ सेवा करना चाहता है। लेकिन मैंने तो यह तजरबा किया है कि वह सेवा जो सेंटर करना चाहता है उसका रुपया सूबे में जाते जाते घिस जाता है। और तो क्या कहूं कि हमारे भटिंडा में जो कि सिविल स्टेशन है उसके नजदीक कुछ हरिजनों ने एक कालोनी बनानी थी। उसके लिये स्वयं ढेबर भाई वहां गए थे। उनके हाथों के जरिये वह पत्थर रक्खा गया। सन् १९५५ में उन्होंने वह पत्थर रक्खा था। अभी कल मैंने देखा कि आंधी वगैरह से वह पत्थर अपनी जगह से टूटा जा रहा है। हरिजनों के वास्ते कालोनी बननी तो दूर रही वह पत्थर भी जो रक्खा गया था वह भी अपनी जगह से उड़ रहा है और खिसक रहा है। उस पत्थर के ही एक दम गिर जाने का खतरा पैदा हो गया है। कल रात को जब मैं ८ बजे इधर आ रहा था तो मैंने उसको अपनी जगह से उखड़ा सा देखा था। अब पता नहीं क्या बात है जो वह काम आगे नहीं बढ़ा। अब या तो ढेबर भाई चूंकि कांग्रेस प्रेसीडेंट रहे नहीं इस वजह से यह जो रुपया खर्च करना था वह पुराना हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रुपया सूबे की सरकार को हरिजन भलाई के लिये दिया था उसको बगैर खर्च किये वापिस किया गया है। हम समझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रुपया हरिजनों की तरक्की और बेहतरी के वास्ते सूबाई सरकारों को

[श्री गुलशन]

दिया था वह रुपया उनके जरिये खर्च नहीं किया गया। श्री दातार ने इस बारे में हाउस में जो अभी जवाब दिया था उससे साफ नकशा आपके सामने आ जायेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार को इस काम के लिये २३ लाख ८० हजार और ३ लाख ९३ हजार की रकम हरिजनों की उन्नति के वास्ते दी थी। उसके बारे में जब यह सवाल किया गया कि वह रुपया पंजाब सरकार द्वारा खर्च किया गया या नहीं तो दातार जी ने जो हाउस में जवाब दिया था वह मेरे पास इस अखबार में दिया हुआ है। उन्होंने अपने जवाब में हाउस को यह बतलाया था कि पंजाब सरकार वह सारी रकम ख़र्च नहीं कर पायी है और उसने बड़ी ईमानदारी से उस रकम को वापिस कर दिया है। कांग्रेस के प्रसीडेंट पत्थर खाली रख आते हैं लेकिन वह कालोनी नहीं बन पाती है। केन्द्रीय सरकार सूबायी सरकारों को इस काम के लिये जो रुपया देती है वह रुपया भी वापस आ जाता है। अब पता नहीं उसमें पहिया लगा है या गाड़ी में चढ़ कर वह वापिस लौट आता है। मैं इस बात को तसलीम करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हरिजनों के उद्धार के लिये काम करना चाहती है लेकिन उसको इसके लिये सूबों की सरकारों पर डिपेंड करना होता है और उनकी हालत यह है कि वह इस मामले में कदम नहीं बढ़ाती हैं और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है। यह सब देखकर मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि दरअसल वह इन हरिजनों को बस इसलिये ही भूख से मरने नहीं देना चाहते और जैसे तैसे जिंदा बनाये रखना चाहते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों से तो मजदूरी करवा कर भाखड़ा नहर बनानी है, बंध बांधने हैं, मन्दिर और महल बनवाने हैं। अगर यह लोग कहीं भूख से तड़फ कर मर गये तो फिर यह सिर पर टोकरियों का बोझ कौन ढोयेगा ? इसलिये कोशिश बस इतनी की जाती है कि यह किसी तरह उलटे सीधे जिंदा बने रहें ताकि इनसे अपना काम लिया जा सके। अगर इन सदियों से समाज द्वारा सताये हुए लोगों में अकल आ गई और उन्होंने कहीं हमारी अकल का मुकाबला करना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जायगी। इसलिये उनको रोटी बस इतनी ही दी जाती है जिससे कि वह किसी तरह जिंदा रह सकें। भूखे उनको इसलिए नहीं मरने देना चाहते क्योंकि उनसे सिरों पर बोझा जो ढुलवाना है। आखिर हमारी बड़े बड़े बांधों और नहरों की योजनाएं उनके बगैर कैसे अमल में आयेंगी ? अब वे हमारे पसमांदा लोग सड़कों के किनारे धरती पर खुले आकाश के नीचे पड़ कर सो जाते हैं न उनको रहने के लिए मकान और कमरे वगैरह की जरूरत है और न ही पंखे की जरूरत है। यह वह लोग हैं जो कि आपके बड़े बड़े महल और मन्दिर बनाते हैं लेकिन उनके अन्दर जाने की इनको आज्ञा नहीं है।

मैं इस चीज को मानता हूं कि सरकार यह बात कहने लगी है कि हरिजनों को ऊंचा उठाना है और देश की एकता कायम करनी है। मुझे खुशी है कि देश की एकता और खुशहाली के लिये वह राइट लाइंस् पर सोच रही है। उनको ऊंचा उठा कर और उनकी बेहतरी करके ही देश की एकता को कायम रक्खा जा सकता है और उसको खुशहाल बनाया जा सकता है। यह उचित ही होगा कि जो लोग किसी प्रकार का टैक्स देते हैं, जो किसी भी शक्ल में सरकार के खजाने में कुछ न कुछ अनुदान देते हैं उन लोगों का भी उस खजाने में कुछ हिस्सा होना चाहिये। उन लाखों गरीब और पसमांदा इंसानों की बेहतरी के वास्ते भी सरकार को रुपया खर्च करना चाहिये। उन लोगों ने भी इस देश के लिये कुर्बानी की है। चाहे वह मुसलमान हों, ईसाई हों, सिक्ख हों अथवा हरिजन हों, कोई भी हों, चाहे वह थोड़ी गिनती में हों या ज्यादा गिनती में हों, उन लोगों को भी राजी करना होगा। उनका भी सहयोग हमें देश को बनाने के लिए लेना होगा। यह कह कर कि वह लोग गद्दार हैं, उनको छोड़ देना और नजरअंदाज

करना देश के लार्जर इंटरेस्ट में मुफीद साबित न होगा। क्या देश का ठेका सिर्फ बड़े तबके के लोगों ने और ऊंचे लोगों ने ही लिया है? कम गिनती वाले लोगों को राजी करने के सबसे ज्यादा जरूरत है। यह तो मां का काम है। गृह मंत्रालय घर की मां है और इस नाते उसे देखना है कि वह छोटा बच्चा क्यों रो रहा है? यह कैसे चुप होगा? एक मां का काम यह नहीं है कि रोते हुये बच्चे का कान पकड़ कर गाल पर थप्पड़ लगा दे। सयानी मां का यह काम हीं होता है। ऐसा करने से देश की एकता और बहबूदी नहीं हो सकती है। मुझे यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार अभी उस सयानी मां का फर्ज पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रही है।

हरिजनों की बेहतरी के लिए दो योजनाएं निकल चुकी हैं। यह तीसरी योजना है। पंजाब के एक मिनिस्टर ने अभी एक बयान दिया है जोकि पंजाबी प्रेस में आया है और दूसरे प्रेसेज में भी आया है कि हरिजनों की रक्षा करना हमारा धर्म है। उन्होंने बतलाया है है कि पंजाब में ४० लाख लोग हरिजन है और ८ लाख हरिजन परिवार हैं। उन्होंने बतलाया है कि ७ लाख परिवार ऐसे है जिनके कि पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। पेट भरने के लिए उनके पास अनाज मयस्सर नहीं है और उनकी हालत बहुत ही खराब है। आगे चलकर उन्होंने बतलाया है कि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं जिनके कि जरिये इन लोगों को इतनी जल्दी ऊंचे ले आया जाये। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि आप देश की उन्नति के लिये हरिजनों को और अन्य अल्पसंख्यकों को जो ऊंचा उठाना काहते है तो उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितनी भी रकम आप उसके लिए सूबायी सरकारों को देते है वह सारी की सारी रकम उनकी बेहतरी के कामों पर खर्च की जाय और वह बगैर खर्च किये वापिस न लौटा दी जाय। यह ध्यान भारत सरकार को रखना होगा कि साल के खात्मे पर वह रकम कहीं वापिस मुड़ कर दिल्ली की सैर तो नहीं कर रही है? मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार कुछ न कुछ इसके लिए कर रही है लेकिन जितना करना चाहिए वह नहीं किया जा रहा है। समाज ने जिस अंग को पिछली कई सदियों से अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा हुआ है उनको जल्द से जल्द ऊपर उठाया जाये। खास तौर पर उनके लिए ऐसी योजनाएं बनाई जायें ताकि जिस धीमी रफ्तार से उन की बेहतरी का काम चल रहा है उसमें तेज़ी आये। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी गिनती वाले लोग जोकि तकरीबन ८ करोड़, १० लाख और ५० हजार के करीब इस देश में बसते है और जोकि सदियों से पस्त हालत में पड़े हुए हैं उनको दूसरों के बराबर लाने के लिए अमली कदम उठाये जांय। हमारे गृह मंत्री जी मैं समझता हूं कि उन लोगों को ऊंचा उठाने की अच्छा रखते हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं तो उनको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जो रकम हरिजनों के वास्ते रक्खी जाये वह सही तौर पर पूरी की पूरी उन पर खर्च की जाये। हरिजनों और अन्य अल्पसंख्यकों के वास्ते नौकरियों में जो आपने रिजर्वेशन रक्खा है और कोटा रक्खा है उसको बाकायदा फिल अप किया जाये और यह न हो कि वह कोटा महज कागज़ों तक ही महदूद रह जाये। छोटे-छोटे गांवों को मिला कर समितियां बनायें जिनके कि जरिये हरिजनों का अपलिफ्ट का काम किया जाये और उनको वहां पर छोटे मोटे धंधे सुलभ किये जायें।

मेरा सजेशन यह है कि अगर इन लोगों को पीने के लिए पानी और रहने के लिये मकान मुहैया करना है, तो यह जरूरी है कि इन का रोटी-रोजगार का मसला सब से पहुंचे

[श्री गुलशन]

हल किया जाये। इसकी वजह यह है कि जिसको रोजगार मिल जाता है, वह रहने के लिए मकान भी बना लेता है, कुआं भी खोद लेता है और बावली भी बना लेता है। रोजगार का मसला हल करना सबसे जरूरी है।

स्पीकर साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गणपति राम (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदय, कई बार मैंने कोशिश की है। कल भी मैंने नाम दिया था। मैं इस सेशन में एक बार भी नहीं बोल पाया हूं। आखिर क्या बात है कि मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : टाइम तो मैं मेम्बर साहबान को ही दे रहा हूं। मैं खुद तो नहीं ले रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं ? मैंने मेम्बर साहबान में ही सारा वक्त तक्सीम करना है। माननीय सदस्य, सब्र करें, शायद उनकी बारी आ जाये।

श्री गणपति राम : दूसरों को दो दो बार मौका मिला है लेकिन हम को एक बार भी मौका नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दूसरों के बारे में न कहें। आपोजीशन के लिए अलाहिदा वक्त है और माननीय सदस्य के लिए अलाहिदा वक्त है। माननीय सदस्य को मिनिस्टर साहब के साथ शरीक होना है। मिनिस्टर साहब ने उनके वक्त में ही बोलना है। श्री बदरी सिंह,

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : स्पीकर साहब, माननीय मंत्री, श्री दातार, की स्पीच सुन कर और खर्च के जो अन्दाजे बताए गए हैं, उन से तो यह यकीन आ जाता है कि सब ठीक हो रहा है। मैं मंत्री साहब का ध्यान कोई नुक्ताचीनी के तौर पर नहीं---सीमा की रक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की सीमा पर चीन और पाकिस्तान हैं, जिनसे आज हमारी सख्त दुश्मनी है और जिनकी हर वक्त कोशिश यह है कि किसी न किसी शक्ल में हमारे मुल्क को नीचा दिखाया जाये। इसलिए सीमा का सवाल, जोकि कोई मामूली सवाल नहीं है, स्टेट्स पर छोड़ देना कि स्टेट्स उसका मुनासिब इन्तजाम करेंगी, ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब तक अमन कायम न हो जाये और हम चीन और पाकिस्तान से निपट न लें, तब तक सीमा का सवाल सैंटर को खुद अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

जहां तक सीमा के पंजाब के हिस्से का ताल्लुक है, वहां इतना ज्यादा खतरा नहीं हो सकता। वहां कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। लेकिन आसाम और वेस्ट बंगाल के बार्डर पर, जहां चीन के आदमियों के आने का अन्देशा है, ज्यादा से ज्यादा मजबूती की जरूरी है। मैं यह नहीं कहता कि वे लोग वहां पर बस जायेंगे, लेकिन वे जासूस की शक्ल में यहां आ कर मुल्क की स्कीम्ज और भेदों को ले जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई की सूरत में मुल्क को बड़ी हानि हो सकती है। आज हम देखते हैं कि चीन कदम कदम पर बदमाशी कर रहा है, हमला करना चाहता है और एन्क्रोचमेंट कर रहा है और यही हालत पाकिस्तान की है जब तक इन दोनों से निपट न लिया जाये, तब तक बार्डर के क्वेस्टियन को स्टेट्स को दे देना ठीक नहीं है।

मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में बार्डर के सवाल के बारे में एक अजीब सी बात लिखी गई है। उसमें सफहा २७ पर दर्ज है कि अखबारों में रिपोर्ट्स निकली हैं कि ईस्ट पाकिस्तान से काफी तादाद में आदमी आसाम में आ कर बस गए हैं और उसकी तहकीकात की जा रही है। मैं

समझता हूं कि होम मिनिस्ट्री या उस स्टेट का फर्ज़ था कि वे साफ कहे कि यह गलत खबर है लेकिन यह नहीं कहा गया। यह कहा गया है कि इस की जांच–पड़ताल कराई जायगी। क्या आज हमारा मुल्क सीमा के सवाल पर जांच-पड़ताल की इन्तजार करे ? गवर्नमेंट को साफ तौर पर यह कहना चाहिए था कि यह खबर गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बात हम को सैन्सस से मालूम हुई है और इसकी जांच–पड़ताल की जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा इन्तजाम ठीक है, तो हम सैन्सस पर क्यों यकीन करे? हम कह दें कि हमारी सीमा का इन्तजाम ठीक था और इस में कोई दखल नहीं दिया गया है, कोई आदमी हमारे मुल्क में नहीं आया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जब कि कदम कदम पर मुल्क की हिफाजत का सवाल है, लोगों में बेचैनी है और वे डरते हैं कि हमारी सीमा की सुरक्षा मजबूत नहीं है और स्टेट्स उसका ठीक इन्तजाम नहीं कर सकती हैं। ऐसी हालत में मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस बारे में जल्दी कार्रवाई करेंगे।

सीमा की हिफाजत के अलावा देश के ला एंड आर्डर का सवाल भी बड़ा अहम है। गवर्नमेंट इस बात की तसल्ली रखे कि देश भर में ला एंड आर्डर की पोजीशन ठीक है। मिसाल के तौर पर आप पहले दिल्ली को लीजिये। आज दिल्ली में क्या हो रहा है ? क्रैकर्ज के एक्सप्लोजन हो रहे हैं, पटाखे फट रहे हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि उनका सुराग लगाना और उनके बारे में मालूम करना मुश्किल है। हमारा इतना भारी मुल्क है, गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा वसीले हैं, इतनी ज्यादा पुलिस और इतना ज्यादा इन्तजाम है, लेकिन इसके बावजूद दो तीन सालों से इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं और उनको रोकने का कोई इन्तजाम नहीं हो पाता है, हालांकि इस बारे में यह शुबहा है कि यह बाहर के मुल्कों का काम है। मैं समझता हूं कि न अंग्रेज इस बात को बर्दाश्त करते और न ही कोई दूसरा मुल्क इस बात को बर्दाश्त करेगा कि मुल्क की राजधानी में, जहां प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठते हों, पटाखे चलते रहें और एक न एक दिन इस तरह का तमाशा होता रहे और उसका कोई इन्तजाम न किया जाये। इन हालात के बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि ला एंड आर्डर की पोजीशन ठीक है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ठीक नहीं है। मुल्क की राजधानी में लगातार क्रैकर्ज के एक्सप्लोजन्ज होते रहना हमारी कमजोरी और हमारे मिसमैनेजमेंट को जाहिर करता है, यह जाहिर करता है कि हम ठीक तौर पर इंतजाम नहीं कर रहे हैं।

और सूबों में जो भी हालत हो, माननीय मंत्री, श्री दातार, ने दिल्ली में क्राइम की पोजीशन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुये बताया कि यहां पर ६८ परसेंट क्राइम केसिज अनट्रेस्ड होते हैं जिसके बारे में २४ मई, १९६२ के **हिन्दुस्तान टाइम्ज** में यह हैडिंग दिया गया : "६८ परसेंट आफ क्राइम केसिज अनट्रेस्ड लास्ट यीअर"। मुल्क की राजधानी हो, कदम कदम पर इतनी पुलिस हो और फिर भी ६८ परसेंट क्राइम केसिज अनट्रेस्ड रहें, यह बड़ी हैरानी की बात है।

मैं आपकी इजाजत से मिनिस्टर साहब के जवाब को, जो कि इस अखबार में छपा, यहां पर पढ़ना चाहता हूं :—

"राजधानी में १९६० में ६,५४२ अपराधों को रजिस्टर कराया गया था, जिनमें से १,२५३ का पता चल गया था, ६,९८० का पता नहीं चल सका था। और १९६१ में ४,७८२ मामले दर्ज हुये हैं जिनमें से ४,७८२ का पता नहीं चला है।

[श्री लहरी सिंह]

इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि और स्टेट्स की इस बारे में हालत क्या होगी। यह कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है कि इसका मुकाबला बम्बई, कलकत्ता या लन्दन वगैरह से किया जाये। इसमें तो बहुत सा हिस्सा आफिशल्ज से घिरा हुआ है और बाकी सब्जी मंडी वगैरह हैं। ऐसे शहर में ६८ परसेंट केसिज अनट्रेस्ड हों और फिर भी कहा जाये कि ला एंड आर्डर की पोजीशन बड़ी शानदार है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इन लफ्जों को कड़वा न समझें, लेकिन मैं उनको बताता चाहता हूं कि आसपास के देहात के इलाके का जितना गुंडा एलिमेंट है वह सब दिल्ली में आ रहा है और दिल्ली में प्रोटेक्शन ले रहा है। मैंने इस बारे में एक पुलिस आफिसर से पूछा कि इसकी वजह क्या है। रोहतक में हमने इतना स्ट्रांग पुलिस एक्शन लिया कि जब कि पहले वहां रोज मर्डर होते थे, अब एक भी मर्डर नहीं होता है। कहने लगे कि यह वजह है कि एक आदमी भी उन गुंडों के डर की वजह से गवाही देने के लिये तैयार नहीं है: चार, पांच रोज हुये एक संगीन केस में एक गवाह के ऊपर अदालत के कम्पाउंड के अन्दर तेजाब डाल दिया गया, जला दिया गया जिससे थानेदार पर वह पड़ गया। आप तहकीकात करें। मिनिस्टर साहब मालूम करें आई० जी० और डी० आई० जी० से कि गवाह क्यों अनट्रेस्ड हैं। थानेदार वगैरह डरते हैं, गवाह डरते हैं, गुंडा एलिमेंट इतनी तेजी पर है। अक्सर कहा जाता है कि जब दिल्ली शहर में, जो कि राजधानी है, गवाह न मिलें और मुजरिम अनट्रेस्ड रह, तो क्या यह ला ऐंड आर्डर पोजीशन ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों में पड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन मजबूर हो जाता हूं।

यहां पर देहातों में कितने ही डकायटी केसेज देश भर में चलते हैं। मामूली सा सवाल है और आसानी से हल हो सकता है। यह बात नहीं है कि दस सिपाही थाने में हैं वे सब काम पूरा कर लेंगे। देहातों में जमींदार हैं, काश्तकार हैं, हरिजन हैं, जो जिन्दा रह सकते हैं, लड़ सकते हैं। डाकुओं के पास पिस्तौल हैं, बन्दूक हैं, स्टेन गनें हैं। हमारी गवर्नमेंट ने आर्म्स एक्ट सन् १९५९ में पास किया और कहा था कि वह आर्म्स देने में लिबरल होगी, आर्म्स देगी ताकि हम अपनी कंट्री की हिफाजत खुद कर सकें। लेकिन आज देहात के अन्दर एक आदमी के पास भी पिस्तौल और बन्दूक नहीं है। उनके लिये लाइसेंस न देने की जैसे सरकार ने कसम उठा ली है। अंग्रेजों के वक्त में कोटा बंधा हुआ था। मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि डाके पड़ रहे हैं तो कहने लगे कि हमारी यह मुश्किल है कि वही अंग्रेजों के वक्त के कोटे बने हैं और हम उतनी ही बन्दूक और पिस्तौल दे सकते हैं। मैंने कहा कि आर्म्स एक्ट तो है। तो कहा कि कोई हिदायत सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है। मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि आपको जरूरत नहीं है डाकुओं से बचाने की। आप मेहरबानी करके गुंडा एलिमेंट को छोड़ कर, उन लोगों को छोड़ कर, जिनके बारे में आपको यकीन हो, आपके अफसरों को यकीन हो, कि वह गन्दे लोग हैं, बाकी पब्लिक के लोगों में से जो लेना चाहें, उनको आप आर्म्स दे दें, फायर आर्म्स दे दें, उसके बाद अगर आप के पास हिन्दुस्तान के किसी हिस्से से भी रिपोर्ट आये, चाहे मध्य प्रदेश से या किसी और स्टेटसे, तो कहियेगा। एक भी रिपोर्ट डाके की नहीं आयेगी। अगर कहीं पर एक डाकू आ जायेगा तो उसके साथ लड़ने के लिये ५० आदमी तैयार होंगे, लेकिन उनके पास आज कोई हथियार नहीं है, वह करें क्या? अंग्रेज चले गये, वह नहीं चाहते थे कि हिन्दुस्तान में कोई भी आर्म्स रक्खे। उनको अन्देशा था कि अगर यहां रिवोल्यूशन हो गया तो कोई इन्तजाम नहीं हो पायेगा। लेकिन १४ साल के बाद आर्म्स एक्ट, १९५९ पास किया गया। हमने बड़ी खुशी मनाई कि एक बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन चलते चलते इनको भी दहशत हो गई कि हमारे यहां हिन्दुस्तान में दूसरी पार्टियां हैं, कम्यूनिस्ट लोग हैं, वह न जाने क्या कर देंगे या जनसंघ वाले न जाने क्या कर देंगे। अन्देशा यह है। या फिर उनके पास इतने आर्म्स नहीं हैं। न जाने क्या बात है। क्या यह मुल्क इस तरह से चलेगा कि यहां डाके पड़ते रहें, तमाशा होता रहे, रिपोर्टें आती रहें, और उन आदमियों को आर्म्स न दिये जायें जो उन्हें इस्तेमाल कर सकें? आर्म्स एक्ट, १९५९ जो पास किया

गया वह एक सही कदम था। देहातों के अन्दर जहां तक पीस एंड आर्डर का सवाल है, उसके लिये आर्म्स दे दिये जायें। फिर चाहे वहां पर कोई भी थानेदार हो या न हो, चाहे और कोई हो या न हो, वहां के लोग परवाह नहीं करेंगे। वे तगड़े आदमी हैं, किसी से भी डरने वाले नहीं हैं।

तीसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमारे अफसरों का बड़ा अच्छा इन्तजाम है। मैं यकीन से कहता हूं कि पिछले १८ सालों के दौरान जितने आई० पी०एस० और आई० ए० एस० हैं, मैं अपनी स्टेट के बारे में कह सकता हूं, उनको बहुत ही डिमारालाइज कर दिया गया है। जो चीफ मिनिस्टर वहां हैं, जो रूलिंग पार्टी वहां पर है, जो मिनिस्टर्स वहां पर राज्य चला रहे हैं उन्होंने अफसरों को डिमार, लाइज कर दिया है और कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो, उनके कहने पर मत चलो। साथ ही साथ वहां पार्टीबाजी बहुत है। मैं उस की एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। पुरानी बात है। ट्रिपल मर्डर केस करनाल में हो गया। एस० पी० साहब ने आदमियों को मरवाया। जो मरे उनका खानदान का खानदान खत्म कर दिया गया। चार पांच सिख मार दिये गये। करनाल जिले में कोई सो नहीं सकता था। जब उन बेचारों ने मुकाबला किया। तहकीकात हुई मैजिस्ट्रेट के जरिये तो पाया गया कि वह आदमी मुकाबला करने से मरे, लेकिन वहां पर हालात कुछ ऐसे के कि जो गवर्नमेंट चला रहे थे, उन्होंने कहा, नहीं। सारी मशीनरी एक तरफ। गवाह बनाये गये, झूठी शहादत बनाई गई और उस एस० पी० ग्रेवाल को जेलखाने में डाल दिया गया। ११ इन्स्पेक्टर और सबइन्स्पेक्टर और डाल दिये गये। उन बेचारों ने अपने जवरात बेच कर पैरवी की। एक तरफ वहां की गवर्नमेंट तुली हुई थी कि उनको सजा हो दूसरी तरफ ग्रेवाल और उसके आदमी। आखिरकार, मैं तो उसे बहादुरी कहूंगा कि सिंह साहब ने, जो कि यू० पी० के सेशन जज थे, उन्होंने ७०० सफे का फैसला दिया और करार दिया कि ग्रेवाल बेगुनाह है। यही करार नहीं दिया कि वह बेगुनाह है बल्कि कहा कि फैलाने फलाने अफसर ने झूठी शहादत दी है, फलाने ने भी झूठी शहादत दी है। चीफ मिनिस्टर तक के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास हुये। उसके बाद उसकी अपील की गई। लेकिन हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को डिटो किया, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भी उसको डिटो किया गया। फिर वह ग्रेवाल आई० पी० दिल्ली पहुंचता है कि खुदा के बन्दो, मुझे बचाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मालूम है कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसको अभी भी हुकूमत रगड़ रही है। यह तो जुडीशिअरी की गलती है कि उसने इस तरह का आर्डर दिया, सेशन जज ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वह बेगुनाह है, लेकिन फिर कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से उसे रगड़ा जा रहा है। जब ग्रेवाल को इस तरह से रगड़ा जा रहा था तब सिंह साहब नेउसकी हिफाजत के लिये यह फैसला दिया कि वह बाहर रहे। ऐसी हालत में बतलाइये कि बाकी जो एस० पी० हैं उनमें कितनी दम खम है कि वह ऐसी कोई बात करें। मैं सुनूंगा आप की बात। मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक ग्रेवाल को रगड़ कर सीधा कर दिया, और यहां कहते हैं दातार साहब कि यहां की सर्विसेज बड़ी ठीक है। जाकर देख लो स्टेट्स में पेशाब निकल रहा है, वे कहते हैं कि कहां जायें। प्राइवेटली कहते हैं कि तबाह हो गये कहां जायें, हम अपने बाल बच्चों को कैसे खिलायेंगे।

अभी कपूर साहब आई० सी० एस० थे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको इसलिये इजाजत दी थी कि वह सब बातें फैसले में आ चुकी हैं। आप यह नहीं कह सकते।

श्री लहरी सिंह: मैं इसको छोड़ता हूं। मैं जनाब का इशारा समझ रहा हूं। मैंने आपका फैसला सुन लिया। मैं अपने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह इस को

[श्री लहरी सिंह]

नुक्ता चीनी न समझे अगर कड़ुए लफ्ज हों। आप अपने बड़े-बड़े अफसरों को, आई० पी० एस० और आई० ए० एस० वालों को बुलायें और पूछें कि आखिर क्या बात हो गई है। डे टु डे इंटर फिअरेंस हो रहा है। अभी एलेक्शन पिटीशन्स आई, सारे लोग भाग गये एलेक्शन के दिन। इसलिये मैं ने कहा कि मैं ने देखा है कि पंजाब में हो रहा है। कहते हैं कि हमें पंजाब से बाहर कर दो, हम मरे। यह हालात पैदा हो रहे हैं और डे टु डे इंटर फिअरेंस इस हद तक हो चुका है कि सर्विसेज बिल्कुल डिमारलाइज हो चुकी है। मैं करप्शन वगैरह का जिक्र क्या करूं। खामखाह यह कहने से क्या फायदा कि करप्शन है। सब जानते हैं कि करप्शन है।

मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाऊंगा एविडेंस एक्ट की दफा २७ की तरफ। आज दफा २७ में क्या हो रहा है, उस में हर एक इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर क्या कर रहा है। मुलजिम कुछ करे या न करे, कुछ कहे या न कहे, गवाह के इन्स्टेंस पर चीजें रिकवर की जा रही हैं। आप तमाम केसेज की रिपोर्ट्स मंगवा लें। कम से कम हमारे सूबे में कई चीज इस तरह की हो रही हैं। गवाह हो या न हो दफा २७ लगा कर केस बनाया जाता है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताऊं। दिल्ली के नजदीक बहादुरगढ़ थाना है। वहां औरत मरी नहीं थी। एक लाश मिल गई। थानेदार ने कहा कि वह लाश फलां हरिजन औरत की है।

अध्यक्ष महोदय : उसका भी फैसला हो चुका है ?

श्री लहरी सिंह : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अभी चल रहा है ?

श्री लहरी सिंह : फैसले पर डिस्प्यूट नहीं है, उस पर सब एग्री करते हैं। वह औरत जिस की लाश बरामद, गंडासा कत्ल करने का बरामद खून से भरा हुआ, वह औरत यू० पी० में निकली। चालान पेश किया जा रहा था तो उसका पता चला। अब बतलाइये कि क्या हो। मैं कहता हूं कि दफा २७ ने इस मुल्क में जो मरे नहीं थे उन की लाश निकलवा दीं, तलवार, गंडासे, और बन्दूकें निकलवा दीं और दिखला दी गईं। यह तो हमारे ला एंड आर्डर का सवाल है।

अगला सवाल यह है कि आपके सामने नैशनल इंटेग्रेशन के बड़े गीत गाये गये। लेकिन डिसइंटेग्रेशन किस ने किया। राजा जी ने कहा कि खुदा के वास्ते यह स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन न बनाओ। तुम जोन बना लो, लेकिन साहब, उस वक्त लोग जोश में थे और वगैर देखे भाले एक ब्लन्डर की जैसे कि तिब्बत के मामले में हुआ, और एक इंटरनेल मामले में स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन का रेजोल्यूशन पेश कर दिया गया और स्टेट्स मुकर्रर कर दी गई। और उन को हिदायत की गयी कि लेंग्वेज का खास ख्याल रखते हुए उन सूबों को आरगेनाइज करो। तो यह गलती किस की थी ? अब चारों तरफ से सूबों की आवाज आई। बम्बई में कत्ल होने लगे, गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात के सवाल को लेकर झगड़ा होने लगा। चारों तरफ झगड़ा होने लगा। तो कहा गया कि गलती हुई। अब नेशनल इंटीग्रेशन की स्कीम बनायी जाए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनायी गई। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। यहां तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनायी जा रही है और मेरे सूबे में वहां की कैबीनेट इस बात पर दरपैदर कि किस तरह से वहां की पबलिक के टुकड़े किए जाएं और

उस में नफरत पैदा की जाए । अभी हाल में टैम्पोरेरी टैक्सेशन बिल पेश किया गया और मंजूर किया गया, उसका मतलब क्या है ? उसका मतलब यह है कि किसी तरह हरिजनों और जमींदारों को

अध्यक्ष महोदय : जब आप ज्यादती करेंगे अगर आप

श्री लहरी सिंह : वह तो पास भी हो लिया ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो लेजिसलेचर ने पास किया है।

श्री लहरी सिंह : मैं वही तो आप के सामने रखना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैंने आपको अब तक छूट दे दी। आप अपनी बात कहते रहे। लेकिन यह बिल तो लेजिसलेचर ने पास किया है ।

श्री लहरी सिंह : वहीं तो मैं कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : तो आप उस पर यहां नुक्ताचीनी तो नहीं कर सकते ।

श्री लहरी सिंह : मैं नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो यहीं कहा है कि यहां तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है और मेरी स्टेट में इस से उलटा काम किया जा रहा है और उसकी मिसाल आप इस बिल से देना चाहते हैं।

श्री लहरी सिंह : मैं इस टैक्सेशन बिल के बारे में बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस बिल को तो लेजिसलेचर ने पास किया है ।

श्री लहरी सिंह : मैं वही बात तो कहना चाहता हूं कि लेजिसलेचर ने किस तरह पास किया। यहां की तरह हमारे यहां भी रूलिंग पार्टी है और अपोजीशन पार्टी है । जो अपोजीशन के लोग थे वे इस के खिलाफ थे लेकिन रूलिंग पार्टी ने उसको पास किया।

अध्यक्ष महोदय : इसी वास्ते तो मुझे आपको रोकना पड़ा। जब कोई बिल पास हो जाता है तो वह सारे लैजिसलेचर का बिल समझा जाता है, यह नहीं कह सकते कि यह रूलिंग पार्टी ने पास किया । अगर आप यहां पार्लियामेंट में कोई कानून पास करें तो यह समझा जाएगा कि सारी पार्लियामेंट ने उसको पास किया है । यह नहीं कहा जा सकता है कि इसको रूलिंग पार्टी ने पास किया है । इसी तरह से पंजाब असेम्बली में जो कानून पास हो गया उसकी आप यहां यह कह कर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते कि कि इसको रूलिंग पार्टी ने पास किया है ।

श्री लहरी सिंह : तो मैं बिना रेफरेंस दिए कहता हूं कि आज मेरे सूबे में झोंपड़े में रहने वाले छोटे जमींदार पर और छोटे दुकानदार पर जिसको कि प्रोटेक्शन दिया गया था और जिस पर आज तक टैक्स नहीं लगाया गया था उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है । उन पर यह कह कर टैक्स लगाया जा रहा है कि हम यह रुपया शिड्यूल्ड कास्ट वालों को देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि तुम इस काम के लिए रुपया दो लेकिन इसके

[श्री लहरी सिंह]

लिए जो चालीस और पचास मिनिस्टरों की तादाद बढ़ा रखी है उसको कम करो। एक कमेटी बनी थी रिट्रेंचमेंट करने के लिए। उस ने १६ करोड़ की कमी की सिफारिश की। उसको न करके छोटे किसान और जमींदार से जो झोंपड़े में रहता है उसके कहा जाता है कि तुम को टैक्स देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस से मुहब्बत बढ़ेगी।

†**श्री प्र० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) माननीय सदस्य राज्य सरकार की कराधान नीति की आलोचना कर रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने मना किया था।

†**श्री लहरी सिंह** : मैं मना हो गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बन्द करें आपका वक्त भी हो लिया

श्री लहरी सिंह : मैं एक बात और कह कर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। आपके पास में हरियाना का सूखा इलाका है। वहां के लिये जो पानी है उस में से पहले दिल्ली को ३५० क्यूसेक्स पानी दे दिया और फिर २०० क्यूसेक्स और दे दिया। हम वैटरमेंट टैक्स दे रहे हैं और हमारे खेत सूखे पड़े हैं।

†**अध्यक्ष महोदम** : क्या पानी भी होम मिनिस्टर ने लिया है ?

†**श्री लहरी सिंह** : यही तो पानी का इंतजाम करते हैं।

हम करते हैं कि हमारे लिये पानी का इंतिजाम करो तो कहा जाता है कि तुम कम्यूनल हो। आज हमारे इलाके में जमींदार भूखा मर रहा है है। उसके खेतों में पानी नहीं है। तो मैं ज्यादा न कह कर यह अर्ज करना चाहता हूं कि गो कि यह बात कड़वी हैं लेकिन इन पर विचार किया जाए और यह सोचा जाए कि काम नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से होगा या एक्शन से होगा।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जतियों के कल्याण के बारे में बहुत कुछ कहा है। मेरा निवेदन है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही इन वर्गों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। दूसरी योजना के अन्तर्गत इस बारे में जो भी योजनाएं बनी उस पर सारा का सारा व्यय केन्द्र सरकार ने ही किया। इसके अतिरिक्त और राज्यों ने भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की जो योजनायें बनाई, उनका ५० प्रतिशत व्यय भी केन्द्रीय सरकार ने दिया। तीसरी योजना के काल में मेहतरों आदि की दशा सुधारने और गन्दे व्यक्तियों में लगे व्यक्तियों तथा भूमिहीन श्रमिकों के आवास के लिए राज सहायता की व्यवस्था करने की योजनायें शुरू की गई हैं। दूसरी योजना के अन्तर्गत ४३ कल्याण खंड खोले गए थे परन्तु अब तीसरी में इन कल्याण खंडों की संख्या बढ़ा कर ३३० कर दी गई है। दूसरी योजना के अन्तर्गत इन खंडों पर गृह-कार्य मंत्रालय और सामूदायिक विकास मंत्रालय ने मिल कर २७ लाख का व्यय किया। इन ३३० खंडों में से दो गोआ में और दो संघ राज क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक खंड २०० वर्ग मील के क्षेत्र में होगा और जनसंख्या २५००० होगी। इस जनसंख्या का ६६.६६प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जतियों का होगा। प्रत्येक खण्ड पर प्रथम दौर में २२ लाख और दूसरे दौर में १० लाख रुपया खच किया जायेगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भूमिहीन किसानों को ७८ लाख एकड़ भूमि बांटी गयी है, उसमें से ३६ लाख एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी गयी है। इसके अतिरिक्त इन लोगों को खेती के औजार तथा अन्य अपेक्षित सहायता देने की भी व्यवस्था की गयी है। इसके लिए ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा की दिशा में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियों की योजनाओं पर व्यय प्रतिवर्ष बढ़ रहा हैं। इसके लिए १९५२-५३ में ३०.५२ लाख खर्च किया गया है परन्तु १९६०-६१ में यह राशि बढ़ कर २८६.५७ लाख हो गयी। १९६१-६२ में इसके लिए ३११.५७ करोड़ व्यय होने की सम्भावना है। १९५०-५१ में छात्रवृत्तियों की संख्या २१८१ थी जो कि १९६०-६१ में ६४६३७ हो गयी।

मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में काफी कुछ किया गया है। पिछड़े वर्गों के विकास के लिए निर्धारित राशियों के उपयोग में उत्तरोत्तर वद्धि हुई है। हमने राज्य सरकारों से विभिन्न विभागों में अधिकतम समन्वय सुनिश्चित करने और पिछड़े क्षेत्रों के आन्तरिक भागों में काम करने के लिए अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए भी कहा है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को मानते हुए एक केन्द्रीय समन्वय समिति बनायी है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधि हैं। समिति का यह काम होगा कि देखे कि पिछड़े वर्गों को सामान्य योजना में लाभों का उचित अंश मिले। राज्य सरकारों से भी इस प्रकार की समितियो का निर्माण करने की प्रार्थना की गयी है। इसके अतिरिक्त स्वेच्छा से कार्य करने वाले अखिल भारतीय सगठनों को भी सहायता दी जाती है। पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए मंत्रालय गैर सरकारी संस्थाओं को सीधे ६७.८८ लाख रुपये के अनुदान देता है। १९६१-६२ में इसी उद्देश्य के लिए १९.७३ लाख रुपये इस प्रकार की संस्थाओं को दिया गया है? इस प्रयोजन के लिए तीसरी योजना के अन्तर्गत १.२५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त कुछ होस्टलों को भी अनुदान दिया जाता है ताकि होस्टलों को उपयोग करने वालों को अधिक से अधिक सुविधाये प्राप्त हों सके। राज्य सरकारे स्थानीय संस्थाओं को भी जो सहायता देती है उसका ५० प्रतिशत भी केन्द्रीय सरकार ही वहन करती है। इसी तरह मेहतरों आदि के कार्य की दशा की जांच समिति की सिफारिशों पर सफाई की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्न करने के लिए प्रो० मलकानी के सभापतित्व मे गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति नियुक्त की गयी है। मलकानी समति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में अग्रिम परियोजनायें स्वीकार की जा रही हैं।

१९५५ में जो अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाये गये उनकी अब तक की संख्या ३०५७ है। १९५५ में १७४ १९५६ में ५७४, १९५७ में ४६७, १९५८ मे ६०३, १९५९ में ५५२, १९६० में ४७४ और जून १९६१ तक २१३ अनुसूचित आदिम जातियों में ऋणिता का नमूना सर्वेक्षण कराने के लिए भी कार्यवाही की गयी है। इस बारे में अनुसूचित आदिम जाति आयोगों ने सिफारिशें की हैं और प्राक्कलन समिति ने अपने ४८वें प्रतिवेदन में सारे मामले का परीक्षण किया है। मद्रास में इस प्रकार का सर्वेक्षण स्थातनीय तौर पर किया जा रहा है। इसका व्यय मंत्रालय को इस उद्देश्यों के लिए दिये गये अनुदानों से किया जा रहा है।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी): मैं इस बात में श्री हरिश्चन्द्र माथुर से पूर्णतः सहमत हूं कि राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सभा द्वारा विचार किया जाना चाहिये था। यह सदन देश का उच्चतम एवं सर्व प्रभुत्व सम्पन्न निकाय है? राष्ट्रीय एकता जैसी समस्या से सम्बन्धित महात्वपूर्ण विषयों पर निर्णय उसके द्वारा किये जाने चाहिएं थे न कि किसी अन्य अभिकरण द्वारा। मुझे इस बात का भी अत्यन्त खेद है कि कुछ राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के विचार विमर्श में सम्मिलित नहीं किया गया। यद्यपि उन्हें इस मामले में गहरी रुचि थी। मेरा यह मत है कि यह व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त दलों क सहयोग प्राप्त करे।

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने कुछ अल्पसंख्यक वर्गों की सब उचित शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी किया है। परन्तु यह भी एक तथ्य है कि इस सम्मेलन के तुरन्त बाद राजधानी में विस्फोट तथा उपद्रव हुए। दिल्ली में १९५६ से लेकर आज तक ७० विस्फोट हो चुके हैं। और यह सब हुए भी मुसलमानों के मुहल्लों में। कितने खेद और दुःख की बात है कि ये हमेशा मुस्लमानों के मुहल्लों में ही होते रहे हैं। वही अधिकतर इसके शिकार होते रहे हैं। सरकार अब तक इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों का पता नहीं लगा सकी है। यह भी प्रकट ही है कि इसी तरह के जो साम्यप्रदायिक उपद्रव मालदा-फिरोजाबाद, जबलपुर, अलीगढ़ इत्यादि अनेक स्थानों पर हुए हैं उनमें से हानि तो अल्पसंख्यक वर्ग को ही पहुंची है। मैं इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंसा की इन समस्त घटनाओं की सार्वजनिक जांच की जानी चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि कुछ राजनीतिक दल और उनके अखबार स्थिति का लाभ उठाते हुए आपत्तिजनक लेख इत्यादि प्रकाशित न करें। इस प्रकार का साहित्य देश में प्रचारित नहीं होना चाहिये। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि रोजगार और सेवाओं के मामले में अल्पसंख्यकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि सरकारी सेवाओं में उनकी संख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही है। इसी तरह मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग किया जा रहा है उससे जनता में असुरक्षा की भावना ही उत्पन्न हो रही है। यह बात भी गलत है कि मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक संस्था है। उसने तो केन्द्र और राज्यों में अपने कृत्यों से सिद्ध कर दिया है कि वह एक राष्ट्रीय संस्था है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, गृह-मंत्रालय ने जिन दायित्वों को अपने कंधों पर लिया है उनमें सबसे बड़ा दायित्व जिसे स्वयं संविधान ने गृह-मंत्रालय के कन्धों पर विशेष रूप से डाला है, व हिन्दी का प्रचार और प्रसार। लेकिन गृह-मंत्रालय के प्रतिवेदन को देखने से प्रतीत होता है कि पिछले १२ वर्षों में हिन्दी जानने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या ५० हजार के लगभग है जिन्होंने हिन्दी पाठ्यक्रम पूरा किया है लगभग १९ हजार कर्मचारियों ने प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ आदि जो परीक्षाएं मंत्रालय ने चालू की हैं उनमें सफलता प्राप्त की है। चालू सूत्र में इस में लिखा है कि लगभग ४०,००० कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। लेकिन केन्द्रीय सरकार और उसके अधीन प्रान्तों में जो कार्यालय हैं उनकी संख्या को देखते हुए १२ वर्ष में यह प्रगति जो की गयी है यह बहुत ही उदासीनता की सूचक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसमें राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की चर्चा की है जो संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् उन्होंने जारी किया था। वह रिपोर्ट मेरे हाथ में है और जो गृह-मंत्रालय का २७ मार्च सन १९६१ का इस बारे में आदेश है उसमें भी लिखा है :

> "केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारी हिन्दी और हिन्दी टाइप तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण पा चुके हैं या पा रहे हैं, पर जब तक उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में कुछ काम हिन्दी में करने का मौका न दिया जाए तो जो कुछ उन्होंने सीखा है उसमें से बहुत सा भूल जाने का खतरा है। फिर हिन्दी में काम करके ही उसे विचारों में व्यक्त करके भव्य, लचीला और प्रवाहमय सुलभ साधन बनाया जा सकता है।"

इस उद्धरण के पश्चात् मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि जो मंत्रालय की रिपोर्ट है उसको देखने से प्रतीत होता है कि किसी भी संबन्धित मंत्रालय में इस का पालन नहीं किया जाता। मुझे जहां तक जानकारी है, हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने के सम्बन्ध में जो आपने मंत्रालयों को आदेश दिया है उनमें सबसे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय आता है। इस मंत्रालय के अधीन १२३ अनुभाग हैं लेकिन इन में से केवल ८ अनुभाग ऐसे हैं जिनको हिन्दी में नोट तथा ड्राफ्ट लिखने की अनुमति दी गयी है। आपने इसमें यह भी लिखा है कि हम यह विशेष रूप से चाहेंगे कि जो कार्यालय विशेषकर हिन्दी क्षेत्रों में हैं उनमें हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति दी जाए। लेकिन इसी मंत्रालय से सम्बन्धित २३कार्यालय इस प्रकार के हैं जो हिन्दी क्षेत्रों में हैं लेकिन उनमें से केवल तीन कार्यालयों में हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति दी गई है।

इसी प्रकार श्रम और रोजगार मंत्रालय में ११४ अनुभाग हैं जिनमें केवल तीन कार्यालयों में हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की स्वीकृति दी गयी है। सामुदायिक विकास मंत्रालय के के अन्तर्गत ३२ अनुभाग हैं, उनमें केवल एक को हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति दी गई है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में लगभग ८० अनुभाग हैं जिनमें एक में भी हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की व्यवस्था नहीं है। निर्वाचन आयोग के अन्तगत १० अनुभाग हैं लेकिन उसमें भी हिन्दी में ड्राफ्ट और नोट लिखने की अनुमति किसी कार्यालय को नहीं दी गयी है।

मैंने यह भी जानना चाहा था कि हमारी सरकार जो विदेशों को विशेष विशेष अवसरों पर संदेश भेजती है, विशेषकर ऐसी सरकारों को जिनकी अपनी भाषा अंग्रेजी नहीं है जैसे रूस है, फ्रांस है, चीन है, तो उनको कितने ऐसे संदेश हिन्दी में भेजे गए। मुझे यह जानकार आश्चर्य हुआ कि ७१ सन्देश राष्ट्रीय दिवसों पर भेजे गए और ६६ अन्य अवसरों पर भेजे गए, लेकिन उनमें से एक भी सन्देश हिन्दी में नहीं भेजा गया जब कि हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और उन देशों की भाषा भी अंग्रेजी नही है।

मैंने यह भी जानना चाहा कि जितने मंत्रालय हैं उनमें हिन्दी टाइप राइटरों की संख्या की स्थिति क्या है, तो मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि अक्तूबर १९६० में अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटर खरीदने का जो सभी मंत्रालयों को निदेश दिया गया था उसके अनुसार जून १९६१ तक उनके द्वारा खरीदे गए टाइपराइटरों की संख्या ११८ है। मैं ने यह भी जानना चाहा था कि ऐसे कितने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय हैं जिनमें अभी तक कोई हिन्दी टाइपराइटर नहीं हैं, तो उनकी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

संख्या ६३३१ बतायी गयी। मैंने यह भी जानना चाहा कि ऐसे कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर खरीदने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तो उसको यह कह कर टाल दिया गया कि इस के लिए व्यवस्था की जाएगी।

इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि संविधान ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है और आप चाहते हैं कि एक निश्चित समय पर हिन्दी अपने स्थान पर पहुंच सके तो यह कैसे संभव होगा ? आपके अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि मंत्रालयों को जो पत्र हिन्दी में आते हैं उनका उत्तर हिन्दी में दिया जाये। लेकिन मेरी सूचना के अनुसार १९६० की दूसरी छमाही में प्राप्त हुए हिन्दी पत्रों की कुल संख्या ४२,४३३ है। उन में से २५,००७ के उत्तर हिन्दी में दिये गये और ५,१५४ के उत्तर अंग्रेजी में दिये गये। मैं चाहता हूं कि जब आपने अपने कन्धों पर विशेष रूप से यह दायित्व संविधान में निर्दिष्ट किया है तो उस में सतर्क होने की भी तो आवश्यकता है।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह है कि संविधान में हिन्दी को आपने राजभाषा के स्थान पर आसीन कराने का निश्चय किया है। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा चल रही थी तो उस में एक दूसरा रूप ही सामने आया। सम्बन्धित मंत्री उर्दू मिश्रित हिन्दी को व्यावहारिक भाषा चाहते हैं। आप हिन्दी के सम्बन्ध में निश्चय करते समय उस के स्वरूप की भी घोषणा करें कि कौन सी हिन्दी को आप राष्ट्रभाषा के स्थान पर लाना चाहते हैं? उस हिन्दी को जिसको कि संविधान में आपने स्वीकार किया है अथवा उस हिन्दी को जिसको हमारे वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री निर्देश या संकेत के रूप में कह रहे हैं ? उस विधेयक में स्पष्ट हो जाना चाहिये कि हिन्दी का स्वरूप क्या रहेगा, क्या संविधान में बताया गया स्वरूप रहेगा या श्री गोपाल रेड्डी जैसों की हिन्दी का स्वरूप रहेगा ?

दूसरी बात यह कि सन् १९६५ तक हिन्दी को जो आप राष्ट्रभाषा के रूप में न ला कर उसको आगे के लिए ले जाना चाहते हैं तो जैसा शास्त्री जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि उसमें अंग्रेज़ी को सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया जायगा क्या यह सब प्रान्तों के लिए समान रूप से बात होगी अथवा वह प्रान्त जिन्होंने हिन्दी को अपनी भाषा स्वीकार कर लिया है और हिन्दी में अपना कार्य आरम्भ कर दिया है उनको छोड़ कर दूसरे प्रान्तों के सम्बन्ध में यह बात लागू होगी ? उस विधेयक में हिन्दी भाषा भाषी राज्यों की क्या वही स्थिति रहेगी जो मद्रास, केरल आदि की है या कुछ भिन्न रहेगी ? मैं चाहूंगा कि उस के सम्बन्ध में विधेयक बनाते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

देवनागरी लिपि के रूप के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने विशेष रूप से सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया कि देवनागरी लिपि को सब भाषाओं के लिए एक समान लिपि के रूप में स्वीकार किया जाय। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी उन लोगों ने जो कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के उत्तर भारत में अध्ययन पर विशेष रूप से बल दे रहे थे इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि गृह मंत्रालय इस दिशा में उदासीनता से क्यों कार्य कर रहा है ? ऐसा करने से तो राष्ट्रीय एकता की कड़ियां मजबूत होंगी। दक्षिण की भाषा, बंगाल की भाषा और असम की भाषा उत्तर के लोग समझ सकेंगे और आसानी से पढ़ सकेंगे तो इस दिशा में अधिक सतर्कता क्यों नहीं बर्ती जाती ?

अभी मेरे एक पूर्व वक्ता जोकि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता के इस प्रश्न को उठाया था। उन्होंने कहा कि इस देश में राष्ट्रीय एकता की चर्चा तो उठ रही है लेकिन हमारे फीरोजाबाद में क्या हुआ था ? जबलपुर में क्या हुआ था ? मुबारकपुर

में क्या हुआ था ? सीतामढ़ी में क्या हुआ था और अलीगढ़ में क्या हुआ था ? अब अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इतना समय नहीं है कि विस्तार के साथ उनके बारे में मैं यहां कह सकूं । लेकिन क्या उन घटनाओं के मूल में जो बात थी उसको लेकर मैं अपने उन मित्र से पूछ सकता हूं कि फीरोजाबाद की घटना क्या इस आधार पर नहीं हुई थी कि रामलीला के जलूस पर बम फेंका गया था ? जबलपुर की घटना क्या इस आधार पर नहीं हुई थी कि एक युवती को एक मकान में ले जा कर दिन में उस के साथ बलात्कार किया गया ? मुबारकपुर की घटना क्या इस आधार पर नहीं हुई थी कि हिन्दुओं के होली के जलूस पर पत्थर फेंके गये थे ? सीतामढ़ी की घटना क्या इस आधार पर नहीं हुई थी कि दिन दहाड़े भरे मेले में गौकुशी की गई ? अलीगढ़ की घटना क्या इसलिए नहीं हुई कि यूनियन के चुनाव में जो विद्यार्थी हार गये थे उनका जनाजा निकाला गया और इस तरीके से उनको उकसाया और भड़काया गया ? इन सारी बातों को करते हुए राष्ट्रीय एकता की दुहाई दी जाती है । यह हमारा अपना दुर्भाग्य है कि जब हम इन बातों की चर्चा करते हैं तो दूसरी ओर से यह तो भाई कहते हैं कि हम साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं । मैं सरकार को इस बात की साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि आज हमारे राष्ट्र में इस प्रकार के अराष्ट्रीय और अराजक तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा उभर रहे हैं । इतना ही नहीं बल्कि इन दंगों के पीछे कोई योजनाबद्ध बात मालूम पड़ती है और मुझे यह भी प्रतीत होता है कि उस के पीछे किसी दूसरे देश का भी हाथ है और उन की यह कोशिश जान पड़ती है कि भारतवर्ष जिस मार्ग पर चल कर अपनी उन्नति करना चाहता है उसको उस मार्ग से विचलित कर के आन्तरिक समस्याओं में इस प्रकार उलझा दिया जाय कि वह आगे उन्नति न कर पाये । जो झगड़े सन् १९४७ में स्वतंत्र होने से पहले थीं उन्हीं चीजों को फिर धीरे धीरे उसी रूप में देश में लाया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इन तमाम बातों पर विचार करते समय इस के ऊपर थोड़ा शीघ्र ही कड़ाई के साथ निर्णय करे अन्यथा अगर उपेक्षा के साथ इसको छोड़ दिया गया, आगे चल कर यह पानी मुंह के ऊपर हो जाने वाला है और अगर यह मुंह के ऊपर चला गया तो फिर उसको सम्हालना कठिन हो जायगा, यह चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूं ।

मुझे इस बात की खुशी है कि स्वर्गीय सरदार पटेल को जहां यह गौरव प्राप्त है कि उन्होंने हिन्दुस्तान की ६५० रियासतों को भारत में मिला कर देश की एकता बनाये रखने के लिए दृढ़ पग उठाया था वहां मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि स्वर्गीय गृह मंत्री पंडित पंत ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय परिषदें बना कर राष्ट्रीय एकता की कड़ियों को सुदृढ़ करने की ओर एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण पग उठाया था । मैं चाहता हूं कि जब हमारे प्रान्तों में धीरे धीरे वह अलगाव की प्रवृत्ति उभरती जा रही है तो सरकार को विशेष सतर्कता बर्तनी चाहिए । आज तो यह हमारा सौभाग्य है कि पुरानी पीढ़ी के नेता हमारे मध्य में विद्यमान हैं और उन के कारण इस तरह की प्रवृत्तियां अभी जोर नहीं पकड़ पा रही हैं लेकिन परमात्मा न करे आज से ५० वर्ष बाद या २० वर्ष बाद जबकि यह हमारे नेता नहीं रहेंगे तब हमारी स्थिति क्या होगी ? इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाय और कुछ किया जाय या न किया जाय लेकिन कम से कम जैसे पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन है या फाइनेंस है उनको इस तरह से अन्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध में बांध दिया जाय जिस में प्रान्तों में जो पृथकतावादी मनोवृत्ति उभर रही है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके । इसके लिए मैं यह चाहता हूं कि भिन्न भिन्न प्रान्तों में जो पुलिस रखी जाती है, मैं उस में उत्तर प्रदेश की भी बात कहता हूं, जिस प्रान्त में पुलिस रखी जाय उस में एक अनुपात अवश्य नियत किया जाय कि उस प्रान्त में इतने प्रतिशत: पुलिस दूसरे प्रान्त की रखी जायगी । इस का परिणाम यह होगा कि अनेकता की प्रवृत्ति दूषित रूप में उभर न पायेगी और उभरेगी भी तो उस पर हम नियंत्रण कर सकेंगे ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

असम और बंगाल की आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में भी मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में कई बार इस सदन् में चेतावनी दी जा चुकी है। असम में आज पाकिस्तान से सीमा पार करके लोग बराबर इधर आ रहे हैं। मुझे इस बात को आज देख कर दुःख हुआ कि जहां एक ओर हमारे माननीय राज्य गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि जनगणना की रिपोर्ट्स के आधार पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान सीमा पार करके भारत की सीमा में आ गये हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बैंचेज पर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने इसके लिए यह कहा कि यह लापरवाही थी जो लोग सन् १९५१ की गणना में शामिल होने से रह गये थे छूट गये थे उन्होंने सन् १९६१ में अपना नाम लिखवाया है और यह कैसे समझा जा सकता है कि वह पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत में आये हैं ? मैं अपने उन मित्र को बतलाना चाहता हूं कि यह सीमा का अतिक्रमण केवल असम तक ही सीमित नहीं है और यह कोई नई बात नहीं है। असम और बंगाल में जो सीमा का अतिक्रमण करके पाकिस्तान से मुसलमान आ रहे हैं यह मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना की वही योजना है जिसके द्वारा वह असम और बंगाल को भी पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। इस आधार पर ही तो वह इन दोनों प्रान्तों को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वही पुरानी चाल आज फिर खेली जा रही है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री विशेष सतर्कता और दृढ़ता का परिचय इस बारे में दें। मैं सदन् को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी पद पर जब पहले स्वर्गीय सरदार पटेल आसीन थे और जब पाकिस्तान में से इस तरीके से हिन्दुओं को धक्का दे दे कर निकाला जा रहा था तो सरदार पटेल ने उस समय दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को यह चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान सरकार हिन्दुओं को इस प्रकार से धक्का दे दे कर पाकिस्तान से निकालना चाहती है तो एक साथ सब को धक्का देकर निकाले हम उन सब की व्यवस्था करेंगे लेकिन जितनी जनसंख्या वहां से निकाली जायगी उतनी ही अनुपात से धरती पाकिस्तान को हमें देनी होगी ताकि उन निकाले हुए लोगों को बसाने की हम व्यवस्था कर सकें। अगर पाकिस्तान उतनी धरती नहीं देता है तो फिर जितनी मात्रा में हिन्दू वहां से निकाले जा रहे हैं उतनी मात्रा में यहां से अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोगों को उसे लेना होगा। स्वर्गीय सरदार पटेल ने जिस दृढ़ता का उस मौके पर परिचय दिया था और पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी थी उस नीति का आज पालन क्यों नहीं किया जाता है ? मैं समझता हूं कि यह नीति इस समस्या के समाधान में एक बहुत बड़ा योग दे सकेगी।

एक बात जिसकी ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा था वह है देश में धर्म के नाम पर चल रहा अनैतिक व्यापार। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर अनैतिक व्यापार आरम्भ हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा संकेत उन लोगों की ओर है जो कि धर्म के नाम पर देश में छोटी-छोटी दुकानें खोल कर बैठ गये हैं और उससे भयंकर अनैतिकता बढ़ती जा रही है जिसका कि वर्णन इस संसद् में नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हमारा गृह मंत्रालय जहां हमारे देश को राजनैतिक दृष्टि से सावधान रखने का दायित्व लेता है, वहां हमारे गृह-मंत्रालय का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि यह धर्म के नाम पर कम से कम हमारे देश में चरित्रभ्रष्टता को प्रोत्साहन न मिले ऐसी व्यवस्था भी करे। कुमारों के नाम पर कुछ धर्म चल रहे हैं, कुमारियों के नाम पर कुछ धर्म चल रहे हैं और इसको लेकर एक रहस्यमय वातावरण बन गया है। और धर्म के नाम पर जो यह अनैतिक व्यापार किया जा रहा है उस पर प्रतिबन्ध लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में इस बात का निश्चय किया गया था कि जातिवाद के खिलाफ हमने इस देश में आवाज उठानी है। लेकिन हमारे गृह मंत्रालय कम से कम इतना आदेश तो जारी करे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वह तो अपने नामों के साथ जातिवाचक उपनाम न लगायें।

कम से कम वह तो इस जातिवाद को प्रोत्साहन न दें। सरकारी नौकरियों मे भी तो जातिवाद के आधार पर निर्णय न लिये जायें।

सरकारी मिनिस्टरों के खर्चे के सम्बन्ध में मैंने इससे पहले भी इस प्रश्न को उठाया था। जब जब पिछली बार मैंने इस प्रश्न को पूछा था तो यह कह कर टाल दिया गया था कि हम इसके आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और उनको यथा समय रख दिया जायेगा। मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि सरकार के मिनिस्टर्स वेतन के अतिरिक्त कोठियों, डाक्टरी व्यय, कारों और मोटर खर्च के अतिरिक्त जब बाहर घूमने जाते हैं तो वह जो भत्ता उनको मिलता है वह किस मिनिस्टर को कितना मिला है ? मुझे पूछना इसलिये पड़ गया कि एक बार मेरे ही एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बतलाया गया था कि ऐसे ऐसे भी त्यागी और तपस्वी मिनिस्टर हमारे देश में हैं जिनका कि वेतन एक साल में कुल मिलाकर ३० हजार रुपये था लेकिन घूमने का भत्ता उनको ४८ हजार मिला है। सरकार इस तथ्य को छिपाना क्यों चाहती है ? जब मैंने पहली बार प्रश्न किया तो यह कह कर टाल दिया गया कि आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और दुबारा प्रश्न करने पर भी यही कह दिया गया कि आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। आखिरकार यह आंकड़े कबतक इकट्ठे होंगे ? आपको वित्त मंत्रालय इसके लिये सावधान क्यों नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यथा समय दिया जा सके ? लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर न देने के पीछे एक कारण है। सरकारी मिनिस्टरों का खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है और वह इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसको किप्रकट करते समय उनको भय होता है कि यह सब बातें समाचारपत्रों में आजायेंगी तो देश हमको क्या कहेगा और संसद् हमको क्या कहेगी ? लेकिन जब सरकार जनता से त्याग करने की बात करती है तो उसके अन्दर भी त्याग की प्रवृत्ति आनी चाहिये और उन रहस्यों को आपको प्रकट कर देना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिए एक एक प्रान्त में करोड़ों रुपयों की राशि निर्धारित की है। पंजाब और जम्मू काश्मीर के लिए अलग २ राशियां रखी गई हैं। उत्तर प्रदेश के लिये २८ करोड़ रुपये सीमावर्ती क्षत्रों के विकास के लिये रख गये हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हुं कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनका दिल्ली के साथ, जो कि देश की राजधानी है, सीधा सम्पर्क स्थापित करने की कोई व्यवसथा करनी चाहिए। उदाहरण के लिये गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल का इतना बड़ा भाग है, जो दूसरे देश की सीमा से टकराता है, लेकिन अगर कोई गढ़वाल जाना चाहे, तो उसको गढ़मुक्तेश्वर, और गजरौला होते हुए जाना पड़ेगा। अगर मेरठ और बिजनौर होकर सीधे गढ़वाल से सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाये, तो रास्ता भी सीधा पड़ जायेगा और विपत्ति के काल में भी हमको आसानी रहेगी।

श्री गणपति राम : अध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीय एकता की बातें हमारे लीडरों और देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक की जुबान पर हैं। इस सम्बन्ध में मुझे आज से बीस साल पहले की घटना याद आती है, जब मैं काशी विश्वनाथ मन्दिर की बगल में औरंगज़ेब द्वारा बनाई गई मस्जिद के किनारे पर बैठा हुआ था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उस समय एक सम्प्रदायवादी ने मेरे एक साथी से कहा, "वह औरंगज़ेब कितना बदज़ात था उसने हिन्दू मन्दिर को तोड़ कर मस्जिद बना दी।" इस पर मेरे साथी ने तुरन्त उत्तर दिया, "खामोश रहो। उसने क्या बुरा किया ? अगर भगवान के पूजा स्थान को उस ही ने पूजा का स्थान बनाया, तो क्या बेजा किया ?" आज सम्प्रदायवाद की बात करने वाले और जातीयता का नारा लगाने वाले लोग उस जवाब से शिक्षा और प्रेरणा ले सकते हैं और इस देश में साम्प्रदायिकता और जातीयता

[श्री गणपति राम]

को ठोकर मार कर इस देश की एकता को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं ।

मुझे आश्चर्य होता है, जब दूसरी तरफ के माननीय सदस्य यह आवाज़ उठाते हैं कि आज से पन्द्रह साल पहले, जब कि यह देश आज़ाद हुआ, क्या यहां एकता की कमी थी और किस वजह से आज एकता की बातें की जा रही हैं । मैं उन से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज से पन्द्रह साल पहले की समस्यायें आज से भिन्न थीं । उस समय हमारे देश में हिन्दू सम्प्रदायवाद, सिख सम्प्रदायवाद और माइनारिटी सम्प्रदायवाद इस तरीके के नहीं थे । उस वक्त हमारे देश की बार्डर्ज की हालत इस किस्म की नहीं थी । इस नाते वह एकता का सवाल उस मौके पर नहीं था ।

आज देश में ऐसी समस्यायें खड़ी हो गई हैं, जिससे देश की एकता को बहुत बड़ी ठेस लगने वाली है । हमारे जिन नेताओं ने अपनी कुर्बानी, त्याग और तपस्या से इस देश को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कर के यहां पर आजादी लाई, उनके सामने यह एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपने रहते हुए भविष्य की सन्तानों के लिये इस देश की एकता को कभी न मिटने दें । आज देश का हर एक ज़िम्मेदार नागरिक इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारे देश के ज़िम्मेदार नेता इस विषय में सही कदम उठा रहे हैं । आज इस देश में जो विघटनकारी शक्तियां काम कर रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए सरकार को दृढ़ कार्यवाही करनी चाहिए और देश में जहां पर साम्प्रदायिक और जातीय झगड़े शुरू होते हैं, सरकार की तरफ से वहां पर कड़े कदम उठाये जाने चाहिए । इस सदन के सभी सदस्य, देश का पढ़ा लिखा तबका और देश का हर एक ज़िम्मेदार नागरिक आज इस बारे में सरकार के साथ है और वह कभी सलरकार का पांव नहीं खींच सकता ।

लेकिन मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उन शक्तियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारी और आपकी आंखों के नीचे पनप रहे हैं, जिनको हम देखते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते । आज कई माननीय सदस्यों ने हमारे आफिसर्ज़ के बारे में सवाल उठाए । आज हम देखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्टस, बैकवर्ड क्लासिज़ और माइनारिटीज़ के कैंडीडेट्स को सिर्फ़ इसलिये सर्विसिज़ मे नहीं लिया जाता है कि चुनाव बोर्ड में उनकी जाति के आदमी नहीं होते हैं । मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता है कि इस सदन में माननीय मंत्री के द्वारा यह जवाब दियाजाता है, जिसका उद्धरण, रेंरेफ़रेंस, दिया जाताहै, कि फलां फलां सर्विसिज़ में संविधान के लागू होने के बारह वर्ष बाद भी हरिजनों और बकवर्ड क्लासिज़ का कोटा पूरा नहीं किया गया है । आखिर इसका कारण क्या है ? क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है ?

मैं माननीय मंत्री, श्री दातार, की अमृत वाणी को धैर्य से पीता रहा, लेकिन केवल बातों से किसी के दिल की बीमारी खत्म नहीं हो सकती । हम यह जानते हैं कि उनकी नीयत मे कोई खामी नहीं है, लेकिन उनके नीचे काम करने वालों की नीयत में खामी है । कई सिलेक्शन बोर्ड में ऐसे ऐसे आदमी रखे गये हैं, जो शिड्यूल्डकास्ट्स के उस कैंडीडेट से, जो कि इम्तहान में बड़े अच्छे नम्बरों से पास हो जाता है, इन्टरव्यू और वाइवा वोसी में पहला सवाल यह करते हैं कि "तुम किस क़ाम के हो ?" एक महीने की बात है कि एक शिड्यूल्ड कास्ट के कैंडीडेट ने, जो आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० में पास हो गया, वाइवा वोसी में पास हो गया, रेलवे की एअक पोस्ट के लिए एप्लाई किया, जहां वह एप्रैन्टिसशिप में था, तो रेलवे बोर्ड ने सब से पहले उससे यह सवाल किया कि "तुम किस कौम के हो ?" अगर इस प्रकार जातीयता का प्रचार करने वाले और जातीयता की भावना से प्रेरित हो कर लोगों के अधिकारों और हितों का हनन करने वाले लोग इस सरकार में पनप रहे हों और हमारी सरकार आंख मूंदे बैठी रहे, तो यहकिसकी जिम्मेदारी होगी ?

इस सदन मे एक सवाल के जवाब में भूतपूर्व गृह मंत्री ने बताया था कि देश भर में आई० ए० एस० में शिड्यूल्ड कास्ट्स के २०० आदमियों ने क्वालिफ़ाई किया, लेकिन **वाइवा वोसी** में वे सब फ़ेल हो गए और उनमें से केवल १० लिये गये । सरकार की तरफ से अक्सर यह कहा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के क्वालिफ़ाइड कैंडीडेट्स नहीं मिलते हैं और जब वे एग्ज़ामिनेशन में कामयाब हो जाते हैं, क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, तो इन्टरव्यू करने वाले बोर्ड के हर एक मेम्बर से कह दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स का है और वहीं पर उसकी सारी योग्यता खत्म हो जाती है ।

इस देश में जिन लोगों को सदियों तक सामाजिक, आर्थिक और तरह तरह की यातनायें दी गईं, जिनको समाज ने पढ़ने-लिखने का समान अवसर नहीं दिया, उनके लिये देश की आज़ादी के बाद बनाए गए संविधान में स्पेशल प्राविज़न रखे गये । अगर उन प्राविज़न्ज़ का ठीक तरह से पालन न किया जाये और उन लोगों की प्रगति का अवसर न दिया जाये, तो यह किसकी जिम्मेदारी होगी ? हर साल इस सदन में, जो कि हिन्दुस्तान की साविरेन पार्लियामेंट है और जिसके माने हुए हर एक लफ्ज़ का सरकार को पालन करना चाहिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपार्ट में दी गई रिकमेंडेशन्ज को एपरूव किया जाता है । अगर सरकार उन रीकमेंडेशन्ज़ को भी इम्पलीमेंट कर देती, तो हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज़ की बहुत सी समस्यायें हल हो जातीं । मुझे आश्चर्य और खेद के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि यह सदन हर साल उन रीकमेंडेशन्ज़ को एपरूव करता है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको इम्पलीमेंट नहीं किया जाता है । आज बहुत से लोगों को यह शुबहा सा हो रहा है कि क्या सरकार के नीचे काम करने वालों की नियत साफ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का समय खत्म हो गया ।

श्री गणपति राम : मैं ने दो महीने लगातार कोशिश की, लेकिन मुझे समय नहीं मिला । कम से कम पांच मिनट मुझे और दे दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं दस मिनट हो गये । और ज्यादा नहीं मिलेगा ।

श्री गणपति राम : अपोजीशन के लोग तो २५–२५ मिनट बोले हैं । कम से कम पांच मिनट और दे दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं । और ज्यादा समय नहीं मिल सकता ।

श्री गणपति राम : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं ।

गृह मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे कि ढाई करोड़ रूपया शेड्यूल्ड कास्ट्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज़ के लड़कों के लिये वजीफ़े के नाम पर दिये जा रहे हैं । शेड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी ८ करोड़ है, अदर बैकवर्ड क्लासेज़ की आबादी मिला कर वह देश की आबादी का तीन चौथाई हिस्सा हो जाता है, और स्कालरशिप का रुपया है ढाई करोड़ । मेरी समझ में नहीं आता कि साल भर में एक विद्यार्थी पर कितने पैसे का हिसाब पड़ता है ।

आज अस्पृश्यता निवारण के नाम पर सन् १९५६ से लगातार स्टेट की सरकारों को पैसा दिया जाता है । एक माननीय सदस्य ने सदन के अन्दर हमारे गृह मंत्री का जवाब पढ़ कर सुनाया । वे पंजाब के बारे में कह रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बतलाना चाहता हूं । सन् १९५६ से आज तक जितना रुपया दिया गया है उस में हमेशा आधा या तीन चौथाई रुपया वापस चला आता है,

[श्री गणपति राम]

खर्च नहीं होता है । बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि बजट अलाटमेंट हुआ था लेकिन पैसा खर्च नहीं हुआ । रुपया जाता है लेकिन बड़ी ईमान्दारी के साथ स्टेट सरकारें लौटा देती हैं । कहा जाता है कि हमारी सरकार केन्द्र की तरफ से लाखों रुपये अस्पृश्यता निवारण के लिये खर्च करती है । सेंटर में आल इंडिया डीप्रेस्ड क्लासेज़ लीग है । मैं ने देखा कि पहले कुछ सालों तक उस को आर्थिक सहायता मिलती रही लेकिन अब वह भी बन्द कर दी गई है । आज देश के कोने कोने में ऐसी संस्थायें चल रही हैं, लेकिन क्या सरकार सोचती है वह कानून के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म कर सकती है ? मुझे आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं कि संविधान ने अस्पृश्यता को खत्म कर दिया । मैं नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि चूंकि हिन्दुस्तान के अन्दर अस्पृश्यता थी इसलिये कानून की जरूरत पड़ी, लेकिन क्या जिस दिन कानून बन गया उस दिन इस देश से अस्पृश्यता खत्म हो गई ?

अभी हमारे गृह मंत्री जी ने बतलाया कि सरकार ने हरिजनों को योग्य बनाने के लिये कोचिंग क्लासेज़ शुरू किया है । मैं ने उन कोचिंग क्लासेज़ को भी देखा है । शायद अखबारों के द्वारा सरकार के सामने वह मसला आया होगा । जो लोग देश के जिम्मेदार पदों पर रक्खे जाने वाले हैं, उन के साथ छूआ छूत बरती जाती है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अन्दर पिछले साल मसला आया कि खाने में और रहने में छुआ छूत बरती जाती है । मुझे यह दिन भी याद आता है जब मैं पढ़ रहा था । वेद पढ़ने के नाम पर मुझ जैसे विद्यार्थी को भी अलग रक्खा गया । मुझे वह दिन भी याद आता है । आज भी क्या मैं नम्रतापूर्वक पूछ सकता हूं कि देश में क्या कोई भी ऐसा गांव है जहां पर छुआ छूत न बरती जाती हो ? कहीं कम और कहीं ज्यादा हो सकती है । शहरों में कम हो सकती है और आज हिन्दुस्तान का हर जिम्मेदार और पढ़ा लिखा आदमी मानता है कि छुआ छूत में कमी है, लेकिन वह खत्म नहीं हुई है । आज जब वह खत्म नहीं हुई है तो सदियों से चल रही बीमारी को खत्म करने के लिये आप की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है ? क्या वह बातों से खत्म हो सकती है ? आज जो सरकार देश के लिये जिम्मेदार है, जिस ने ईमानदारी के साथ ८०-९० लाख रिफ्यूजियों के मामले को हल किया, क्या वह ८$\frac{1}{2}$ करोड़ हरिजनों की, जो सदियों से, युगों से इस देश में रिफ्यूजियों से बदतर जीवन बिता रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दशा को अच्छा नहीं कर सकती ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं इस छुआछूत के मसले में ।

श्री प्रताप सिंह (सिरमौर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन टाइम के अभाव से मैं चन्द अल्फाज़ में ही अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं । यूनियन टेरिटरीज़ का सब से ज्यादा सम्बन्ध हमारी होम मिनिस्ट्री से है, जिस के ऊपर आज चर्चा हो रही है । हिमाचल प्रदेश ३० छोटी-छोटी रियासतों का मजमूआ है, और छोटी छोटी रियासतों को तोड़ कर एक इकाई की शक्ल में लाया गया था, १९४८ में । उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हों ने तमाम रियासतों को तोड़ने में सहायता दी थी, उस वक्त की राजनैतिक पार्टी को जोकि हिमाचल प्रदेश प्रजामंडल के नाम से काम कर रही थी, एक खत के द्वारा तहरीर किया था कि वह पहले चीफ कमिश्नर का राज्य होगा, फिर हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेम्बली होगी जिस का हेड लेफ्टेनेंट गवर्नर होगा, उस के बाद ज्यों ही उस की आमदनी काफी हो जायेगी, उस के ज़राय बढ़ जायेंगे, उस वक्त हिमाचल प्रदेश एक फुलफ्लेज्ड स्टेट बन जायेगा । उसी आधार पर सन् १९४८ में हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नर का राज्य हुआ, उस के बाद सन् १९५१-५२ में वहां पर लेजिस्लेटिव असेम्बली लेफ्टेनेन्ट गवर्नर के मातहत हुई जोकि पार्ट सी स्टेट के ऐक्ट के तहत हुई । लेकिन स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन कमिशन की रिपोर्ट के बाद वहां से डिमाक्रेटिक सिस्टम को हटा कर उस को टेरिटोरियल कौंसिल की शक्ल में लाया गया । मैं आप के सामने बतलाना चाहूंगा कि टेरिटोरियल

कौंसिल ऐक्ट जो चीज है उस से हिमाचल प्रदेश को क्या फायदा पहुंचा और क्या नुक्सान पहुंचा ।

टेरिटोरियल कौंसिल एक ऐसा निकम्मा और अधूरा ढांचा है जिस की वजह से वहां की जनता बहुत मुश्किल में है । न तो वह कुछ समझ सकते हैं कि यह ढांचा क्या है और न वहां की जनता यह जानती है कि उन्हें क्या करना है । वहां के लोग समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना है । हमारी सरकार लाखों, करोड़ों रुपये हिमाचल प्रदेश की बहबूदी के लिये देती है । लेकिन जहां तक उस की बहबूदी का सवाल है, अगर वहां जा कर देखा जाय, तभी मालूम हो सकता है कि वहां क्या बहबूदी हो रही है । कहा जाता है कि वहां सड़कें बन रही हैं, कहा जाता है कि वहां दूसरे काम होते जा रहे हैं । लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम वहां पर मिनिस्ट्री के जमाने में हुए हिमाचल प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये, वह बाद के पांच साल के अर्से में नहीं हुए । अगर रुपयों के आधार पर देखा जाय तो दूने से ज्यादा रुपया हमारी भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लगाया लेकिन उस का कोई फायदा नहीं हुआ । अगर आप देखें कि मिनिस्ट्री के जमाने में हिमाचल प्रदेश में कितनी सड़कें बनीं तो पता चलता है कि १५०० मील लम्बी सड़कें बनीं, लेकिन उस के बाद उस खर्च का अन्दाजा लगाया जाय तो उस वक्त सिर्फ २३२.८७ लाख रुपया खर्च किया गया था, उस के बाद दूसरी पांच साला प्लैन में सड़कों को देखिये तो सिर्फ ३९९ मील लम्बी सड़कें बनीं जबकि उस पर ४७७.५८ लाख रुपया खर्च हुआ । अगर हम इस बात को देख कि किस जिले में कितनी सड़कें बनीं, किस इलाके में कितनी सड़कें बनीं, किन-किन सालों में बनीं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप सिरमौर में जा कर देखिये कि जो सड़कें मिनिस्ट्री के जमाने में बनीं, जब असेम्बली काम करती थी उस के जमाने में बनीं, उस के बाद एक इंच भी कोई सड़क नहीं है जो उस पांच साल के बाद बनी हो और जिस पर मोटर चली हो यानी उसे मोटरेबल बनाया गया हो । मेरे कहने का मतलब यह है कि बावजूद इस के कि रुपया ज्यादा खर्च किया जा रहा है, और बावजूद इसके कि वहां पर लोगों की नुमाइन्दगी है, काम कुछ नहीं हो रहा है । वह नुमाइन्दे महज देखने के नुमाइन्दे हैं, वह महज उस किस्म के नुमाइन्दे हैं जिन के हाथ में सब कुछ दे दिया जाय और कहा जाय कि मकान तुम्हारे पास है, लेकिन तुम मकान के दरवाजे पर खड़े रहो, घर के अन्दर तुम नहीं जा सकते । इस आधार पर लोगों की नुमाइन्दगी है हिमाचल प्रदेश में । वहां पर जो टेरिटोरियल कौंसिल का ढांचा है उस में सिर्फ तीन महकमे अधूरे और निकम्मे शक्ल से उस कौंसिल के पास हैं जो वहां पर काम करती है, जहां पब्लिक के नुमाइन्दे काम करते हैं । बाकी सारा ढांचा ऐडमिनिस्ट्रेशन के पास है । मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर एजुकेशन का महकमा है । एजुकेशन के महकमे में क्या है ? पहली जमात से ले कर दसवीं जमात तक की तालीम टेरिटोरियल कौंसिल के पास है लेकिन तालीम के महकमे के अन्दर जो ट्रेनिंग स्कूल हैं या कालेजेज हैं और दूसरी चीजें हैं, वह सब ऐडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं । वह लोग अपनी मनमानी करते हैं । वह किसी की बात नहीं सुनते हैं उस में क्या हो रहा है इसे कोई पूछने वाला नहीं है । इसी तरह से आप दूसरे मुहकमों को देखें जैसे अस्पतालों का मुहकमा है, तो आप को पता चलेगा कि छोटे दरजे के अस्पताल टेरीटोरियल काउंसिल को दिये गये हैं और बड़ा अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है । तो जो महत्वपूर्ण विभाग हैं और जहां तक नीति का मामला है वह एडमिनिस्ट्रेशन के पास है । वट्रनरी के जो छोटे अस्पताल हैं वह नुमायन्दों के पास हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल तीन मुहकमे काउंसिल के पास हैं और बाकी तमाम ढांचा गवर्नमेंट का जैसे सड़क, डेवलपमेंट, इर्रीगेशन, जंगलात, पुलिस आदि जिन से रोजाना हिमाचल की जनता का काम पड़ता है वे सारे के सारे विभाग एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में हैं ।

आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है । यह चीज हम दिल्ली में बैठ कर नहीं मालूम कर सकते । हम को वहां के काम के बारे में फिल्में दिखाई जाती हैं । उन में हम देखते हैं कि सड़क

बन रही है और सड़क के लिये पहाड़ की कटाई हो रही है। लेकिन मेरा दावा है कि अगर आप वहां जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि जो काम पहले असेम्बली ने किया है, जब कि बहुत कम रकम भारत सरकार की तरफ से दी जाती थी पहली पंचवर्षीय योजना में, वह उस से दुगना है तो अब क्या किया जा रहा है जबकि आज पहले से दुगना रुपया दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले अब आधा भी काम नहीं हो रहा है। यह चीज देखने की है।

मैं अर्ज करूंगा कि जब हमारे मिनिस्टर मौजूद थे और पब्लिक के नुमायन्दे मौजूद थे तो लोगों को सवाल कर के यह मालूम हो सकता था कि क्या हो रहा है। अगर मिनिस्टर गलती करते थे तो पब्लिक के नुमायन्दे सवाल कर के पूछ सकते थे, मोशन कर के पूछ सकते थे। अगर कोई गलत काम होता था तो वह इस तरह ठीक हो जाता था। सरकारी मुलाजिम डरते थे कि हम से गलती हो जायेगी तो हम से जवाब तलब किया जायेगा। लेकिन अब हमारे ऊपर ऐसा निकम्मा ढांचा थोपा गया है। वहां पर जो असेम्बली थी उस को हटा कर जो टेरीटोरियल काउंसिल दी गई है यह बिल्कुल निकम्मी साबित हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी हालत फिर ला दी जाय, हम कोई नई चीज नहीं चाहते। हम वही चीज चाहते हैं जो हम से ले ली गई है। हमारी स्टेट पहले पार्ट सी स्टेट थी और पार्ट सी स्टेट के लिये कानून में यह प्रावीजन है कि यह हाउस जिस तरह से चाहे उस को चला सकता है। तो जो चीज हम को मिलनी चाहिये वही हम मांग रहे हैं। हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। हम समझते हैं कि हम को अपने इलाके में क्या करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे मंत्री थे वे इंटीरियर में दौरा करते थे और चीनी तथा पांगी इलाके तक जाते थे। वे लोग १२ सौ से २२ हजार फीट ऊंचे इलाकों तक जाते थे। उन को पता चलता था कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, कहां पानी की जरूरत है, कहां सड़क की जरूरत है और कहां जंगलात की रक्षा करने की जरूरत है। लेकिन जब से वहां का शासन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आया है आप पता कर लें कि कितनी दफा अफसरान चीनी और पांगी इलाकों में गये हैं। वे लोग मौके पर नहीं जाते और जैसा सरकारी मुलाजिम कहते हैं उसी के मुताबिक वह मैदान के इलाकों में बैठ कर स्कीम बना कर भेज देते हैं। वे स्कीमें उन इलाकों में कैसे कामयाब हो सकती हैं। हमारे यहां ऐसे इलाके हैं कि जिन में जाने के लिये आज जून के महीने में भी गरम कपड़ों और कम्बलों की जरूरत होती है। वहां आज भी बरफ पड़ी हुई है। जो लोग यहां बैठ कर उन इलाकों के लिये स्कीमें बनाते हैं वे वहां की जरूरतों को कैसे महसूस कर सकते हैं। जब वे वहां नहीं पहुंचते तो हरगिज वे वहां की जरूरतों को महसूस नहीं कर सकते। तो ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था।

जहां तक डेवेलपमेंट का सवाल है, जो ट्यूबवैल उन्हों ने बनाये आज तक उन में पानी नहीं है। जो नहरें और कूलें बनायीं वे बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। हम यहां से लाखों रुपया हिमाचल के लिये भेजते हैं लेकिन वहां कोई पूछने वाला नहीं है। इस का कारण यह है कि आज पब्लिक के नुमायन्दों को कोई अधिकार नहीं है। हिमाचल में बहुत कम काम हो रहा है लेकिन दुनियां को फिल्मों में दिखाया जाता है कि हिमाचल में बहुत कुछ हो रहा है।

शिड्यूल्ड कास्ट वालों की हालत आप देखें। रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले हिमाचल में शिक्षा ७·७ परसेंट थी और सन् १९६० में २८·८ हो गयी। लेकिन इस में शिड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज लगभग २·२ है। यह हालत उन की तालीम की है। इस का कारण यह है कि जो असली नीति का काम है वह हमारे हाथ में नहीं, वह एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। इसलिये मेरा निवेदन

है कि जब तक इस ढांचे को नहीं बदला जायेगा और इस टेरीटोरियल काउंसिल को वहां से नहीं निकाला जायेगा हिमाचल की तरक्की नहीं हो सकती । इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

†**श्री बदरुद्दुजा** (मुर्शिदाबाद) : गृह-कार्य मंत्रालय दो समस्याओं से सम्बन्धित है—देश में शान्ति स्थापित करना और लोक सेवाओं का प्रशासन । यह तभी हो सकता है जबकि संविधान के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हो; बुनियादी अधिकारों का संरक्षण हो और सब लोग मिल जुल कर काम करें । देश के विभाजन से पहले जो विभिन्न जातियों के मेल जोल के बारे में मेरा स्वप्न था, वह विभाजन के बाद भंग हो गया । विभाजन के शीघ्र ही बाद दोनों ओर अल्पसंख्यकों का रक्तपात हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा की बैठक बुधवार, ६ जून, १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ५ जून, १९६२
१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७१	साम्प्रदायिक निकायों और संस्थाओं पर रोक .	४०८७—९०
१२७३	कर वसूली और राष्ट्रीय आय . .	४०९०–९१
१२७४	रूरकेला इस्पात परियोजना . . .	४०९१—९४
१२७७	अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी की पुस्तकें .	४०९४—९६
१२७८	दिल्ली में नये पोलीटेक्नीक . .	४०९६—९८
१२७९	निवेली में इस्पात संयंत्र	४०९८–९९
१२८०	दिल्ली में उद्योग . .	४०९९—४१००
१२८२	आंध्र प्रदेश के अकाल पीड़ित जिले को सहायता .	४१००—०१
१२८४	नई दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन	४१०१–०२
१२८५	दिल्ली में नई शिक्षा संहिता . . .	४१०२—०४
१२८६	हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन	४१०४—०७
१२८७	घड़ी उद्योग	४१०७–८
१२८८	ट्रांसफार्मरों और धुरी तेल (एक्सिल आयल) तथा चिकनाइयों (लुब्रिकेन्ट्स) का आयात	४१०८–०९
१२८९	लद्दाख के लामाओं के लिये विश्राम गृह . .	४१०९–१०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२७५	इस्पात कारखानों के लिये कोयला	४११०
१२७६	आंध्र प्रदेश में बिजली के भारी सामान का संयंत्र	४११०
१२८१	विस्फोटक पदार्थों के उत्पादन के लिये आयुध कारखाना	४११०–११

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों क लिखित उत्तर--जारी

तारांकित प्रश्न संख्या

१२८३	उड़ीसा में लौह अयस्क परियोजना . . .	४१११
१२९०	भूतपूर्व सैनिकों को 'बी' मोटरगाड़ियों की बिक्री . .	४१११-१२
१२९१	एस्सो स्टैंडर्ड ईस्टर्न आयल कम्पनी के साथ करार . .	४११२
१२९२	कच्चा लोहा तैयार करने का संयंत्र .	४११२
१२९३	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम . . .	४११३
१२९४	मनीपुर में विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियां .	४११३
१२९५	गंगा बेसिन में तेल	४११३-१४
१२९६	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग क्षेत्र में पैट्रोलियम संसाधन . . .	४११४
१२९७	जाली नोट . . .	४११४
१२९८	अहमदाबाद में कोयले की कमी . . .	४११४-१५
१२९९	प्रतिरक्षा राइफल फैक्टरी में काफी मशीनों का निर्माण	४११५
१३००	विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिये विदेशी मुद्रा	४११५-१६
१३०१	गैर-सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण .	४११६
१३०२	जलहाली में मशीनी औजारों के डिजायनरों के लिये प्रशिक्षण संस्था .	४११६-१७
१३०३	मद्रास में स्कूल तथा कालिज शिक्षा . .	४११७
१३०४	एस्कोर्टस मोटर साइकिल तथा स्कूटर फैक्टरी, नई दिल्ली	४११७-१८
१३०५	सूरत जिले के ओल्पाद में प्राकृतिक गैस का मिलना	४११८
१३०६	भारत में ब्रिटिश ऋण	४११८
१३०७	लड़कियों के लिये पौलिटेक्निक तथा जूनियर टैक्निकल स्कूल	४११८-१९
१३०८	चौथा तेलशोधक कारखाना	४११९

अतारांकित प्रश्न संख्या

२५११	बीकानेर के मिलिटरी इंजीनियरिंग सेना के कर्मचारियों की मजूरी की बकाया	४११९
२५१२	मंगलौर में उर्वरक कारखाना .	४१२०
२५१३	राष्ट्रीयकरण पाठ्यपुस्तकों का काला बाजार में व्यापार	४१२०
२५१४	बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के लिये प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज	४१२०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

२५१५	मनीपुर में अधिक ऊंचे टेन्डर मंजूर करना	४१२१
२५१६	दिल्ली में भिखारी .	४१२१
२५१७	दिल्ली भिखारी गृह	४१२१–२२
२५१८	नागाओं द्वारा रिहा किये गये भारतीय वायुसेना के पदाधिकारियों को क्षतिपूर्ति . . .	४१२२
२५१९	हिन्दू विवाद अधिनियम, १९५५ के अधीन विवाद विच्छेद	४१२२
२५२०	आत्महत्या के मामले .	४१२२–२३
२५२१	दिल्ली में भिखारी	४१२३
२५२२	उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को लोहे और इस्पात का कोटा	४१२३–२४
२५२३	उड़ीसा के प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापक .	४१२४
२५२४	उड़ीसा में सांस्कृतिक केन्द्र . . .	४१२४–२५
२५२५	उत्कल विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन क्रम . .	४१२५
२५२६	उडिया नाटक .	४१२५–२६
२५२७	उड़ीसा में खेलकूद . . .	४१२६
२५२८	उडिया भाषा का विकास .	४१२६
२५२९	उड़ीसा में विज्ञान मंदिर	४१२७
२५३०	उड़ीसा के लिये कोयला . . .	४१२७
२५३१	जीवन बीमा निगम के विनियोजन के लिये रक्षित धन राशि	४११८
२५३२	भारत को आस्ट्रिया का ऋण . . .	४१२८–२९
२५३३	मेहतरों के काम की दशा के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट	४१२९
२५३४	दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापक	४१२९–३०
२५३५	नगर निगमों के अधीन प्राथमिक शिक्षा . .	४१३०
२५३६	बिजली के करघों पर तैयार किये रेशमी कपड़े पर उत्पादन शुल्क	४१३०–३१
२५३७	त्रिपुरा में तेल और कोयला निक्षेप .	४१३१–३२
२५३८	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को स्थानापत्र भत्ता	४१२२
२५३९	भारत सर्वेक्षण विभाग	४१३२–३२
२५४०	मनीपुर प्रशासन	४१३३
२५४१	आंध्र में अभ्रक खनन उद्योग . .	४१३३–३४
२५४२	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मनीपुर प्रशासन में पदों का आरक्षण . . .	४१३४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५४३	राजस्थान में नियुक्त केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कर्मचारी	४१३४–३५
२५४४	फल परिक्षण के अनुसंधान केन्द्र	४१३५
२५४५	इम्फाल क्षेत्र मनीपुर में सरकारी कार्यालय	४१३५–३६
२५४६	पाकिस्तान से चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	४१३६
२५४७	मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, बंगलौर	४१३६
२५४८	कलकता विश्वविद्यालय के लिये छात्र सदन	४१३६–३७
२५४९	हिमाचल प्रदेश प्रशासान जानने वाले कर्मचारी	४१३७
२५५०	घोड़ों खच्चरों का आयात	४१३७-३८
२५५१	घग्गर घाटी में खुदाई . . .	४१३८
२५५२	भारत में अधिक समय ठहरने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजन	४१३८–३९
२५५३	अनुसूचित जातियों के हिन्दुओं का ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन .	४१३९
२५५४	उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं का पढ़ाया जाना .	४१३९–४०
२५५५	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना . .	४१४०
२५५६	प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापक .	४१४०–४१
२५५७	त्रिपुरा को इमारती सामान .	४१४१
२५५८	त्रिपुरा में डाकू . .	४१४१
२५५९	दिल्ली में यातायात समस्या . .	४१४२
२५६०	कोक भट्टी संयंत्र	४१४२
२५६१	पुराने सामान पर सीमा शुल्क . . .	४१४२–४३
२५६२	नये विश्वविद्यालय	४१४३
२५६३	मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र . .	४१४४
२५६४	अन्दमान में गोली चलाया जाना .	४१४४
२५६५	नेफा में अग्रिम भाषाई सर्वेक्षण .	४१४४
२५६६	दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन . . .	४१४५
२५६७	मद्रास में कोयला कारखाना . . .	४१४५
२५६८	सशस्त्र बल सदरमुकाम (आर्म्डें फोर्सिज हैडक्वार्टर्स) में अतिरिक्त समय का भत्ता . . .	४१४५–४६
२५६९	भारत में अधिक समय तक ठहरने वाले चीनी राष्ट्रजन	४१४६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५७०	दिल्ली में यातायात सिग्नल . . .	४१४६
२५७१	केन्द्रीय सरकार की मोटरगाड़ियां	४१४६
२५७२	जकार्ता में चतुर्थ एशियाई खेल .	४१४७
२५७३	लद्दाख में पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण	४१४७
२५७४	लन्दन में टैगोर केन्द्र .	४१४७
२५७५	राष्ट्रीय खेल कूद संस्था . .	४१४८–४९
२५७६	तम्बुओं में दिल्ली के स्कूल . .	४१४९
२५७७	हिन्दी साहित्य सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति .	४१४९
२५७८	हिन्दू विवाह आदि की पद्धतियों का अध्ययन करने के लिये संस्था	४१५०
२५७९	संस्थाओं (एसोसियेशनों) की मान्यता .	४१५०
२५८०	असम उच्च न्यायालय . . .	४१५०
२५८१	आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के लिये पेंशन के लाभ	४१५१
२५८२	बीजापुर जिले में मेंगनीज़ और कच्चा लोहा	४१५१–५२
२५८३	१९६० में राज्य बैंक में हड़ताल .	४१५२
२५८४	स्टेट बैंक आफ इंडिया यूनियन . . .	४१५२
२५८५	अग्नि नियंत्रण रडार . .	४१५२–५३
२५८६	प्रतिरक्षा उत्पादन सम्मेलन, १९६१ .	४१५३
२५८७	विदेशी सहयोग के लिये करार . .	४१५३
२५८८	उत्तर प्रदेश में कच्चे लोहे के निक्षेप .	४१५४
२५८९	दिल्ली के बी० ए० प्रथम वर्ष के छात्र . .	४१५४
२५९०	हार्डिन्ज पुस्तकालय, दिल्ली . .	४१५४-५५
२५९१	कवि ठाकुर के फलक . .	४१५५
२५९२	हिमालय पर्वतारोही दल . .	४१५५–५६
२५९३	इंस्टीट्यूट आफ इंडियन फाउंड्रीमैन . .	४१५६
२५९४	कोक भट्ठी संयंत्र .	४१५६–५७
२५९५	अतिरिक्त समय का भत्ता .	४१५७
२५९६	कोयले का सड़क के रास्ते यातायात	४१५७
२५९७	बालकों के लिये पुस्तकें	४१५७–५८
२५९८	वयस्क महिलाओं के लिये दोपहर के स्कूल	४१५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५९९	भूतपूर्व सैनिक . . .	४१५८—५९
२६००	अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ . .	४१५९
२६०१	प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम	४१५९
२६०२	सैनिक बूट ऐंकलों का ठेका	४१६०
२६०३	प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास परिषद्	४१६०
२६०४	भारत अमरीकी करार	४१६०—६१
२६०५	खनिज पदार्थों पर रायल्टी	४१६१
२६०६	कोरबा में भूमिगत खानें . . .	४१६२
२६०७	दिल्ली पुलिस का अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के साथ बर्ताव	४१६२
२६०९	रामगढ़ में कोकिंग कोयला खान	४१६२-६३
२६१०	दिल्ली के सिनेमा के निकट चोरबाजारी .	४१६३
२६११	पंजाब में अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	४१६३
२६१२	पंजाब आदिमजातीय आवास योजना .	४१६३
२६१३	पंजाब की लोहा और इस्पात की आवश्यकतायें	४१६३-६४
२६१४	पंजाब के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना	४१६४
२६१५	पंजाब में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्य-क्रम	४१६४
२६१६	पंजाब में विज्ञान मंदिर . .	४१६४
२६१७	पंजाब उच्चन्यायालय में विचाराधीन मामले . .	४१६५
२६१८	गुजरात के लिये पत्थर का कोयला (हार्ड कोक)	४१६५
२६१९	तेल पर रायल्टी	४१६६
२६२२	शेष आय-कर . .	४१६६
२६२३	नई भौतिकीय प्रयोगशालायें . .	४१६६
२६२४	ज्वालामुखी को जाने वाली सड़कें	४१६६
२६२५	सामूहिक बीमा योजना .	४१६७
२६२६	जापान से व्यापारिक ऋण . . .	४१६७
२६२७	सरकारी उपक्रम के कर्मचारी	४१६७-६८
२६२८	आदिमजातीय खंड कर्मचारी .	४१६८
२६२९	नेफा, नागालैंड और मनीपुर से इंजीनियरिंग विद्यार्थी .	५१६८-६९
२६३०	समाज कल्याण विभाग, दिल्ली .	४१६९

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६३२ दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम . . . ४१६६–७०

२६३३ साहित्य अकादमी ४१७०–७१

२६३४ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ४१७१–७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४१७२–७४

(१) श्री वारियर ने प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अमरीका के राजदूत श्री गालब्रेथ की इन बातों की ओर दिलाया, जो उन्होंने भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कहीं थी और जो अमरीका कांग्रेस समिति की नवप्रकाशित रिपोर्ट से पता चलीं हैं ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री बागड़ी ने ४ जन, १९६२ को नई दिल्ली के कनाट प्लेस में लगी आग की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४–७५

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०६६ ।

(ख) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०९१ ।

(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३३ ।

(दो) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(तीन) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची

विषय पृष्ठ

३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४४ ।

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४६ ।

(चार) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७४ में प्रकाशित भारतीय असैनिक सवा भविष्य निधि संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(पांच) सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७५ ।

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७६ ।

(२) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६४२ में प्रकाशित विदेशी मुद्रा विनियमन (तीसरा संशोधन) नियम १९६२ की एक प्रति ।

समितियों के लिये निर्वाचन ४१७५–७६

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सब सदस्य भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुने । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें ४१७६–४२३३

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि—

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा । तथा श्रम योजना तथा श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।